

Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870

ISSN (Print) : 2350-0441

SJIF - 4.076

Shodh Chetna

शोध चेतना

The International Reffered, Reviewed & Multifocal Research Journal

Year : 5

Apr. - Jun. 2019

Vol - 2

ADVISORY BOARD

- Prof. V.P. Upadhayay (*Punjab University, Chandigarh*)
- Prof. Safat Ahmad (*SHUATS, Naini, Prayagraj*)
- Prof. L.C. Chaudhary (*Principal Scientist, IVRI, Barellei*)
- Prof. Sanjay Shanker Mishra (*TRS College, Rewa*)
- Prof. R.K. Singh, Prog. Coordinator (*KVK Barellei, Govt. of India*)
- Prof. S.P. Singh (*CM.P. Degree College, Prayagraj*)
- Dr. Dinesh Singh (*Education, UPRTOU, Prayagraj*)
- Prof. Ashok Kumar (*Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya*)
- Dr. Surya Narayan Gautam (*Shri JJT University, Jhunjhunu, Raj.*)
- Shri Ajay Srivastava (*State Central Library, Rewa*)
- Prof. D.N. Triapthi (*D.S. College, Aligarh*)

EDITORIAL BOARD

Chief Managing Editor

Sushil Kumar Kushwaha

Mob. : 9532481205

e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor

Harsh Kushwaha, Prayagraj

R.L. Vishwakarma, Rewa

Editor

Dr. Sheetla Prasad Verma

KAPG College, Prayagraj

Sub Editors

1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh, Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT Univ., Jhunjhunu, Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa)
6. Dr. Dilip Singh (CMP Degree College, Prayagraj)
7. Dr. Gaurav Patel (Asstt. Prof. Law, CMP Degree College, Prayagraj)
8. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
9. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa)

© Publishers**Mode of Payment :**

DD/Cheque/Cash should be
sent in favour of

Processing Fee : Rs. 1500.00

**Single Copy Rs. 250.00
(Individual)**

**Annual (4 Issues) Rs. 1000.00
(Institution)**

**Life Member Fee Rs. 5000.00
(Individual)**

**Life Member Fee Rs. 7000.00
(Institution)**

**G. H. PUBLICATION
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394301010122432
IFSC-UBIN 0539431**

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remuneration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित।
प्रधान संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com
website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

G.H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com | website : www.shodhchetna.com

SHODH-CHETNA

शोध चेतना

*The International Referred & Reviewed
Multifocal Research Journal
Frequency - Quarterly*

We are providing a platform

For

The Publication of
Original Unpublished Research Paper,
Summary of Research Project,
Thesis and Book

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers
can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

website : www.shodhchetna.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि
हमारी त्रैमासिक, अन्तर्राष्ट्रीय पंजीकृत पत्रिका

“शोध-चेतना”

में प्रकाशित माननीय लेखकों के शोध-पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों
(केन्द्रीय/राज्य), महाविद्यालयों (शासकीय/अशासकीय),
शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य बौद्धिक मठों, आश्रमों/शोध-संस्थानों
के पुस्तकालयों में अनवरत् रूप से भेजी जा रही है जिससे,

इन शोध दृष्टियों से

‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’

का

उद्देश्य पूर्ण हो सके।

...प्रकाशक

आज ही आदेश करें।

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं
पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, इलाहाबाद-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

अनुक्रम

1. **Challenges in Quality Enhancement Teacher Education** 9-13
Dr. Precious Sheoran
2. **Gaya : Heritages of Heritage** 14-17
Dr. Rajesh Kumar
3. **Occurrence of Difference type of Lichen found in Vindhyan Region and its Importance** 18-26
Jyoti Dubey
4. **Fish Diversity and Population in Garha Dam, Mauganj, Rewa (M.P.)** 27-32
Dr. Kiran Saket
Yogendra Kumar Saket
5. **नारी सशक्तिकरण : आज के संदर्भ में** 33-35
डा. सुरेश कडवासरा
6. **निर्मला में सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन** 36-38
अभिषेक कुमार मिश्रा
7. **ध्रुवस्वामिनी नाटक में नारी विमर्श** 39-42
अजय कुमार मिश्र
डॉ. आशुतोष कुमार द्विवेदी
8. **पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति** 43-49
डा. अखिलेश कुमार गुप्ता
9. **“मध्य प्रदेश के रीवा एवं शहडोल सम्भाग के शासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालय सेवकों की समस्याएँ : एक अवलोकन** 50-57
डॉ. सत्य प्रकाश सिंह
भारत भूषण दुबे
10. **अभिज्ञान शाकुन्तलम् में रस योजना** 58-59
डॉ. आर.बी. त्रिपाठी
चन्द्रशेखर मौर्य

- | | |
|---|---------|
| 11. झुन्झुनूं जिले की प्राकृतिक सम्पदा : एक अध्ययन
डा. तरुण कुमार यादव | 60-67 |
| 12. शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन कारक के रूप में “अष्टांग योग दर्शन”
डा. दीपक कुमार सोनी
डॉ. परशुराम तिवारी | 68-70 |
| 13. मध्यकालीन बघेलखण्ड में उद्योग एवं व्यापार
डॉ. प्रीती श्रीवास्तव | 71-74 |
| 14. बुनियादी शिक्षा और गाँधी दर्शन
डॉ. सुधा सोनी | 75-77 |
| 15. भगवान के अवतारों की व्यापकता
कोमल अग्रवाल | 78-81 |
| 16. मध्य प्रदेश का फसल प्रतिरूप (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)
प्रभाक्षी तिवारी | 82-86 |
| 17. पुराणों में वास्तु की महत्ता का जन-जीवन पर प्रभाव
डॉ. बृजेशनाथ ओझा
राजेश कुमार मिश्रा | 87-93 |
| 18. मतदान व्यवहार में ई.वी.एम. की उपयोगिता
डॉ. उपमा सिंह
राजेश शर्मा | 94-98 |
| 19. भिलालाओं में परिणय संस्कार से पूर्व वैवाहिक लोक उत्सव : पलासला
डॉ. पुष्पेन्द्र वास्कले | 99-103 |
| 20. संस्कृत की प्रतिष्ठा में सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास का अभिनव प्रयास
ब्रजेन्द्र कुमार मालवीय
डॉ. सूर्य नारायण गौतम | 104-107 |
| 21. भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का महत्व
डॉ. श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव | 108-110 |

22. राजस्थान प्रदेश में लोक कला के विभिन्न स्वरूप 111-116
डॉ. एस. कृष्ण यादव
23. छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के विकास में बिलासपुर से 117-124
प्रकाशित समाचार-पत्र का योगदान
नितेश पाटकर
डॉ. गुरु सरन लाल
24. ग्रामीण व्यवस्थाओं में अंडों का भंडारण एवं प्रसंस्करित अण्डा उत्पाद 125-128
डा. शीतला प्रसाद वर्मा
25. स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में शारीरिक शिक्षा 129-132
दिलीप सिंह
26. ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवारों के विघटन के प्रभाव एवं कारण 133-136
डा. श्री राजेश त्रिपाठी
जितेन्द्र कुमार कुशवाहा
27. कूर्मपुराण का अध्यात्मिक-पक्ष का अनुशीलन 137-139
अंजनि प्रसाद पाण्डेय
सतेन्द्र द्विवेदी
28. वर्तमान परिदृश्य में महिला उत्पीड़न की पीड़ा एक समाज वैज्ञानिक विश्लेषण 140-142
डॉ. राजेश कुमार त्रिपाठी
विनय कुमार द्विवेदी
29. आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण की भूमिका 143-148
साहेदा सिद्दीकी
मोनिका श्रीवास्तव



Our New Life Member

- Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajasthan
- Kulbhashkar Ashram P.G. College, Prayagraj
- International Federation of Astrology and Spiritual Science Regd. & Recognised by Govt. of India and Sri Lanka.

GUIDELINES TO THE AUTHORS

Manuscripts of research paper : It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract, Introduction, Methods, Results and References. English Manuscripts must be in Times New Roman font, font size 12 and in double spacing. Hindi manuscripts must be Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in **CD/e-mail : ghpublication@gmail.com**, with a cheque of Rs. 1500 only in favour of G.H. Publication also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.



Challenges in Quality Enhancement Teacher Education

□ Dr. Precious Sheoran

ABSTRACT

Teacher Quality is critical in honing various skills to make the learners to be responsible citizens of the nation in order to contribute in its development. The need for politics and strategies to strengthen teacher preparation is being well recognized issue and hence, Teacher education, the current trends in Teacher Education and professional Development have become vital in Teaching Profession. It is a continuing process which focuses on teacher career development Teacher Education encompasses teaching skills, sound pedagogical theory and professional skills. Teacher Education generally includes four elements: improving the general educational background of the trainee teachers; increasing their knowledge and understanding of the subject they are to teach; pedagogy and understanding of children and leaning; and the development of practical skills and competences. The most effective teaching is that which results in the most effective learning.

NEED OF TEACHER EDUCATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Teacher education is concerned with the aspects such as, who (Teacher Education), whom (Student teacher), what (Content), and how (Teaching Strategy). It empowers the student teachers with the skills (teaching and soft skills) that would enable them to carry on the functions in the most effective manner. Teacher education therefore pays attention to its content matter. Teacher education has become necessary for the effective teaching and learning process.

HERE ARE SOME OF THE ASPECTS WHICH EXPLAIN THE NEED OF TEACHER EDUCATION IS:

- Complexity of the profession
- To improve the quality
- Improves efficiency
- Makes innovative

- Brings changes and up-dates
- To meet the changing needs
- To address the theory-practice gap
- Preparing Teachers for Diverse Learners,

CHALLENGES IN QUALITY ENHANCEMENT OF TEACHER EDUCATION

1. Teacher centered teaching to learner centered teaching: There is very clear change in the teaching approach. Previously, the classes were teacher centered. The teacher would be the center of the class. The active role was played by teacher and the learners would observe the teacher and follow the teacher. The modern classes are being more and more learner centered. Interest in learner centered approaches is high on many agendas. This includes attention to learner styles, self direction, self evaluation, multiple intelligences, affective factors in learning, etc. the growing interest in learner

* Associate Professor, S.J.J.T. University, Jhunjhunu (Raj.)

centeredness indicates a new and emerging valuing of diversity and difference.

2. Theoretical to practical approach: In olden days classes were more theoretical. Teachers would read the lesson from the book and explain the contents in simple and easy language. A persistent issue that has plagued teacher education is the disconnect between theory and practice. The theory-practical gap was identified as a serious concern. Today there is also evident to teaching candidates as there is a disparity between the theoretical works they are taught and their observations of teaching practices in schools. Moreover supported in applying theories they learn to practice in meaningful, critical and explicit ways. The lessons should be designed in such a way so as to reduce the theory-practice gap. Clearly research on teaching could and should inform the content of teacher education-what gets taught, how and for what purposes.

3. Book oriented to task and activity oriented approach: Today activity and task based teaching approaches are being used more in the classes. Books are just the supporting material. The theoretical concept is taken from the book and the teacher makes tasks and activities on the concept to make it clear and interactive.

4. Teaching with the help of the book of ICT based teaching: Developing ICT literacy not only allows for the access and navigation of information but also self-directed learning, as it has the potential to free students from the constraints of time and space. It includes the ability to search for, manage and retrieve information rapidly and to work collaboratively with others. ICT literacy also includes the ability to dialogue like the smart board, e-podium, internet .etc have replaced the book based teaching and learning.

5. Book and pen/pencil to e-books: The use of electronics and technology is increasing day by day. The hard copies of text books and notes are now being replaced with e-books, e-podium and smart boards. The teachers who till now are accustomed to hard copies must adapt themselves to this new technological method of teaching. However, it has reduced the burden the burden of carrying numbers of books to the class room. As a teacher you just need to have your materials in your system and flash memory.

TEACHING PRACTICES FOR THE 21st CENTURY TEACHER-EDUCATION

1. Maintain good communication skills: A Successful teacher is one that is able to build a rapport with his/her students, one that can easily connect with his learners and feel their needs as individuals. Open and clear communication is the key to develop a healthy friendly learning atmosphere inside your class.

2. Getting students engagement: There is nothing as challenging as getting students engaged. Today's students are multitasked and can hardly maintain a long concentration. They can easily get bored and therefore disconnected. There are many ways you can fight off this problem: Use interesting educational student-centred and try your maximum to relate what you students immediate environment.

3. Use Humour: Relevant doses of humor to spice up your teaching are highly recommended. Forget about the authoritative and coercive style of teaching, for experience proved that it only disheartens learners and kills their motivation. Use humour at appropriate times; this can lead to students engagement and built up their confidence.

4. Act don't react: Students are very smart and it is part of their juvenile nature to try to get you. Sometimes ignoring a disruptive behavior is way better than reacting to it and in case it becomes repetitive or serious then make sure to talk it out with the students involved alone and not in front of the whole class.

5. Be-clear and precise in your instructions: Remember you are teaching digitally focused students with short attention span. Several of the problems some teachers face are due to ambiguous and unclear instructions. Cut off on the clutter and be to the point. Show them the red lines and explain to them classroom ethics and what you can tolerate.

6. Give room to individuals learning: Not all the students are equal in their comprehensive power. Students learn in different ways, some students are slow learners and others are quick, some kinaesthetic (learn by experience or doing) others are auditory or visual. Keep these considerations in your mind and do your best to tend to every kind of learner you might have in your class.

7. Positive feedback: "good job, excellent,.....ect" are simple words that might not mean anything to you but they mean they the whole

world to students Think back to the days when you were a students and have positive feedback from your teacher would make both your and your parents whole day. Publicly praise positive behavior and show your students that you are celebrating their achievements as well.

8. Involve students in decision making:

Students tend to do great when they feel they are trusted and that they are real part in learning/ teaching operation. Use voting and polling to investigate about a certain topic or classroom assignment. Try from time to time to give them the wheel and let them lead.

9. Use peer learning: Peer learning is a form of ‘cooperative learning that enhances the value of the student-students interaction and results in various advantageous learning outcomes’.

Love your subject/ job: The best way to get students interested in your subject is to love it so much that your passion for the field shows in your attitude. Students positively respond to authenticity. And as Abraham Lincoln once said “Love the job you do and you will never have to work a day”.

PROBLEMS OF TEACHER EDUCATION

social reconstruction and to a great extent it offers solutions to the problems a society faced with. These problems may be economic, social, cultural, political, moral, ecological and educational. Since the teachers It is universally acknowledged that education is an effective means for play a major role in education of children, their own education becomes a matter of vital concern. Various problems in the way of teacher education are following:

- Duration of Teacher Training Programs
- Incompetency of Pupil Teachers
- Selection problem
- Teacher Education Program have narrow and
- Rigid curriculum
- Superficial Practice teaching
- Problem of supervision of teaching
- Deficient in content of the Teaching Subject’s
- Knowledge
- Methods of Teaching are lacking in innovation
- Segregation of Teacher Education Department
- Poor Academic Background of Student-Teachers
- Deficient in content of the Teaching Subject’s
- Academic Background of Student-Teachers
- Deficient in facilities of pupil-teacher

- Lack of Regulations in Demand and Supply
- Lack of facilities for Professional Development
- Insufficient financial grants
- Narrow Scope of Teacher Education
- Lack of Culture-Specific Pedagogy

Teacher education must, therefore, create necessary awareness among teachers about their new roles and responsibilities. Education of teachers needs to strengthen and stress upon the main attributes of a profession, such as, the systematic theory, rigorous training over a specified duration, authority, community sanction, ethical code and culture, generation knowledge through research and specialization.

It is acknowledged that formal professional training on continuous basis is necessary for becoming a good teacher as it caters to the development of one’s personality and sharpening of communication skills and commitment to a code of conduct.

Suggestions for Quality Enhancement In

Teacher Education (1) The courses of studies in theory and practice should be restructured. For this research should be conducted comprehensively to realize the goals of teacher education. The result of these researches should be given due important in designi and evaluation procedure in the regular university departments.ng the curriculum of teacher education.

(2)The method of teaching in the education should bereorganized according to the changing demand of education system. Special innovative programmes like seminar, Workshops, conference, projects and discussions should be organized regularly for the improvement of teaching learning process in various fields.

(3) The admission procedures of B.ED. should completely restructured so that only those who have aptitude of teaching are able to take admission in this course as the increasing number of colleges of B.ED. has made this course accessible for everybody

(4) Now a days the number of self-financing colleges are mushrooming like shops and they have made it as their money making factory which detrimental for education in future. Therefore for regular inspection should be done to ensure quality in teacher education. The affiliating bodies for teacher education should frame such parameters which can

enhance the teacher education program in qualitative aspect rather than quantitative aspect.

(5) In order to remove the myth or misconception that the training in teacher education department is superficial and is not incorporated in real situation the professional attitude should be developed by organizing various types of facilities like school assembly, social work, field work, surveys, laboratory and co-curricular activities

(6) State Education department can have planning unit which can help in regulating the demand and supply of teacher at various levels of school. As it has been observed that there is big gap between demand and supply in various states. The whole scenario of education is changing after Right of Education Act 2009, the demand for teachers at various level has tremendously increased. Moreover today is the time for inclusive which leads to demand of special teacher/education and we all are aware of the fact that there is scarcity of special educators. So a balance should to be maintained for better results.

(7) The training or the teaching practice of pupil teachers held in the school should closely associated with teaching staff in education collages in planning the content to be covered and method to be used by the pupil teachers to have useful implications for school rather than disturbing their routine schedule. Moreover the real teaching practice should be supervised by the teachers in a systematic way so that it fulfills the objectives of teacher training.

(8) It should be made mandatory that a teacher education department should have a demonstration school which should have certain facilities such as laboratories, libraries and other important audiovisual equipments. This can be of great help to formulate the policies, program for refining the education system.

(9) The whole system of education is changing at a greater speed. The teacher education department should conduct research on teaching curriculum and evaluation procedure in the regular university departments. Extension programs and Exchange programs with different universities within India and outside India enrich the teacher education programme enormously. So such programs should be government and university so that different academicians from different disciplines can contribute in the qualitative aspect of teacher education.

(10) Refresher courses, Orientation programs seminars, Conferences courses, Orientation programs seminars, Conferences, Workshop, Symposium should be encouraged for the professional growth of teacher educators. All the educationists can be oriented with new developments, change, innovations in the field of education.

(11) The reference books, other reading material are not available in Hindi and other regional languages so availability for such books should be made for students and teachers which can make the teaching learning process more effective

(12) Haryana government has made providing incentives for pupil teacher who undergoes training at elementary level, so provisions should be made at higher level also. Government should provide financial grant to teacher education institute/department for opening experimental school.

(13) Rigorous screening and strict admission procedure should be followed for correspondence courses for teacher education

(14) Inclusive education should be made an integral part of teacher curriculum so that the pupil teachers are sensitized with children with special Needs.

(15) Teacher Education department! Institute should be connected with real life situations of classrooms so that the teacher educators and pupil teachers both get acquainted with different problems of classroom situations.

(16) The internships/teaching practice time period should be increased so that pupil teacher become more confident and get familiar with classroom situations.

Conclusion

Since the teacher is the pivot of the entire educational system and is the main catalytic agent for in introducing desirable changes in the teaching learning process, all attempts need be made for motivating teachers to become innovative and creative. It goes without saying that a self motivated and really industrious teacher can utilize his own resources to keep himself abreast of new knowledge and skills. It has been recognized that teacher education program should be structured and modified in a way that enables them to respond dynamically to the new

problems and challenges in the field of education, then only teacher can help in national development.

This is the age of technology. Everyone and everything seems to have something to do with computers and communications. Our future generation is already showing signs of becoming totally computer and technology dependent. It is a fact that over the years, education has become increasingly complex, with more and information communicated to the student. In this environment it is important for students to have an interesting, interactive and experimental mode of instruction that will make learning enjoyable and easy. ICT based education is definitely the direction towards which the whole world is progressing. However, ICTs should be used currently in conjunction with well planned classroom teaching.

REFERENCES

1. Chobe, S.P., & Chobe, A. (2006). School Organization. Noida: Mayur Paperbex.
2. Gupta, A.M. (1999). Educational Management. New Delhi: Bharat Prakashan. University News. Vol. 49, No.09, February 28-March 06
3. Usha M.D. (2010). Challenges Before Indian Government (Convocation Address).
4. Vashist, S.R. (2003). Professional Education of Teachers. Jaipur: Mangal Deep
5. Curriculum Framework for Quality Teacher Education by NCTE retrieved from http://www.ncte-india.org/pub/curr/curr_0.htm





Gaya : Heritages of Heritage

□ Dr. Rajesh Kumar

ABSTRACT

Gaya is a historical and holistic place in India. Although Gaya was established by historical Asur Gaya Ji but at present, Gaya has conserved many heritages which is related to Hindu, Buddhist, Muslim and Jainism place. It is the place where Rama with Sita and Laxmana, came to offer pind-daan for their father Dasrath and continue to be a major Hindu pilgrimage site for the pind-daan ritual. Bodh Gaya, where the Buddha is said to have reached enlightenment, is one of the four holy sites of Buddhism.

Regional study has a special significance in history. Historical studies have been done in small quantities from the regional perspective in Bihar. Regional studies conducted by scholars like S. N. Singh, Yogendra Mishra and A.Q. Ansari has special significance. Although there are several studies and research on Gaya and Bodh Gaya but the historical and archaeological heritage of Gaya has its vastness. There are many such heritages in Gaya that is not yet in the information of India or Bihar Government. Therefore, it has been attempted by the present study, the remote historical place of Gaya come in the light of Government and public.

Key Words: Heritages, Asur, Regional study

The historical archaic of old Gaya district which now forms the geographical area of Magadh division represents an amalgam of pre-historic and historic periods. As a part of Magadh, it remained outside the pale of Aryanism and was associated with the culture of Vratyas. The Vedas off course don't mention Gaya specifically but Nirukt, Ramayana and Mahabharata have the reference to. As a cosmopolitan centre, it represents a sacred place carrying in its tradition the imprints of Asuras, Nagas, Vratyas, Aryans, Buddhists and Brahmanical cultures.

A sacred place of pilgrimage, a unique centre of learning and a most ancient seat of adhyatma sadhana and a recognized school of sakta-tantra for enlightenment, sublimity, serenity and compassion,

Gaya is a name to conjure within the history of human thought and culture.

The region has been the centre of cultural activities since time immemorial. It was the nerve centre in the history of MAGADH and was also a seat of asceticism, a remarkable characteristics since the days of Kassapa brothers or a bit earlier with the Asura's occupancy in the region.

It will not be exaggeration if said that once cultural horizon of the civilizations in the eastern INDIA was designed here at the bank of the river Phalgu and spread over the whole region. It was Phalgu river, the life line of the MAGADH made them distinguish in the region. That is why perhaps Phalgu is called "Sumagadha Visruta".

* Assistant Professor, Department of Education, Nalanda College, Biharsharif (Nalanda), E-mail: rajesh.kashi2009@gmail.com

Physiographically, Magadh is situated in the territorial zone between the Gangetic plain in the north and the Chotanagpur plateau in the south. A part of the ancient kingdom of Magadh, it represented a place of cultural transition and played an important role in the evolution and development of Indian culture.

Here we must pay our regard to Alexander Cunningham, who in 1861 initiated extensive survey and partial excavation of Gaya and Bodh-Gaya. Actually, this marked the beginning of archeological activities in Gaya. The survey done by Francis Buchanan, Hamilton, major Kittoe and others have done some preliminary work earlier. But, the work of Cunningham and his assistants provided a solid basis for archaeological operations and helped in laying the foundation of the historical archaeology in Bihar.

But, it is not until 1956 that we notice any effort being made in this region for under taking excavation work. We should be grateful to Sir Baldeo Prasad, the founder of Gaya Museum, who had drawn attention of the government and scholars towards the growing need of excavation here. He submitted a long list of archeologically potential sites and insisted for the excavation at Sonapur.

Archaeological investigations demonstrate that during the pre-historic period, the region was inhabited by the stone using people. Paleolithic tools have been picked up from the Jethian valley. They lived in natural caves and relied on hunting and food gathering for their subsistence. Gradually, they developed their tools and spread in open land and invented various ways to control the nature. The Paleolithic man was savage hunter moving in small groups from place to place in search of food. A significant change in the economy of the people of Gaya from that of hunting and food gathering to that of pastoralism or settled agriculture took place around 1500 B.C. The remains of the earliest food producing society and settled in the district have come to light at Sonapur. Besides, being a food-gatherer, the chalcolithic man of Sonapur was also food producer. Sonapur people domesticated cattle and cultivated rice.

It may not be out of place to record here that Sonapur in Gaya is the first place in eastern India where one of the earliest evidences of a settled village life has been discovered. Iron which decisively contributed to the rise of cities, large scale agriculture

and in the emergency of Magadh as a powerful unifying force in northern India, was possibly introduced in this area as is evident from the Sonpur findings.

Here, it is interesting to know that exploration and excavation at a number of places both on the northern and southern flanks of the Ganges have shown affluence of the chalcolithic culture in Bihar and Chirand proved to be a very site of the culture in the post Harappa period. Sonapur and Taradlh in Gaya district are another perspective sites in the lineage. The succeeding period was marked by the emergency of the well known N.B.P. Ware. At Sonpur the richest yield of the material remains of the period is of course its pottery. It has been divided into three groups the red ware, the black ware and the black and red ware. The entire range is turned on wheel, though hand-made specimens are also not wanting. The fabric is coarse and the clay contains a large proportion of sand.

Bone tools have been found in large number though the types are very limited which include points and arrow-head (both ranged and socketed varieties). Besides its hardness and easy workability the use of bone was probably due to the paucity of copper. Only a few copper wires, which might have been used for making rings, have been found.

Iron slags occurred towards the close of the period in Pre-N.B.P. Ware horizon. Its use gave the people a new power and a new sense of security. Besides being played an important role in large scale agriculture and rise of cities, it facilitated the rise of Magadha as a powerful political force. The earliest level may be dated to 1500 B.C. and the period came to an end in 700 B.C. Here I would like to quote Sri Naseem Aktar who during a discussion has suggested that the chalcolithic settlement of Sonpur and Chirand were contemporary.

The another important archeological site is Bakraur. It is a place on the eastern bank of river Phalgu at Bodh-Gaya. About one k.m above the confluence of Niranjana and Mohana is an island of few villages. Many sacred texts refer this to be Dharmaranya but Buddhist texts call it Uruvella. Skanda Purana in its Dharmaranyakhand refer to it in detail and mention some five Vapis to be there. However, the local priests point to three:

- (1) Matanga Vapi
- (2) Dharma Vapi
- (3) Vardhamanvapi.

The Skandapurana tells the order of occupancy of this region. As to it firstly the Asuras inhabited it and the place was called Mahakai Vana as it was a deep forest. Later Nagas advanced to this region and Asuras either retreated or surrendered. The forest is said to be named Mahanagavan. The Anand Ramayana refers that Amurtrayas, son of Kusha (chronological order no:25) king of Kanyakubja, descended from Purunvas. His son Gaya reigned in Gaya district.

Bakraur was excavated under the auspices of the archaeological survey of INDIA during the field season of 1972-73. As a result, three stages of construction in the Stupa came to light. Several inscribed plaques, made of plaster, representing Buddha in bhoomisparsha Mudra, were the most important discovery. The legend Devapalarajasya Sujatagriha are in Pala characters. It indicates that the Stupas was made during the region of Devapala to mark the place where Sujata, who offered Payasa to Siddhartha, lived. Here, I find very strong logics to argue for extensive excavation in the adjacent area where habitational areas are in strong perspective to come out with wider flashes on the contemporary history.

This perspective carries strong basis in light of findings in Taradih and references in Buddhist texts. Some other references too put stress for an interdisciplinary move in this area stretching from Pragbodhi hill to Bakraur.

Apsad is another most important site. It was brought to light by Major Kittoe in 1847. Bloch in his report for the year 1901-02, made a strong recommendation for the excavation of the site. But the actual excavation started only during the field season of 1973-74 by directorate of archaeology and Museums, Bihar. A well planned vaishnavatemple belonging to the later gupta period has been brought to light.

Here, I feel it will be injustice with the subject without the reference of Kurkihar. One of the most imposing archeological sites of Gaya region was a scene of some of the miracles of Mahakashyapa as to the Buddhist traditions.

The main mound of the Buddhist ruins to the south of the village measures about 600 feet square

and about 25 feet high which, as seen from Cunningham's sketch plan, includes ruins of a small fort with solid brick walls. Kittoe refers to it in his account of the place the numerous Buddhist nature but 6 in numbers are strictly Hindu images of Vishnu, Shiva-parvati, Surya and Balram. The findings and the geophysical status of the site certainly speaks more in its silence which need to be broken by further opening of its womb.

However, this presentation remains incomplete without taking in account the work done by Dr. (col) A.K. Prasad of the education corps of the Indian army who has discovered a number of natural caves with pre-historic paintings in the south-eastern part of Nawadah in deep forested hilly regions almost inaccessible. These rock shelters stretching over more than 100 k.m. mainly in the south-eastern part of the Nawadh and jamui district with marginal extension in the Giridih district are extremely important for the pre-historic art of not only Bihar but the entire country caves (Yogia complex) and could accommodate on the floor about five thousand people at a time. The paintings are in different shades of red, ochre, white, yellow and black colours. Col. Prasad has classified the discovered sites into five complexes named Baradauni, Jharauna, Ranigadar, Jigia, Bathana, Sankarpur of the Gaya district deserve special attention.

The paintings on the rock wall are mostly of the Mesolithic period Mesolithic tools were found on the floors. These tools are made of chert, quartz, quartzite and there is a rare flint – cone, abundant in Europe but scarce in India. Virtually, a Mesolithic tools factory in the Jharuva complex with engravings in one is a rare discovery.

Manda hills are situated not far from the Grand Truck Road near Buddhists site Bhurha. An ancient site, with pottery and bricks strewn over a great distance around the hill, was first noticed by Kittoe in 1847. He states that there have been "Buddha and Shiva temples on the rocks, of which traces only are left: under a tree are heaped fragments of idols of ages: amongst them were two small figures of sows with seven sucking pigs on their hind legs, one of these sculptures I have secured for the museum." It appears the place was not explored further after Kittoe. The Bengal List and the District Gazetteer had apparently

drawn their information from Kittoe's brief report mentioned above. At the present, this site is ruined by publically and naturally but originally of natural segment is available such as Buddhist sculptures, mound, fragments of bricks and khapra.

Bhurhha is about 2 miles to the east of Manda Hillss. It was visited in about 1847 by Major Kittoe who then noticed "several sites where there have been Chaitya and large Vihar" Nearby this sites, several Jharna spread by naturally and several Buddhist sculptures and mounds appear in locality. Although, from vedic period, This site was meditated by Durvasha rishi. At present, Shradh Karm is done in Bhuraha.

Thus, it has been observed the 'Gaya' that excavation conducted so far in Magadh region, though exploratory in nature, throw considerable light on the early history of the area. I believe further excavations at Sonapur and Jethian, Kurkihar ,Bkraur and Bodh-Gaya etc. May provided a clear picture if the evolution and development of civilization in this part of the country. Before I conclude I must say a word regarding conservation of excavated sites and monuments. Some very painful incidents as the theft of Mukeshwar

Mahadev and Dharmeshwar Mahadevlinga from Dharmayana campus in Bakraur region, a pala image and hazardous abuse of the excavated site at Tardih have prompted me to say this. Unless we preserve our historical heritage it is like one step forward and two backwards.

References:

- Roy Chaudhary, P.C. (1951) *Bihar District Gazetteer – Gaya* Bihar government press: Patna, p57.
 Omeli, L.S.S. (1906). *Bengal District Gazetteer – Gaya* Kolkatta
 Parasad, Bachchu. (1984) *Sherghati: Ek Jhalak. Sherghati Gaya*
 Singh, A.K. (1986). *Archeology of the Gaya* Thesis of Patna University, Patna
 Kitto, Major. (1847). *J.A.S.B.*, Culkatta, pp 277
 Grierson, George A. (1893) *Notes on the district of Gaya* The Bengal Secriteriate Press : Culkatta, p22.
 Patil, D.R. (1963) *The Antiquarian remains In bihar* Patna, p155.
 Ravi, Rakesh Kumar Sinha. (2003) *Dharohar Magadh Ke* Vol- I, publication: Gaya, p63.
 Kumar, Amrendra (2004). *Puratav aur Bihar* Patna, p67.





Occurrence of Difference type of Lichen found in Vindhyan Region and its Importance

□ Jyoti Dubey

ABSTRACT

A **lichen** is a composite organism that arises from algae or cyanobacteria living among filaments of multiple fungispecies¹ in a mutualistic relationship.² The combined lichen has properties different from those of its component organisms. Lichens come in many colors, sizes, and forms. The properties are sometimes plant-like, but lichens are not plants. Lichens may have tiny, leafless branches (fruticose), flat leaf-like structures (foliose), flakes that lie on the surface like peeling paint (crustose),³ a powder-like appearance (leprose), or other growth forms.⁴

Introduction

A *macrolichen* is a lichen that is either bush-like or leafy; all other lichens are termed *microlichens*. Here, “macro” and “micro” do not refer to size, but to the growth form.^[2] Common names for lichens may contain the word *moss* (e.g., “reindeer moss”, “Iceland moss”), and lichens may superficially look like and grow with mosses, but lichens are not related to mosses or any plant. Lichens do not have roots that absorb water and nutrients as plants do,⁵ but like plants, they produce their own nutrition by photosynthesis. When they grow on plants, they do not live as parasites, but instead use the plants as a substrate.

Lichens occur from sea level to high alpine elevations, in many environmental conditions, and can grow on almost any surface.⁸ Lichens are abundant growing on bark, leaves, mosses, on other lichens, and hanging from branches “living on thin air” (epiphytes) in rain forests and in temperate woodland. They grow on rock, walls, gravestones, roofs, exposed soil surfaces, and in the soil as part of a biological soil crust. Different kinds of lichens have

adapted to survive in some of the most extreme environments on Earth: Vindhyan Region of hot dry mountain, rocky coasts, and toxic slag heaps. They can even live inside solid rock, growing between the grains.

It is estimated that 6% of Earth’s land surface is covered by lichens.⁹ There are about 20,000 known species of lichens.¹⁰ Some lichens have lost the ability to reproduce sexually, yet continue to speculate. Lichens can be seen as being relatively self-contained miniature ecosystems, where the fungi, algae, or cyanobacteria have the potential to engage with other microorganisms in a functioning system that may evolve as an even more complex composite organism.

Lichens may be long-lived, with some considered to be among the oldest living things. They are among the first living things to grow on fresh rock exposed after an event such as a landslide. The long life-span and slow and regular growth rate of some lichens can be used to date events (lichenometry).

Many lichens reproduce asexually, either by a piece breaking off and growing on its own (vegetative

* Researcher, Govt. Adarsh P.G. College, Rewa (M.P.)

reproduction) or through the dispersal of diaspores containing a few algal cells surrounded by fungal cells. Because of the relative lack of differentiation in the thallus, the line between diaspore formation and vegetative reproduction is often blurred. Fruticose lichens can easily fragment, and new lichens can grow from the fragment (vegetative reproduction). Many lichens break up into fragments when they dry, dispersing themselves by wind action, to resume growth when moisture returns. *Soredia* (singular: “soredium”) are small groups of algal cells surrounded by fungal filaments that form in structures called soralia, from which the soredia can be dispersed by wind. *Isidia* (singular: “isidium”) are branched, spiny, elongated, outgrowths from the thallus that break off for mechanical dispersal. Lichen propagules (diaspores) typically contain cells from both partners, although the fungal components of so-called “fringe species” rely instead on algal cells dispersed by the “core species”.

Sexual reproduction :



Fig. 1 Disc-like apothecia (left) and thallus(right) on a foliose lichen

Structures involved in reproduction often appear as discs, bumps, or squiggly lines on the surface of the thallus. Only the fungal partner in a lichen reproduces sexually. Many lichen fungi reproduce sexually like other fungi, producing spores formed by meiosis and fusion of gametes. Following dispersal, such fungal spores must meet with a compatible algal partner before a functional lichen can form. Some lichen fungi belong to Basidiomycetes (*basidiolichens*) and produce mushroom-like reproductive structures resembling those of their nonlichenized relatives.

Most lichen fungi belong to Ascomycetes (*ascolichens*). Among the ascolichens, spores are produced in spore-producing structures called *ascomata*. The most common types of ascomata are the *apothecium* (plural: apothecia) and *perithecium* (plural: perithecia).¹² Apothecia are usually cups or plate-like discs located on the top surface of the lichen thallus. When apothecia are shaped like squiggly line segments instead of like discs, they are called *lirellae*.¹³ Perithecia are shaped like flasks that are immersed in the lichen thallus tissue, which has a small hole for the spores to escape the flask, and appear like black dots on the lichen surface.

The three most common spore body types are raised discs called *apothecia* (singular: apothecium), bottle-like cups with a small hole at the top called *perithecia* (singular: perithecium), and *pycnidia* (singular: pycnidium), shaped like perithecia but without asci (an ascus is the structure that contains and releases the sexual spores in fungi of the Ascomycota).¹⁵

The apothecium has a layer of exposed spore-producing cells called *asci* (singular: ascus), and is usually a different color from the thallus tissue. When the apothecium has an outer margin, the margin is called the *exciple*. When the exciple has a color similar to colored thallus tissue the apothecium or lichen is called *lecanorine*, meaning similar to members of the genus *Lecanora*. When the exciple is blackened like carbon it is called *lecideine* meaning similar to members of the genus *Lecidea*. When the margin is pale or colorless it is called *biatorine*.¹⁶



Fig. 2 Crust-like thallus with pseudopodetia

A “podetium” (plural: podetia) is a lichenized stalk-like structure of the fruiting body rising from the thallus, associated with some fungi that produce a fungal apothecium.¹⁷ Since it is part of the reproductive tissue, podetia are not considered part of the main body (thallus), but may be visually prominent. The podetium may be branched, and sometimes cup-like. They usually bear the fungal pycnidia or apothecia or both. Many lichens have apothecia that are visible to the naked eye.

Most lichens produce abundant sexual structures.¹⁸ Many species appear to disperse only by sexual spores. For example, the crustose lichens *Graphis scripta* and *Ochrolechia parella* produce no symbiotic vegetative propagules. Instead, the lichen-forming fungi of these species reproduce sexually by self-fertilization (i.e. they are homothallic). This breeding system may enable successful reproduction in harsh environments.¹⁹

Mazaedia (singular: mazaedium) are apothecia shaped like a dressmaker’s pin in (pin lichen)s, where the fruiting body is a brown or black mass of loose ascospores enclosed by a cup-shaped exciple, which sits on top of a tiny stalk.

Taxonomy and classification

Lichens are classified by the fungal component. Lichen species are given the same scientific name (binomial name) as the fungus species in the lichen. Lichens are being integrated into the classification schemes for fungi. The alga bears its own scientific name, which bears no relationship to that of the lichen or fungus.²⁰ There are about 13,500–17,000 identified lichen species.^[43] Nearly 20% of known fungal species are associated with lichens.^[43]

“Lichenized fungus” may refer to the entire lichen, or to just the fungus. This may cause confusion without context. A particular fungus species may form lichens with different algae species, giving rise to what appear to be different lichen species, but which are still classified (as of 2014) as the same lichen species.²¹

Formerly, some lichen taxonomists placed lichens in their own division, the *Mycophycophyta*, but this practice is no longer accepted because the components belong to separate lineages. Neither the ascolichens nor the basidiolichens form monophyletic lineages in their respective fungal phyla, but they do

form several major solely or primarily lichen-forming groups within each phylum.²² Even more unusual than basidiolichens is the fungus *Geosiphon pyriforme*, a member of the Glomeromycota that is unique in that it encloses a cyanobacterial symbiont inside its cells. *Geosiphon* is not usually considered to be a lichen, and its peculiar symbiosis was not recognized for many years. The genus is more closely allied to endomycorrhizal genera. Fungi from Verrucariales also form marine lichens with the brown algae *Petroderma maculiforme*,²³ and have a symbiotic relationship with seaweed like (rockweed) and *Blidingia minima*, where the algae are the dominant components. The fungus is thought to help the rockweeds to resist desiccation when exposed to air.²⁴

In addition, lichens can also use yellow-green algae (Heterococcus) as their symbiotic partner.²⁵ Lichens independently emerged from fungi associating with algae and cyanobacteria multiple times throughout history. The following table lists the orders and families of fungi that include lichen-forming species.

Photobionts

The photosynthetic partner in a lichen is called a *photobiont*. The photobionts in lichens come from a variety of simple prokaryotic and eukaryotic organisms. In the majority of lichens the photobiont is a green alga (Chlorophyta) or a cyanobacterium. In some lichens both types are present. Algal photobionts are called *phycobionts*, while cyanobacterial photobionts are called *cyanobionts*.²⁶ According to one source, about 90% of all known lichens have phycobionts, and about 10% have cyanobionts, while another source states that two thirds of lichens have green algae as phycobiont, and about one third have a cyanobiont. Approximately 100 species of photosynthetic partners from 40 genera and five distinct classes (prokaryotic: Cyanophyceae; eukaryotic: Trebouxiophyceae, Phaeophyceae, Chlorophyceae) have been found to associate with the lichen-forming fungi.²⁷

Common algal photobionts are from the genera *Trebouxia*, *Trentepohlia*, *Pseudotrebouxia*, or *Myrmecia*. *Trebouxia* is the most common genus of green algae in lichens, occurring in about 40% of all lichens. “Trebouxioid” means either a photobiont that is in the genus *Trebouxia*, or resembles a member of that genus, and is therefore presumably a member of

the class Trebouxiophyceae.²⁸ The second most commonly represented green alga genus is *Trentepohlia*.²⁹ Overall, about 100 species of eukaryotes are known to occur as photobionts in lichens. All the algae are probably able to exist independently in nature as well as in the lichen.

A “cyanolichen” is a lichen with a cyanobacterium as its main photosynthetic component (photobiont).³⁰ Most cyanolichens are also ascolichens, but a few basidiolichens like *Dictyonema* and *Acantholichen* have cyanobacteria as their partner.³¹

The most common cyoccurring cyanobacterium photobionts are from *Scytonema*. Many cyanolichens are small and black, and have limestone as the substrate. Another cyanolichen group, the jelly lichen of the genera *Collema* or *Leptogium* are gelatinous and live on moist soils. Another group of large and foliose species including *Peltigera*, *Lobaria*, and *Degelia* are grey-blue, especially when dampened or wet. Many of these characterize the Lobarion communities of higher rainfall areas in western Britain, e.g., in the Celtic rain forest. Strains of cyanobacteria found in various cyanolichens are often closely related to one another. They differ from the most closely related free-living strains.

The lichen association is a close symbiosis. It extends the ecological range of both partners but is not always obligatory for their growth and reproduction in natural environments, since many of the algal symbionts can live independently. A prominent example is the alga *Trentepohlia*, which forms orange-coloured populations on tree trunks and suitable rock faces. Lichen propagules (diaspores) typically contain cells from both partners, although the fungal components of so-called “fringe species” rely instead on algal cells dispersed by the “core species”.

The same cyanobiont species can occur in association with different fungal species as lichen partners. The same phycobiont species can occur in association with different fungal species as lichen partners. More than one phycobiont may be present in a single thallus.³²

A single lichen may contain several algal genotypes. These multiple genotypes may better enable response to adaptation to environmental

changes, and enable the lichen to inhabit a wider range of environments.^[83]

Controversy over classification method and species names

There are about 20,000 known lichen species. But what is meant by “species” is different from what is meant by biological species in plants, animals, or fungi, where being the same species implies that there is a common ancestral lineage.^[11] Because lichens are combinations of members of two or even three different biological kingdoms, these components *must* have a *different* ancestral lineage from each other. By convention, lichens are still called “species” anyway, and are classified according to the species of their fungus, not the species of the algae or cyanobacteria. Lichens are given the same scientific name (binomial name) as the fungus in them, which may cause some confusion. The alga bears its own scientific name, which has no relationship to the name of the lichen or fungus.³³

Depending on context, “lichenized fungus” may refer to the entire lichen, or to the fungus when it is in the lichen, which can be grown in culture in isolation from the algae or cyanobacteria. Some algae and cyanobacteria are found naturally living outside of the lichen. The fungal, algal, or cyanobacterial component of a lichen can be grown by itself in culture. When growing by themselves, the fungus, algae, or cyanobacteria have very different properties than those of the lichen. Lichen properties such as growth form, physiology, and biochemistry, are very different from the combination of the properties of the fungus and the algae or cyanobacteria.

The same fungus growing in combination with different algae or cyanobacteria, can produce lichens that are very different in most properties, meeting non-DNA criteria for being different “species”. Historically, these different combinations were classified as different species. When the fungus is identified as being the same using modern DNA methods, these apparently different species get reclassified as the *same* species under the current (2014) convention for classification by fungal component. This has led to debate about this classification convention. These apparently different “species” have their own independent evolutionary history.

There is also debate as to the appropriateness of giving the same binomial name to the fungus, and to the lichen that combines that fungus with an alga or cyanobacterium (synecdoche). This is especially the case when combining the same fungus with different algae or cyanobacteria produces dramatically different lichen organisms, which would be considered different species by any measure other than the DNA of the fungal component. If the whole lichen produced by the same fungus growing in association with different algae or cyanobacteria, were to be classified as different “species”, the number of “lichen species” would be greater.

Diversity :

The largest number of lichenized fungi occur in the Ascomycota, with about 40% of species forming such an association. Some of these lichenized fungi occur in orders with nonlichenized fungi that live as saprotrophs or plant parasites (for example, the Leotiales, Dothideales, and Pezizales). Other lichen fungi occur in only five orders in which all members are engaged in this habit (Orders Graphidales, Gyalectales, Peltigerales, Pertusariales, and Teloschistales). Overall, about 98% of lichens have an ascomycetous mycobiont.³⁴ Next to the Ascomycota, the largest number of lichenized fungi occur in the unassigned fungi imperfecti, a catch-all category for fungi whose sexual form of reproduction has never been observed. Comparatively few Basidiomycetes are lichenized, but these include agarics, such as species of *Lichenomphalia*, clavarioid fungi, such as species of *Multiclavula*, and corticioid fungi, such as species of *Dictyonema*.

Identification methods

Lichen identification uses growth form and reactions to chemical tests.

“Pd” refers to the outcome of the Pd test or is used as an abbreviation for the chemical used in the test, para-phenylenediamine. If putting a drop on a lichen turns an area bright yellow to orange, this helps identify it as belonging to either the genus *Cladonia* or *Lecanora*.

Evolution and paleontology

The fossil record for lichens is poor. The extreme habitats that lichens dominate, such as tundra, mountains, and deserts, are not ordinarily conducive

to producing fossils.³⁵ There are fossilized lichens embedded in amber. The fossilized *Anzia* is found in pieces of amber in northern Europe and dates back approximately 40 million years. Lichen fragments are also found in fossil leaf beds, such as *Lobaria* from Trinity County in northern California, USA, dating back to the early to middle Miocene.³⁶

The oldest fossil lichens in which both symbiotic partners have been recovered date to the Early Devonian Rhynie chert, about 400 million years old. The slightly older fossil *Spongiophyton* has also been interpreted as a lichen on morphological and isotopic grounds, although the isotopic basis is decidedly shaky. It has been demonstrated that Silurian-Devonian fossils *Nematothallus* and *Prototaxites*³⁷ were lichenized. Thus lichenized Ascomycota and Basidiomycota were a component of Early Silurian-Devonian terrestrial ecosystems

The ancestral ecological state of both Ascomycota and Basidiomycota was probably saprobism, and independent lichenization events may have occurred multiple times. In 1995, Gargas and colleagues proposed that there were at least five independent origins of lichenization; three in the basidiomycetes and at least two in the Ascomycetes. However, Lutzoni et al. (2001) indicate that lichenization probably evolved earlier and was followed by multiple independent losses. Some non-lichen-forming fungi may have secondarily lost the ability to form a lichen association. As a result, lichenization has been viewed as a highly successful nutritional strategy.³⁸

Lichenized Glomeromycota may extend well back into the Precambrian. *Winfrenatia*, an early zygomycetous (Glomeromycota) lichen symbiosis that may have involved controlled parasitism, is permineralized in the Rhynie Chert of Scotland, of early Devonian age. Lichen-like fossils consisting of coccoid cells (cyanobacteria?) and thin filaments (mucoromycotinan Glomeromycota?) are permineralized in marine phosphorite of the Doushantuo Formation in southern China. These fossils are thought to be 551 to 635 million years old or Ediacaran. Ediacaran acritarchs also have many similarities with Glomeromycotan vesicles and spores. It has also been claimed that Ediacaran fossils including *Dickinsonia*, were lichens, although this claim is

controversial. Endosymbiotic Glomeromycota comparable with living *Geosiphon* may extend back into the Proterozoic in the form of 1500 million year old *Horodyskia* and 2200 million year old *Diskagma*. Discovery of these fossils suggest that fungi developed symbiotic partnerships with photoautotrophs long before the evolution of vascular plants.

Economic Importance of Lichen Food



Fig. 3 Iwatake (*Umbilicaria esculenta*) gathering at Kumano in Kishû, by Hiroshige II

Lichens are eaten by many different cultures across the world. Although some lichens are only eaten in times of famine, others are a staple food or even a delicacy. Two obstacles are often encountered when eating lichens: lichen polysaccharides are generally indigestible to humans, and lichens usually contain mildly toxic secondary compounds that should be removed before eating. Very few lichens are poisonous, but those high in vulpinic acid or usnic acid are toxic.³⁹ Most poisonous lichens are yellow.

In the past, Iceland moss (*Cetraria islandica*) was an important source of food for humans in northern Europe, and was cooked as a bread, porridge, pudding, soup, or salad. Wila (*Bryoria fremontii*) was an important food in parts of North America, where it was usually pitcooked. Northern peoples in North America and Siberia traditionally eat the partially digested reindeer lichen (*Cladina* spp.) after they remove it from the rumen of caribou or reindeer that have been killed. Rock tripe (*Umbilicaria* spp. and *Lasalia* spp.) is a lichen that has frequently been used as an emergency food in North America, and one species, *Umbilicaria esculenta*, is used in a variety of traditional Korean and Japanese foods.

Lichenometry

Main article: Lichenometry

Lichenometry is a technique used to determine the age of exposed rock surfaces based on the size of lichen thalli. Introduced by Beschel in the 1950s,⁴⁰ the technique has found many applications. It is used in archaeology, palaeontology, and geomorphology. It uses the presumed regular but slow rate of lichen growth to determine the age of exposed rock.⁴¹ Measuring the diameter (or other size measurement) of the largest lichen of a species on a rock surface indicates the length of time since the rock surface was first exposed. Lichen can be preserved on old rock faces for up to 10,000 years, providing the maximum age limit of the technique, though it is most accurate (within 10% error) when applied to surfaces that have been exposed for less than 1,000 years.^[126] Lichenometry is especially useful for dating surfaces less than 500 years old, as radiocarbon dating techniques are less accurate over this period.⁴² The lichens most commonly used for lichenometry are those of the genera *Rhizocarpon* (e.g. the species *Rhizocarpon geographicum*) and *Xanthoria*.

Biodegradation

Lichens have been shown to degrade polyester resins, as can be seen in archaeological sites in the Roman city of Baelo Claudia in Spain.^[128] Lichens can accumulate several environmental pollutants such as lead, copper, and radionuclides.⁴³

As dyes

Many lichens produce secondary compounds, including pigments that reduce harmful amounts of sunlight and powerful toxins that reduce herbivory or kill bacteria. These compounds are very useful for lichen identification, and have had economic importance as dyes such as cudbear or primitive antibiotics.

The pH indicator (indicated acidic or basic) in the litmus test is a dye extracted from the lichen *Roccella tinctoria* by boiling.

In the Highlands of Scotland, traditional dyes for Harris tweed^[2] and other traditional cloths were made from lichens including the orange *Xanthoria parietina* and the grey foliaceous *Parmelia saxatilis* common on rocks known as “crottle”.

There are reports dating almost 2000 years old of lichens being used to make purple and red dyes.^[129] Of great historical and commercial significance are lichens belonging to the family Roccellaceae, commonly called orchella weed or orchil. Orcein and other lichen dyes have largely been replaced by synthetic versions.

Traditional medicine and research

Historically in traditional medicine of Europe, *Lobaria pulmonaria* was collected in large quantities as “Lungwort”, due to its lung-like appearance (the *doctrine of signatures* suggesting that herbs can treat body parts that they physically resemble). Similarly, *Peltigera leucophlebia* was used as a supposed cure for thrush, due to the resemblance of its cephalodia to the appearance of the disease.⁴⁴

Lichens produce metabolites in research for their potential therapeutic or diagnostic value.⁴⁵ Some metabolites produced by lichens are structurally and functionally similar to broad-spectrum antibiotics while few are associated respectively to antiseptic similarities. Usnic acid is the most commonly studied metabolite produced by lichens.⁴⁶ It is also under research as a bactericidal agent against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*.

Aesthetic appeal



Fig. 4 Pine forest with *Cladonia* lichen ground-cover

Colonies of lichens may be spectacular in appearance, dominating the surface of the visual landscape as part of the aesthetic appeal to paying visitors of Yosemite National Park and Sequoia National Park. Orange and yellow lichens add to the ambience of desert trees, rock faces, tundras, and rocky seashores. Intricate webs of lichens hanging from tree branches add a mysterious aspect to forests.

Fruticose lichens are used in model railroading⁴⁷ and other modeling hobbies as a material for making miniature trees and shrubs.

Result and Discussion

Lichens had been recognized as organisms for quite some time, it was not until 1867, when Swiss botanist Simon Schwendener proposed his dual theory of lichens, that lichens are a combination of fungi with algae or cyanobacteria, whereby the true nature of the lichen association began to emerge. Schwendener's hypothesis, which at the time lacked experimental evidence, arose from his extensive analysis of the anatomy and development in lichens, algae, and fungi using a light microscope. Many of the leading lichenologists at the time, such as James Crombie and Nylander, rejected Schwendener's hypothesis because the common consensus was that all living organisms were autonomous.^[136]

Other prominent biologists, such as Heinrich Anton de Bary, Albert Bernhard Frank, Melchior Treub and Hermann Hellriegel were not so quick to reject Schwendener's ideas and the concept soon spread into other areas of study, such as microbial, plant, animal and human pathogens. The complex relationships between pathogenic microorganisms and their hosts were finally identified, Schwendener's hypothesis began to gain popularity. Further experimental proof of the dual nature of lichens was obtained when Eugen Thomas published his results in 1939 on the first successful re-synthesis experiment. In the 2010s, a new facet of the fungi-algae partnership was discovered. Toby Spribille and colleagues found that many types of lichen that were long thought to be ascomycete-algae pairs were actually ascomycete-basidiomycete-algae trios.

References

1. Spribille, Toby; Tuovinen, Veera; Resl, Philipp; Vanderpool, Dan; Wolinski, Heimo; Aime, M. Catherine; Schneider, Kevin; Stabentheiner, Edith; Toome-Heller, Merje (2016). "Basidiomycete yeasts in the cortex of ascomycete macrolichens". *Science*. **353** (6298): 4892. Bibcode:2016Sci...353..488S. doi:10.1126/science.aaf8287. ISSN 0036-8075. PMC 5793994. PMID 27445309.

2. "What is a lichen?". Australian National Botanic Gardens. Retrieved 10 October 2014.
3. Jump up to:^{a b} Galloway, D.J. (1999). "Lichen Glossary". Australian National Botanic Gardens. Archived from the original on 6 December 2014.
4. Margulis, Lynn; Barreno, EVA (2003). "Looking at Lichens". *BioScience*. **53** (8): 776. doi:10.1641/0006-3568(2003)053[0776:LAL]2.0.CO;2.
5. Sharnoff, Stephen (2014) *Field Guide to California Lichens*, Yale University Press. ISBN 978-0-300-19500-2
6. Speer, Brian R; Ben Waggoner (1997). "Lichens: Life History & Ecology". University of California Museum of Paleontology. Retrieved 28 April 2015.
7. Jump up to:^{a b} Gadd, Geoffrey Michael (March 2010). "Metals, minerals and microbes: geomicrobiology and bioremediation". *Microbiology*. **156** (Pt 3): 609–643. doi:10.1099/mic.0.037143-0. PMID 20019082.
8. McCune, B.; Grenon, J.; Martin, E.; Mutch, L.S.; Martin, E.P. (2007). "Lichens in relation to management issues in the Sierra Nevada national parks". *North American Fungi*. **2**: 1–39. doi:10.2509/pnwf.2007.002.003.
9. Honegger, R. (1991) *Fungal evolution: symbiosis and morphogenesis, Symbiosis as a Source of Evolutionary Innovation*, Margulis, L., and Fester, R. (eds). Cambridge, MA, USA: The MIT Press, pp. 319–340.
10. "Alan Silverside's Lichen Glossary (p-z), Alan Silverside". Retrieved 10 October 2014.
11. Dobson, F.S. (2011). *Lichens, an illustrated guide to the British and Irish species*. Slough, UK: Richmond Publishing Co. ISBN 9780855463151.
12. "Foliose lichens, Lichen Thallus Types, Allan Silverside". Retrieved 10 October 2014.
13. "Lichens, Saguaro-Juniper Corporation". Retrieved 10 October 2014.
14. Lichen Photobionts, University of Nebraska Omaha Archived 6 October 2014 at the Wayback Machine
15. Büdel, B.; Scheidegger, C. (1996). *Thallus morphology and anatomy*. *Lichen Biology*. pp. 37–64. doi:10.1017/CBO9780511790478.005. ISBN 9780511790478.
16. Murtagh GJ, Dyer PS, Crittenden PD (2000). "Sex and the single lichen". *Nature*. **404**(6778): 564. Bibcode: 2000Natur. 404..564M. doi:10.1038/35007142. PMID 10766229.
17. Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA (2008). *Dictionary of the Fungi* (10th ed.). Wallingford: CABI. pp. 378–381. ISBN 978-0-85199-826-8.
18. "Form and structure– *Sticta* and *Dendriscoaulon*". Australian National Botanic Gardens.
19. Lutzoni, F.; Kauff, F.; Cox, C. J.; McLaughlin, D.; Celio, G.; Dentinger, B.; Padamsee, M.; Hibbett, D.; et al. (2004). "Assembling the fungal tree of life: progress, classification, and evolution of subcellular traits". *American Journal of Botany*. **91** (10): 1446–1480. doi:10.3732/ajb.91.10.1446. PMID 21652303.
20. The intertidal marine lichen formed by the pyrenomycete fungus *Verrucaria tavaresiae* (Ascomycotina) and the brown alga *Petroderma maculiforme* (Phaeophyceae): thallus organization and symbiont interaction – NCBI
21. Mutualisms between fungi and algae – New Brunswick Museum
22. Challenging the lichen concept: *Turgidosculum ulvae* – Cambridge
23. "Alan Silverside's Lichen Glossary (a-f), Alan Silverside". Retrieved 10 October 2014.
24. Modern Topics in the Phototrophic Prokaryotes: Environmental and Applied Aspects
25. Rikkinen, J. (2002). "Lichen Guilds Share Related Cyanobacterial Symbionts". *Science*. **297**(5580): 357. doi:10.1126/science.1072961. PMID 12130774.
26. Lutzoni, François; Pagel, Mark; Reeb, Valérie (2001). "Major fungal lineages are derived from lichen symbiotic ancestors". *Nature*. **411** (6840): 937–940. doi:10.1038/35082053. PMID 11418855.
27. "Lichens: Fossil Record", University of California Museum of Paleontology.
28. Speer BR, Waggoner B. "Fossil Record of Lichens". University of California Museum of Paleontology. Retrieved 16 February 2010.
29. Karatygin IV, Snigirevskaya NS, Vikulin SV (2007). "Two types of symbiosis with participation of Fungi from Early Devonian Ecosystems". *XV*

- Congress of European Mycologists, Saint Petersburg, Russia, September 16–21, 2007. **1** (1): 226.
30. Wedin M, Döring H, Gilenstam G (2004). "Saprotrophy and lichenization as options for the same fungal species on different substrata: environmental plasticity and fungal lifestyles in the *Strictis-Conotrema* complex". *New Phytologist*. **16** (3): 459–465. doi:10.1111/j.1469-8137.2004.01198.x.
31. Retallack G.J.; Landing, E. (2014). "Affinities and architecture of Devonian trunks of *Prototaxites loganii*". *Mycologia*. **106** (6):1143–1156. doi:10.3852/13.90. PMID 24990121.
32. Karatygin IV, Snigirevskaya NS, Vikulin SV, I. V.; Snigirevskaya, N. S.; Vikulin, S. V. (2009). "The most ancient terrestrial lichen *Winfrenatia reticulata* : A new find and new interpretation". *Paleontological Journal*. **43** (1): 107–114. doi:10.1134/S0031030109010110.
33. Karatygin IV, Snigirevskaya NS, Vikulin SV (2007). "Two types of symbiosis with participation of Fungi from Early Devonian Ecosystems". *XV Congress of European Mycologists, Saint Petersburg, Russia, September 16–21, 2007*. **1** (1): 226.
34. Schoch CL; Sung GH; López-Giráldez F; Townsend JP; Miadlikowska J; Hofstetter V; Robbertse B; Matheny PB; et al. (2009). "The Ascomycota tree of life: a phylum-wide phylogeny clarifies the origin and evolution of fundamental reproductive and ecological traits". *Syst. Biol.* **58** (2): 224–239. doi:10.1093/sysbio/syp020. PMID 20525580.
35. Gargas, A; Depriest, PT; Grube, M; Tehler, A (1995). "Multiple origins of lichen symbioses in fungi suggested by SSU rDNA phylogeny". *Science*. **268** (5216): 1492–1495. Bibcode:1995Sci...268.1492G. doi:10.1126/science.7770775. PMID 7770775
36. Honegger R. (1998). "The lichen symbiosis – what is so spectacular about it?" (PDF). *Lichenologist*. **30** (3): 193–212. doi:10.1017/s002428299200015x.
37. Wedin M, Döring H, Gilenstam G (2004). "Saprotrophy and lichenization as options for the same fungal species on different substrata: environmental plasticity and fungal lifestyles in the *Strictis-Conotrema* complex". *New Phytologist*. **16** (3):459–465. doi:10.1111/j.1469-8137.2004.01198.x.
38. Taylor TN.; Hass, Hagen; Kerp, Hans (1997). "A cyanolichens from the Lower Devonian Rhynie chert". *American Journal of Botany*. **84** (7): 992–1004. doi:10.2307/2446290. JSTOR 2446290. PMID 21708654.
39. Emmerich R, Giez I, Lange OL, Proksch P (1993). "Toxicity and antifeedant activity of lichen compounds against the polyphagous herbivorous insect *Spodoptera littoralis*". *Phytochemistry*. **33**(6): 1389–1394. doi:10.1016/0031-9422(93)85097-B.
40. Thus explained by Rabbi Enoch Zundel ben Joseph, in his commentary *Etz Yosef* ("Tree of Joseph"), on *Sefer Midrash Rabbah*, vol. 2, New York 1987, s.v. *Ruth Rabba* 6:3
41. Beschel RE (1950). "Flechten als altersmasstab Rezenten morainen". *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*. **1**: 152–161.
42. Curry, R. R. (1969) "Holocene climatic and glacial history of the central Sierra Nevada, California", pp. 1–47, Geological Society of America Special Paper, 123, S. A. Schumm and W. C. Bradley, eds.
43. Sowers, J. M., Noller, J. S., and Lettis, W. R. (eds.) (1997) *Dating and Earthquakes: Review of Quaternary Geochronology and its Application to Paleoseismology*. U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG/CR 5562.
44. Innes, J. L. (1985). "Lichenometry". *Progress in Physical Geography*. **9** (2): 187. doi:10.1177/030913338500900202.
45. Jump up to:^{a b c d} Honegger R. (2000). "Simon Schwender (1829–1919) and the dual hypothesis in lichens". *Bryologist*. **103** (2):307–313. doi:10.1639/0007-2745(2000)103[0307:SSATDH]2.0.CO;2. ISSN 0007-2745. JSTOR 3244159.
46. Treub, Melchior (1873) *Onderzoekingen over de natuur der lichenen*. Dissertation Leiden University.
47. Yong, Ed (21 July 2016), "How a guy from a Montana trailer park overturned 150 years of biology", *The Atlantic*, retrieved 23 July 2017





Fish Diversity and Population in Garha Dam, Mauganj, Rewa (M.P.)

□ Dr. Kiran Saket
□ Yogendra Kumar Saket

ABSTRACT

The Fish diversity is a good indicator of health of aquatic ecosystem. A good piscine diversity represents the balanced ecosystem. Taking this into consideration the fish diversity of Garha dam Mauganj is studied during present investigation. In all 22 species of fishes belonging to 16 genera, 9 families and 5 orders were identified from Garha dam. They are Notopterus nolopterus under Osteoglossiformes, Catla catla, Cirrhinus mrigala; C. reba, Cyprinus carpio, Labeo bata, L. calbasu, L. rohita, Puntius amphibious, P. ticto, and Nemacheilus botia under Cypriniformes, Mystus cavasius, M. seenghala, Ompok bimaculatus, Wallago attu, Clarias batrachus; and Heteropneustes fossilis under Siluriformes, Mastacembelus armatus under Synbranchiformes, Nandus nandus, and Channa marulius, C. punctatus and Anabas testudineus under Perciformes. The high production of 422.62 t (2011-2012) and 308.82 t (2012-2013) were achieved. In the present study highest productivity of fish in Garha dam was recorded 9.71 Kg./Ha./Year during the year 2012-13; while lowest productivity of fish recorded 2.16 Kg./Ha./Year during the year 2014-2015. Rapid deforestation, sewage discharge, mining activities, thermal activities, anthropogenic activities and irrational fishing practices over the year, this aquatic diversity is on the way of decline. It is necessary to protect biodiversity in their natural habitat.

KEY WORDS: Fish Diversity, Population, Conservation Status, Species, Garha Dam.

INTRODUCTION

In a developing economy context, open water inland fisheries not only plays an important role for the diet and health of the population, but also the livelihood of many people engaged in this activity. Broadly, the open water inland fisheries can be divided into five categories, namely, riverine fisheries, reservoirs, aquaculture water bodies, estuaries, and flood plain lakes. The fishing practices also vary in

these ecosystems. Usually, riverine fisheries are, based on capture, activities where regeneration of fish is left to the nature. The large and medium reservoirs are generally managed as stocking cum-capture fisheries resources, whereas, small reservoirs and aquaculture, water bodies are usually managed through culture practices. Estuaries are based on capture fisheries and flood plain lakes have both. The components of culture as well as stocking-cum-capture fisheries.

* Guest Faculty, Deptt. of Zoology, Govt. S.K.N.P.G. College, Mauganj

** Research Scholar, Govt. S.K.N.P.G. College, Mauganj

India is one of the countries in the South Asia that has a large share of open water with rich and complex fisheries. She has around 340 million hectares of riverine catchments for fisheries; another six million hectares area is under open water fisheries in different reservoir, aquaculture in small ponds, estuaries and flood plain system. Over the last fifty years, the extent and share of inland fisheries in total fish production has increased by many folds. Despite the significant increase in inland fish production, it seems impossible to meet the projected demand of 14 million tons by the year 2005, more than twice the amount of current production (Bhattacharya, 2002). Inland fisheries need specific attention in the context of India due to the following reasons. First, fish production through inland fisheries largely caters the needs of the domestic consumption as against marine fisheries, which is primarily produced for export. An estimate of resource potential by the fisheries division of Ministry of Agriculture, Government of India, suggests that inland sector has a potential of 4.5 million tones as against 3.9 million tons of marine sector (fisheries Statistics, 1993). Therefore, an increase in the production of inland fisheries would bridge the gap between domestic supply and demand while catering to the nutritional requirements of the populace. Second, inland fisheries are an important source of employment. There are about 2 million people in India engaged full time in fishing and another 4 million people as part-time or occasional fisherwomen or men (Fisheries Statistics, 1993). A third dimension relating to open water inland fisheries is that the relative importance of inland capture fisheries is declining with a corresponding increase in the culture fisheries. Government policies are partly responsible for such trend. Fourth, India has a vast potential of open water fisheries, which with proper institutional, technical and financial support could contribute to the fulfillment of multiple developmental goals. The learning process of institutional arrangements and requirements for open water fisheries would provide substantive understanding on, the management of this sector, which is for a long time, has been neglected.

The procedure adopted for the fish are the most species rich of all vertebrates. Valid scientific description exists for about 24600 living species of fishes in 482 families (Nelson 1994). One third of the fish families have at least one member spending at least part of their life in fresh water. Fresh water fish diversity is therefore large compared to other system

since fresh water lakes and rivers account for only 0.8% of earth's surface and less than 0.01 % of its water. Approximately 10100 species are fresh water during their life cycles (Helfmuller et al., 1997).

The 1996 IUCN Red list of threatened animals lists 617 freshwater fishes (Including euryhaline salinity-level tolerant-species), about 7% of known number of fresh water fish species. Studies that take into account of fact that the red list has evaluated only a fraction of fresh water fishes estimate conservatively that 29% of fresh water fishes are extinct, endangered or vulnerable; a more realistic estimate might reach 30-35% (Stiassny, 1996) production study in the reservoir was in accordance with methodology on reservoir fisheries investigation in India (Jhingran V.G. 1969) and APHA (1985).

Present study conducted Garha dam. Garha dam is a major anthropogenic dam in Mauganj. Garha Dam is an anthropogenic construction on the confluence of two small nalla has Gama and Atari on the right hand side of N.H.7 in Mauganj tahsil of Rewa district at 24°39' 30" N and 81°55'30" S.

MATERIALS AND METHODS

The present investigation on fish diversity is carried out on the Garha Dam Mauganj from Jan 2018 to Dec 2018. The Garha dam is very big water dam. The fishes from the dam were collected with the help of local fishermen. The collected fishes were brought to laboratory, fixed in 5% formalin, cleaned with rectified spirit and preserved in 10 % formalin. The fishes were identified by standard keys of Day (1878), Jayram (1981), Talwar and Jhingran 1991 and Jhingran 2005.



Fig. 1 A Location map of study site Garha Dam

RESULTS AND DISCUSSION :

Species composition of Garha Dam

In all 22 Species of fishes belonging to 16 genera 9 families and 5 orders were identified from Garha dam. They are *Notopterus notopterus* under Osteoglossiformes, *Calla catla*, *Cirrhinus mrigala*, *C. reba*, *Cyprinus carpio*, *Labeo bata*, *J. calbasu*, *L. rohita*, *Punus amphibious*, *f. ticto*, and *Nemachellus. botia* under Cypriniformes, *Mystus cavasius*, *M. seenghala*, *Ompok bimaculatus*, *Wallago atlu*, *Clarias balrachus*, and *Heteropneustes fossilis* under Siluriformes, *Mastacembelus armatus* under Synbranchiformes, *Nandus nandus*, and *Channa marulius*, *C. punctatus* and *Anabas testudineus* under Perciformes. A systematic list of fishes observed from the dam has been tabulated in Table 1.1.

As far as the genera and families to different orders are concerned, order Cypriniformes consists of 6 genera (37.50%) under one families (10%), Siluriformes of 6 genera (26.09%) under 4 families (40%), Perciformes of 3 genera (18.75%) under 3 families (30%), Osteoglossiformes, Synbranchiformes and Synbranchiformes of single genus (6.25%) Under single family each (10%) (Table 1.2). Order Cypriniformes has been found to be a major order With 10 species and percent contribution of 45.45%. Siluriformes comes next with 6 species and percent contribution of 27.27%, Perciformes with 4 species and percent contribution of 18.18% Synbranchiformes with 2 species and percent contribution of 5.0%, Osteoglossiformes and Synbranchiformes with 1 species each and percent contribution of 4.55% follow the order (Table 1.2).

1.3. Fish production in Garha Dam :

The procedure adopted for the fish production study in the reservoir was in accordance with methodology on reservoir fisheries investigation, in India (Jhingran et al, 1969) and APHA (1985). It is difficult to identify any specific trend associated with specific regimes in Garha reservoir since adequate information on stocking, production and distribution of income over a longer time frame corresponding different regimes is not available. However, the

available data show a fluctuating trend of production under MPFDC regime.

The commercial fishing started in 1975-76 by deploying fisherman. These fishermen were organized into a cooperative society, under the state patronage and provided with nylon yarn and other and other fishing inputs. Essential marketing infrastructure was also created Craft and Gear. The most common fishing gear in the reservoir is the surface gill net, operated from a boat. A normal fishing unit comprises 25 gillnets, each measuring 50x6m, a boat and 2 to 4 fishermen. The boat used in the reservoir is a flat-bottomed country craft, 7.3 m long and 1.2 m wide. A single 400 m long multi-meshed giant drag net was 6 m wide at the middle and the tapering ends measure 2 m. The mesh size (bar) varies from 15 to 50 mm. The net is operated by 16 to 17 fishermen with the help of 2 boats and a single haul lasts more than two hours. Generally night time collection of fish is most efficient. Therefore, the counted gill nets were set in the evening and lifted out in the morning of next day. Fishes were collected and weight together sector wise. Total weight in Kg of fish collected from each sectors separately were divided by total number of nets used, to get Catch per Unit Effort (CPUE) by weight. The previous data of stocking; fish yield; nets used etc were collected from the office of ADF (Additional fisheries director) of Rewa, District M.P.

For the study of fish fauna of the reservoir. Major carp as well as local major and minor were collected by small mesh sized gill nets cost nets etc. with the help of local persons and fisherman, collected specimens were identified up to species level with the help of fisheries of India (Day, 1958), fish and fisheries of India (Jhingran 1985), fishes of eastern Uttar Pradesh (Shrivastava 1968).

1.3.1 Fish production and fishing efforts :

The data related to total fish catch, in terms of weight and number of major carps and only weight in case of local major carps and local minor and other fishes were collected for the period of 10 years, from 2009-10 to 2018-19 from the department of fisheries of Rewa District, the data thus collected was analysed and tabulated with is present in table No. 1.3.1

Table No.1.1
Taxonomic account of fish fauna reported of Garha Dam Mauganj

Clas/Sub Class/Order/Division / Family / Sub family	Taxonomic Name	Local Name	IUCN Category	
			CAMP (2008)	CAFF (2016)
Class Actinopterygii	Notopterus notopterus	Patola	LR-nt	EN
Subclass Neopterygii				
Division Teleostei				
Order Osteoglossiformes				
Suborder Notopteroidei				
Family Notopteridae				

2015-16	-
2016-17	4.92
2017-18	3.84
2018-19	2.64

Source : Department of Fishires of Rewa district

Table No.1.2
Fish Stokcing Scenario in Garha Dam 2009-10 to 2018-19

Year	Proportion of Varieties of Fingerlings			
	Catla (%)	Rohu (%)	Mrigal (%)	Total Fingerlings (In thousands)
2009-10	52.75	18.40	28.85	2675
2010-11	42.90	28.86	28.24	2792
2011-12	45.73	33.04	21.23	2946
2012-13	41.01	35.23	23.76	3225
2013-14	54.12	26.73	19.15	3115
2014-15	39.25	33.13	27.61	2735
2015-16	-	-	-	-
2016-17	42.98	26.40	30.62	2658
2017-18	40.25	32.25	27.50	2547
2018-19	41.13	33.35	25.42	2611

Desai (Op.cit) describes an inverse relationship between the water level and fish yield in the reservoir. The high production of 422.62 t (2011-2012) and 308,82 t (2012-13) were achieved (Table no.1.3.1). Lower water level, permits effective operation of gill net, especially in areas of the reservoir, where column setting of gill nets becomes possible.

In the present study highest productivity of fish in Garha dam was recorded 9.71 Kg./Ha./Year during the year 2012-13 ; while lowest productivity of fish recorded 2.16 Kg./Ha./Year during the year 2014-15 Table no.1.3.2.

1.4 Fish Stocking Scenario in Garha Dam

Stocking of fingerlings is the most fundamental factor in determining production. In the absence of adequate availability of fingerlings in the region, future production remains unknown. During the new institutional regime of Garha dam, dropping of fingerlings increased in the initial four years after which it declined marginally. Among the three types of fingerlings that are dropped in the reservoir, namely, Katla, Rohu and Mrigal, the first two are considered as major crops and the last one as local (major) crop. Fingerlings of local minor crops are not dropped into the reservoir. Over the last ten years, the proportion of each variety of fingerling is changing with Katla having the largest share (table no. 1.4).

Choudhary (1977) observed 39 species of Gandhi Sagar reservoir. Singh (1993) observed 84 species from Sardar sarovar dam of Narmada River. Saxena (1997) reported 42 species from upstream region and 35 species from downstream region in river satluj. Solanki et al. (2010) reported 29 species from Tapti river of Betul. district Rapid deforestation, sewage discharge, mining activities, thermal Activities, anthropogenic activities and irrational fishing practices over the year, this aquatic diversity is on the way of decline.

Kharat et al. (2012) had recorded 51 species of fishes belonging to the 14 families and 35 genera during their study on Krishna River at Wai (M.S.). Jayabhaye and Lahane (2013) observed the 21 species of fishes belonging to 6 families and 13 genera during their study period on Pimpaldari tank, Dist. Hingoli (M.S.). Our findings are corroborating with observations of Sakhare (2001), Sarwade and Khillare (2010), Kharat et al. (2012) and Jayabhaye and Lahane (2013).

CONCLUSION :

It is concluded from the present investigation that the quality of the Garha dam water system is continuously degrading. The source of water pollution in this pond, municipal, domestic and agricultural wastes. Fish population and production in Garha dam is gradually decreasing due to the heavy pollution load in dam created by various human and, agricultural activity around the dam. Heavy silt load and total solids are the effective agents to decrease the fish population and production.

REFERENCES

1. Anon (1971) Fisheries Department, MP Fisheries Survey in Narmada River 1967-71
2. APHA (1985). standards methods for the Examination of water and waste water .American Public Health Association, Washington; D.C.
3. Biswas, B.C. and A.K. . Panigrahi (2014). Abundance of Pisces and Status of Water of mathabhanga- Chumi River in Indo-Bangla Border Region. *Global J. Res. Ana.* 3(7): 281-283.
5. Chandrashekar, B.S. (2014). Fishery Co-operative Societies in India: Problems and Prospects. *Global J. Res. Ana.* 3(7):92-94. 1
6. Choudhary, D.K., 1977 Case study of Gandhi sagar reservoir Fisheries (M.P.) Newsletter, C.L.F.E. Bombay, July-Aug.
6. Day, F.S. (1878). "The Fishes of India" William and Sons Ltd., London.
7. Dubey G P (1994) Endangered vulnerable and rare fishes of West Coast River System of India. *Threatened fish of India Netcon publication*, 4(1); 11-20
8. Galib, S.M., S.M. Abu Naser, A.B.M. Mohsin, N. Chaki and F.Hassan Fahad (2013). Fish Diversity of the River Choto Jamuna, Bangladesh: Present Status and Conservation Needs. *Int. J. Biodiversity and Cons.* 5(6): 389-395.1
9. Hora S L and Nair K K (1941) Fishes of Satpura Range, Hosangabad' District and Central Province. *Res Indian Mus* 43(3); 361 -373.
10. IUCN (2011). IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1 Downloaded from <www.iucnredlist.org.
11. Jayabhaye, U.M. and L.D. Lahane (2013). Studies on Ichthyofaunal Diversity of Pimpaldari Tank, Hingoli, Maharashtra, India, *S.S.M. RAE., Jaipur* 4(43-44).54-55.1
12. Jayaram K. C. (1981). "The Fresh Water Fishes of India, Pakistan, Bangladesh, Burma and Sri Lanka." A Handbook Zool. Survey India, Calcutta i-xxli 1- 475.
13. Jhingran, V.G. (2005). "Fish Relation to Water Quality, Limnology in the Indian Subcontinent." Ukaaz Publications, Hyderabad pp. 228-251. 1
14. Kalbande, S., P. Telkhade and S. Zade (2008). Fish' Diversity of Rawanwadi Lake of Bhandara District Maharashtra, India. *Abhinav* 2(2): 30-33.

15. Kamble, AB. and K.R. Reddi (2012). Biodiversity of fish fauna of Mangi reservoir, Dist. Solapur with respect to physico-chemical parameters. *Life science Bulletin*, 9(1): 55-58. 1
16. Kharat, S.S., M. Paingankar and N. Dahanukar (2012). Freshwater Fish Fauna of Krishna River at Wai, Northern Western Ghats, India. 1. *Threatened Taxa* 4(6): 2644-2652. 1
17. Menon, A.G.K., Govind, B.V. and Rajagopal, K.V. 1977. Taxonomic assessment of the torrential fish of the genus *Balitora* Gray (Family Homalperdipae) from the Indian. *Matsya* 3:31-34.
18. Nagabhushana, C.J. and B.B. Hosetti (2013). Limnological Profile for the Sustained Fish Production in Tungebhadre Reservoir, Hospet. *Global J. Res. Ana.* 2(5): 1-2. 1
19. Sakhare, V.B. (2001). Ichthyofauna of Jawalgaon Reservoir, Maharashtra. *Fishing chimes* 19(8): 45-47. 1
20. Sarwade, J.P. and Y.K. Khillare (2010). Fish Diversity of Ujani Wetland, Maharashtra, India. *Bioscan Spl. issue* 1: 173-179* 15. Talwar, P.K. and A. Jhingran (1991). "Inland Fishes of India and Adjacent Countries." Oxford and IBH Publishing Co. New Delhi.
21. Singh, A.K., 1993. Pre impoundment studies on Sardar Sarovar Area of Narmada River (Western Zone) with special reference to fisheries. Ph.D. Thesis, Vikram University, Ujjain, India.
22. Solanki, M.S., Bannatwala, R.C., Kakodia, P., Mishra, P.K., Nagle, B.D. & Tharani, M. A survey of fish and fisheries of the Tapti river of Betul district of Madhya Pradesh. *Research Link-72*, Vol-IX(1), March-2010. Pp 6-7. U.S.A. Nov., (2004).





नारी सशक्तिकरण : आज के संदर्भ में

□ डा. सुरेश कडवासरा*

शोध सारांश

यशोधरा (मैथिलीशरण गुप्त)

अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी
ऑचल में है दूध और आँखों में पानी !

क्या तुम्हारा यही सशक्तिकरण है ? यदि यह तुम्हारा सशक्तिकरण नहीं है, तो फिर तुम हर पल दुर्व्यवहार की शिकार क्यों बन रही हो ? क्या तुम्हारी शक्ति से ? जो समाज के ठेकेदार हैं। वे अनभिज्ञ हैं। तुम्हें यह नहीं लग रहा है कि तुम्हारी आड़ में; वे अपनी शान को बरकरार रखना चाहते हैं और अपने उद्गारों को सशक्त बना रहे हैं। फिर आप अबला कैसे हुए। आप यह सब समझते हुए भी; चूँ तक नहीं निकाल रहे हो और आप तो त्याग-समर्पण के रस का घोल पिलाकर; उसे उसकी मंजिल पर आरूढ़ कर रहे हो। वही तुम्हारी सहनशक्ति का उचित-अनुचित फायदा उठाते हुए; अपनी ही पीठ को थप-थपा रहा है। क्या यही मानवीय धर्म का आधार है ? यदि यह नहीं है, तो फिर महिला सशक्तिकरण का भाव-विचार चारों ओर क्यों मण्डरा रहा है ? क्या यह महिलाओं को ? केवल सांत्वना देना मात्र है। क्या हम महिला के मनोभावों को तेहदिल से स्वीकार कर पा रहे हैं ? यही आज का अहम विचारणीय मुद्दा है।

शब्द कुँजी : महिला-सशक्तिकरण-समाज-आधार-समर्पण।

परिचय :

क्या हमें यह नहीं लग रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने का केवल हम एक ढोंग रच रहे हैं? कुछ प्रबुद्धज्जन-विद्वानगण-समाज सुधारक या नारी बनाम प्रकृति के प्रतिरूप में मानने वालों को छोड़कर। यदि ऐसा नहीं है, तो फिर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला आयोग (भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी, 1992 में गठित

एक सांविधिक निकाय), अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (1995, मुख्यालय- न्यूयॉर्क सिटी), महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एनजीओ आदि आज नारी के उत्थान के लिए अनेक संस्थाएँ या विभाग काम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि नारी के सम्मान को किसी तरह की ठेस ना पहुँचे। फिर भी आज नारी के साथ अनेक अप्रिय

* प्रोफेसर हिन्दी विभाग, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, चुड़ेला, झुंझुनूँ (राजस्थान)।

E-mail : dr.sureshkarwasra@gmail.com | मो. नं. 09468676668

घटनाएँ हो रही हैं। ऐसा क्यों ? आखिर इसका कारण क्या है ? इस पर हम सब को मंथन करना ही होगा।

अरे समय का रख ध्यान

वरना

समय तुझे करवा देगा; अहसास।

है प्रकृति का यही नियम

समझ इसे

क्योंकि समय है सबसे; बलवान।।1

उक्त विभाग या संस्थाओं के तहत केवल कार्यक्रमानुसार ही नारी को सशक्त नहीं बनाया जा सकेगा। बल्कि हम सबको जमीनी स्तर पर भी काम करना होगा। हमारे समाज में, जो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है। उसको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मेरा यहाँ जड़ से उखाड़ फेंकना का अर्थ है कि केवल वे; नारी को पुरुष की बजाय हीन-कमजोर-असहाय मानते हैं। ऐसी मानसिकता वाले महानुभावों को नारी के प्रति सम्मानपूर्ण-आदरपूर्ण सोच को उसके अंतर्गत भावों में समाहित करने से है। केवल बाहरी दिखावे से ही नारी को हम सशक्त नहीं बना सकते हैं। हम उन संस्थाओं-विभागों-कानून के द्वारा ही; नारी को समानता का अधिकार देकर इतिश्री प्राप्त नहीं कर सकते। बल्कि यह तो नारी को सशक्त करने का साध्य मात्र है। इन साधनों को हमें परिस्थितियोंनुसार उपयोग करना ही होगा और हमें तो नारी की सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक-मानसिक आजादी को जमीनी हकीकत तक ले जानी ही होगी और उसे इसलिए भी बार-बार नहीं टोका जाना चाहिए कि तुम तो लड़की हो। यह टोकना ही उसकी मानसिकता पर; क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा ? यही प्रभाव; परिवार-समाज की धारणाओं में परिवर्तित होती रही है और आज उसी का ही; यह प्रतिफल है। क्या उसका लड़की होना ही उसका-अपना दोष है ?

बदल चुका है सब गणित

अब चेत

उस नींद से

जो सदियों से

बना रखी है

अपने मानस पटल पर।

मत अब

समय गवा

निकाल दे

इस अंहकारी मन को

और अपना ले

इस सृष्टि के प्रतिरूप को।। 2

नारी आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। फिर भी वह आज सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों ? वह जमीन से लेकर आकाश तक, शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक, सिनेमा से लेकर मीडिया तक या फिर घर हो या बाहर आदि सभी जगह; क्या अपनी दमदार उपस्थिति ही दर्ज नहीं करवा रही है ? बल्कि वह तो परिवार-समाज-देश की मान-मर्यादा को भी बढ़ा रही है। फिर हम; नारी को हीन कैसे मान सकते हैं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। वरना आने वाला समय उस पुरुषार्थमय विचार धारा को चकनाचूर कर ही देगा, जो नारी को केवल अबला के रूप में देखता है। मैं उन्हें आगाह करना चाहूँगा कि समय रहते अपने-आप में सुधार या अपनी विचार धारा में बदलाव कर लेना चाहिए। वरना वह दिन दूर नहीं है कि नारी शक्ति उसको वह अहसास करवा देगी, जो मीरों बाई (कृष्ण भक्ति), झलकारी बाई जन्म स्थान भोजला-झाँसी में 22 नवम्बर 1830 एवं मृत्यु ग्वालियर 04 अप्रैल 1890 में। (महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति, झाँसी-एमपी) सावित्री बाई (महिला एवं समाज के अन्तिम छोर पर खड़ा समाज, पहली भारतीय महिला अध्यापिका-शिक्षिका), मदर टरेसा (समाज सेवी), महादेवी वर्मा (साहित्यकार), न्यायमूर्ति अन्ना चांडी 'केरल' (उच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश, 09 फरवरी, 1959 से 05 अप्रैल, 1967 तक), इंदिरा गाँधी (पाकिस्तान के दो टुकड़े, सन् 1972 व भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला), फूलन देवी (समाज के अन्तिम छोर पर खड़ा समाज की महिला, डाकू-सांसद) मायावती (समाज के अन्तिम छोर पर खड़ा समाज की महिला, प्रथम मुख्यमंत्री) पीटी उषा (उड़न परी, 100 मीटर दौड़), कल्पना चावला (पहली अंतरिक्ष यात्री), कृतिका पुरोहित (देश की पहली दृष्टिहीन महिला डॉक्टर), प्रिया झिंगन (भारतीय सेना में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी), अरुणिमा सिन्हा (माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला विकलांग, 21

मई, 2013), होमी व्यारा वाला (पहली भारतीय महिला फोटो जर्नलिस्ट), एनएल बेनो जेफाइन (देश की पहली नेत्रहीन महिला भारतीय विदेश सेवा 'आईएफएस' ऑफिसर, जुलाई, 2015), हरित कौर देओल (भारतीय वायु सेना में प्रथम महिला पायलेट), शोभना कामिनेनी (भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की प्रथम महिला अध्यक्ष, 01 मई, 2017), अंशू जामसेंपा (माउंट एवरेस्ट चार बार फतह करने वाली पहली भारतीय महिला), निशा दत्त (एशियन सोशल इंटरप्रेन्योर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नेता, जून, 2017), शुभांगी स्वरूप (भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली प्रथम महिला पायलेट, नवम्बर, 2017), उषा अनंत सुब्रमण्यम (भारतीय बैंक संघ आईबीए की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, जनवरी, 2018), अवनी चतुर्वेदी (लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला, 19 फरवरी, 2018) मेधा पाटकर (जन्म 01 दिसम्बर, 1954, मुम्बई, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों पर शोध करने वाली विश्वस्तरीय संस्था की सदस्य और प्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता व सांसद), गीता मित्तल (कानून और न्याय के क्षेत्र में नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय नारी, 08 मार्च, 2018), एस.सी. मैरीकॉम (कॉमनवेल्थ खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज, अप्रैल 2018), डॉ. नजमा हेपतुल्ला (जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय इस्लामी विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर, 29 मई, 2018), प्रांजल पाटिल (देश की प्रथम नेत्रहीन महिला आईएएस, जून 2018)... आदि ने अपने-अपने क्षेत्रों में जलवा दिखा चुके हैं।

क्या है ?

अभी भी

आपको संदेह

है, तो निकाल दे इसे

अपने अंतर्गत से।

और अपना ले

हकीकत आज की

क्योंकि ?

मंडरा रही है चहुँ ओर

शहादत उनकी ॥ 3

सार :

पुरुष; नारी को सदियों से ही अपने स्वार्थवश; उसकी शक्ति को अपनी विपदा-समस्या के निवारण-हल हेतु संकटमोचन के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। यह मानसिकता कब तक चलेगी। क्योंकि आज नारी अपने अधिकारों को समझ ही नहीं रही है ? बल्कि समयानुसार उसका उपयोग भी कर रही है। इसमें शिक्षा का ही अहम रोल है और यही; उसकी शक्ति बनकर उभर रही है। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नारी ही नारी की आरी है और यही खेद का ही विषय भी है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि नारी यदि अपनी सुरक्षा में; आपसी सद्भाव-संवेदना-सहयोग-अपनत्व का सामंजस्य कायम कर लें, तो दूनियाँ की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि उसका कोई बाल भी बाँका कर सकें। उसको कोई तिरस्कृत कर सके। उसकी कोई काट कर सके। लेकिन यही तो विडम्बना है। अब नारी को खुद को सोचना है कि उसे आरी बनना है या सखी।

सोचना है अब तुझे

करना है क्या ?

तेरे सामने खड़ा है जहान।

अब तो करवादे

अपनी शक्ति का अहसास।

फिर देखना

यह सब

होंगे तेरे कदरदान ॥ 4

“जय जवान जय किसान जय स्वच्छकर्ता”

जय हिन्द।

संदर्भ ग्रंथ :

1. राजस्थान पत्रिका समाचार-पत्र (सन् 2010 से 2018 तक) : सीकर संस्मरण, सीकर (राज.)।

2. दैनिक भास्कर समाचार-पत्र (सन् 2010 से 2018 तक) : सीकर संस्मरण, सीकर (राज.)।

3. गुगल नेटवर्क (24 मार्च, 2019 से 29 मार्च, 2019)।

4. वैदिक चिन्तन मंजूषा (डॉ. सूर्य नारायण गौतम) प्रकाशक : जी.एच. पब्लिकेशन, इलाहाबाद, उ.प्र. (2015)





निर्मला में सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन

□ अभिषेक कुमार मिश्रा*

शोध सारांश

बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जब हिन्दुस्तान की जनता अंग्रेजी सत्ता के अधीन, मौन होकर उसकी प्रताड़ना सह रही थी, अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ लोग आवाज उठाने से डर रहे थे। उसी समय सन् 1926 में प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को बड़ी निर्भीकता के साथ उद्घाटित कर समाज को इन समस्याओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया।

बाबू उदयभानु लाल पेशे से वकील हैं और संपन्न एवं सुखी परिवार के मालिक हैं। वह अपनी बड़ी लड़की निर्मला का विवाह बाबू भालचन्द्र सिन्हा के पुत्र भुवन मोहन से तय कर देते हैं। वह अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च करके लड़के वालों को खुश करना चाहते हैं, परन्तु उनकी पत्नी कल्याणी उन्हें ऐसा करने से रोकती है, और कहती है कि आप कितना भी खर्च कर दें बारातियों का मुह कभी सीधा नहीं होता है। इस बात पर पति-पत्नी में बहस होती है। उदयभानु नाराज होकर घर से निकल जाते हैं और रास्ते में मतई नाम का बदमाश जिसे उदयभानु ने सजा दिलायी थी, वह उनकी हत्या कर देता है।

उदयभानु की मृत्यु के बाद भालचन्द्र और भुवनमोहन विवाह से इन्कार कर देते हैं। क्योंकि उन्हें आभाष हो जाता है कि अब दहेज की मोटी रकम नहीं मिलेगी।

इस प्रकार पिता की मृत्यु के बाद धनाभाव के कारण निर्मला का विवाह उससे अधिक उम्र के दोहाजू पुरुष तोताराम से हो जाता है। तोताराम को पहले से ही तीन पुत्र थे। बड़ा बेटा मंशाराम तो निर्मला के ही उम्र का था। निर्मला के मन में तोताराम के प्रति प्रेम-भावना नहीं उत्पन्न हो पाती। क्योंकि इससे पहले इसी उम्र का एक पुरुष उसका पिता था। निर्मला के मन में तोताराम के प्रति वही सम्मान था जो एक पिता के लिये होता है। एक तो निर्मला को इस विवाह से वैसे भी कोई मानसिक सुख नहीं था, दूसरा तोताराम की विधवा बहन रुक्मिणी ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। वह तोताराम से रोज निर्मला की शिकायत करती है। बच्चों को भी निर्मला से नहीं मिलने देती है।

तोताराम को निर्मला की बेरुखी विचलित कर देती है। वह निर्मला को रिझाने की हर संभव कोशिश करते हैं, परन्तु वे नाकाम रहते हैं इसी समय निर्मला

* एम.ए. हिन्दी/यूजीसीनेट/सीबीएसईनेट
शोधार्थी, अ.प्र.सिंह वि.वि. (हिन्दी विभाग), रीवा (म.प्र.), मो. 9424617844

व मंशाराम में मेल-मिलाप बढ़ने लगता है। निर्मला मंशाराम से अंग्रेजी पढ़ती है। यह सब देखकर तोताराम के मन में यह शंका घर कर जाती है कि निर्मला मंशाराम की तरफ आकर्षित हो रही है।

मन में शंका उत्पन्न होते ही तोताराम, मंशाराम को बोर्डिंग हाउस भेज देते हैं। जब मंशाराम को अपने पिता की मनःस्थिति का पता चलता है तो वह क्षोभ और ग्लानि के कारण बीमार पड़ जाता है। वह स्वप्न में भी नहीं सोच सका था कि उसके पिता, उसके चरित्र पर इतना बड़ा कलंक लगाएंगे। उसकी हालत बिगड़ती गयी। निर्मला को जब मंशाराम की दशा की सूचना मिलती है तो वह तोताराम की अवज्ञा करते हुये मंशाराम को देखने अस्पताल पहुंच जाती है। वहाँ भी तोताराम उसे भला-बुरा कहता है। मंशाराम निर्मला को देखते ही उसके चरणों में गिरकर क्षमा मागता है और अन्त में केवल इतना कहता है कि अगले जन्म में मैं आपके पेट से जन्म लेकर आपके ऊपर लगे सारे कलंक धोना चाहता हूँ। और यह कहने के बाद मंशाराम की मृत्यु हो जाती है।

मंशाराम के मरने के बाद तोताराम बहुत दुःखी रहने लगे। धीरे-धीरे उनकी वकालत भी छूटती गयी। जिसके कारण उनका घर नीलाम हो गया। तोताराम का मंझला पुत्र जियाराम, निर्मला और तोताराम को मंशाराम का हत्यारा समझने लगा। एक दिन गुस्से में वह निर्मला का आभूषण चुरा लेता है। जब पुलिस तहकीकात करने आती है तो पकड़े जाने के डर से वह आत्मा हत्या कर लेता है। दोनों भइयों की मृत्यु के बाद सियाराम भी बिगड़ल हो जाता है और निर्मला से लड़ाई-झगड़ा करने लगता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण घर के सारे नौकर चले जाते हैं जिससे निर्मला सियाराम से ही लकड़ी, सब्जी आदि मँगाती है। इस बात से नाराज होकर सियाराम भी भाग जाता है। तोताराम इस घटना का जिम्मेदार निर्मला को मानते हैं तथा सियाराम को खोजने के लिये निकल जाते हैं और वापस नहीं आते हैं।

इधर निर्मला एक दिन सुधा से मिलने उसके घर जाती है। सुधा घर पर नहीं थी। डॉ. सिन्हा निर्मला से अशिष्टता करता है जिससे दुःखी होकर निर्मला घर लौट आती है। जब सुधा को डॉ. सिन्हा की इस हरकत का पता चलता है तो वह अपने पति को बहुत धिक्कारती है, जिससे दुखी होकर डॉ. सिन्हा आत्महत्या कर लेते हैं।

निर्मला इन सारी घटनाओं के लिये खुद को जिम्मेदार मानती है। धीरे-धीरे निर्मला की स्थिति भी दयनीय होती गयी और एक दिन वह अपनी बच्ची रुक्मिणी को सौंप कर शरीर त्याग देती है। उसकी अन्त्येष्टि कौन करेगा इसकी चर्चा ही चल रही थी कि तोताराम भटकता हुआ वहाँ आ जाता है।

निष्कर्ष :-

निर्मला उपन्यास का विषय दहेज एवं अनमेल विवाह है। अनमेल विवाह के कारण उत्पन्न भयावह स्थिति का बहुत ही सूक्ष्म एवं मार्मिक चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। ये समस्याएँ तत्कालीन समाज को तहस-नहस कर रही थी। लगभग उत्तर भारत का सम्पूर्ण समाज इन समस्याओं के दुष्परिणाम झेल रहा था। प्रेमचन्द ने समाज की इन समस्याओं तथा इनके दुष्परिणामों को सबके सामने लाकर, समाज को इन समस्याओं से मुक्त करने के प्रयास का श्रीगणेश किया था। हालांकि कमोवेश ये समस्याएँ आज भी समाज में विद्यमान हैं तथा एक सुखी व समृद्ध समाज को एक पल में तहस-नहस कर देती हैं। आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व भारतीय समाज में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की जो समस्याएँ विद्यमान थीं उन्हें प्रकाश में लाकर प्रेमचन्द ने एक सच्चे साहित्यकार की भूमिका का निर्वहन किया था। निर्मला के रूप में भारतीय नारी मर्यादा का जो चित्र प्रेमचन्द जी ने प्रस्तुत किया है उसकी मूल चेतना से सहृदय पाठक निश्चय ही करुणाद्र हो उठता है।

सदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. निर्मला, मुंशी प्रेचन्द, सरस्वती प्रेस इलाहाबाद, 1965
2. हिन्दी उपन्यास एक अर्न्तयात्रा, रामदरश मिश्र, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली द्वितीय संस्करण, 1982
3. हिन्दी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, छठा संस्करण – 2016
4. हिन्दी उपन्यास सृजन और सिद्धान्त, नरेन्द्र कोहली, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली प्रथम संस्करण, 1986
5. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
6. हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ. नगेन्द्र, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
7. हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन, गणेश एस.एन., राज्यपाल एण्ड संस नई दिल्ली, 1962
8. प्रेमचन्द एवं उनकी साहित्य साधना, पद्म सिंह शर्मा
9. हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद
10. कलम का सिपाही, अमृतराय, हंस प्रकाशन इलाहाबाद, 2017





ध्रुवस्वामिनी नाटक में नारी विमर्श

- अजय कुमार मिश्र*
- डॉ. आशुतोष कुमार द्विवेदी**

शोध सारांश

जयशंकर प्रसाद के नाटक 'ध्रुवस्वामिनी' में ऐतिहासिकता और कल्पना के माध्यम से आधुनिक नारी की गहन समस्या-संबंध विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। विवाह का अर्थ पति का पत्नी पर पूर्ण अधिकार होना ही सामाजिक रूप से स्वीकार्य था। ऐसे में प्रसाद जी ने नारी की स्वतंत्रता और उसके महत्व को मान्यता देते हुए नारी को संबंध-बिच्छेद और पुनर्विवाह का अधिकार दिया है। इस नाटक में रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को उपहार की वस्तु समझता है जो आवश्यकता पड़ने पर किसी को भी दी जा सकती है। किन्तु ध्रुवस्वामिनी का नारीत्व अन्यायों का आघात सहते-सहते अंत में विस्फोट कर उठता है। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की संपत्ति नहीं हैं।

बीजशब्द :- ध्रुवस्वामिनी, नाटक, अस्तित्वहीन, अभिव्यक्ति, चित्रांकन इत्यादि।

भारत में पितृ प्रधान समाज है। इस पितृ प्रधान समाज में धर्म, जाति, वर्ग और वर्ग के आधार पर नारी को दोयम दर्जे का प्राणी माना जाता है। इसीलिए नारी असमानता का मूल स्रोत समाज ही है। भारतीय नारी के संदर्भ में यह बात प्रचलित है कि वह अपने भावों तर्कों विचारों एवं आकांक्षाओं से नहीं सोचती है। पुरुष प्रधान समाज में नारी हर क्षेत्र में पुरुष के पीछे चलती रहती है। अपनी इच्छा और अधिकारों के प्रति सचेत होने के बाद भी समझौता वादी दृष्टिकोण अपनाकर

अस्तित्वहीन जीवन भी जीने के लिए अभिशप्त है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति ध्रुवस्वामिनी (1933) की शुरुआत ही स्त्री-पुरुषों के असंतुलित संबंधों की स्थिति से हुई है। यह नारी के भौतिक व्यक्तित्व की वस्तुपरक तुलना है। अपने समय के अन्य लोगों की भाँति प्रसाद भी शायद यही सोचते थे कि प्रकृति ने पुरुष को सत्ता और अधिकार दिया है और नारी को सुकोमल व दुर्बल बनाया है। किंतु वर्तमान समय में यह मिथक टूट रहा है। आज की नारी विभिन्न विधाओं

* शोधार्थी, एम.ए./यू.जी.सी. नेट, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग, रीवा (म.प्र.) मोबा. 9893162919

** प्राध्यापक (हिन्दी), शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

में पुरुषों की अपेक्षा अधिक सफल है और देश को उन्नति की ओर ले जा रही है। जिससे यह ज्ञात होता है कि नारी को शारीरिक दक्षता में पुरुष से कमतर आंकना न्याय संगत नहीं है। नारी की शारीरिक संरचना पुरुष से भिन्न है, किंतु हीन नहीं है।

मानव जीवन की कठिनाइयों को प्रसाद ने 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक में चित्रित किया है। ध्रुवस्वामिनी में जिन ऐतिहासिक पात्रों को प्रसाद जी ने लिया है वे जीवंत चरित्र हैं जो जीवन के सत्य को उजागर करते हैं। ध्रुवस्वामिनी के सभी पात्रों का चित्रांकन सशक्त है। ध्रुवस्वामिनी में प्रसाद ने तीन प्रधान पात्रों के माध्यम से संघर्ष की भूमिका को प्रस्तुत किया है। साथ ही कुछ गौण पात्रों को भी लिया है। इसमें चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, शकराज, कोमा, मंदाकिनी का चरित्र-चित्रण बहुत ही प्रभावशाली है। ध्रुवस्वामिनी का आकर्षण और विलक्षण व्यक्तित्व मन-मस्तिष्क पर छा जाता है। इस तरह चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह एक सशक्त नाटक है। प्रसाद जी का आशय ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से वर्तमान समस्याओं से परिचित कराया है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रसाद जी का मूल उद्देश्य नारी स्वातंत्र्य चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करना है। आचार्य नंददुलारे के अनुसार-“ध्रुवस्वामिनी की कथा-वस्तु ऐतिहासिक है। परन्तु उसके मूल में समस्या का समाधान प्रमुख तत्व है, किंतु यह समस्या नाटक नहीं है।” 1

प्राचीनकाल में परंपरा के नाम पर समाज ने नारी को रुढ़िवादी मानसिकता में जकड़ रखा है। समाज में परंपरा का निर्वहन करने वाली नारी को श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात् जो नारी पति को परमेश्वर माने और उसकी आज्ञा की अवहेलना न करे। समाज में नारी को केवल उपभोग की वस्तु माना जाता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में नारी पात्रों की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। उसे उपहार की वस्तु के रूप में देकर पिता ने अपनी प्राण रक्षा की। राजा ने अपने नपुंसक पुत्र को ध्रुवस्वामिनी

को सौंप दिया। जहां उसका विवाह एक नपुंसक से हो गया। ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रेम के विविध पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें कई तरह के प्रेम एवं अनेक प्रेमी हैं। वस्तुतः प्रेम का कोई एक रूप नहीं है। ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त का प्रेम गुप्त था, युद्ध के पश्चात् यह प्रेम विवाह में बदल जाता है। शकराज और कोमा का प्रेम असफल है, जिसका अंत शकराज की मृत्यु से होता है। डॉ. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि “इस विद्रोह के स्वरूप को और निखारने के लिए इसके तुलनात्मक विरोध को कोमा के शकराज के प्रति आदर्शवादी स्नेह भाव को प्रस्तुत किया गया है।” 2

शकराज सिर्फ कोमा को प्रेम नहीं करता बल्कि उसे ध्रुवस्वामिनी भी चाहिए। इस नाटक में स्त्री पुरुष संबंध में प्रेम, कामुकता एवं पुनर्विवाह आदि जैसे पहलुओं को उजागर किया गया है। इस नाटक में 'ध्रुवस्वामिनी' जिस पुरुष (चंद्रगुप्त) से प्रेम करती है, उससे विवाह नहीं कर पाती और जिससे (रामगुप्त) उसका विवाह हुआ है उससे वह प्रेम नहीं करती। स्पष्ट है कि केवल विवाह ही स्त्री-पुरुष संबंध का एक मात्र रूप नहीं है। किंतु भारतीय संस्कृति में विवाह की अपनी विशिष्टता है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त तब तक अपना हृदय नहीं खोलता जब तक कि ध्रुवस्वामिनी स्वतंत्र नहीं हो जाती। 'ध्रुवस्वामिनी' भी विवाह संस्कार की मर्यादा का पालन करती है। विवाह और प्रेम की विडंबना को देखना हो तो कोमा की त्रासदी पर विचार करना होगा। ध्रुवस्वामिनी अपने पति की मृत्यु के उपरान्त स्वतंत्र होती है। किंतु कोमा को शकराज जैसे व्यक्ति के लिए अपना जीवन विसर्जित करता पड़ता है। जो उसके हृदय से उतर चुका था। पुरुषों की प्रभुता तथा प्रेम में फंसकर स्त्रियों को हमेशा निराशा, उत्पीड़न और उपेक्षा ही मिलती है।

इस नाटक में पुरुष सत्तात्मक समाज के शोषण के प्रति नारी का विद्रोही स्वर सुनाई पड़ता है। प्रताड़ित नारी की अवस्था का मिश्रण इस नाटक में मुख्य है

परन्तु नारी स्वतंत्रता के भाव से परिपूर्ण आधुनिक चेतना के कारण ही इसमें पहली बार 'ध्रुवस्वामिनी' प्रतिक्रिया करती है। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त को स्पष्ट रूप से कह देती है—“पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता है।” 3

इस नाटक में कोमा द्वारा प्रेम को परिभाषित किया गया है। कोमा ध्रुवस्वामिनी से कहती है “रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है। उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए।” 4

ध्रुवस्वामिनी से शव लेकर वह चली जाती है। किंतु रास्ते में रामगुप्त के सैनिक उसकी हत्या कर देते हैं। इस नाटक में ध्रुवस्वामिनी से बेहतर प्रेम करना और उसके लिए त्याग करना शायद ही अन्य कोई पात्र कर सकता था। प्रसाद जी की ध्रुवस्वामिनी प्रेम के अंतर्संघर्ष और विवाह की मर्यादा इन दोनों पाठों के बीच पिसती रहती है। इसके विपरीत कोमा का प्रेम उसकी आँखों के सामने कुम्हलाने लगता है। वह अपने प्रेमी की वास्तविकता से अनभिज्ञ है। या कह सकते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं तो उसकी एक छवि हमारे हृदय में होती है जो सभी अच्छाई बुराई को दरकिनार कर देती है। लेकिन कोमा में व्यक्तित्व को प्रेम ने पूर्ण किया है उसे दास नहीं बनाया है। इसलिए वह शकराज के प्रेम को टुकरा देती है “प्रेम का नाम न लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जायेगी राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं तो दर्प में दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष-मूर्ति की पुजारिन थी,

जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं।” 5

रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को प्रेम नहीं करता बल्कि उसके प्रति स्वामित्व का भाव रखता है। विवाह के बाद भी एक बार भी उसने ध्रुवस्वामिनी से शारीरिक संबंध नहीं बनाया। ध्रुवस्वामिनी जानती है कि रामगुप्त को विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त आनंद से अवकाश कहाँ है? रामगुप्त उसे अपनी विवाहिता मान कर उस पर अपना पूर्ण अधिकार रखता है। वह ध्रुवस्वामिनी से कहता है कि “तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो?” 6 अर्थात् समाज में ऐसे अधिकतर पुरुष हैं जो स्त्री को मात्र वस्तु समझते हैं। रामगुप्त के जैसे ही शकराज को भी स्त्री केवल उपभोग व मनोरंजन की वस्तु प्रतीत होती है। प्रसाद जी ने विवाह रूपी त्रासदी से नारी मुक्ति पर बल दिया है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में नारी मुक्ति प्रमाणित है। शकराज युद्ध में मारा जाता है। और ऐसी परिस्थिति में भी ध्रुवस्वामिनी विवाहेत्तर संबंध एवं विवाह मुक्ति के अंतर्द्वंद्व में फंसी हुई है। वह चंद्रगुप्त का वरण कर सकती है, किंतु उसे अपने प्रेम के प्रति गहरा संदेह होता है। वह मंदाकिनी से कहती है, “दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना नहीं करना चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकल कर मुझे अपने पीछे लौटने का संकेत कर रही है, क्यों क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ।” 7

इस नाटक में मंदाकिनी जैसे पात्रों की सृष्टि की गई है। जो जड़शास्त्र के विरुद्ध आवाज उठाती है कि “जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बाँध कर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियाँ अपनी आपत्ति में अवलम्ब मांग सकें।” 8

प्रसाद जी ने इस नाटक में नारी से संबंधित विभिन्न समस्याओं को भारतीय चिंतन परंपरा के आधार पर ही ढूँढने का प्रयास किया है। इस नाटक की कथा वस्तु नारी संघर्ष पर आधारित है और नारी संघर्ष की समाप्ति पर ही अंत हुआ है। ध्रुवस्वामिनी की कथा व विकास ध्रुवस्वामिनी के संघर्ष से शुरू होकर उसके समापन के साथ ही समाप्त हुई है। प्रसाद जी ने इस नाटक के माध्यम से नारी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। वहीं दूसरी ओर गुप्त कालीन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया है। जिसके बारे में अधिकांश इतिहासकार अनभिज्ञ रहे हैं। प्रसाद के ध्रुवस्वामिनी नाटक का मूल उद्देश्य नारी मुक्ति और अस्मिता है। वर्तमान समय में नारी मुक्ति की जो बात कही जाती है प्रसाद जी ने उसे वर्षों पहले अनुभव कर लिया था। और अपने ध्रुवस्वामिनी नाटक में उसे अभिव्यक्ति प्रदान की है।

प्रसाद जी ने इस नाटक में नारी के अधिकार पुनर्विवाह एवं नारी अस्तित्व की समस्या को उजागर किया है। अतः प्रसाद जी का ध्रुवस्वामिनी नाटक नारी चिंतन के समग्र दृष्टिकोणों के अनुसार ऐतिहासिकता एवं कल्याण का सम्मिश्रण है। परिणामतः ध्रुवस्वामिनी नाटक इस ओर इंगित करता है कि नारी मुक्ति तभी संभव हो सकती है जब व्यवस्था परिवर्तित हो। नैतिकता

और कानून के अनुसार नयी व्यवस्था समाज में स्थापित की जाये। तभी नारी की मुक्ति संभव हो सकेगी। नारी से जुड़ा एक पक्ष यह भी है कि क्या विवाह ही नारी जीवन का लक्ष्य है? क्या नारी नियति एक पुरुष से दूसरे पुरुष को खोजते रहने की है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर 'ध्रुवस्वामिनी' ने दिया है और यह स्थापित किया है कि पुरुष यदि आचरणहीन एवं गौरवहीन हो तो वह नारी के योग्य नहीं है। रामगुप्त से मुक्त होकर ध्रुवस्वामिनी एकाकी जीवन व्यतीत कर सकती है लेकिन वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। और अंततः उसे चंद्रगुप्त का प्रेम प्राप्त हो गया है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, आधुनिक साहित्य पृष्ठ सं 250
2. डॉ. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिन्दी नाटक पर पाश्चात्य प्रभाव पृष्ठ सं 259
3. जय शंकर प्रसाद, ध्रुवस्वामिनी पृष्ठ सं 27
4. जय शंकर प्रसाद, ध्रुवस्वामिनी पृष्ठ सं 53
5. जय शंकर प्रसाद, ध्रुवस्वामिनी पृष्ठ सं 46
6. जय शंकर प्रसाद, ध्रुवस्वामिनी पृष्ठ सं 27
7. जय शंकर प्रसाद, ध्रुवस्वामिनी पृष्ठ सं 55
8. जय शंकर प्रसाद, ध्रुवस्वामिनी पृष्ठ सं 52





पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

□ डा. अखिलेश कुमार गुप्ता*

शोध सारांश

“हे स्त्री तू सूर्य के तुल्य तेजस्वनी है, ध्रुव के समान निश्चल है, भूमि के समान गृहस्थ को करने वाली है। इन गुणों से युक्त तू कुल का प्रकाश करने वाली है, अतएव गृहणीय है।” प्रस्तुत शोध पत्र पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) पर आधारित है। ऐसी जागृति शोधार्थी के मन में उत्पन्न हुई जो शोध कार्य करने का माध्यम बना। महिलाओं की स्थिति में पंचायती राज का बहुत बड़ा योगदान है, पंचायतीराज व्यवस्था में एक नई जागृति ही नहीं बल्कि एक क्रान्ति लाने की दिशा में जमीनी तैयारी कर दी हैं। 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के लिये सुनिश्चित किया गया।

मुख्य शब्द:- पंचायती राज, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, पारिवारिक व्यवस्था, जनगणना, मतदाता सूची, आरक्षण।

प्रस्तावना :-

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से ही उच्च व सम्मानीय रही है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था अर्थात् राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। आज लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है, जिसके माध्यम से महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्रों में सहभागिता प्राप्त होगी। लोकतंत्र की संकल्पना को अधिक यथार्थ में अस्तित्व प्रदान

करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय जनता की स्थानीय शासन कार्यों में अनवरत रुचि बनी रहती है, क्योंकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का स्थानीय पद्धति से समाधान कर सकते हैं। ऐसे समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए या भारतीय लोकतंत्र को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान करना, संस्थाओं

* राजनीति शास्त्र, सहायक प्राध्यापक

** पं. रामसुन्दर शुक्ल शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)

में आधी ग्रामीण जनता विशेषतः महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना जो अब तक 73 वां संविधान संशोधन पूर्व उपेक्षित रहीं हैं। समाज के अन्य दुर्बल वर्ग की राजनीतिक समाज राजशाही, सामंतवादी, रूढ़िवादी एवं जातिगत कारणों से प्रभावित रहा है। भारतीय समाज में महिला के इतिहास के किसी भी दौर की तुलना में वर्तमान ज्यादा प्रभावशाली मुद्रा में नजर आ रही है। निःसंदेह हम यह मानसिक रूप से महिला आरक्षण और उसकी नेतृत्व क्षमता को बेहतर मान कर जीवन यापन करने लगे हैं, लेकिन यह हमारी विडंबनाएं थी, हैं एवं रहेंगी। स्वतंत्रता से पूर्व सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर, साहू महाराज को सामने रखकर राजनीति करने वाले महाराष्ट्र राज्य की सोच ऐसा लगता है कि किनारों को तोड़ने को राजी में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था हो गई। इस व्यवस्था की कुछ खास बातें –

1. यह प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी गई कुल सीटों और कार्यालयों के लिए लागू होगा।

2. इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये भी लागू होगी और पंचायतों में जितनी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

3. पंचायतों में अध्यक्ष के कुल पदों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। शासन द्वारा पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय 2009 में लिया जा चुका है। खास बात यह है कि संसद से मंजूरी से पूर्व ही पंचायती राज में महिलाओं के लिए 73वां संविधान संशोधन के 243 'डी' की धारा में संशोधन कर भारत के कुछ राज्य जैसे— बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006,

छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2008, मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 में संशोधन, राजस्थान, केरल व उत्तराखण्ड एवं 2011 में महाराष्ट्र आदि राज्यों ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का तोहफा प्रदान कर सराहनीय कार्य किया है। भारत में बिहार राज्य को इस कानून के क्रियान्वयन के संदर्भ में सर्वप्रथम श्रेय जाता है। उत्तराखण्ड राज्य के पंचायत चुनाव में सराहनीय व अच्छा प्रतिसाद रहा है। जिसमें 55 प्रतिशत महिलाएं चुनकर आई हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को ही माना जा रहा है। इन राज्यों में पंचायत चुनाव भी संपन्न कराये जा चुके हैं और महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में सक्रिय रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्व विदित हो कि 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा पंचायतों के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है, लेकिन हमें यह भूल नहीं जाना चाहिए कि विधान बनाने मात्र से समाज में परिवर्तन नहीं हो जाता। देश की स्थानीय राजनीति में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर कुछ राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जनवरी 2010 ई. में निर्वाचन भी कराया जा चुका है। जिससे देश की ग्रामीण जनसंख्या में से आधी जनसंख्या महिलाओं की है इसके साथ ही आधी जनसंख्या से अधिक महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के विविध स्तरों जैसे— ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में महिलाओं की संवैधानिक सहभागिता के अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे पंचायती राज के विविध पदों पर महिलाएँ पदासीन होकर कार्य भी कर रही हैं।

शोध समस्या/अवधारणात्मक विवेचन – पंचायती राज लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रथम पाठशाला है जो मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित है लोक तंत्र जब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि

लोकतांत्रिक मान्यताएं मजबूत न हों। पंचायतें प्रशासन के लिए सभी कार्य करती हैं। जनता इन संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत करीब पहुंच जाती है। जनता और शासन में परस्पर सहयोग बढ़ता है जो ग्रामीण उत्थान व विकास के लिये अति आवश्यक है। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास काफी पुराना है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् 30 दिसम्बर 1993 को मध्यप्रदेश में सर्व पंचायती राज का क्रियान्वयन करने के लिये अधिनियम पारित किया गया। राज्यपाल की स्वीकृति से 27 जनवरी 1994 से पूर्ण मध्यप्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य था जहां पर संविधान संशोधन के पश्चात् सर्व प्रथम तीन स्तरों में पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिये चुनाव कराए गए।

नई पंचायती राज व्यवस्था द्वारा जनता को सत्ता में भागीदारी बनाने के लिये तीन स्तरों में पंचायती राज का गठन ग्रामीण विकास प्रारंभ किया गया।

पंचायतीराज व्यवस्था

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत

शोध के उद्देश्य एवं उपयोगिता-

1. महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन करना।
2. महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन करना।
3. महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में सहायक हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
4. महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता का अध्ययन करना।
5. महिलाओं के विचारों में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति- अध्ययन क्षेत्र में रीवा जिले से 50 महिलाओं का चयन सविचार निदर्शन पद्धति के माध्यम से निम्नवत किया। सामान्य वर्ग 20 महिलायें, अनुसूचित जाति वर्ग 10 महिलायें, अनुसूचित जनजाति वर्ग 10 महिलायें, पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक 10 महिलायें, अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र के 50 उत्तरदाता महिलाओं से साक्षात्कार किया गया है।

उपकल्पना -

1. पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता में परिवर्तन आया है।
2. पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं से परिवार की गतिविधियों के सम्बन्ध में राय ली जाती है।
3. पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं से सामाजिक गतिविधियों में राय ली जाती है।
4. पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं को अत्मनिर्भर बनाने में परिवर्तन का अध्ययन।
5. पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं के विचारों में हुये परिवर्तन का अध्ययन।

अध्ययन क्षेत्र - यह जिला मध्यप्रदेश के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थिति है और 240 16' 30'' तथा 250 11' 25'' उत्तर अक्षांश की सामान्तर रेखाओं और 810 3' 15'' तथा 220 18' 45'' पूर्व देशांश की मध्यान रेखाओं के बीच स्थिति है। रीवा जिले के उत्तरी सीमा पर उत्तर प्रदेश के बांदा तथा इलाहाबाद जिले और इसके उत्तरी-पूर्वी तथा पूर्वी सीमाओं पर मिर्जापुर जिला है, इसके दक्षिण में सीधी जिला स्थिति में इसके दक्षिण-पश्चिम तथा पश्चिमी सीमा से सतना जिला लगा हुआ है। रीवा नगर निगम में कुल 45 वार्ड है, जिसकी मुखिया महापौर श्रीमती ममता गुप्ता महिला नेतृत्व का कार्य पूर्णतया निभा रही है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा— महिलाओं की स्थिति में पंचायती राज का प्रभाव से संबंधित शोध कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्येताओं विद्वानों द्वारा प्रारंभी किये गये हैं। इन विद्वानों में जगदीश सिंह, आर.के. शुक्ला (2001), अजीत सिंह 2005, वी.आर. पाटिल, सागर (2002), मो. इस्लाम इलाहाबाद (2003), कुमुन्द श्रीवास्तव रीवा ग्रामीण विकास (2009), राजेश चन्द्र पालीवाल (2009) आदि विद्वानों ने सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के तुलनात्मक स्वरूप पर अपने शोध कार्य प्रस्तुत किये हैं। तथ्यों का संकलन—संदर्भ पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मतदाता सूची, व जनगणना सूची के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया।

वर्गीकरण एवं विश्लेषण— प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण निम्न हैं—

सारणी क्र. – 1, महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता का अध्ययन

उत्तरदाता महिलाओं का वर्ग	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता का अध्ययन		
		हाँ	नहीं	पता नहीं
अनुसूचित जाति वर्ग	10	4	3	3
अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	6	2	2
पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग	10	4	3	3
सामान्य वर्ग	20	16	3	1
	50	30	11	9
प्रतिशत	100%	60%	22%	18%

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में 60 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि उनमें राजनैतिक जागरूकता आई है। एवं 22 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि नहीं एवं 18 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि पता नहीं। इसलिये प्रथम उपकल्पना सही सिद्ध हुई।

सारणी क्र. – 2, पारिवारिक गतिविधियों में राय संबंधी

उत्तरदाता महिलाओं का वर्ग	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	महिलाओं में पारिवारिक गतिविधियों का अध्ययन		
		हाँ	नहीं	पता नहीं
अनुसूचित जाति वर्ग	10	4	2	4
अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	3	6	1
पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग	10	5	3	2
सामान्य वर्ग	20	10	5	5
	50	22	16	12
प्रतिशत	100%	44%	32%	24%

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि 44 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि परिवार की गतिविधियों में राय ली जाती है, 32 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि पारिवारिक गतिविधियों में राय नहीं ली जाती है, 24 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि हमें इस सम्बन्ध में पता नहीं है। इसलिए द्वितीय उपकल्पना सही सिद्ध हुई।

सारणी क्र. – 3, महिलाओं में सामाजिक गतिविधियों में राय संबंधी

उत्तरदाता महिलाओं का वर्ग	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	महिलाओं में सामाजिक गतिविधियों में राय संबंधी		
		हाँ	नहीं	पता नहीं
अनुसूचित जाति वर्ग	10	6	3	1
अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	5	2	3
पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग	10	4	4	2
सामान्य वर्ग	20	8	7	5
	50	23	16	11
प्रतिशत	100%	46%	32%	22%

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में 46 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि सामाजिक गतिविधियों में राय ली जाती है, 32 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि सामाजिक गतिविधियों में राय नहीं ली जाती है, एवं 22 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि इस सम्बंध में हमें पता नहीं। इसलिए तीसरी उपकल्पना सही सिद्ध हुई।

सारणी क्र. – 4, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी

उत्तरदाता महिलाओं का वर्ग	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में हुये परिवर्तन का अध्ययन		
		हाँ	नहीं	पता नहीं
अनुसूचित जाति वर्ग	10	3	4	3
अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	8	1	1
पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग	10	3	6	1
सामान्य वर्ग	20	4	14	2
	50	18	25	7
प्रतिशत	100%	36%	50%	14%

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि 36 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि आत्मनिर्भर बनने में परिवर्तन हुए हैं, 50 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि आत्मनिर्भर बनने में परिवर्तन नहीं हुये हैं, एवं 14 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि इस संबंध में पता नहीं। इसलिए चौथी उपकल्पना गलत सिद्ध हुई।

सारणी क्र. – 5, महिलाओं के विचारों में हुए परिवर्तन का अध्ययन

उत्तरदाता महिलाओं का वर्ग	उत्तरदाता महिलाओं की संख्या	महिलाओं के विचारों में हुए परिवर्तन का अध्ययन		
		हाँ	नहीं	पता नहीं
अनुसूचित जाति वर्ग	10	4	6	0
अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	1	3	6
पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग	10	3	5	2
सामान्य वर्ग	20	4	12	4
	50	12	26	12
प्रतिशत	100%	24%	52%	24%

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि 24 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि विचारों में परिवर्तन हुआ है, 52 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि विचारों में परिवर्तन नहीं हुये हैं, एवं 24 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि हमें पता नहीं। इसलिए पांचवी उपकल्पना गलत सिद्ध हुई।

निष्कर्ष :-

पंचायती राज व्यवस्था ने सामाजिक कमजोरियों जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत भेदभाव को धक्का पहुंचा है जिससे ग्रामीण इलाकों में सामाजिक एवं राजनैतिक क्रांति कहना अनुचित नहीं होगा। परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन से सुदृढ़, मजबूत, सशक्तीकरण एवं महिलाओं को वैधानिक होने की बजह से भारत के पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज में ही नहीं बल्कि देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे संविधान में वर्णित समानता, न्याय, की बात पूरी होगी और महिलाएं सभी क्षेत्रों में सहभागिता निभा पायेगी। नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सहभागिता कर सकेंगी जो एक सशक्त समाज व देश के निर्माण में सहयोग होगा। अतः आवश्यकता है अपने मनो भावों के वास्तविक धरातल पर परिवर्तन लाने की अन्यथा साधनों के भेद बदलते रहेंगे और हम यह सुनने के लिए अभिशप्त होते रहेंगे कि—

झड़ गयी पूँछ रोमान्त झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है।

बाहर—बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है।।

सुझाव :-

1. ग्राम स्तर की विकास योजना एवं कार्यक्रम तैयार करने का मौलिक अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए तथा महिलाओं का सर्वांगीण विकास संभव है।
2. पंचायती राज सम्पत्ति एवं संसाधनों का विभाजन इस प्रकार से करना चाहिए कि निर्बल वर्ग को उससे लाभांवित किया जा सकें।
3. ग्रामीण स्तर पर समाज सुधार समितियों का गठन किया जाए तथा उनके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों अन्धविश्वास और जातिवाद जैसी मान्यताओं के खिलाफ जनमानस तैयार करने हेतु चेतना जागृत की जावे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अखिलेश, डॉ. एस. (2006) रीवा दर्शन, गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवा।
2. गांधी महात्मा (1963), ग्राम स्वराज्य, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृष्ठ 69
3. अखिलेश, डॉ. एस. (2006) रीवा राज्य का इतिहास, गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवा।
4. श्रीवास्तव मनोज (2011) : कुरुक्षेत्र सितम्बर, ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली पृष्ठ 10
5. आप्टे दत्तात्रेय (2006) सामाजिक सर्वेक्षण की प्रविधि, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर।
6. उपाध्यक्ष श्री बल्लभ शरण (1998) : पंचायत में महिलाएं: जरूरत है सक्रिय भूमिका की, कुरुक्षेत्र अप्रैल पृष्ठ 12
7. आहूजा राम (2006) सामाजिक समाज, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
8. सिसोदियां यातीन्द्र सिंह (2004) : पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व— रावत प्रकाशन, जयपुर पृष्ठ 63
9. महीपाल, (1997) पंचायतें— अतीत, वर्तमान एवं भविष्य, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़े 2008
11. मिश्रा, एस.एन., (1980) पालिटिक्स एण्ड सोसाइटी इन रुरल इंडिया, इंटर इंडिया, नई दिल्ली।
12. श्रीवास्तव मनोज, (2011): कुरुक्षेत्र सितम्बर, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली पृष्ठ 12
13. मिश्रा एस.एन. (2001) रोड्स टू मॉडल पंचायत राज, मिततल, पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
14. टाइम्स ऑफ इण्डिया 20 अगस्त 2009 एवं लोकमत मराठी नागपुर संस्करण 19 अगस्त 2009,
15. दैनिक भास्कर नागपुर संस्करण 18 जून 2011





“मध्य प्रदेश के रीवा एवं शहडोल सम्भाग के शासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालय सेवकों की समस्याएँ : एक अवलोकन

- डॉ. सत्य प्रकाश सिंह*
□ भारत भूषण दुबे**

शोध सारांश

सभी प्रदेश की शिक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। जब तक प्रदेश की जनता शिक्षित नहीं होगी तक तक किसी भी प्रदेश का विकास कर पाना असम्भव होता है। ग्राम तहसील, जिला, सम्भाग उसके बाद प्रदेश। गाँवों में शिक्षा का अक्सर अभाव देखने को मिलता है इसके लिए प्रदेश सरकार गाँवों में प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल आदि प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं को खोलकर गाँवों के विकास तथा वहाँ की जनता को शिक्षित कराने का कार्य सरकार की जिम्मेदारी होती है।

शब्दबीज :-मध्य प्रदेश, शासकीय महाविद्यालयों पुस्तकालय रीवा।

प्रस्तावना :-

पुस्तकालय विज्ञान का इतिहास शिक्षा के क्षेत्र में मध्य 1800ई. में विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पुस्तकालय विज्ञान के तहत शिक्षा के क्षेत्र विभिन्न विषयों के पुस्तकों को एकत्र कर एक ही स्थान पर रखे जाने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है। पुस्तकालय विज्ञान के कार्यक्रम को स्वतंत्र भारत के पहले इसकी शुरुआत हो गई थी जिसकी शुरुआत 1911 में एक छोटे से प्रशिक्षण के रूप में शुरू किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान के विकास के लिए महाराजा शैयाजीराव गायकवाड़ गुजरात के बड़ौदा से शुरुआत हुई। बाद में इसे पब्लिक पुस्तकालय के रूप

में पश्चिमी देशों में भी इसका विकास धीरे-धीरे हुआ। विदेशों में सबसे पहले मि. डब्ल्यू.ए. वार्डन निदेशक के पद में रहते हुए स्टेट पुस्तकालय विभाग का विकास किया। मि. वार्डन के शिष्य मिलेमिल दुबे जिन्होंने पहली पुस्तकालय कोलंबिया कॉलेज न्यूयार्क वर्ष 1987 में शुरुआत की और इसके बाद 1915 में दुबे के शिष्य मि. ए. डिक्सन के द्वारा पंजाब युनिवर्सिटी लाहौर में भी इन्फर्मेसन टेक्नॉलाजी की स्वतंत्र भारत के पहले शुरुआत है। इसके पश्चात् आन्ध्र युनिवर्सिटी, बनारस विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा के विभाग खोले गये जिसकी रूपरेखा प्रो. एस.आर. रंगनाथन ने शुरुआत की।

* (शोध निर्देशक) विभागाध्यक्ष (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान), शा.टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

** (शोधार्थी), पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

इस पुस्तकालय मद्रास विश्वविद्यालय 1931 में शुरुआत हुई। 1937 में पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम डिप्लोमा कहलाया। इसके पश्चात् दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की शुरुआत 1946 में शुरू किया गया। जिस प्रथम प्रवेश 1947 में हुआ। बाद में 1951 में डिप्लोमा कोर्स को बदलकर मास्टर इन लाइब्रेरी साइन्स पाठ्यक्रम का विकास किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा, नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर, उस्मानिया विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय 1960 में सूचना पुस्तकालय विज्ञान के पाठ्यक्रम को लागू किया गया। इसी के हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय भोपाल से 2010 में पुस्तकालय विज्ञान सूचना विज्ञान के पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई इसी के साथ-साथ दूरवर्ती शिक्षा केन्द्रों के विकास हुए और सामाजिक एवं आर्थिक विज्ञान के तहत 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला रखी गई और अनेको विश्वविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत अनेको छात्र/छात्राओं एवं अध्येताओं को सूचना एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के तहत अध्ययन करने का अवसर मिला है जिससे समाज में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक विकास हुआ है जिससे सामाजिक तौर से लोगों में जागरूकता आई है। रोजगार के क्षेत्रों में अनेकों अवसर उपलब्ध होने लगे हैं।

सूचना पुस्तकालय शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों को महाविद्यालयों में लागू किया गया है। इसी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत सम्मिलित पत्राचार एवं सूचना विज्ञान को भी लागू किया गया है। जिसके तहत संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर छात्र/छात्राओं को लाभ पहुंचाया गया है। इसके तहत विभिन्न संस्थाओं में समय-समय पर सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। जिससे

सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकी जानकारियों से छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/प्राध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। उसके पश्चात् उन्हें प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाते हैं। इसी प्रकार से महाविद्यालयीन शिक्षा एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करायी जाती है। कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गयी है जिससे उन्हें लाभ मिल सके एवं अपना पाठ्यक्रम भी पूरा कर सकें। इसी प्रकार स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं डॉक्टोरल पाठ्यक्रमों को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालयीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र/छात्राओं एवं अध्येताओं को लाभ प्राप्त हो रहा है।

Review Literature (शोध समीक्षा)–

प्रस्तुत शोध समीक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के महाविद्यालय पुस्तकालय में शासन की सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव के सम्बन्ध में विभिन्न शोधकर्ताओं के द्वारा पुस्तकालय विषय में शोध-पत्र एवं पुस्तकें लिखी गई हैं जो निम्नवत हैं :-

1. Tsuji et al (2016), के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान सूचना विज्ञान शिक्षा केन्द्र का विकास सबसे पहले शिक्षित लायब्रेरियन (पैपैव) के रूप में कार्य करना शुरू किया। इससे पहले पुस्तकालय सूचना विज्ञान के तहत कोई भी सुव्यवस्थित शिक्षा के रूप में विकसित नहीं था। यहीं से लायब्रेरी के विकास को गति मिली।

2. Wilson T.D. (2012) के आलेख से ज्ञात होता है कि पचास वर्ष पहले शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय सूचना विज्ञान की शुरुआत हुई, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में अमरीका में भी शिक्षा के नये-नये केन्द्र खोले गये जहां पर पुस्तकालय सूचना विज्ञान का पठन-पाठन शुरू किया गया है। वर्ष 1959 से 2008 तक सतत प्रयास किये गये कि शिक्षा प्रौद्योगिकी का

विकास निरंतरता होता रहे इससे पुस्तक विज्ञान के क्षेत्र में पढ़न-पाठन करने वाले छात्र/छात्राओं को नई तकनीक के साथ पुस्तकालय सूचना विज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सकें।

3. Chu H. (2006) के शोध आलेख पत्र में कैरीकुला ऑफ लायब्रेरी एण्ड इनफरमेशन साइंस प्रोग्राम में यह बताया गया कि पुस्तकालय सूचना विज्ञान में आने वाले सलैबी को रिव्यू किया गया। यहीं से लायब्रेरी सूचना विज्ञान के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के पाठ्यक्रमों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया। इससे पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को विशेष लाभ मिलने लगा। इससे रोजगार के नये अवसर भी लायब्रेरी शिक्षा के क्षेत्र में मिलने लगे।

4. जोशी एम.के. (2010) एवं राना (2011) इन्होंने लायब्रेरी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा जो भारत में लगभग एक शताब्दी से शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बाद आज सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान में विकास की नित नये तरीकों का प्रयोग किया गया जिससे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान के क्षेत्र में लगातार विकास हुआ है। जिसका सीधे लाभ छात्र/छात्राओं एवं अध्येताओं व प्राध्यापकों एवं शिक्षकों को मिला है।

5. Ranganathan (1889–1972) के अनुसार लायब्रेरी शिक्षा में आपने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शुरुआत में नये नये ट्रायल किया गया जिससे सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हो सका। साथ ही साथ स्कूल लायब्रेरी एवं महाविद्यालयीन शिक्षा में लायब्रेरी शिक्षा का उपयोग कर पुस्तकों के रख-रखाव में गुणात्मक सुधार हुआ है। अपने समय-समय पर अपने शोध पत्रों के माध्यम से नई-नई जानकारीयों को लायब्रेरी शिक्षा में जोड़ने का प्रयास किया है।

6. सुनीता चौधरी (अगस्त 2015) डिजिटल इंडिया : परिकल्पना और चुनौतियाँ, कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास को समर्पित) वर्ष 61 अंक 10 पृ. 17–20

डिजिटल इंडिया की अगली चुनौती भी बड़ी है यह चुनौती है पूरे देश को इस योजना से जोड़ने की यानी इस योजना को समावेशी बनाने की मौजूदा रूप ने तो डिजिटल इंडिया जैसी योजना स्मार्ट सिटी के अलावा देश के नगरों में काफी कुछ लागू हो सकती है। लेकिन इसके आगे की राह बहुत कठिन होगी इसे उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, जो अब भी निरक्षर हैं और शिक्षा के अधिकार के बावजूद उनकी अगली पीढ़ी डिजिटल इंडिया के सहयोग लायक साक्षर बन पाएगी इसकी बहुत उम्मीद नहीं बंधती डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तभी सार्थक हो सकता है। जब वह सिर्फ कुछ सुविधा सम्पन्न लोगों तक सीमित न रह जाए बल्कि सभी लोगों के लिए समाधान का जरिया बने।

7. बालेन्दु शर्मा दाधीच : (मई 2017) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बना एक मिसाल, कुरुक्षेत्र डिजिटल इंडिया एक विशाल अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। यह देश को डिजिटलीकृत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का महत्वाकांक्षी उपक्रम है। डिजिटल इंडिया के पीछे मूल दृष्टि है देश के हर नागरिक के लिए डिजिटल आधारभूत ढांचें तक पहुंच सुनिश्चित करना और इस ढांचे का उद्देश्य होगा एक माध्यम के रूप में नागरिकों तक विविध प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना। नागरिक अपने आवश्यकता के अनुसार सरकारी सेवाओं और प्रशासन तक पहुंच प्राप्त कर सकें, इसका यह इसका एक अन्य मकसद है। और ये तब संभव हो सकेगा जब नागरिकों को डिजिटल आधार पर सशक्त बनाया जाए।

8. डॉ. श्याम सुन्दर प्रसाद एवं जगन्नाथ कुमार कश्यप (मई 2017) कौशल विकास के साथ उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी कुरुक्षेत्र वर्तमान सरकार ने जहां दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत में कौशल विकास के द्वारा कार्यबल के मानव संसाधन के

रूप में परिणत करने की दिशा में बढ़ाया वही मृदा योजना और स्टैण्डअफ इंडिया जैसी योजनाओं के द्वारा पूंजी की समस्या को साधनों का प्रयास दिखाता है यहां तक कि मनरेगा जैसी योजना जाकि महज अकुशल श्रम के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित थी उसे भी कौशल विकास से जोड़ने तक सीमित थी उसे भी कौशल विकास से जोड़ने की कोशिश की गई है। इन सबके अतिरिक्त ग्रामीण भारत में अवसंरचनाओं के विकास पर बल देने वाले अर्बन मिशन तथा मेक इन इंडिया जैसी मुहिम का भी ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

9. अरुण गोयल : (अगस्त 2017) जी.एस.टी. युग : मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन योजना, कुरुक्षेत्र भारत में जीएसटी लागू करना एक रूप परिवर्तनकारी सुधार है और यह कि व्यापार प्रणाली को भी परिवर्तित कर देगा। सभी हितधारकों ने इस सुधार का स्वागत किया है जीएसटी के नए तंत्र से अधिक से अधिक व्यापार औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे। इतने बड़े एवं व्यापक आमूल परिवर्तन से कुछ कठिनाइयां तो जरूर उत्पन्न होगी। केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर कर प्रशासन इस परिवर्तन काल को सुचारु बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

10. उपेन्द्र गुप्ता (अगस्त 2017) : जीएसटी : जीएसटी को अदूरदर्शी दृष्टिकोण से देखने पर केवल अप्रत्यक्ष कर सुधार का पहलु ही दिखाई देगा। किन्तु यदि इस परिवर्तनकारी सुधार के प्रति हम व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं तो इसे व्यावसायिक परिवर्तन सामाजिक पुनरुद्धार, हमारी शिथिल आर्थिक वृद्धि में पुनः तेजी लाने वाली क्रांति, विश्व में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले उतार-चढ़ाओं से हमारी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए प्रेरक दवा का काम करेगा और साथ ही हमारा सिर ऊंचा होगा और मस्तिष्क सींगी चिन्ताओं से मुक्त होगा।

11. प्रकाश कुमार (अगस्त 2017) : नये वस्यतु एवं सेवा कर से 17 केन्द्रीय और राज्य कर 22 प्रकार के उपकर केवल एक कर में शामिल हो जाएगी। इसके लक्ष्य विविध करों की जटिलता समाप्त हो जाएगी। इस तरह से अप्रत्यक्ष कर में महत्वपूर्ण सरलीकरण को प्राप्त किया जा सकेगा विभिन्न राज्यों के मूल्य एवं वृद्धि कर (वैट) में 97 प्रकार के रिटर्न्स होते थे। जिसे भरने के लिए 28 ब्यौरों और 317 अनुबंधों का आश्रय लेना पड़ता था, इसी तरह केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के लिए 13 रिटर्न्स को भरने के साथ एक भी ब्यौरा भी देना है हयां तक कि चालान भी 12 तरह के होते थे अब इन सभी को जगह पूरे देश में समान रूप से केवल एक चालान के साथ 12 फार्म भरने होंगे।

12. राजाराम एस. शर्मा (जनवरी 2016) : प्रौद्योगिकी का जैसे-जैसे विकास हो रहा है, वैसे-वैसे जीवन के सभी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता और अनिवार्यता बढ़ती जा रही है इसलिए मौजूदा समय में अध्ययन-अध्यायन के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी एक आवश्यक उपकरण के रूप में सामने आ रही है तो इसकी स्वीकार्यता से किसी को परहेज होना नहीं चाहिए। दुनिया के नई विकसित और विकासशील समाजों में प्रौद्योगिकी को सहायक उपकरण के रूप में अपनाया गया है। भारत में इसके सीमित प्रयोग शुरू हुए हैं तथापि अगर ठीक तरीके से ये अनुप्रयोग शुरू किया जाए तो जल्द ही सार्थक परिणाम सामने आएंगे।

13. चन्द्रभूषण शर्मा (जनवरी 2016) दूरस्थ शिक्षा 'भारत में और वैश्विक स्तर पर स्थापित हो चुकी है। एक समय में जो पत्राचार शिक्षा के रूप में शिक्षा का सुस्थापित रूप है, दूरस्थ शिक्षा एकार्थक शब्द नहीं है विभिन्न स्थितियों में इनके विभिन्न अर्थ और विभिन्न रूप हो सकते हैं जो संस्था अथवा शिक्षार्थियों के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हैं दूसरस्थ शिक्षा, शिक्षा का अधिक लचीला रूप है जो शिक्षार्थियों को

जब वे चाहे और जहां वे चाहें पढ़ाई जारी रखने और प्रमाण पत्र प्राप्ति करने के लिए अपना मूलयांकन कराने की सर्वोत्तम विधि चुनने की स्वतंत्रता देती है।

14. संदीप कुमार पाण्डेय : (जनवरी 2016) बदलते भारत की गूज भारतीय भूगोल को लांग चुका है। बदलाव के बयार को पूरी दुनिया स्वीकारने लगी है संचार क्रांति ने तो बदलाव की गति और तीव्र कर दिसया है गांवों में बसने वाला भारत अब ई- क्रांति का अग्रदूत बनने की राह पर है। व्यवस्थागत संपूर्ण जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध कराने की दिशा में भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में भारत ने शिक्षा-व्यवस्था की पूरी तरह से डिजिटाइज्ड करने की योजना बनाई है। इसी योजना के आलोक में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी शिक्षण प्रणाली को डिजिटल किया जा रहा है।

15. कौशलेन्द्रप्रपन्न (जनवरी 2016) शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करने वालों कारणों में निश्चित तौर पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया को करीब से देखा समझा जाना चाहिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को देखने से पता चलता है कि इसमें भाषा से अधिक पद्धति पर ज्यादा जोर दिया गया है। मान लीजिए कि 6 घंटों में से 2 घंटे वास्तविक भाषा के लिए एवं जिसमें भाषा की भाषा तथा उपेक्षित और बेकार की विधियों की चर्चा ही अधिक लेती है। यह कहना उचित होगा कि छात्रों की कमजोरी को दूर करने में अक्षम शिक्षक ही हमें शिक्षा व्यवस्था से प्राप्त होंगे।

16. विकास चंद्र (जनवरी 2016) परंपरागत शिक्षा के साथ-साथ प्रसारण शिक्षा के माध्यम से भी वयस्कों और युवकों को एक अलग ढंग से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस कार्य में रेडियो प्रसारण की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, रेडियो द्वारा अलग-अलग विषयों पर लगतार कई कार्यक्रमों का प्रसार किया जाता है। रेडियो के माध्यम से प्रसार शिक्षा का लाभ यह है कि इससे जहां लोगों को नई जानकारी और तथ्यों से

रुबरू होने का मौका मिलता है, वहीं वह काम काफी रोचकता के साथ यिका जाता है, जिससे लोगों का अधिकाधिक जुड़ाव हो सके।

17. पाठक, विजय एण्ड रमाईह, एल.एस. (1986) बिब्लियोग्राफी ऑफ रिसर्च इन लाइब्रेरी एण्ड इनफरमेशन साइंस इन इंडिया, गुडगांव इण्डियन डाक्यूमेंटेशन सर्विस में पुस्तक विज्ञान की समीक्षा के अन्तर्गत विभिन्न तकनीकी ज्ञान को समाहित किया गया है का कथन दृष्टिगोचर हो रहा है।

18. शर्मा, हरिकृष्ण (1997) आर्गनाइजेशन एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कालेज लाइब्रेरिज नई दिल्ली-में उल्लेख किया गया है कि महाविद्यालय के पुस्तक विज्ञान एक महत्वपूर्ण विभाग है जो छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में पुस्तकें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इससे महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है।

19. रंगनाथम, एस.आर. (1961) रिफ्रेन्स सर्विस सेकेण्ड एडिट बाम्बे, एसिया पब्लिकेशन हाउस - में लेख किया गया है कि व्यक्तिगत रूप से पुस्तकालय की सेवाएं पाठकों को उपलब्ध कराने के लिए उनकी रुचि के अनुसार ही पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था के संदर्भ में कहा गया है।

20. करेन (2007) एक भौतिक रूप से तैयार पुस्तकालय में अच्छी योजना के तहत पर्याप्त जगह होनी चाहिए जिससे पुस्तकों को आने वाले पाठकों को सुलभ स्थान मिल सके जिससे पुस्तकों से ज्ञानार्जन कर सकें। साथ ही साथ पाठकगण पुस्तकालय को कैफे की तरह या प्रदर्शनी की तरह उपभोग कर सके आवश्यकता अनुसार पुस्तकों को ले सके।

21. ब्राउन (2007) इन्होंने पुस्तकालय के सम्बन्ध में यह इंगित किया कि सामूहिक रूप से पाठकगण पठन-पाठन के लिए पुस्तकालय में आये और ज्यादा से ज्यादा स्पेश में बैठकर पुस्तकों का अध्ययन करें।

और कम्प्यूटर पर ई-लाइब्ररी का भी साथ-साथ लाभ उठाएं, मंहगी पुस्तकों का भी पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन कर लाभ लिया जा सकता है। इस तरह का कथन किया है।

प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास एवं अच्छे शिक्षक रखकर शिक्षित बनाने का कार्य सुचारू रूप से करती है। प्रदेश सरकार कई योजनाओं के द्वारा भी छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। जैसे "स्कूल चले हम" केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया सबसे सफलतम प्रयास है। जिससे गाँवों और शहरों में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आया है, और मध्यान्न भोजन प्रदेश सरकार की योजना विद्यार्थियों को विद्यालय की ओर लुभाने का कार्य करती है। हरिजन एवं आदिवासियों के लिए स्कालरशिप सायकल वितरण आदि प्रमुख योजनाएँ सरकार चलाती है जिससे छात्र शिक्षा क्षेत्र की ओर अग्रसर हो। वहीं दूसरी ओर 75 प्रतिशत से ज्यादा उनके जो छात्र 12वीं में लाता है उनको आगे ही पढ़ाई का खर्चा सरकार वहन कर आगे शिक्षित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है।

मध्य प्रदेश का गठन 1 नवम्बर 1956 को हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रदेश सरकार अपने प्रदेश को शिक्षित करने के लिए भी स्कूल कॉलेज का निर्माण कर उसके उचित संचालन हेतु पूरी व्यवस्था के दायित्व का निर्वहन कर रही है। चूँकि बात शिक्षा की है तो शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक एवं प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक प्राप्त हो। बिना पुस्तक के किसी भी व्यक्ति का शिक्षित होना अत्यंत ही कठिन कार्य है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि पुस्तकें क्रय कर पाना हर पाठक के बस की बात नहीं होती परन्तु हर पाठक उन पुस्तकों को प्राप्त करके पढ़ना चाहता है जो उसके लिए उपयोगी होती है।

अगर बात शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों की आती है तो हम पुस्तकालय को कैसे भूल सकते हैं। पुस्तकालय

अर्थात् पुस्तकों का ऐसा भण्डार जहाँ प्रत्येक पाठक को उसके पसंद की पुस्तक निःशुल्क या बहुत ही कम खर्चे में प्राप्त होती है, और गरीब से गरीब पाठक उसका लाभ ले सकते हैं।

प्रदेश पुस्तकालय में प्रदेश सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ पाठक प्राप्त कर सकता है। या करता है। पुस्तकालय भी कई प्रकार के होते हैं—

- (1) शैक्षणिक संस्था का पुस्तकालय
- (2) जिला पुस्तकालय
- (3) ग्राम पुस्तकालय
- (4) तहसील स्तर का पुस्तकालय आदि।

जब बात पुस्तकालय की आती है तो उसको सुचारू रूप से चलाने वाले पुस्तकालय सेवक को हम कैसे भूल सकते हैं। पुस्तकालय सेवक ही पाठकों को पुस्तकों का आदान प्रदान की कार्य करते हैं। पुस्तकालय सेवक एवं पाठक का पुस्तकों जैसे ही प्रेम रहता है। पुस्तकालय सेवकों के वेतन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ही होती है।

चूँकि छात्र का टॉपिक मध्य प्रदेश के रीवा एवं शहडोल के शासकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय सेवकों की समस्याओं का ज्ञान अर्जित करना है। इसलिए शासकीय महाविद्यालयों के बारे में जान लेना आवश्यक है मध्य प्रदेश के रीवा अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के अंतर्गत रीवा एवं शहडोल दो सम्भाग आते हैं जिसमें कुल 69 महाविद्यालय स्थापित है। जिसमें पुस्तकालय सेवक विभिन्न पदों जैसे—ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल, बुक लिफ्टर, पुस्तकालय परिचारक आदि पदों पर कार्य कर रहे हैं।

जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य का निर्वहन करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस कार्य के निर्वहन करने में काफी समस्याओं का भी समाना करना पड़ता है, और उसके निदान का भी रास्ता ढूँढना पड़ता है।

चूँकि शोधार्थी भी एक पुस्तकालय सेवक है इसलिए पुस्तकालय कार्य करने में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में स्वयं एवं रीवा एवं शहडोल सम्भाग के शासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालय सेवकों को संक्षिप्त विवरण स्व अनुभव आधार प्रस्तुत पत्र ये बताना चाहता है।

- कभी-कभी पाठक का असहज व्यवहार हो जाता है जिसको संयम रखकर समझाना और पाठक को सन्तुष्ट करना होता है।
- वाचनालय में पाठकों पर नजर एवं पुस्तकालय व्यवस्था को बनाये रखने हेतु निर्देशित करना।
- पुस्तकालय के सभी योजनाओं का सुचारु रूप से संचालन करने की समस्या।
- हर पुस्तकालय में सेवको कमी है और कभी-कभी पाठक ज्यादा हो जाते हैं तो उनको व्यवस्थित तरीके से सन्तुष्ट करना।
- अगर किसी पाठक से पुस्तक गुम जाय या जिर्ण-शिर्ण हो जाय तो उस पुस्तक की कीमत उस पाठक से प्राप्त करने की समस्या का समाधान खोजना।
- पाठक को पुस्तक के समय से न जमा करने की स्थिति में उनसे शुल्क सहित पुस्तक जमा कराने की व्यवस्था एक समस्या।
- साथी महाविद्यालयीन कर्मचारियों को सन्तुष्ट करने हेतु उनके प्रति व्यवहार को सहज एवं सरल बनाना। परन्तु कभी-कभी उनके व्यवहार को समझ पाना एक समस्या।

मुख्य समस्याएँ हैं। जिसका अवलोकन एवं निष्कर्ष निकालना कठिन कार्य होता है। चूँकि किसी भी संस्था, विभाग में कार्य करने पर अगर आराम मिलता है तो समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

संदर्भ-ग्रन्थ सूची :-

Chu H (2006), Curricula of LIS programs in the USA: A content analysis. <http://www.coursehero.com/file/1303179/SHiggins4/>

Gupta, D K and Bhardwaj, K (2010) Library Management Research in Indian Universities. *Annals of Library and Information Studies*. Vol. 57(Dec), p.333-338. http://www.jtaer.com/statistics/download/download.php?co_id=JTA20110307

Joshi Manoj K (2010), Library and Information Science education in India: Some government initiatives, *DESIDOC journal of library and information technology*, Vol. 30(5), Sept., p 67-73.

Karen, L. (2007) Users and public space : what to consider when planning library space In *IFLaA library building Guidelines : Development & reflections Munchken*,: K.G. Saur

Pathak, Vijay and Ramaiah, L.S. *Biobliography of research in library and information science in India*, Gurgon: India Documentation Service. p 1-123, 1986.

Rana, R. (2011), "Research trends in Library and Information Science in India with a focus on Panjab University, Chandigarh", *International Information and Library Review*,

Ranganathan, S.R. *Reference service*. 2nd ed. Mobmbay: Asia pu,kication house, 1961

Sharma, Harikrishna, *Organisation and Administration of College libraries*. New Delhi. S. Chand. 1997.

Wilson T.D. (2010) "Fifty Years of Information Behavior Research Paper, *Bulletin of The Association Information Science and Technology* Vol. 36, Issue 3, Page 27-34

विकास चंद्र (जनवरी 2016) रेडियो व प्रसारण शिक्षा, योजना विशेषांक (विकास को समर्पित मासिक पत्रिका) वर्ष 60 अंक 1 पृ. 66 से 68

कौशलेन्द्रप्रपन्न (जनवरी 2016) शैक्षिक गुणवत्ता और शिक्षकीय कौशल, योजना (विकास को समर्पित मासिक पत्रिका) पृ. 56 से 57 तक

संदीप कुमार पाण्डेय : (नवरी 2016) डिजिटल इंडिया से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर, योजना वर्ष 60 अंक 1 पृ. 45से 48 तक

चन्द्रभूषण शर्मा (जनवरी 2016) दूरस्थ शिक्षा : भारत और भविष्य के लिए एक प्रणाली, योजना वर्ष 60 अंक 1 पृ. 41 से 43 तक

राजाराम एस. शर्मा (जनवरी 2016) : शिक्षा में प्रौद्योगिकी : अधीर पीढ़ी की आशाएं एवं आकांक्षाएं, योजना (विकास को समर्पित मासिक पत्रिका) पृ. क्र. 15 से 17

बालेन्दु शर्मा दाधीच : (मई 2017) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बना एक मिसाल, कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास को समर्पित) वर्ष 63, अंक :7, पृ. 26 से 28

डॉ. श्याम सुन्दर प्रसाद एवं जगन्नाथ कुमार कश्यप (मई 2017) कौशल विकास के साथ उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास के समर्पित) वर्ष 63, अंक 7 पृ. 29 से 34

अरुण गोयल :(अगस्त 2017) जी.एस.टी. युग : मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन योजना, कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास के समर्पित) वर्ष 63, अंक 7 पृ. 11 से 14

उपेन्द्र गुप्ता (अगस्त 2017) : जीएसटी : आरंभ एक नए युग का योजना कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास के समर्पित) वर्ष 63, अंक 7 पृ. 21 से 23

प्रकाश कुमार (अगस्त 2017) : जी.एस.टी. क्रांतिकारी कर सुधार की कारगर प्रौद्योगिकी, योजना (विकास को समर्पित मासिक पत्रिका) पृ. 25 से 27





अभिज्ञान शाकुन्तलम् में रस योजना

- डॉ. आर.बी. त्रिपाठी*
□ चन्द्रशेखर मौर्य**

भगवती सरस्वती के वरद पुत्र कविता कामिनी—कान्त महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम् में आत्मा स्थानीय रस, अलंकार एवं ध्वनि के विशिष्ट प्रयोग देखे जाते हैं जो अन्यत्र एक साथ सुलभ नहीं होते हैं। 'वीर शृंगारयोरेकः' प्रतिज्ञा के अनुसार अभिज्ञान शाकुन्तलम्— नाटक का प्रधान रस 'सम्भोग—शृङ्गार' है। यद्यपि तृतीय से षष्ठ अंक तक इस नाटक में विप्रलम्भ—शृङ्गार के भी दर्शन होते हैं, इसकी तुलना में प्रथम अंक से तृतीय अंक तथा अंतिम सातवें अंक में पुनर्मिलन के रूप में सम्भोग शृंगार ही छाया हुआ है। इसके अतिरिक्त वीर, भयानक, अद्भुत शान्त रसों का भी सहायक रस के रूप में यथावसर चित्रण किया गया है। सम्भोग शृङ्गार—प्रथम अंक में सखियों के साथ आश्रम वृक्षों को सींचती हुई शकुन्तला को देखकर सहसा दुष्यन्त के मुख से निकलता है—“मधुरं आसां दर्शनम्”¹ पुनः शकुन्तला के अंग—अंग की मनोहरता को देखकर दुष्यन्त अभिभूत होकर कहता है—

सरसिज मनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं,
मलिमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।
इयमधिकमनोज्ञा वल्कनेनापि तन्वी,
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥ 2

इसके आगे शकुन्तला के आश्वस्त करते हुए गन्धर्व विवाह हेतु प्रेरित करता है—

संवाहयामि चरणानुत्त पद्मताम्रौ ।

इस प्रकार उक्त स्थलों में सम्भोग शृङ्गार की पुष्टि हुई है।

विप्रलम्भ शृङ्गार :—तृतीय अंक में शकुन्तला को राजधानी बुलाने का वचन देकर राजा चला जाता है, तभी विप्रलम्भ शृंगार प्ररम्भ हो जाता है। इस प्रकार चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अंक सर्वथा विप्रलम्भ की परिपोषक सामग्री से भरपूर है। शकुन्तला दुष्यन्त को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, अतएव 'तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा' का भाव देखते बनता है। तवकुशमशरत्वं शीतरश्मित्वमिदो³ शकुन्तला का मदन लेख⁴ आदि विप्रलम्भ के सूचक अंश है। वास्तव में विप्रलम्भ की चासनी में पगा हुआ शृङ्गार रस आस्वादनीय एवं चिर स्थिर होता है।

हास्यरस :—अभिज्ञान शाकुन्तलम् में अनेक स्थल हैं जो हास्यरस के उद्भावक एवं परिपोषक हैं। दुष्यन्त की आसक्ति शकुन्तला पर देख कर विदूषक कहता है गण्डस्योपरि पिण्डकः संवृत्तः⁵ अर्थात् गलगण्ड के ऊपर फोड़ा हो गया है। जब राजा उसे घर भेजना चाहता है तब वह कहता है मेरे एक कार्य में सहायता

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना (म.प्र.)

** शोधार्थी एम.ए.. (संस्कृत), शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

करो, तब तत्काल विदूषक—कहता है 'मोदक खादिकायाम्'⁶ इस प्रकार इस नाटक में ऐसे अनेक स्थल हैं जो सुतरां हास्य रस के परिपोषक हैं।

वीररस :—कालिदास ने अनेक स्थलों पर वीर रस का सजीव चित्रण किया है। कालिदास ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो इन्द्र के वज्र का पराक्रम है वही दुष्यन्त के धनुष का है। दुष्यन्त को इन्द्रोपम वीर कहा है। उसके धनुष की टंकार मात्र से विध्वंश तथा विघ्नकारक दुष्टों का विनाश हो जाता है।

**क्व कथा बाण सन्धाने, ज्याशब्देनैव दूरतः।
हुङ्कारेणैव धनुषः स हि विघ्नानपोहति।।7**

रौद्ररस :—चतुर्थ अंक में पति चिन्तन परायणा शकुन्तला को जब महर्षि दुर्वसा के आगमन का आभास नहीं मिलता तो वे क्रोध करते हुए कहते हैं— अरे अतिथि का अपमान करने वाली। तुम मेरे तिरस्कार का फल शाप के रूप में भोगेगी, जिसे कवि ने "सुलभ कोपो महर्षि" कहा है—

**विचिन्तयन्ती यमनत्य मानसा,
तपोधनं वोत्सि न मामुपस्थिताम्।8
स्मरिष्यति त्वां न स वोधितोऽपि,
सन, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव।**

यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानों दुवार्शा के रूप में साक्षात् रौद्ररस उपस्थित हो गया है।

भयानक रस :—नाटक का प्रमुख रस श्रृंगार है तथापि स्थल विशेष में कथावस्तु को रोचक बनाने के लिए अन्य रसों का प्रयोग करना कवि की सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचायक है—

**तीव्राघातप्रतिहततरुः स्कन्धलग्नैकदन्तः।
पादाकृष्टव्रतवलयसङ्गसञ्जात् पाशः।
मूर्तो विघ्नस्तपस इव न भिन्न सारङ्ग यूथो,
धर्मारण्यं प्रतिशति गजः स्यन्दनालोक भीतः।**

यहाँ राजा के रथ से भयभीत हाथी आत्मरक्षा की आंशका से धर्मारण्य में प्रवेश कर रहा है। इस पद्य में गजस्थित भय स्थायी भाव, दुष्यन्त का रथ आलम्बन विभाव है और आश्रम वासियों के मन में मूर्तिमान, विघ्न रूप गज का आगमन भय का कारण है तथा गज को देखना आलम्बन विभाव है।

वात्सल्य रस :—पुत्र विषयक रति स्थायी भाव वाले रस को वात्सल्य रस की मान्यता दी गई है। सप्तम अंक इस रस की पुष्टि हुई है जैसा का द्रष्टव्य है—

**अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण, स्पृष्टस्य गात्रे
सुखिता मयैवम्।**

**कां निवृत्तिं चेतसि तस्य कुर्याद्यस्याङ्गसङ्गात्
कृतिनः प्रसूतः।10**

यहाँ दुष्यन्त मरीच ऋषि के आश्रम में सर्वदमन को गोद में उठाकर वात्सल्य सुख का अनुभव करता है, जो कालिदास का प्रयोग विज्ञान है, जिससे विद्वानों का परितोष हुआ है।

शान्तरस :—इन्द्र के साराथि मातलि के साथ अपनी राजधानी लौटते हुए हेमकूटपर्वत पर मरीच आश्रम का दर्शन करता है तथा मुनि को देखकर कहता है—

अहो! स्वर्गादिदमधिकरं निवृत्तिस्थानम्।11 अमृत हृदमिवा गाढोऽस्मि¹² यह स्वर्ग से अधिक शान्तिदायक है स्थान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृत कृण्ड में प्रविष्ट हुआ हूँ।

इस प्रकार सभी सुख साधनों के रहने पर मुनिजन अलौकिकत्व की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा वर्णन स्वयं शान्त रस का पोषक एवं संस्थापक है। रस विवेचन की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुन्तलम् का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ :—

1. अभिज्ञान शाकुन्तलम्—प्रथम अंक
2. वही, 2/19
3. वही, 3/3
4. वही, 3/14
5. वही, द्वितीय
6. वही, द्वितीय
7. वही, 3/1
8. वही, 4/1
9. वही, 1/32
10. वही, 7/18
11. वही, सप्तम् अंक





झुंझुनूं जिले की प्राकृतिक सम्पदा : एक अध्ययन

□ डा. तरुण कुमार यादव*

शोध सारांश

जिन तत्वों का उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं ऐसी प्राकृतिक और मानवीय सम्पदा संसाधन कहलाती है इस प्रकार पृथ्वी पर उपलब्ध वे तत्व जो मानव द्वारा स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग में लाये जा सकते हैं संसाधन होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने संसाधनों को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है जोहन्डसटन के अनुसार "एक संकल्पना जो मानवीय संतुष्टि, सम्पन्नता तथा शक्ति प्रदान करने वाले स्रोतों को निर्दिष्ट करती है, श्रम, उद्यमीर कौशल, विनिमेष, स्थिर पूंजीगत ढांचा, तकनीकी ज्ञान, सामाजिक स्थिरता तथा सांस्कृतिक एवं भौतिक विशेषताओं को किसी देश के संसाधन माने जा सकते हैं।" प्रस्तुत लेख में इन्हीं विषयों का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – प्रकृति, सम्पदा, मानव।

झुंझुनूं जिले का कुल क्षेत्रफल 5928 वर्ग किलोमीटर है। जिले में वन क्षेत्र उल्लेखनीय नहीं है क्योंकि वर्ष 1988-89 में जिले के कुल क्षेत्रफल का 5.80 प्रतिशत अर्थात् केवल 34,332 हैक्टर भूमि वनों के अंतर्गत आती था। वनों में मुख्य रूप से जांटी वृक्ष अथवा खेजड़ी पाया जाता है। इसकी लम्बी जड़े उच्च जल स्तर को बनाये रखने में भी बहुत सहायक है। यह बहुतायत से पाया जाता है। जानवरों को भोजन देने तथा घरेलू ईंधन के रूप में जाटी का प्रयोग किया जाता है।

जिले की जलवायु अर्धशुष्क श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं अतः यहां कम नमी खोने वाले पेड़ पौधे ही जीवित रह पाते हैं। जिले में खीप और नागफनी

नामक घास मुख्य रूप से पाई जाती है इसके अलावा कई अन्य प्रकार की घास भी यहां पाई जाती है। यहां पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं

- यहां पाई जाने वाली वनस्पति की जड़े लम्बी होती हैं जो भूगर्भ से जल प्राप्त करती हैं।
- इन वृक्षों का तना पतला होता है और इनकी लम्बाई कम होती हैं।
- इनकी पत्तियां छोटी, कांटेदार व रूईदार होती हैं जिनसे वाष्पोत्सर्जन कम होता है।

खेतड़ी और उदयपुरवाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में बेरी वृक्ष तथा आम वृक्ष भी पाये जाते हैं। झुंझुनूं में वन

* असिरूटेण्ट प्रोफेसर –भूगोल विभाग, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनूं (राज.)

पौधशाला की भी स्थापना की गई है। उपरोक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि जिला वन संपदा में पिछड़ा हुआ है, अतः सरकार व आमजन को वन विकास हेतु अतिशीघ्र ठोस एवं कारगर कदम उठाने चाहिए।

वनों का वर्गीकरण


वर्ष	वर्गीकरण			
	आरक्षित	संरक्षित	अवर्गीकृत	योग
2010-2011	6.02	399.33	—	405.36
2011-2012	6.02	399.33	—	405.36
2012-2013	6.02	399.33	—	405.36
2013-2014	6.02	399.33	—	405.36
2014-2015	6.02	399.33	—	405.36

स्रोत : कार्यालय उप वन अधिकारी, झुझुनू

भूगर्भीय स्वरूप व धरातलीय संरचना :


जिले के अधिकांश भाग में बेलनाकार पहाड़ियों फैली हुई है। अरावली श्रेणी की कुछ शाखाएं दक्षिण-पूर्वी सीमा के निकटतम भाग में उदयपुरवाटी तहसील के दूरतम दक्षिण जिले में प्रवेश करती है तथा पूर्व में सिंधाना व खेतड़ी तक फैली है। जिले की सबसे ऊंची चोटी लोहार्गल में स्थित है जिसकी ऊँचाई 1051 मीटर है। समुद्रतल से औसत ऊँचाई 300 से 450 मीटर तक है।

झुझुनू जिले की भू आकृतियाँ मानचित्रक्रमांक संख्या : 1



झुंझुनू जिले का धरातल विषमताएं लिए हुए हैं यह एक समान नहीं है। जिले में एक ओर हवाओं द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी के टीले दृष्टिगोचर होते हैं वहीं दुसरी तरफ अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां दिखाई देते हैं। मिट्टी के टीलों की उँचाई 10–40 मीटर तक पाई जाती हैं। झुंझुनू जिले का अधिकांश भाग रेतीला होता जा रहा है क्योंकि बालू मिट्टी के टीले निरन्तर आगे की ओर खिसकते जा रहे हैं जिस कारण कृषि कार्य प्रमुख रूप से बाधित हो रहा है।

झुंझुनू जिले की भूगर्भीय संरचना मानचित्रक्रमांक संख्या : 2



अरावली पर्वत श्रेणी :

अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीनतम कल्प अर्थात् प्री-कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लम्बाई 692 कि.मी. हैं। राजस्थान में इस पर्वत श्रृंखला की कुल लम्बाई 550 कि.मी. हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। झुंझुनू जिले में ये श्रृंखला बेलनाकार रूप में फैली हुई हैं।

पहाड़ियाँ :

इस जिले की सबसे ऊँची पहाड़ी लोहारगल गाँव के दक्षिण में सीकर जिले की सीमा पर स्थित हैं। इस पहाड़ी की ऊँचाई 1,051 मीटर हैं बस एक मात्र यहीं एक ऊँची पहाड़ी हैं जो जिले में स्थित हैं। यदी जिले में इसके अतिरिक्त स्थित अन्य ऊँची पहाड़ियों की बात की जाए तो हम पाते हैं कि कुछ अन्य पहाड़ियाँ और भी हैं जो जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों की ऊँचाई 500 मीटर से अधिक हैं। इनमें से एक

पहाड़ी नवलगढ़ तहसील के अधवारा गाँव में पश्चिम दिशा में 840 मीटर लिए हुए स्थित हैं। नवलगढ़ तहसील में ही भोजगढ़ गाँव के पूर्वी दिशा में एक अन्य पहाड़ी स्थित हैं जिसकी ऊँचाई 979 मीटर हैं। झुंझुनूँ कस्बे के पश्चिमी दिशा में 515 मीटर की ऊँचाई पर भी एक पहाड़ी स्थित हैं, जिसे स्थानिय भाषा में नेहरा पहाड़ कहा जाता हैं। यह पहाड़ियाँ खुली आँखों से कोसो दूर से ही दिखाई दे जाती हैं। इसके अलावा खेतड़ी कस्बे के दक्षिण दिशा में जिले की एक अन्य ऊँची पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊँचाई 762 मीटर हैं।

अपवाह तंत्र :

जिले में एक मात्र नदी कांटली है। यह नदी आंतरिक प्रवाह क्रम के अन्तर्गत आती हैं। कांटली नदी का उद्गम स्थल सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियाँ हैं। यह नदी पूर्ण रूप से वर्षा ऋतु पर निर्भर है, यह तोरावाटी उच्च भूमि में प्रवाहित होती है। सीकर जिले से बहकर आती है तथा झुंझुनूँ जिले के मध्य से प्रवाहित होती हैं। इस नदी का अधिकांश अपवाह क्षेत्र झुंझुनूँ जिले में है। इसका कुल अपवाह 100 किलोमीटर का है। झुंझुनूँ जिले में बहने के बाद नदी चूरु जिले की राजगढ़ तहसील में प्रवेश करती है तथा वहाँ की सीमा में विलुप्त हो जाती हैं। आज ये नदी अपने मूल स्वरूप को लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण धीरे-धीरे खोती जा रही हैं। यदि इसके संरक्षण के लिए उचित उपाय नहीं किये गये तो आने वाले कुछ समय में ये नदी लुप्त हो जायेगी। इसके अलावा जिले में दोहन, चन्द्रावती, लोहार्गल की नदी तथा सुख नदी नामक चार प्रमुख जल धाराएँ प्रवाहित होती हैं। झुंझुनूँ जिले में किसी प्रकार की झील नहीं है।

खनिज सम्पदा (धात्विक एवं अधात्विक) :

जिले में खनिजों में प्रमुख रूप से लोहा, फ्लोराइट, चुना पत्थर, तांबा तथा डोलोमाइट आदि बहुतायत से पाए जाते हैं। इसके अलावा जिले में पाए

जाने वाले प्रमुख खनिजों में चिकनी मिट्टी, घीया-पत्थर तथा इमारती पत्थर आदि पाए जाते हैं।

जल संसाधन :

जल प्रत्येक क्षेत्र की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार होता है। हमारे जीवन में जल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जल देवता वरुण की स्तुति के छंद ऋग्वेद में मिलते हैं। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य के जीवन की सभी क्रियाएँ सुचारु रूप से जल संसाधन के द्वारा ही सम्पन्न हो पाती हैं। जैसे-जैसे औद्योगिक विकास होता जा रहा है एवं आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में भारी कमी आती जा रही है। झुंझुनूँ जिले के संदर्भ में देखा जाए तो जिले में पहला प्राथमिक भूजल वैज्ञानिक सर्वेक्षण वर्ष 1969 से 1972 के बीच में किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर जिले में भूमिगत जल के क्षेत्रों को तीन प्रमुख क्षेत्रों अ. तथा ब में बांटा गया। अ जोन जिले के 4458 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए हैं और जोन अ तथा ब जिले के क्रमशः 10759 वर्ग किलोमीटर तथा 115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अ जोन के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र जिले में दक्षिणी-पूर्वी भाग में तथा ब जोन के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र जिले के उत्तरी-पश्चिमी भाग में विस्तारित हैं। चूंकी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु पर आधारित हैं इसलिए भूमिगत जल का स्तर भी जिले में नीचा ही है। आंकड़ों के अनुसार जिले में भूमिगत जल की गहराई सतह के नीचे 10 मीटर से 46 मीटर तक है। जिले में उपलब्ध भूमिगत जल की गुणवत्ता जिले के उत्तरी-पश्चिमी भाग को छोड़कर शेष भागों में कृषि कार्यों के लिए एवं घरेलु कार्यों के उपयोग हेतु योग्य है। जिले के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भूमिगत जल में फ्लोराइट की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इन क्षेत्रों का पानी पीने हेतु उपयुक्त नहीं हैं। जिले में जल संसाधनों के प्रमुख स्रोतों के

रूप में प्रमुख कुँए, तालाब तथा ट्यूबवैल एवं आधुनिक पम्पींग सैट है, जो कि जिले में वर्षा के अभाव में सिंचाई के प्रमुख साधन भी हैं।

कुँए :

आंकड़ों पर दृष्टि डाले तो पता चलता है की जिले में वर्ष 2014–2015 में कुल कुँओं की संख्या 59436 थी, जिनमें से उपयोगी कुँओं की संख्या मात्र 47229 थी एवं शेष 12207 कुँए जिले में अनुपयोगी थे।

झुंझुनू जिले की भूमिगत जल संरचना मानचित्र क्रमांकसंख्या : 3

जिले में कुँओं की संख्या को तहसीलवार देखा जाए तो वर्ष 2014–2015 के आंकड़ों के अनुसार जिले की 8 तहसीलों में सर्वाधिक कुँए चिड़ावा तहसील में थे। इस वर्ष इस तहसील में कुल कुँओं की संख्या 12782 थी, जिनमें से 543 कुँए ही अनुपयोगी थे एवं शेष 12239 कुँओं का तहसील की मानव समुदाय द्वारा उपयोग किया जा रहा था एवं इसी वर्ष सबसे कम कुँओं की संख्या वाली तहसील मलसीसर तहसील थी, जिसमें वर्ष 2014–2015 में कुल कुँओं की संख्या मात्र 889 थी, जिनमें से 532 कुँए उपयोगी थे एवं 357 कुँए तहसील में अनुपयोगी थे। अन्य तहसीलों के संदर्भ में देखा जाए तो जिले की झुंझुनू, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, सूरजगढ़, नवलगढ़ तथा बुहाना तहसीलो में वर्ष 2014–2015 में कुल कुँओं की संख्या क्रमशः 10727, 9876, 6448, 1789, 9986 तथा 6939 थी।

तालाब :

कुँओं के पश्चात् जिले में जल के साधनों में तालाब महत्वपूर्ण हैं। पिछले वर्षों में जिले में स्थित तालाबों की संख्या पर दृष्टि डाले तो पता चलता है की जिले में कुल तालाबों की संख्या 6 हैं। इनमें से एक सूरजगढ़ तहसील में, एक बुहाना तहसील में, दो खेतड़ी तहसील में, एक पिलानी में तथा एक

काजडा में है। इन तहसीलों में जल के प्रमुख स्रोतों में कुँए तथा ट्यूबवैल हैं एवं यह बात भी महत्वपूर्ण है की खेतड़ी तहसील में वर्ष 2006–07 में भी कुल तालाबों की संख्या दो थी एवं वर्ष 2013–14 में भी इस तहसील में स्थित कुल तालाबों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। जिससे यह कहा जा सकता है की जिले में तालाबों के रख रखाव एवं इनके विकास के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।

वन्य एवं जीव सम्पदा :


झुंझुनू जिले में जीव सम्पदा बहुतायत से मिलती है। यहाँ पालतू व वन्य दोनों प्रकार के जीव काफी मात्रा में मिलते हैं। यह आय का भी एक प्रमुख स्रोत है। यहां पाये जाने वाले पालतू पशुओं से मांस, दूध व चमड़े की प्राप्त होता है। पालतू पशुओं में प्रमुख रूप से बकरी, घोड़े, गधे, ऊँट, सुअर, टट्टू, गाय, भैंस, भेड़, खच्चर, खरगोश व कुत्ते आदि पाये जाते हैं। 2007 की पशु गणना के अनुसार जिले में भेड़ों की संख्या 185705 थी तथा जिले में इस वर्ष भैसों की कुल संख्या 358596 थी। चूंकि झुंझुनू जिले के लोगो का प्रमुख व्यवसाय कृषि है अतः पालतू पशुओं की महत्ता यहाँ के लोगो के लिए स्वतः ही बढ़ जाती है। पालतू पशुओं में बकरी लोगो द्वारा पाला जाने वाला जिले का एक प्रमुख पशु है। 2007 की पशु गणना के अनुसार जिले में कुल बकरियों की संख्या 587063 थी, जिले में खच्चर एवं गधों की संख्या 1122 थी तथा घोड़े एवं टट्टुओं की संख्या 690 थी। जिले में पाए जाने वाले कुत्ते एवं कुत्तियों की कुल संख्या 49010 थी। झुंझुनू जिले में पाए जाने वाले ऊँट, सुअर तथा खरगोशों की संख्या क्रमशः 21828 व 2064 तथा 290 थी। इसी क्रम में 2007 की पशु गणना के अनुसार जिले में कुल कुक्कुट 268732 थे, वैसे देखा जाए तो वर्तमान समय में झुंझुनू जिले में मुर्गी पालन को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है तथा कई स्थानों पर मुर्गी पालन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। वन्य जीव भी काफी संख्या में पाये जाते हैं इनमें प्रमुख जंगली सुअर,

लंगूर, लक्कड़बग्घा, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी आदि सामान्यतः पाये जाते हैं। यहां विषैले और विषहीन दोनों प्रकार के छोटे जीव पाये जाते हैं जिनमें सांप, गिरगिट, छिपकली, चूहा, आदि हैं। सारांशतः हम कह सकते हैं कि झुंझुनू जिला वन्य एवं जीव सम्पदा में भी सम्पन्न है।

मृदा संसाधन :


यहाँ मुख्य रूप से रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों की कमी होती है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं। यहाँ बालुका स्तूप बहुतायत में पाये जाते हैं। ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है जिसमें सिंचाई का कोई लाभ नहीं होता है। रेतीली बालू मिट्टी के अलावा जिले में रेतीली और भूरी मिट्टी भी पाई जाती हैं। अरावली के नीचे के भागों में पर्वतीय मिट्टी भी पाई जाती है इसका रंग भूरा होता है। ये मिट्टी भी कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं होती है। यदि जिले में मृदा संसाधन का विस्तारपूर्वक किया जाये तो हम पाते हैं की जिले में प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी के रूप में बालु मिट्टी की बहुलता है, जो आम तौर पर कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है।

झुंझुनू जिले के मृदा संसाधन मानचित्रक्रमांक संख्या : 4



भूमि उपयोग :

झुंझुनूं जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 591536 वर्ग हेक्टेयर है, जिसमें से 39680 वर्ग हेक्टेयर पर जंगलात स्थित हैं। जिले के भूमि उपयोग को निम्न तालिका द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है।

झुंझुनूं जिले में भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक संख्या :**तालिका संख्या क्रमांक संख्या : 5****भूमि उपयोग, झुंझुनूं**

वर्ष	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	जंगलता	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	चारागाह व अन्य उपयोग	कृषि अयोग्य भूमि
2006–2007	591536	39680	422765	46535	37509
2007–2008	591536	39680	422911	46532	37687
2008–2009	591536	39680	421299	46196	37781
2009–2010	591536	39680	404171	45509	38041
2010–2011	591536	39680	424576	43310	29429
2011–12	591536	39680	422911	46532	37687
2012–13	591536	39680	417047	87602	29442
2013–14	591536	40045	415175	87992	29084
2014–15	591536	40045	407875	87904	29179

जनसंख्या

मानव ने भूतल पर पाये जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों तथा ऊर्जा संसाधनों को आर्थिक विकास की प्रगति के रूप में उपयोगी बनाया है जबकि पहले ऐसा नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वयं मानवीय शक्ति, तकनीकी ज्ञान तथा बौद्धिक ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसी आधार पर ही झुंझुनू जिले की जनसंख्या को मानव शक्ति संसाधन मानकर उसके सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

सन्दर्भ :-

1. Gurjar R.K. and B.C. (2001) Jal Prabandh Vigyan, Pointer Publishers, Jaipur.
2. राजस्थान सुजस – फरवरी, 5 मई 2002 – पानी बचाओ।
3. Ranawat Ishwar Singh : राजस्थान के जल संसाधन।
4. मिश्र अनुपम (1995) : राजस्थान की रजत बूँदे। पर्यावरण कक्ष गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।
5. Murty J.V.S. (1991) : Management of water resources in northern Rajasthan. AHI. Semi. Agr, Hydrology, Rajkot.
6. अरुणा ने “अनमोल जल आओ इसे बचायें” प्रकाशक – पिक सिटी पब्लिशर्स, जयपुर।
7. प्रो. एच. एस. शर्मा, डॉ. एम. एल. शर्मा, डॉ. जे. के. शर्मा – भारत का नूतन भूगोल।
8. एस. डी. कौशिक, अलका गौतम – संसाधन भूगोल।
9. डॉ. मनोज कुमार यादव, डॉ. (श्रीमती) अनुपमा यादव – पर्यावरण अध्ययन।





शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन कारक के रूप में “अष्टांग योग दर्शन”

- डा. दीपक कुमार सोनी*
□ डॉ. परशुराम तिवारी**

शोध सारांश

वर्तमान समय आधुनिक युग के रूप में देखा जा रहा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आधुनिकता की झलक चारों ओर दिखाई दे रही शिक्षा मानव रूपी यंत्र को गढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण औजार है। शिक्षा में विज्ञान और अर्थ से युक्त शिक्षा प्रणाली का तेजी से बढ़ता हुआ वर्चस्व, लगाव और विद्यार्थियों का रुझान क्या विद्यार्थी केवल इन विधाओं में निपुण होकर अपना क्या मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास कर सकेगा। क्या अपना जीवन कल्याण प्राप्त कर के देश, सामाज, राष्ट्र का उत्थान कराने में अपना योगदान दे पाएगा। सही अर्थों में इस तरह के योगदान के लिए विद्यार्थियों को विज्ञान, कार्मस के साथ ही साथ “अष्टांग योग दर्शन” विषय का यदि अध्यापन कराया जाने लगे तो निश्चय ही विद्यार्थियों के अन्दर छिपी हुई शक्ति को केन्द्रित कर एक सुयोग्य विद्यार्थी, एक सुसंस्कारित सामाजिक व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम रखने वाला नागरिक, सभी के प्रति वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा वाला विश्व बंधुत्व प्रेमी जिसके अर्न्तमन में दया, करुणा, प्रेम पवित्रता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी कर्तव्य, परायणता, क्षमाशील, स्वस्थ, शसक्त एवं समदर्शी, न्यायप्रिय युवा/विद्यार्थी का निर्माण कराया जा सकता है। जो परिवार, देश राष्ट्रहित में है। इसके आभाव में विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण वादी व्यक्ति बनकर रह जाएगा जो एक सशक्त राष्ट्र के मजबूर आधार स्तम्भों के उपर ही खड़ी की जानी है।

शब्द कुंजी :-अष्टांग योग, दर्शन, शिक्षा परिवर्तन अवधारणा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि।

* योग—शिक्षक, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रीवा (म.प्र.)

** शोध—निर्देशक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, सिविल लाइन, रीवा (म.प्र.)

परिचय :-

अष्टांग योगदर्शन भारतीय सनातन धर्म/दर्शन की अति प्राचीन विधा है¹, जिसके आदि प्रणेता भगवान शिव हैं, मानवीय कल्याण के प्रयोजन से सृष्टि की उत्पत्ति से ही सृष्टि के रचनाकार ने इसकी प्रतिष्ठा सृष्टि में कराकर मनुष्य के अन्दर उत्पन्न होने वाली संमपूर्ण विकृतियों को समाप्त कराने वाला एक सशक्त प्रभावी और आसान माध्यम उपलब्ध कराया जिससे संपूर्ण मानवीय सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ संपन्न, सतत् उर्जावान एवं विश्व बंधुत्व भाव वाला बना रह सके।²

शिक्षा का जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है, व्यक्ति की शिक्षा (अर्जित की गई शिक्षा से ही) से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, यही इस व्यक्ति व उसके व्यक्तित्व का परिचायक भी है। शिक्षा से ही व्यक्ति का संपूर्ण उत्थान कराया जा सकता है गुणात्मक शिक्षा ही गुणात्मक व्यक्तित्व का निर्माण कारक है। शिक्षा का वास्तविक तात्पर्य केवल किताबी ज्ञान उपाधियाँ आदि नहीं है। अपितु शिक्षा वास्तव में वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य का मानसिक और चारित्रिक आत्म विकास होता है एवं उसे व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त होता है इस दृष्टि से समाप्त जीवन ही शिक्षा है –

प्रसिद्ध शिक्षावेत्ता स्पेसर महोदय के अनुसार शिक्षा का अर्थ “मनुष्य की आन्तरिक दशा को बाह्य अवस्था से सम्बन्धित करना है”

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार—मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यार्थी बालक या व्यक्ति शरीर, मन व आत्मा में अन्तर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। महापुरुषों के उपरोक्त कथन को गम्भीरता से देखे तो क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली इन लक्ष्यों को पूरा करने वाली है?

उपरोक्त सम्पूर्ण मानदण्डों में यदि आज प्रभावी रूप में विज्ञान अर्थ अन्य समस्त विषय शिक्षणों के साथ अष्टांग योगदर्शन की शिक्षा का भी अध्ययन अन्य विषयों के साथ शत-प्रतिशत अनिवार्य कर दिया जाय तो इनका परिणाम हमारा विद्यार्थी युवा अवश्य ही

उपरोक्त समग्र शिक्षा के मानदण्डों को निश्चय ही प्राप्त कर ले। विद्यालयों में दी जाने वाली नैतिक शिक्षा जिसका आज पाठ्यक्रम से पूर्णतः समापन हो चुका है न पुस्तकें ही हैं न ही पढ़ाने वाले शिक्षक गण मानव मस्तिष्क की सदैव यही विशेषता रही है कि जो बाते, जो शिक्षण प्रभावी अध्यापन इसके समक्ष नित्यप्रति आती है यह मस्तिष्क उनका अभ्यास हो जाता है और जो प्रतिदिन नहीं आती उन्हें यह भूलता जाता है आज यही कारण है कि नैतिकता सदाचार प्रिय तो सभी को है, मगर सुनने मात्र तक जैसा कि हम नहाने के उपरान्त कुछ समय के लिए ही ताजगी³ और हल्केपन का अनुभव कर प्रसन्न रहते हैं ठीक विद्यालय, महाविद्यालयों में सदाचार नैतिकता का अध्यापन कुछ विद्यार्थियों के लिए इसी तरह का होता जा रहा है। जो निकर भविष्य की बड़ी चिंता व चुनौती का रूप लेगा।

अष्टांग योगदर्शन जो 8 भागों की रचना है वर्तमान समय में शिक्षा जगत में उत्पन्न हो चुकी समस्त विकृतियों को समाप्त कर उन्हें समूल नष्ट करने की अचूक शक्ति रखता है⁴ जो शिक्षा जगत में आमूल परिवर्तन कारक के रूप में सदियों से हमारे भारत में मौजूद रहा है एवं अपने प्रभाव की विशिष्ट छाप पूरे विश्व में उपस्थित करता चला आ रहा है। वर्तमान में विद्यार्थियों का घटता हुआ शरीर सौष्ठव, विकृत हो रही विशिष्ट चेतना, घटता चरित्र मूल्य नशे की प्रवृत्ति, नकारात्मक सोच नैतिकता गिरता हुआ स्तर, भविष्य के प्रति गहरी होती चिन्ता संसय की दृष्टि कम होती बौद्धिक विलक्षणता इन्द्रियों का मन से हटता नियंत्रण आदि कुछ ऐसे सशक्त पक्ष भी हैं जो आज शिक्षित हो चुके या शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यालयों के अभिन्न जीवन के भाग बन चुके हैं फिर इन स्थितियों में आज की युवा पीढ़ी अपने आगे की पीढ़ी को क्या हस्तांतरण करेगी एक अत्यंत गंभीर सोचनीय पक्ष है।

पाठक गणों से विनम्र आग्रह है कि मेरे द्वारा उपरोक्त स्तर तक की गई बाते नकारात्मक पक्ष निर्माण की नहीं हैं न ही मेरा दृष्टिकोण विज्ञान और कार्मस को दोषी ठहराना है मैं यहाँ एक नवीन पक्ष रखकर इस शिक्षा जगत को और विकसित कर शिक्षा जगत

के उत्पाद रूपी विद्यार्थी को सशक्त बलशाली, तेजोमयी, बुद्धि की उत्कृष्टता वाला, संकल्प का धनी, संस्कारवान, नीतिवान, स्वास्थ्य सम्पन्न, भले बुर का यथेष्ट ज्ञान रखने वाला अपन इंदियों के मन के आधीन रख आत्मा की सहमति से कार्य करने वाला बनाने का उद्देश्य रख उपरोक्त बातें पाठन हेतु रख रहा हूँ।

आइए देखे अष्टांग योगदर्शन का प्रारूप5—

अष्टांग योग के आठ अंग—यम नियम —मन की स्वस्थता दिलाने वाले।

आसन, प्राणायाम — शरीर की स्वस्थता दिलाने वाले

प्रत्याहार, धारणा — बुद्धि की स्वस्थता दिलाने वाले

ध्यान, समाधि — आध्यात्मिक/आत्यिक लाभों से परिपूर्ण कराने वाले।

ये अष्टांग योग के आठ अंग हैं जो मन, शरीर, वृद्धि को स्वस्थ बनाकर आत्मा चिन्तन की ओर ले जाने वाले सशक्त माध्यम हैं6 किन्तु यह एक-एक कर के ही चारों चैन की कड़ी की भाँती है ऐसा नहीं है कि को छोड़कर अन्य दूसरे को हम प्राप्त कर लेंगे। इस का सैद्धांतिक अध्यापन विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में अपनी अमिट छाप व प्रकाश आजीवन बिखरने वाला है। साथ ही व्यावहारिक शेष छः सोपानों को तय कर उन्हें प्राप्त कर अपने जीवन में इन्हें लागू करने का अवसर दिलाने वाला है।

अष्टांग योग का प्रथम अंग, द्वितीय अंग नियम के 05, 05 उपअङ्ग7 इतने सिद्ध है कि विद्यार्थी/युवा की दिशा और दशा दोनों को ही बदल देने की शक्ति रखते हैं—

यम—सत्य, अहिंसा, अस्तेय (चोरी करने की भवना का त्याग) अपरिग्रह, ब्रम्हचर्य।

नियम8— शौच (स्वच्छता), संतोष (दुःख, सुख, हानि, लाभ, यश, अपयश की प्राप्ति पर एक सामान रहना) तप, स्वाध्याय (अपने द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिदिन निरीक्षण मूल्यांकन करना हमने आज क्या अच्छा कार्य किया, कौन सा कार्य अच्छा नहीं किया)

साथ ही आज किए गए अच्छे कार्य के जैसा कार्य कल फिर दुबारा करूंगा, भूल अज्ञानता के कारण किया गया आज के जैसा गलत कार्य फिर से दुबारा नहीं करूंगा।

ईश्वर प्रणिधान— समस्त अच्छे किए गये कार्यों को बिना अभिमान के ईश्वर के चरणों में सौपना प्रतिदिन।

क्या आज विद्यार्थी ऐसी रीति नीति प्रतिदिन अपनाता है?9 किन्तु अष्टांग योगदर्शन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू करने अध्यापन की व्यवस्था कर देने पर विद्यार्थी युवा ऐसा ही प्रतिदिन करने ही लग जाएगा और इसके द्वारा अर्जित की गई शिक्षा उसके जीवन को पूर्णतः प्रकाशित कर देगी।

इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यम नियम के अनुष्ठान से आसन प्राणायाम की सिद्धी मिलेगी, आसन प्राणायाम की परिपक्वता से प्रत्याहार धारणा बलवती बनेगी प्रत्याहार धारणा के बलवती होने से ध्यान एवं समाधि तक पहुँचकर मोक्ष, कैवल्य, सदगति, जीवन उद्धार मिल सकेगा। शिक्षा की सच्ची प्राप्ति यही है। जिसकी आज नितांत आवश्यकता है, जो अष्टांग दर्शन ही पूरी कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ध्यान शतकम्— पृष्ठ—19
2. हठ योग प्रदीपिका प्राणायाम खण्ड— 279
3. याज्ञ स्मृति
4. स्वयंम—स्तोत्र —34
5. महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन
6. योग सूत्र — पतंजलि चौरवम्बा संस्कृति सीरीज वाराणसी प्रथम संस्कारण— 1993
7. भारतीय दर्शन शर्मा डॉ. सी. डी. मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली— 1991
8. नीति शास्त्र की रूपरेखा — डॉ रामनाथ शर्मा मेरठ विश्वविद्यालय
9. योगाङ्क— दसवे वर्ष का विशेषांक गीता प्रेस गोरखपुर 1 वर्ष 10





मध्यकालीन बघेलखण्ड में उद्योग एवं व्यापार

□ डॉ. प्रीती श्रीवास्तव*

शोध सारांश

मध्यकाल में भारत देश धनधान्य से पूर्ण था, बघेलखण्ड के निवासियों की मुख्य जीविका कृषि ही थी जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। रीवा एक कृषि प्रधान राज्य था इसलिए यहाँ उद्योग धंधे का विकास नहीं हो पाया। रेलयातायात साधनों के न होने के कारण व्यापार भी विकसित न हो पाया।

मध्यकाल में हमारा देश धनधान्य से परिपूर्ण था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस देश के अपार धन से ही आकर्षित होकर अनेक बार आक्रमण किये। प्रारम्भिक आक्रमणकारियों की लूट ने हमारे देश की आर्थिक दशा पर विशेष प्रभाव नहीं डाला। दिल्ली के सुल्तानों का राजसी ठाठ-बाट तथा विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करना इसका प्रमुख प्रमाण है।

बघेलखण्ड का क्षेत्रफल 1300 वर्ग मील विस्तार में अक्षांश देशान्तर 220 300 और 250 120 उत्तर दक्षिण तथा 820 510 और 900 390 पूर्व के पश्चिम के बीच भारत वर्ष के नक्शे में स्थित था। राज्य की लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 165 मील और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम देवसर तहसील से रघुराज नगर तक 161 मील थी। इस राज्य की राजधानी का मानिकपुर के समीप में गहोरा था फिर बांधवगढ़ को राजधानी बनाया गया।

बघेलखण्ड के निवासियों की मुख्य आजीविका कृषि है। यहाँ के अधिकांश निवासी देहातों में रहते हैं। कृषि यहाँ पर सभी उद्यमों में उत्तम समझी जाती है।

और अपने हाथ से कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति उत्तम किसान कहा जाता है। कृषि को इतना महत्व दिये जाने के बाद भी यहाँ के किसान हमेशा से दुःखी रहे। उस समय अन्दाजन प्रति किसान प्रति एकड़ एक हल से 12 एकड़ जमीन जोतता था जिसमें 6 एकड़ जमीन बाँ-धन्धी की होती थी 1 इस क्षेत्र की जमीन-उपजाऊ नहीं होने के कारण राज्य में बहुत समय तक “भाग” की प्रथा थी। किसान अपनी उपज पर खर्च काटकर जो कुछ बचता था उसका दसवां भाग भूमिकर के रूप में देता था।² इसके पश्चात् लगान “भाग” के स्थान पर रुपयों में निर्धारित किया गया। इस बन्दोबस्त में राज्य में व 974000 एकड़ भूमि कृषि योग्य पायी गई।³ रीवा राज्य की भूमि दो हिस्सों में बटी थी, जमीन का एक हिस्सा रीवा दरबार के कब्जे में था। जिसका प्रबंध रैयतवारी प्रणाली के आधार पर था। इस प्राकर की जमीन को कोठार कहते थे। जमीन का दूसरा हिस्सा “पवाई” का था, जो इलाके दारो और पवाईदारो के अधीन था।⁴ उस समय इस क्षेत्र में “हरवाही प्रथा” प्रचलित थी। हरवाहजातियों, द्वारा

* अतिथि शिक्षक इतिहास, जनता महाविद्यालय रीवा (म.प्र.), मोबा. नं. 8447739333

कृषि कार्य सम्पन्न किये जाते थे। उद्यमों में खेती उत्तम समझी जाती है :-

**“उत्तम खेती, मध्यमवान्
निकृष्ट चाकरी, भखि निदान।”**

इस कहावत की सच्चाई एक उदाहरण से भी अच्छी तरह सिद्ध होती है कि कुनबी जाति के मनुष्य यहाँ के सब से अच्छे और खुशहाल किसान हैं, क्योंकि खेती का अपना काम वे अपने हाथों से करते हैं। ऋतु के अनुसार खेती की दो फसले पहली खरीफ या 'सियारी' मई से अक्टूबर तक, इसमें जोन्हरी धान कोदो और कपास इत्यादि बोये जाते हैं, दूसरी रबी या उन्हारी अक्टूबर से मार्च तक इसमें गेहूँ चना अलसी और जवा इत्यादि बोये जाते थे। नक्षत्र साधारण हिन्दुओं के इस देश के किसानों के अनुसार सूर्य भगवान के आद्री नक्षत्र में पहुँच जाने पर वर्षा ऋतु का उचित समय पर प्रारंभ होना कहा जाता है। अच्छी वृष्टि के लिए मृगशिरा नक्षत्र के अंत के नौ दिनों में बहुत ही अधिक गर्मी पड़नी चाहिये, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जिस दिन आद्री नक्षत्र होती है उस दिन से नौ दिन तक अर्थात् चित्रा के नक्षत्र तक का समय नवतपा कहा जाता है। लोगों का अनुमान है कि नवतपा तक में जिस दिन पानी कुछ बरस देता है, उस दिन जो नक्षत्र हो, उस नक्षत्र पर सूर्य के आने पर बरसात में पानी नहीं बरसेगा तथा नवतपा की जो नक्षत्र खूब तपेगी बरसात में उस नक्षत्र भर में खूब वृष्टि होगी।

आद्री से जोताई—बोआई प्रारंभ होती है। पुनर्वसु से धान की बोआई विशेषतः लेव की प्रणाली से प्रारंभ की जाती है। इस नक्षत्र में वृद्धि अधिक होनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र को किसान 'चिरैया' भी कहते हैं। इसमें छोटी-छोटी पक्षियाँ मुख्यता गौरैया बहुत ध्यानपूर्वक देखी जाती है। श्लेषा नक्षत्र में किसान वृष्टि कम चाहते हैं। रबी या ओन्हारी की फसलों की तैयारीके लिये वे इस नक्षत्र में खेतों की जुताई करवाते हैं। 5 मघा नक्षत्र में यदि वृष्टि हल्की हुई, तो खेतों में उपस्थित खरीफ फसल के गल्ले को लाभ पहुँचता है तथा रबी के लिए जो खेत तैयार किये जाते हैं, वे नम

और मुलायम पड़ जाते हैं। पूर्वा का जल बहुत ही हानिकारक समझा जाता है, इस नक्षत्र में एक या दो हल्की वृष्टि से अधिक जल न होना चाहिए। उत्तरा में बहुत ही हल्की वृष्टि की आवश्यकता होती है। हस्त में वृष्टि न्यून और हल्की होनी चाहिए, इस नक्षत्र में अधिक वृष्टि कपास जुआर और तिली इत्यादि की खड़ी फसल के लिये हानिकारक होती है। चित्रा नक्षत्र में वर्षा की कुछ भी आवश्यक नहीं रह जाती है, इस नक्षत्र में पानी बरसने से लाभ के बदले हानि ही हानि होती है। स्वाती में एक या दो बहुत हल्की वृष्टि हो जाय तो लाभ होता है। 6

खेती की रीति वर्षारंभ होने के कुछ ही पहले से खेत जोत कर बोने के लिए तैयार किये जाते हैं। राज्य के किसी किसी हिस्से में धान बहुत अधिक बोया जाता है, धान बोने के लिये खेत तीन में से एक तरह पर तैयार किये जाते हैं। जिसे खेत में अधिक पानी लगता है, वहाँ धान "झुरिया" रीति से बोया जाता है। 'लेव लेवन' रीति की बोआई में बीज पहले किसी दूसरे खेत में उगा लिये जाते हैं, जब वे कुछ लंबे हो जाते हैं, तब वहाँ से उखाड़ कर असली खेत में खूब जोत कर लगाये जाते हैं। 7 फसलों को जानवरों में अधिक बाधा चूहों से पहुँचती है, जिस वर्ष वर्षा न्यून हुई, उस साल इनकी बहुत वृद्धि होती है। चूहों के बाद फसल को दीमार, टिड्डी और कहीं-कहीं हिरणों से भी अधिक हानि पहुँचती है। इस राज्य के व्यापार में मुख्य रूप से कृषि, जंगल और खनिज थे। 8 इनके अलावा चुंगी कर अपराधियों से जुर्माना स्वरूप प्राप्त धन और अन्यायी सामन्तों एवं मृत्यों की भूमि तथा धन छीनकर भी राजकोष की वृद्धि की जाती थी। 9 रीवा राज्य एक कृषि प्रधान था। यहां के लगभग सभी निवासी कृषि पर निर्भर थे। किसानों को अपनी उपज का थोड़ा भाग राजा को लगाने नगद या अनाज के रूप में देना पड़ता था। बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने का प्रयास किया जाता था। 10 यहां पर दो फसलें होती थीं खरीफ सियारी, रबी(उन्हारी)। रीवा राज्य का अधिकांश भाग जंगलों से घिरा है, जो 4600 वर्गमील में फैला है।

जलाऊ लकड़ी, जड़ीबूटियां कल्दमूल फल के अलावा फूलों का भी उत्पादन होता है। खरगोश की खाल से पर्स खिलौने बनाये जाते हैं। शेर की चर्बी का तेल बनाकर बेचा जाता है। जो बात की दवा के रूप में प्रयोग होता है। बारहसिंगा के सींग दवाई के रूप में इस्तेमाल की जाती है। हिरण बारहसिंगा, शेर के सिर, सींग और खाले घरों में सजाते हैं।¹¹ रीवा राज्य कृषि प्रधान राज्य था इसलिए यहां उद्योग धंधे का विकास नहीं हो पाया। लेकिन लोगों को जिन चीजों की आवश्यकता थी, उसके लिए उद्योग धंधे विकसित किए गए। सोने-चाँदी के गहने कारीगरों में इस राज्य के सुनारों का कार्य औरों की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित था। सस्ती धातु जैसे पीतल, कसकूट इत्यादि के काम करने वाले कारीगर औधिया कहे जाते हैं लकड़ी के काम में प्रमुखतया—शतरंज और चौपड़ की गोटियां घड़ी काष्ठापात्र आदि थे। यहां का बना नारियल का हुक्का काफी मशहूर था, लाख की बनी वस्तुयें राज्य के बाहर भी भेजी जाती थी। गजी नामक साधारण मोटे कपड़े की बुनाई बहुत प्राचीन समय से होती रही, कोरी जुलाहे, पनिका और लंहगीर लोग कपड़ा बुनने का कार्य किया करते थे यहां जाजिम, दरी और कालीन की अत्यन्त आकर्षक छपाई की जाती थी, वास्तव में जो लोग जिस जीति के होते थे, तो अपनी ही जाति का काम किया करते थे। उदाहरण के लिए धोबी कपड़ा धोने का काम करता था, दर्जी कपड़ा को सिलने का, नाई बाल काटने का चर्मकार चमड़े का, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का बसोर बांस की टोकरी पंखा बनाने का कार्य करता था।¹³ लगभग 19वीं सदी तक रीवा में छोटे-मोटे उद्योग के अलावा कोई बड़ा कारखाना नहीं लगाया गया था। रीवा राज्य का वाणिज्य-व्यापार काफी उन्नति पर था यहां के वाणिज्य और व्यापार को राजाओं के द्वारा काफी संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान किया गया। राजा बाजार सजवाता था।¹⁴ सैनिक शिवरों में राज्य की ओर से बाजार खोले जाते थे।¹⁵ जिसमें विभिन्न राज्यों की बहुमूल्य-वस्तुएं मिलती थी।¹⁶ राज्य के आंतरिक व्यापार

के साथ, दूसरे राज्यों से भी व्यापार किए जाते थे। यहां के राजाओं की दूसरे राज्यों से होने वाली शायियाँ भी बाह्य व्यापार का साधन थी। जिससे व्यापारी एक-दूसरे के राज्य में आ जा सकते थे। बाहर से आने वाली चीजे थी, चीनी-मिट्टी के बर्तन, कपड़ा, मिट्टी का तेल, नमक, सुपाड़ी, चीनी आदि वस्तु आयात होती थी। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जेल की बनी कालीने सरौता, कत्था, हुक्का, पान, काठ के खिलौने लाख, चमड़ा, सुअर, मुर्गी आदि।¹⁷ राज्य में रेल और सड़कों के न होने पर, व्यापारी अपने सामान टट्टूओं में लादकर घूम-घूम कर व्यापार करते थे, ऐसे व्यापारी 'लभाना' कहलाते थे। ये लभाना साल में दो बार व्यापार करने आते थे।¹⁸ रेलों के निकल जाने से, तथा नई-नई सड़कों के बन जाने से वाणिज्य-व्यापार के मार्गों और केन्द्रों में अब असाधारण परिवर्तन हो गये यहां के बाहरी देशों मुख्यकर में गल्ला जैसे गेहूँ, चावल, लाख, जंगल की छोटी पैदावार दाल, तेलहन (तिली अलसी) रूई और घी तथा चमड़ा। राज्य के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बांधवगढ़, सोहागपुर, मैहर, रीवा, गहोरा, सतना, और अरैल थे। बांधवगढ़ में हाथियों का बहुत बड़ा बजार लगता था सन् 1440 ई. में मांडवगढ़ (मालवा) का सुल्तान महमूद खिलजी आया था, जिसका उल्लेख सिहाब हकीम ने अपने ग्रंथ 'मासिर-ए-महमूदशाही' में किया है।¹⁹ खनिज पदार्थों से रीवा राज्य सर्वथा सम्पन्न था। किन्तु 1883 ई. के पूर्व उत्खन्न की दिशा में यहां किसी भी प्रकार की शुरुआत नहीं की गयी।²⁰ मध्यकाल में चूने का पत्थर तथा अन्य रंगीन पत्थरों के आलवा किसी भी खनिज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। अतः खनिज पदार्थों में रीवा राज्य की अल्प मात्रा में लाभ मिलता था। वर्तमान में इस क्षेत्र में शहडोल और सीधी जिले में कोयले की बड़ी-बड़ी खदानें मिली हैं, जिनके बारे में बघेल नरेश नहीं जानते थे। लोहा, कुरन्द, चूने का पत्थर इत्यादि भी यहां पाये जाते थे। बिलासपुर गांव में अन्नक पाया जाता है। अमरकंटक, चँदिया और देवसर (सीधी) में रेहू पाया जाता है, जिससे काँच

बनाया जाता है। शीशा बनाने का बालूदार पत्थर डभौरा रीवा में मिलता है।

अतः इससे स्पष्ट होता है कि यहां के मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि और जंगल थे, जिससे राज्य की पर्याप्त आमदनी हाती थी, किन्तु समाज में व्याप्त आर्थिक विषयता के कारण आम आदमी की दशा अत्युन्नत सोचनीय थी। जब की दूसरी ओर राजा, जागीरदार और उच्च वर्ग के लोग शान-शौकत की जिन्दगी बसर करते थे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. प्रो. ब्रजगोपाल, डॉ एस अखिलेश, समाजवादी आन्दोलन, पृ. 17।
2. प्रकाश रीवा (देशी राज्य ग्रन्थमाला, मार्च 1931) पृ. 9।
3. प्रकाश रीवा (देशी राज्य ग्रन्थमाला, मार्च 1931) पृ. 10।
4. रीवा राज्य शासन, "रीवा राज्य" वैधानिक सुधार की रिपोर्ट 1947।
5. रीवा राज्य शासन, "रीवा राज्य" वैधानिक सुधार की रिपोर्ट पृ. 111-112।
6. रीवा राज्य शासन, "रीवा राज्य" वैधानिक सुधार की रिपोर्ट पृ. 113।
7. रीवा राज्य शासन, "रीवा राज्य" वैधानिक सुधार की रिपोर्ट पृ. 115।
8. वीरभानुदयः सर्ग 5/74-75 और 5/68।
9. वीरभानुदयः सर्ग 5/85 और 5/144
10. वीरभानुदयः सर्ग 1/49-60 12/7-14,5/68।
11. जीतन सिंह रीवा राज्य दर्पण पृ. 13।
12. जीतन सिंह रीवा राज्य दर्पण पृ. 161-172।
13. वीरभानुदय काव्यम् सर्ग 5/78,150।
14. वीरभानुदय काव्यम् सर्ग 3/10।
15. वीरभानुदय काव्यम् सर्ग 3/65।
16. वीरभानुदय काव्यम् सर्ग 3/68।
17. जीतन सिंह, रीवा राज्य दर्पण, पृ. 179
18. असद खान, बघेलखण्ड की स्थापत्य कला पृ. 2।
19. सिहाव हकीम-मासिर-ए-महमूद शाही: (फारसी) पृ. या 45।
20. जीतन सिंह, रीवा राज्य दर्पण पृ. 157।





बुनियादी शिक्षा और गाँधी दर्शन

□ डॉ. सुधा सोनी*

शोध सारांश

गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है इसके द्वारा उन्होंने मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक विकास पर जोर दिया। गांधी जी की शिक्षा बच्चों को स्वावलम्बी बनाने की थी। शिक्षण विधि में पाठ्य पुस्तकों के उपयोग के विरोधी थे वे मौखिक परीक्षा पर अधिक बल देते थे। आत्मा की शिक्षा को गांधी जी ने पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है उनका कहना है कि जैसे शरीर की शिक्षा शरीर की कसरत से, बुद्धि की शिक्षा बुद्धि की कसरत से वैसे ही आत्मा की शिक्षा आत्मा की कसरत, शिक्षक के आचरण पर आधारित है। झूठ, भय, असंयम से शिक्षक को बचना चाहिये। तभी वह शिष्यों पर कोई प्रभाव डाल सकता है।

गांधी जी के विचार आदर्श से सम्पूर्ण जीवन का दर्शन परिलक्षित होता है। गांधी जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कि मनुष्य की आत्मिक व अध्यात्मिक उन्नति हो सके गांधी जी भली भांति जानते थे कि भारतीय शिक्षा विदेशियों के हाथ में है जो उनके लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई है, इसलिये गांधी जी नवीन शिक्षा की संरचना करना चाहते थे उन्होंने एक नवीन शिक्षा पद्धति को प्रारंभ कर उसके अनुरूप शिक्षा पद्धति का सृजन किया। उनके अनुसार नव समाज की रचना तभी हो सकती है जब कि शिक्षा भी उसके अनुरूप बनाई जाये।

जब हम उनके जीवन दर्शन या शिक्षा दर्शन की बात सोचते हैं। तब हमें वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तकनीकी और नैतिक संदर्भों के विषय में सोचना होगा।

गांधी जी दार्शनिकों की श्रेणी में भी आते हैं। गांधी जी तकनीकी अर्थ में भी दार्शनिक थे “दृश्यते अनेन इति दर्शनम्” के सत्य को समझने का प्रयास करना। असत् और सत् को सूक्ष्म दृष्टि से देखना। उन्होंने सत्य और अहिंसा, नैतिक मूल्यों और शाश्वत मान्यताओं पर जो विचार व्यक्त किये वे जीवन के गहन चिंतन के परिणाम हैं। गांधी जी का जो दर्शन था उसमें विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। व्यक्ति की महत्ता आवश्यक थी और अंतकरण की मान्यता अपरिहार्य थी। गांधी जी ने देशकाल की सीमाओं से ऊपर उठकर विश्व को शाश्वत सत्य और शांति का मार्ग प्रशस्त किया।

गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है इसके द्वारा उन्होंने मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक विकास पर जोर दिया।

* प्राध्यापक इतिहास, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

गांधी जी की शिक्षा बच्चों को स्वावलम्बी बनाने की थी। शिक्षण विधि में पाठ्य पुस्तकों के उपयोग के विरोधी थे वे मौखिक परीक्षा पर अधिक बल देते थे। आत्मा की शिक्षा को गांधी जी ने पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है उनका कहना है कि जैसे शरीर की शिक्षा शरीर की कसरत से, बुद्धि की शिक्षा बुद्धि की कसरत से वैसे ही आत्मा की शिक्षा आत्मा की कसरत, शिक्षक के आचरण पर आधारित है। झूठ, भय, असंयम से शिक्षक को बचना चाहिये। तभी वह शिष्यों पर कोई प्रभाव डाल सकता है।

जीवन और शिक्षण का अटूट संबंध है ये दोनों अभिन्न हैं जैसे नदी का होना और बहना दो क्रियायें नहीं हैं, वैसे ही मनुष्य का सीखना और जीना दो अलग-अलग क्रियायें नहीं होना चाहिये गांधी जी ने यह लिखा है कि मैं यह मानता हूँ कि बुद्धि का सच्चा शिक्षण तभी हो सकता है जब शरीर के विभिन्न अंगों उदाहरणार्थ हाथ, पैर, आंख, कान, नाक को अभ्यास तथा प्रशिक्षण मिले दूसरे शब्दों में बुद्धिमत्तापूर्वक बच्चों के शारीरिक अंगों का उपयोग से सर्वोत्तम तथा शीघ्रता शीघ्र अपने मानसिक विकास करने का मार्ग उपलब्ध करता है। इस तरह गांधी जी शिक्षा के लिये शारीरिक श्रम आवश्यक मानते थे उनका विश्वास था कि श्रम से छात्रों में सहयोग की भावना अनुशासन एवं नम्रता का भाव जागृत होता है।

गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन किया जो आधुनिक शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है जब कि उच्च शिक्षा को बुनियादी शिक्षा में सम्मिलित नहीं किया।

शिक्षा संबंधी अपने विचारों से देशवासियों को अवगत कराने के लिये गांधी जी ने जुलाई सन् 1937 में हरिजन नामक समाचार पत्र में लेखों की लम्बी श्रृंखला प्रकाशित की।

11 अगस्त 1937 के हरिजन समाचार पत्र में प्रांतीय संस्कारों को 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेने का सुझाव दिया।

इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था इसके अंतर्गत विद्यार्थी को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्याध्ययन करवाया जाता था।

22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में मारवाड़ी शिक्षा मण्डल की रजत जयंती मनाई जाने वाली थी। श्रीमन् नारायण अग्रवाल इसके आयोजक थे गांधी जी ने इस अवसर पर भारत के सातों कांग्रेस मंत्रीमण्डलों के शिक्षा मंत्रियों और देश के चोटी के शिक्षा शास्त्रियों, विचारकों और राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है।

इस वर्धा योजना को नई बुनियादी शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा के नामों से भी शिक्षा के बारे में गांधी जी का दृष्टिकोण वस्तुतः व्यवसायपरक था इनका मत था कि भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ धनोपार्जन भी कर लेना चाहिये। जिससे वे आत्म निर्भर बन सकें। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना बनाई थी। शिक्षा को लाभदायी एवं अल्पव्ययी करने की दृष्टि से सन् 1936 ई. में उन्होंने भारतीय तालीम संघ की स्थापना की। इस सम्मेलन का सभापतित्व स्वयं गांधी जी ने किया। सभापति के अध्यक्ष पद से बोलते हुये गांधी जी ने तत्कालीन शिक्षा का अपव्ययपूर्ण एवं हानिप्रद बताया।

बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम—

गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में आधारभूत शिल्प (कताई, बुनाई, काष्ठ शिल्प, बागवानी, चर्मशिल्प या अन्य कोई) मातृभाषा गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान कला, संगीत, तथा हिन्दुस्तानी संस्कारों को सम्मिलित किया। उनके पाठ्यक्रम में आधारभूत शिल्प कृष्ण, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, (खिलौने और बर्तन बनाना) वास्तु कला, कागज और कार्ड बोर्ड का काम, मछली पालना, फल और सब्जी की बागवानी, गृह विज्ञान, (केवल महिलाओं के लिये) स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त

और शिक्षा प्रद हस्तशिल्प भी समाहित था। उन्होंने मातृभाषा गणित, सामाजिक अध्ययन, (भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र) सामान्य विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायनशास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, अन्वेषको और वैज्ञानिकों की कहानियां।

कला के अंतर्गत संगीत और चित्रकला हिन्दी भाषा, जहां मातृभाषा नहीं है वहां अन्य भाषायें, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और खेलकूद, सम्मिलित थे।

पाठ्यक्रम का समय निर्धारण—

गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में छात्रों के अध्ययन की अवधि को निम्नानुसार विभक्त किया था।

शिल्प	—	3 घंटा 20 मिनट
संगीत कला व गणित	—	40 मिनट
मातृभाषा	—	40 मिनट
सामाजिक अध्ययन व सामान्य विज्ञान	—	30 मिनट
शारीरिक शिक्षा	—	10 मिनट
अल्पावकाश	—	10 मिनट

यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं विभिन्न राष्ट्र नेताओं शिक्षा विदों ने महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत बेसिक शिक्षा योजना को स्वीकार किया किन्तु कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की।

बेसिक शिक्षा की विशेषता—

1. गांधी जी की बुनियादी शिक्षा कताई बुनाई और धुनाई के सामान प्राचीन उद्योगों को महत्व देती है। इससे हस्त शिल्प का विकास होना निश्चित था।

2. यह शिक्षा आधारभूत शिल्प और बालक के विकास को अग्रसरित करती।

3. यह शिक्षा बाल केन्द्रित न होकर शिल्प केन्द्रित थी।

4. यह शिक्षा बालकों में रुचियों और अभिरुचियों को ठीक ढंग से विकसित होने में सहायक होती।

5. यह शिक्षा बालकों को स्वयं रोजगार की ओर उन्मुख करती।

6. इस शिक्षा प्रणाली में नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा के साथ क्षेत्रीय सद्भाव एवं राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती।

संदर्भग्रंथ सूची—

1. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी—वैल्यूम 11, पृ. 25
2. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खण्ड—66, पृ. 152
3. दैनिक राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र, आलेख, गांधी एक पुर्नमूल्यांकन रविवार 2 अक्टूबर 1994.
4. भारतीय शिक्षा का इतिहास प्रो. एस.पी. गुप्ता, डॉ. अल्का गुप्ता, पृ. 103
5. भारत में शैक्षिक पद्धति का इतिहास, डॉ. मनीष दुबे, डॉ. विभा दुबे, पृ. 121
6. <https://hi.m.wikipedia.org/wiki/>
7. <https://hi.m.wikipedia.org/wiki/òèkkZ->
8. भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, पी.डी. पाठक, पृ. 106.





भगवान के अवतारों की व्यापकता

□ कोमल अग्रवाल*

शोध सारांश

सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया उसमें दस इन्द्रियाँ, एक मन और पञ्च भूत—ये सोलह कलाएँ थी। यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश हैं—इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु—पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है।

भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह—तरह की अलौकिक लीलाएँ करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दाहिका शक्ति जला देती है, ऐसे ही भगवान् स्वयं कुछ नहीं करते उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है।

अवतार का अर्थ है 'नीचे उतरना'। प्रकट होना। अवतीर्ण होना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए एक स्थान विशेष में अवतार लेकर मुख्य स्वरूप से नये स्वरूप में आते हैं।

भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन—

जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग—युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय स्वयं अपने अवतार का अवसर एवं प्रयोजन बतलाया है—

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥”

(श्रीमद्भगवद्गीता 4/7-8)

जब—जब आवश्यकता पड़ती है तब—तब भगवान अवतार लेते हैं अर्थात् जब—जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब—तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है— धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वभाविक पतन होता है। इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं।

* सीनियर रिसर्च फेलो, संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोबाइल न. — 7597220806

“परित्राणाय साधूनाम्” साधु मनुष्यों की रक्षा करने के लिए (उनको अधर्म से बचाने के लिए) दुष्टों का विनाश करने के लिए (अधर्म को नष्ट करने के लिए) और धर्म की पुनः स्थापना के लिए (शाश्वत धर्म की संस्थापना करने के लिए) भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक युग में भगवान अवतार लेते हैं।

महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तक ऋषि से अवतार धारण करने का कारण बताया है—

**“धर्म संरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च।
तैस्तैर्वर्षेभ्य रुषेभ्य त्रिषु लोकेषु भार्गव॥”**

(महाभारत, आश्व. 54/13/17)

“मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन-उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ।”

स्पष्ट है भगवान का अवतार जगत के कल्याण के लिए अपने अनन्य भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही होता है।

भगवान की व्यापकता—

भगवान अनन्त है भगवान के अवतार भी अनन्त, इनके अवतारों की गणना करना अकल्पनीय है। श्रीरामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है—

**हरि अनंत हरि कथा अनंता।
कहहिं सुनहिं बहुबिधि सब संता॥**

जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे-छोटे नाले निकतले हैं वैसे ही सत्व निधि भगवान श्री हरि के अंसख्य अवतार हुआ करते हैं। कहीं भगवान के दश अवतारों का वर्णन मिलता है, तो कहीं 22 तो, कहीं कहीं 24 अवतारों का वर्णन मिलता है।

भगवान कण-कण में व्याप्त है और सर्वत्र विद्यमान है। जहाँ कहीं भी भगवान का वास है और वह हमें दिखाई देता है वही भगवान का अवतार है। श्रीमद् भगवत् गीता में श्री कृष्ण ने अपने स्वयं का विराजमान होने का प्रमाण दिया है।

**“यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणशयति॥”**

(श्रीमद्भगवत्गीता 6/30)

भगवान कहते हैं जो भक्त सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, देवता, यश, राक्षस, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में मेरे को देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूँ, कहाँ छिपूँ, और किसके पीछे छिपूँ। मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता उसके सामने ही रहता हूँ। इसलिए भगवान सर्वत्र विद्यमान है। माने तो प्रत्येक जीवमात्र भगवान का ही अवतार है। भगवान हर स्वरूप में है।

वेदव्यास जी ने श्रीमद्भगवत् में भगवान की व्यापकता के लिए कहा है—

**“अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम्।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्॥”**

(श्रीमद्भागवत 2/9/32)

भगवान कहते हैं सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखाई देता है, वह भी मैं ही हूँ। सत्, असत् तथा सत् असत् से परे जो कुछ हो सकता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है, वह भी मैं ही हूँ।

भगवान ने श्रीमद्भागवत्गीता में अर्जुन को स्वयं को अपनी उत्पत्ति का महाकारण बताया है—
“मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदपि धनञ्जय।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥” 7/7

अर्थात् हे अर्जुन मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। यह सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है अर्थात् मैं ही सारे संसार में व्याप्त हूँ।

भगवान अपनी व्याप्तता बताते हुए कहते हैं
**“रसो ऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्यि शशिमूर्ययोः।
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु॥**

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्यास्मि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥”

(श्रीमद्भगवतगीता 7/8-9)

अर्थात् जलों में रस हूँ। चन्द्रमा और सूर्य में, तेज हूँ, सम्पूर्ण वेदों में प्रणव (ओंकार) मेरा स्वरूप है, आकाश में शब्द में ही हूँ। मनुष्यों का पुरुषार्थ मेरा ही स्वरूप है।

पृथ्वी में पवित्र गन्ध में हूँ, अग्नि में तेज में ही हूँ। सम्पूर्ण जीवों की प्राण शक्ति में ही हूँ। तपस्वियों का तप में ही हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धि भी मैं ही हूँ। यह शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है— जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु। इनकी पंच तन्मामाओं में— रस, गंध, शब्द, रूप, स्पर्श इनमें भी भगवान की व्याप्ता है।

गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं— “अहं बीजप्रदः पिता” मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ।

क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मन्त्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन क्रिया भी मैं हूँ, पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस सम्पूर्ण जगत् का पिता, धाता, माता, पितामह, भर्ता, प्रभु, साक्षी, आश्रय, सुहृद्, उत्पत्ति, प्रलय और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ— ‘बीजमत्ययम्’। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षारूप से बरसा देता हूँ, अभूत और मृत्यु तथा सत् और असत् भी मैं ही हूँ— वासुदेवः सर्वम्। अतः भगवान की व्यापकता सर्वत्र है।

भगवान की विभूतियाँ –

भगवान् की विभूतियाँ अति विशिष्ट हैं। भगवान् अवतार नहीं होकर विभूतिरूप है। भगवान् की विभूतियों का आदि, मध्य और अन्त नहीं है। श्रीमद्भगवतमहापुराण के द्वितीय स्कन्ध के प्रथम अध्याय में श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उपदेश करते हुए कहते हैं कि विराट्पुरुष भगवान् विष्णु के नेत्र अन्तरिक्ष है, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है दोनों पलकें रात और दिन हैं। तालु जल हैं और जिह्वा रस है। समुद्र कोख है और बड़े-बड़े पर्वत उनकी हड्डियाँ हैं। विश्वमूर्ति

विराट् पुरुष की नाडियाँ ही नदियाँ हैं, वृक्ष रोम हैं, वायु श्वास है। बादल केश हैं। सन्ध्या उनका वस्त्र है, मन चन्द्रमा है। घोड़े, खच्चर, ऊँट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग, पशु उनके कटिप्रदेश हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएँ वैश्य जंघाएँ और शूद्र उन विराट् पुरुष के चरण हैं।

श्रीमद्भगवतगीता में भगवान् ने अर्जुन को अपनी बयासी विभूतियों का वर्णन किया है—

“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥”

(10/20)

हे अर्जुन! सम्पूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अन्त में मैं ही हूँ और सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। मैं अदिति पुत्रों में विष्णु हूँ, प्रकाश मान वस्तुओं किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चन्द्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इन्द्र हूँ, इन्द्रियों में मन हूँ, और प्राणियों की चेतना हूँ, रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मेरा ही स्वरूप है, सेनापतियों में कार्तिकेय, और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु, वाणियों में प्रणव मैं हूँ, सम्पूर्ण यज्ञों में जपयज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ, सम्पूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गन्धर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिलमुनि मैं हूँ।

घोड़ों में उच्चै श्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। आयुधों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ, सन्तान उत्पत्ति का कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकि मैं हूँ। नागों में शेषनाग और जल जन्तुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्धमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रह्लाद और ज्योतिषियों में काल मैं हूँ, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्र धारियों में राम मैं हूँ। जल वस्तुओं में मकर मैं हूँ और नदियों में गंगा मैं ही हूँ

सम्पूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अन्त मैं हूँ विद्याओं में ब्रह्मविद्या और शास्त्रार्थ करने वालों का वाद भी मैं ही हूँ।

अक्षरों में अकार और समासों में द्वन्द्व समास मैं हूँ, काल का भी महाकाल तथा सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा धृति और क्षमा मैं ही हूँ।

सामवेद मे भी बृहत्साय, छन्दों में गायत्रीछन्द, बारह महीनों में मार्गशीर्ष, छः ऋतुओं में वसन्त मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। विजय मैं हूँ तो मनुष्यों का निश्चय, सात्विक भाव मैं ही हूँ। वृष्णिवंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पाण्डवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, दुष्टों के लिए दण्डनीति हूँ, विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ, गोपनीय भावों में मौन हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ सम्पूर्ण प्राणियों का बीज भी मैं ही हूँ, चर और अचर सब कुछ मैं ही हूँ।

समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि, तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इन्द्र तथा इनके सिवाय जो कुछ है ये सब की सब भगवान विष्णु की ही विभूतियाँ हैं।

“संख्यानं परमाणूनां कालेन कियते यथा ।
न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽघ्नानि कोटिशः ॥”
(श्रीमद्भगवतमहापुराण 11/16/39)

यह जो कुछ भी जगत देखने या सुनने में आता है, इस सबको बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं।

“यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।
अन्तर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्नु नारायणः स्थितः ॥”
(महानारायणोपनिषद् 11/6)

अन्त में भगवान कहते हैं मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अन्त नहीं है।

“नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ।”
इसलिए भगवान श्रीकृष्ण को जगद्गुरु कहते हैं—

वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्मर्दनम् ।
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगतगुरु ॥

सन्दर्भ ग्रंथ सूची—

1. श्रीमद्भगवतगीता— साधक—संजीवनी, स्वामी रामसुखदास, गीताप्रेस गोरखपुर
2. श्रीभागवत—सुधासागर (शुकसागर), गीताप्रेस गोरखपुर





मध्य प्रदेश का फसल प्रतिरूप (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

□ प्रभाक्षी तिवारी*

शोध सारांश

मध्यप्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, यहां प्रारंभ से ही खाद्यान्न फसलों की ही प्रधानता रही है, परंतु वर्तमान समय में कृषक आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यावसायिक फसलों के उत्पादन की ओर अग्रसर हो रहा है। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत मुख्यतः गेहूँ, चावल, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर इत्यादि को बहुतायत से बोया जाता है। एवं साथ ही साथ व्यावसायिक फसलों जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, कपास, रबर, फल एवं सब्जियाँ एवं मसालों का भी उत्पादन क्षेत्र बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में फसलों के प्रतिरूप को ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों ने बहुत अधिक सीमा तक प्रभावित किया है। सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से भी कृषकों को सहायता उपलब्ध करवाकर किसानों की आर्थिक सहायता कर फसल प्रतिरूप को परिवर्तित किया जाना संभव हो सका है।

मुख्य शब्द :- फसल प्रतिरूप, खाद्यान्न, व्यावसायिक, उत्पादन, मध्य प्रदेश आदि।

प्रस्तावना :-

मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि का अध्ययन मुख्यतः फसलों की नींव पर आधारित होता है, अतः सर्वप्रथम फसलों के प्रतिरूप को जान लेना अतिआवश्यक है। फसलों के प्रतिरूप के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष में उगाई जाने वाली फसलों के क्षेत्रानुपात के बारे में पता लगाया जाना शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति करता है। फसल प्रतिरूप में परिवर्तन का कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के अध्ययन को भी शामिल किया जाना संभव हो सका है।

फसल प्रतिरूप में परिवर्तन से ही यह ज्ञात हुआ है कि कृषक विशेष समयावधि में किन-किन फसलों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी करते हैं एवं उसके कारण परिणाम संबंध के माध्यम से को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।

शोध का उद्देश्य :- प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है।

1. मध्यप्रदेश के फसल प्रतिरूप को स्पष्ट करने का उद्देश्य यह है कि मध्यप्रदेश में किसानों द्वारा बोई जाने वाली फसलों का स्वरूप क्या है, इसका पता लगाना।

* शोधार्थी, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

2. उन फसलों के स्वरूप में किस प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है।

3. किसानों के द्वारा खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन को बढ़ावा दिए जाने के कारणों का पता लगाना।

4. फसलों के स्वरूप को कौन से कारक निर्धारित करते हैं एवं उन कारकों का फसलों के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है।

शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध पत्र में मुख्यतः द्वितीयक समंको के माध्यम से विश्लेषण का कार्य किया गया है। संपूर्ण मध्यप्रदेश को समग्र के रूप में लिया गया है, एवं उसी के आधार पर फसलों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण एवं अवलोकन पद्धति का भी प्रयोग किया गया है, जिससे कि सूक्ष्मता के समीप पहुँचा जाना संभव हो सका है। प्राथमिक समंकों के माध्यम से फसल प्रतिरूप के संबंध में किसानों से फसल उत्पादन के संबंध में उनके द्वारा अपनाये जाने वाले फसलों के स्वरूप को जानने का प्रयास किया गया है।

शोध पत्र का मुख्य भाग :-

फसल प्रतिरूप से आशय किसी निश्चित समयावधि में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल के अनुपात से है। तथा इसके अंतर्गत फसलों के बोए गए क्षेत्र के अनुपात में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। फसलों के प्रतिरूप का अध्ययन कई आधारों पर किया जाता है, कहीं-कहीं इनका अध्ययन खरीफ एवं रबी की फसल के रूप में किया जाता है।, तो कहीं-कहीं खाद्यान्न फसल एवं व्यावसायिक फसल के आधार पर किया जाता है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः इसी स्वरूप को अपनाया गया है, अतः जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूँ, चावल, जौ, तुअर, चना, मक्का, उड़द, मूँग, मसूर, अरहर इत्यादि फसलों को सम्मिलित किया जाता है जबकि व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कपास, सोयाबीन, मूँगफली, गन्ना,

पटसन, चाय, तंबाकू, रबड़ इत्यादि को बोया जाता है।

किसी भी क्षेत्र में फसलों के स्वरूप को उसका प्राकृतिक स्वरूप मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फसलों को उगाए जाने के संदर्भ में किसी भी क्षेत्र की भूमि संबंधी विशेषताएँ, जलवायु संबंधी परिवर्तन, सिंचाई की सुविधाएँ इत्यादि कारक प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप म.प्र. में सोयाबीन की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित की जाती है यह भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का 45.54 प्रतिशत भाग उत्पादित करता है, सोयाबीन के संदर्भ में फसलों के बोए गए क्षेत्र के अनुपात का अध्ययन 51 जिलों की वस्तुस्थिति के अनुसार किया गया जिससे कि यह स्पष्ट हुआ कि सोयाबीन को उन जिलों में बहुतायत से बोया जाता है, जहाँ कि जलवायु एवं मिट्टी संबंधी विशेषताएँ एवं अन्य दशाएँ सोयाबीन की फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं एवं उन जिलों में सोयाबीन का अधिक उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन राज्य के मालवा क्षेत्र में ज्यादातर बोया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सोयाबीन के उत्पादन संबंधी दशाएँ अधिक अनुकूल हैं।

किसी भी क्षेत्र का फसल प्रतिरूप वहाँ के यातायात के साधन, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी सुविधाएँ मिट्टी एवं जलवायु संबंधी सुविधाओं से भी प्रभावित होता है।

फसलों के स्वरूप को मुख्यतः फसलों का मूल्य एवं उसमें उपयुक्त होने वाली लागत भी प्रभावित करती है। किसान उन फसलों का उत्पादन ज्यादा करते हैं। जो कि लागत-लाभ विश्लेषण की दृष्टि से खरी उतरे अर्थात् जिनकी लागतें कम हों एवं लाभ ज्यादा हो।

फसलों के स्वरूप को खेत का आकार भी प्रभावित करता है। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि बड़े कृषकों की तुलना में मध्यम कृषकों के द्वारा व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कम क्षेत्र प्रयोग में लाया जाता है।

वर्तमान समय में कृषकों का झुकाव खाद्यान्न फसलों की तुलना में व्यावसायिक फसलों की ओर अधिक बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य से किसानों के द्वारा गन्ना, कपास,

मूंगफली, सोयाबीन, फल एवं सब्जियाँ, मसालें इत्यादि का उत्पादन ज्यादातर किया जा रहा है।

भारत के संदर्भ में वर्ष 2010 के आंकड़ों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से स्पष्ट होता है कि देश में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल 25 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में आंकड़ों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि राज्य में अखाद्यान्न फसलों की तुलना में खाद्यान्न फसलों की वृद्धि दर ज्यादा रही है। राज्य में वर्ष 2005–06 में कुल खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल 11887 हजार हेक्टेयर था, जो कि वर्ष 2012–13 में बढ़कर 14368 हजार हेक्टेयर हो गया। अर्थात् वर्ष 2005–06 से वर्ष 2013–14 की अवधि में खाद्यान्न फसलों की वृद्धि दर 20.8 प्रतिशत रही है। जबकि इसी समयावधि में व्यावसायिक फसलों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि वर्ष 2005–06 में कुल अखाद्य फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल 8665 हजार हेक्टेयर हो गया। अर्थात् उपर्युक्त समयावधि में अखाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल की वृद्धि दर 18.93 प्रतिशत थी जो कि खाद्यान्न फसलों की वृद्धि दर की तुलना में कम है। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में अखाद्यान्न फसलें अर्थात् व्यावसायिक फसलों की तुलना में खाद्यान्न फसलों की ही प्रधानता है।

राज्य में वर्ष 2009–10 से 2012–13 की अवधि में दलहनी फसलों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट

होता है कि यहां अरहर के संदर्भ में बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि दर 8.51 प्रतिशत रही एवं चना के संदर्भ में 3.91 प्रतिशत रही। जबकि तिलहनी फसलों के संदर्भ में राई एवं सरसों की वृद्धि दर 3.51 रही, जबकि सोयाबीन की वृद्धि दर 4.28 प्रतिशत रही। एवं गन्ना के संदर्भ में यह वृद्धि दर 7.50 प्रतिशत एवं कपास के संदर्भ में 0.61 प्रतिशत रही। चावल के संदर्भ में वृद्धि दर 4.31 प्रतिशत रही एवं मक्का के संदर्भ में 1.64 प्रतिशत रही। परंतु गेहूँ के संदर्भ में यह वृद्धि दर सर्वाधिक रही। जो कि 8.40 प्रतिशत रही। अर्थात् वर्ष 2009–10 से वर्ष 2012–13 की अवधि में फसलों के बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि दर का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि यह वृद्धि दर खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में सर्वाधिक रही है।

फसल प्रतिरूप को यदि रीवा जिले के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ यह देखा गया है कि जिले में व्यावसायिक फसलों की तुलना में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र अधिक है। रीवा जिले में बोई जाने वाली फसलों में मुख्यतः धान, ज्वार, मक्का, बाजारा, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, सोयाबीन, गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि फसलों को शामिल किया गया है। फसल कटाई प्रयोग के आधार पर रीवा जिले की विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल का वर्णन नीचे दी गई तालिका के माध्यम से किया गया है।

तालिका क्रमांक 1

फसल कटाई प्रयोग के आधार पर क्षेत्राच्छादन हजार हेक्टेयर में

क्र.	फसल का नाम	क्षेत्राच्छादन (हजार हेक्टेयर में)			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	धान	135.8	121.25	117.14	116.46
2.	ज्वार	12.00	13.61	13.04	8.50
3.	मक्का	3.6	2.4	4.12	1.07
4.	बाजरा	1.4	1.92	0.3	0.32
5.	अरहर	39.5	36.9	45.1	32.9
6.	मूंग	6.3	5.9	10.08	6.41
7.	उड़द	17.00	15.6	19.25	16.82
8.	तिल	7.0	5.15	8.20	5.38
9.	सोयाबीन	54.7	53.8	40.92	32.18
10.	गेहूँ	199.00	161.9	179.85	163.11
11.	जौ	2.00	4.72	4.62	5.34
12.	चना	51.00	62.64	55.7	55.45
13.	मसूर	40.00	34.13	32.78	24.44
14.	मटर	0.87	0.96	0.97	1.25
15.	सरसों	9.00	13.49	11.7	8.86
16.	अलसी	7.00	15.41	12.8	10.16
17.	अन्य	3.50	1.91	1.24	1.00
	योग	590.47	551.69	547.81	489.65

स्रोत :- उपसंचालक, किसान कल्याण तथाकृषि विकास जिला-रीवा (म.प्र.)

उक्त तालिका का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 रीवा जिले में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्राच्छादन खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूँ का रहा है। जो कि 199 हजार हेक्टेयर था, इसके पश्चात् धान का सर्वाधिक क्षेत्राच्छादन 135.8 हजार हेक्टेयर था। यदि व्यावसायिक फसलों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, उनमें से सोयाबीन फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल सर्वाधिक रहा जो कि 54.7 हजार हेक्टेयर था। दलहनी फसलों के अंतर्गत चना के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल अन्य फसलों की तुलना में अधिक था जो कि 51 हजार हेक्टेयर पाया गया। इसके पश्चात् क्रमशः मसूर एवं अरहर के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल क्रमशः 40 हजार हेक्टेयर एवं 39.5 हजार हेक्टेयर हो गया। मोटे अनाजों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल ज्वार का रहा जो कि 12 हजार हेक्टेयर था, इसके पश्चात् मक्का एवं बाजारा के अंतर्गत क्षेत्रफल क्रमशः 3.6 हजार हेक्टेयर एवं 1.4 हजार हेक्टेयर पाया गया। वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में ज्वार, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जबकि अन्य सभी फसलों के बोए गए क्षेत्रफल में कमी हुई है।

उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण वर्ष 2015–16 की वर्ष 2017–18 के संदर्भ में तुलना करने से यह ज्ञात होता कि वर्ष 2016–17 में मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, मटर इत्यादि फसलों के क्षेत्राच्छादन में वृद्धि हुई है जो कि क्रमशः 4.12 हजार हेक्टेयर 45.1 हजार हेक्टेयर 10.08 हजार हेक्टेयर, 19.25 हजार हेक्टेयर, 0.97 हजार हेक्टेयर हो गया जबकि इन फसलों के अलावा तालिका में वर्णित अन्य फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल में कमी हुई है। उक्त फसलों का वर्णन वर्ष 2016–17 से 2017–18 के संदर्भ में तुलना करने से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 में केवल जौ, बाजरा एवं मटर के बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। एवं अन्य फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल में कमी हुई है। उक्त तालिका के माध्यम से विभिन्न फसलों के संदर्भ में विश्लेषण करने से किसानों के द्वारा समय-समय पर बोई जाने वाली फसलों के स्वरूप में परिवर्तन परिलक्षित होता है, जिससे फसल प्रतिरूप में परिवर्तन को भी समझा जा सकता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन को विभिन्न जलवायु एवं मिट्टी संबंधी अन्य दशाएं प्रभावित करती हैं। अर्थात् यह स्पष्ट होता है कि जिन वर्षों में वर्षा की मात्रा की अधिकता रही है, उन वर्षों में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों का क्षेत्राच्छादन कम रहा है। जैसे कि सोयाबीन फसल का क्षेत्राच्छादन वर्ष 2014–15 में 54.7 हजार हेक्टेयर था इस वर्ष में वर्षा का स्तर सामान्य था जबकि 2015–16 में घटकर 53.8 हजार हेक्टेयर हो गया एवं वर्ष 2016–17 में घटकर 40.92 हजार हेक्टेयर हो गया। जबकि वर्ष 2017–18 में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ जिससे कि सोयाबीन फसल के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन बहुत अधिक घटकर 32.18 हजार हेक्टेयर हो गया क्योंकि वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की

तुलना में वर्ष 2017–18 में वर्षा का स्तर अत्यधिक था, जोकि सोयाबीन की फसल के बोए जाने के लिए उपयुक्त नहीं रहा अर्थात् वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2017–18 में सोयाबीन के अन्तर्गत क्षेत्राच्छादन में 41.17 प्रतिशत की कमी देखी गई। अर्थात् इससे यह स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन एवं वर्षा संबंधी दशाओं ने फसलों के प्रतिरूप को वर्षा बहुत अधिक सीमा तक प्रभावित किया है। फसल प्रतिरूप मुख्य रूप से वर्षा पर पूर्णतः आधारित होती है।

निष्कर्ष :- अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है मध्यप्रदेश में फसलों के प्रतिरूप का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि यहां आज भी व्यावसायिक फसलों की तुलना में खाद्यान्न फसलों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में फसल के प्रतिरूप को स्पष्ट करते हुए फसलों के स्वरूप को आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषित कर स्पष्ट किया गया है। फसलों के प्रतिरूप के माध्यम से विभिन्न फसलों के स्वरूप का अध्ययन किया जाना संभव हो सका है।

संदर्भ :-

1. डॉ. जैन एस.जी. डॉ. माहेश्वरी पी.डी. कृषि अर्थशास्त्र
2. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2017–18
3. मध्यप्रदेश का कृषि आर्थिक सर्वेक्षण 2016
4. योजना – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार सूचना भवन, जी जी ओ कॅम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003
5. कुरुक्षेत्र— सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार सूचना भवन, जी जी ओ कॅम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003
6. डॉ. लाल एस.एन. भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एवं विश्लेषण शिवम पब्लिशर्स।





पुराणों में वास्तु की महत्ता का जन-जीवन पर प्रभाव

- डॉ. बृजेशनाथ ओझा*
□ राजेश कुमार मिश्रा**

शोध सारांश

जिन भवनों का निर्माण एवं द्वार दक्षिण दिशा में होता है, वे सभी दोषयुक्त होते हैं और उनका कलाफल भी नेष्ट होता है। आकाश के गोले में प्रतिदिन सभी तारा, ग्रहादिकों के 24 घंटे में भ्रमण करके उसी स्थान पर प्रत्यावर्तन के जो मार्ग हैं, वे समानान्तर वृत्त के रूप में होते हैं। आकाश का यह गोल खगोल है। इस खगोल के केन्द्र से जो लम्बरेखा ग्रह मार्ग के वृत्त के समतल पर खींची जाती है, वह खगोल का अक्ष है। अक्ष के ऊपरी और निचले बिन्दुओं को उत्तरध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इस तरह जब भवन निर्माण में इन बातों का ध्यान नहीं दिया जाता तब वे दोष प्रणाली के जनक हो जाते हैं और नेष्ट फलदायी सिद्ध होते हैं। देवताओं की प्रसन्नता से वास्तुशास्त्र जनित दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। देवालय अथवा राजगृह का निर्माण बिना नियम के नहीं करना चाहिये। लोकपालों की पूजा और पीठ पर उनकी स्थापना परमावश्यक है। चारों वर्णों के लिए पीठों का विभागशः वर्णन किया गया है। इसी के अनुसार पीठों को समझकर अपने आराध्य देव की पूजा करने से शांति प्राप्ति होती है।

शब्दबीज :- पुराण, वास्तुशास्त्र, देवालय, गृहनिर्माण, जन-जीवन आदि।

मत्स्यपुराण के बिना गृहनिर्माण करना उसी प्रकार अशोभनीय लगता है, जैसे बिना प्रतिबिम्ब के दर्पण। इसलिये मत्स्यपुराण के बिना, उसके नियम के बिना उसकी मौलिक औपचारिकता के बिना घर का निर्माण करना विलोडित करने के जैसे है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उन-उन खबरों पर देखा जा सकता है जो निर्जीव होकर निरालंबित रूप में अपनी दर्दमयी गाथा का वर्णन कर रहे हैं। जिसमें शिक्षा समृद्धि व्यवहार का प्रयोग उसमें रहने वाले को नहीं मिलता। परिणामतः

एक सुसम्पन्न व्यवस्थित बनाया गया घर भूतों के निवास स्थान सा लगता है। इन सब स्वरूपों का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर ही गृह निर्माण में वास्तुशास्त्र पर गौर करने की आवश्यकता है।

वास्तुतः एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वास्तु क्या है ? तो इसका जबाव है कि वास्तु एक वैज्ञानिक कला है। इसके विषय में जनता में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसे स्पष्ट समझने के लिए वर्षों से चले आ रहे वैदिक साधु संतों के अनुभवों को

* आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, श्रीयुक्त महाविद्यालय, गंगेव जिला-रीवा (म.प्र.)

** शोधार्थी, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

आत्मसात करने की आवश्यकता है। उसी से शान्ति और सुख प्राप्त होता है। चीन, थाईलैण्ड और सिंगापुर के वास्तुशास्त्र भी विकसित हैं तथा पश्चिमी देशों में इसका प्रचार-प्रसार बहुत है। एशियाई देशों के अतिरिक्त भी वास्तुशास्त्र केवल एक आधारहीन मिथक नहीं हैं। बल्कि जो पांच तत्वों के बीच एक संतुलन है उसे प्रशस्त करने का मार्ग दिखलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित यह चुम्बकीय शक्ति, हवा और पानी की धाराओं, पर्यावरण के विद्युत धाराओं के प्रभाव तथा सौर किरणों आदि को प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है।

भारतीय वाङ्मय में मिलेनियम के सिद्धांतों के पहले ज्ञान से परिपूरित साधुओं ने स्वयं के सिद्धांतों को निर्धारित किये हैं जो सदा से मान्य हैं। वेद के एक हिस्से में वास्तुशास्त्र पर पूरा निबन्ध लिखा गया है जो बुनियादी सिद्धांतों को प्रदर्शित करने में समर्थ है। भारतीय दर्शन के अनुसार हर कण ब्रह्माण्ड का एक हिस्सा है और इसीलिए क्षुद्र तथा सार्वभौमिक बलों से प्रभावित है। वेदों में गृहों के निर्माण पर धार्मिक कृत्य करने का विधान बताया गया है। चार पुरुषार्थों की प्राप्ति भी वास्तुशास्त्र के अनुसार की जा सकती है। फेंगशुई और चीन में भी वास्तुशास्त्र की समानता पायी जाती है। ये दोनों देश सकारात्मक और नकारात्मक अस्तित्व को मानते हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि भारत में इसकी लोकप्रियता अत्यधिक है किन्तु अन्यान्य देश भी इसके महत्व से अछूते नहीं हैं।

गृह निर्माण में प्राकृतिक पर्यावरण को बाधा माना जाता वास्तुशास्त्र इन सभी में एकरूपता का मार्ग दिखलाया, जिसके कारण सार्वभौमिक बलों के व्यावहारिक ऊर्जा प्राप्त करने में हम सक्षम हुए। शान्ति, एकाग्रता, समृद्धि और सफलताके विषय में यह सिद्धान्त अडिग है और हमारे अस्तित्व के पांचों तत्वों से परिपूरित है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि हमारे शरीर में पांच तत्व विद्यमान हैं और वास्तुशास्त्र भी इन पांच तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने में दोष माना जाता है क्योंकि

उसका रक्त चाप मंद गति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उत्तर अथवा अन्यान्य दिशाओं में पैर करके सोने का विद्यान है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो एकाग्रता सम्भव नहीं होगी तथा शान्ति नष्ट हो जायेगी। अलौकिक शक्तियाँ विद्यमान हैं जिस पर विश्वास करना प्रत्येक मानव का धर्म है। ये शक्तियाँ कहीं बाहर नहीं हैं। हमारे चारों ओर रहती हैं किन्तु उनके प्रभाव को हम स्वीकार नहीं कर पाते इसीलिए नकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। वैदिक काल में हमारे पूर्वजों ने शायद इस घटना का पता लगाया था और वे भी इस ऊर्जा के प्रवाह के साथ सौहार्द स्थापित करने की कला जानते थे तथा मानवों को इसकी जानकारी पहुंचाने में समर्थ हुए।

पुराने सिद्धान्तों को समझकर उनमें विश्वास करना विकास का प्रशस्त मार्ग है। ब्राह्मण्डीय ऊर्जा के साथ मित्रता स्थापित करने से शान्ति एवं आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। वैज्ञानिक तरीकों के साथ वास्तुशास्त्र की हर विधा होने के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में भी सक्षम है। बड़े-बड़े महलों में जो बेचैनी महसूस होती है वह छोटे-छोटे भवनों में नहीं होती है, वहाँ शान्ति का अनुभव किया जाता है। ऐसा लगता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हुए भवनों में निवास करने से चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति सम्भव है।

वास्तुशास्त्र वैदिककाल का एक विज्ञान है। भारत की यह विडम्बना है कि सही अर्थों में प्रचलित वास्तु की अवधारणा को कूड़ेदान में फेंक दिया गया जिसके कारण शान्ति नष्ट हो गयी। नाकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने लगा और जीवन से सफलता सदा-सदा के लिए दूर हो गई। एक ऐसा समय आया जब वास्तु के सिद्धान्तों को अपनाने में पुनः अग्रसर हुए और सफलता प्राप्त किये। यांत्रिक सलाहकार, ज्योतिष विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, प्राणि चिकित्सक, वास्तुविद् आदि सभी इस वैदिक सिद्धान्त को स्वीकार करने लगे। पुराने सिद्धान्तों में वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करके स्वीकार किये तथा जनमानस तक पहुंचाये।

गृह निर्माण में एक समस्या आती है कि सुख और शान्ति प्रदायक गृह कैसा होना चाहिये। तो इस ग्रन्थ में यह बताया गया है कि गणपति की मूर्ति को मुख्य द्वारा पर स्थापित करके समस्त विघ्नों को दूर किया जा सकता है। ग्रहों का प्रभाव भी गृहपति के ऊपर पड़ता है। जिसकी निवृत्ति के उपाय रूप में गणपति भगवान् की अष्ट-धातु युक्त मूर्ति की स्थापना तथा इनकी शोडषोपचार विधि से पूजन करने पर सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। मत्स्यपुराण के अनुसार धार्मिक पाठ जैसे देवी भागवत अथवा अन्य पुराणों के पाठ करने से समस्त विघ्न दूर होते, ऐसी मान्यता है। यदि कोई ग्रह प्रतिकूल है तो उसे अनुकूल बनाने के लिए सम्बन्धित ग्रह की वैदिक मंत्र जप की विधि भी बताई गई है। यह विधि अपने-आप में अनुपम है इनकी इस महनीय देन को सभी ने एक स्वर से स्वीकृति प्रदान की है।

व्यास में कलात्मकदृष्टि कूट-कूट कर भरी पड़ी थी। कलात्मक सृष्टि में कवि या कलाकार दो वस्तुओं को काम में लेते हैं एक कवि या कलाकार की मनोरागात्मक सामग्री, दूसरा वह ढांचा या 'साँचा' जिसमें गढ़ कर वह अपने दिल के मसाले को भावुक सहृदय के समक्ष रखता है। प्रथम वस्तु कलासृष्टि का उपादान कारण है, दूसरी निमित्त कारण। उपादान कारण के बिना कलासृष्टि का उद्भव ही नहीं हो सकता, किन्तु जैसा सोना होगा, वैसा ही भूषण बन सकेगा, चाहे साँचा कैसा ही हो। भावात्मक उपादान की शुद्धता भूषण के खरे-खोटेपन को स्पष्ट कर देगी। गहने रोलडगोल्ड के भी बनते हैं और साँचे की कलात्मकता, नक्काशी की सुंदरता और पालिश की तड़क-भड़क से बाजी भीमार ले जाते हैं, पर पारखी के हाथ में आने पर वे उसे धोखा नहीं दे सकते। यही कारण है, कुशल कलाकार सोने की शुद्धता के साथ बाहरी ढाँचे की मनोहरता भी रखता है, पर नक्काशी की ओर इतना अधिक मोह इसलिए नहीं करता कि अधिक टॉका लगाने से कहीं सोने की स्वाभाविकता कलुषित न हो जाय। वह नक्काशी करता है, पर

जरूरत के मुताबिक कवि का सच्चा व्यक्तित्व, सच्ची सफलता व्यङ्ग्य तथा अभिव्यञ्जना के सन्तुलन ही में है।

इस पुराण में मूलरूप से वास्तुशास्त्र (गृहादिनिर्माण) से सम्बन्धित विषय का सन्निवेश किया गया है। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे आडम्बर की श्रेणी में रखने वालों की भरमार है, परन्तु इतना सत्य है कि बिना पिण्ड किये यदि भवनादि का निर्माण होता है तो वह बाधायुक्त ही होता है। अतएव इस महनीय ग्रन्थ में इन्हीं समस्त विषयों का सन्निवेश बड़ी ही कुशलता एवं वैज्ञानिकता के साथ किया गया है। मठ, मन्दिर, भवन, राजवंशों के समय के किले इत्यादि सभी सोद्देश्य होते हैं। इसी की आपूर्ति के लिए ही वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। जब उद्देश्य विहीन कार्य किया जाता है तो असफलता ही वरण करती है। कार्य का अस्तित्व शून्यवत् न हो इसके लिए भी आवश्यक है वास्तुशास्त्र परम्परा। संसार का प्रत्येक प्राणी वही कार्य करना चाहता है, जिसमें उसे आनन्द की अनुभूति होती हो। यदि उसे सुख की छाया भी न मिले तो वह उद्देश्य विहीन हो जाय और फलप्राप्ति भी असंभव हो जाय। अतएव सभी को एक लक्ष्य बनाकर तब कार्य का समारंभ करना चाहिए ताकि भविष्य में सुख और शान्ति बाधित न हो।

मत्स्यपुराणमें चित्रकला का भी वर्णन किया गया है। इस वर्णन को जानने के पूर्व अतीत की ओर जाना समीचीन प्रतीत होता है। मानव-कृत चित्रों के दो रूप मिलते हैं-पहला वनवासियों के द्वारा प्राकृतिक गुफाओं की भित्तियों पर प्रायः प्राकृतिक उपादानों से और दूसरा शिल्प के पण्डितों के द्वारा नागरिकों के लिए। वनवासियों के चित्र कब बने- इसकी गणना आजकल इतिहासविदों की बुद्धि से परे है। अतः उन्हें प्रागैतिहासिक नाम दे दिया गया है। वनवासियों को प्रकृति की रमणीय गोद में बैठकर अपने सामने प्रकृति की सौन्दर्य शालिनी छवि को देखने का अवसर नित्य ही मिलता रहा। वास्तव में उन्हीं को प्रकृति कला की ओर विशेष प्रवृत्त करती रही। प्रकृति के निकट होने के कारण

प्रकृति का अन्तःरहस्य उनके लिए सुबोध था। उन वनवासियों ने जो चित्र बनाये हैं, उनमें वन्य सौष्ठव और आर्जव का अभिनिवेश होना स्वाभाविक ही है। उन वनवासियों ने करोड़ों भित्तियों पर अपने विनोद और कला के संस्कार के लिए चित्र बनाये, जिनमें से अब इने-गिने ही नगरवासियों की आलोचना-परिधि में आने के योग्य रह गये हैं।

वैदिक संस्कृति के लोगों में चित्रकला की बहुविध प्रणालियाँ प्रचलित रही होंगी। उनमेंसे कुछ का परिचय—मात्र तत्कालीन साहित्य में मिलता है। उस समय राजसूय यज्ञ करने वाले राजा के तात्पर्य नामक वस्त्र पर यज्ञ-रूपों का चित्रण होता था। वह अवश्य ही उच्चकोटि की कला से समन्वित रहा होगा। गायों के कानों पर बाँबे केस्वधिति नामक चाकू के बहुविध चिह्न बनाये जाते थे। इन चिह्न में प्रमुख कर्करि (बाजा), दात्र (हॉसिया), सूलि (खूँटा) आदि है। कुछ लोगों का मत है कि चमड़े पर भी चित्र बनाने की विधि प्रचलित थी।

संस्कृत साहित्य का नागरिक अत्यधिक समृद्ध तथाविलासी जीवन व्यतीत करता है। उसका निवासस्थान एक छोटे से तालाब और निष्कुट से सुशोभित है। उसका धर विशाल है, वह दो भागों में विभक्त है, अन्तर्भाग स्त्रियों के लिए है। वह कपोत-पालिका, वितर्दिका, जरुय पृष्ठ आदि से सम्पन्न है। उसका शयनकक्ष दुग्धफेनधवल शय्या से सुसज्जित है, वह पुष्पमाला, सुगन्धद्रव्य, चन्दन, कर्पूर आदि की सुरभि में आप्लावित है, वहीं एक ओर वीणा टंगी है। वितर्दिका पर कई पिंजड़ों में शुक, सारिका, कपोत, चकोर आदि पक्षी चहचहाते रहते हैं और कभी-कभी पुरकामिनियों के 'मणित' में 'अन्तवासित्व' प्राप्त किया करते हैं।

उपादन की दृष्टि से गुप्तकालीन चित्रकला महत्त्वपूर्ण है। विष्णुधर्मोत्तर के चित्रसूत्र में स्तम्भ, भित्ति या छत के अन्तःपटल क यथासम्भव समतल करने के लिए वज्रलेप लगाने का विधान है। वज्रलेप के बनाने में पत्थर का चूर्ण मिट्टी, गोबर, भूसा, तिनका, सीरा आदि का मिश्रण होता था। इसको तल पर लगाकर

कर्णिका से समतल किया जाता था, सूखने के पहले इस पर चूना पोत दिया जाता था। अन्त में चित्रण के पहले उस तल पर रंग चढ़ाया जाता था।

तल पर पहले धातुराग से चित्र की साधारण रेखायें खींच ली जाती थीं। इसके पश्चात् चित्रण की प्रायः वही प्रक्रिया चलती थी, जो आजकल प्रचलित है। रंगने के लिए धातुराग, कुंकुम या सिन्दूर, हरिताल, नील, राजावर्त, कज्जल, खड़िया, गैरिक आदि काम में लाये जाते थे। रंगों के पारस्परिक मिश्रण से नये रंग बना लिए जाते थे। इस प्रक्रिया को वर्ण-संकर कहा जाता था। शंख के चूर्ण से श्वेत, दरद से शोण और आलक्तक से लाल रंग बनाये जाते थे।

गुप्तकाल में पत्थर, भित्ति, मिट्टी के बर्तन, फलक, वस्त्र, हाथीदौत और शरीर पर चित्र बनाये जाते थे। इनमें से प्रायः प्रत्येक के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था। हाथी के शरीर पर आजकल की भाँति सिन्दूर के ध्वज, शंख आदि के चित्र बनाये जाते थे। शरीर पर सुगन्धित द्रव्यों से चित्र बनाने की रीति थी। कपोल पर पत्रलेखा चित्रित करने के पहले चन्दन या शुक्लागेरु का लेप किया जाता था। फिर उस पर गोरोचन या धातुराग लगाया जाता था। चित्रण के पहले वस्त्र को धोकर मॉड से घोटा जाता था। वस्त्रों पर चित्र गोरोचन से बनाये जाते थे।

चित्रकार की तूलिका में बछड़े के कान के पास के रोये या गिलहरी की पूछ के रोये लगाये जाते थे। रेखाओं के खींचने के लिए तिन्दुक का उपयोग होता था। तिन्दुक तांबे के पतले तार से बनाया जाता था। सुदूर प्राचीन काल से ही चित्रकला-सम्बन्धी प्रकरण शिल्पशास्त्रों में मिलता है। इसके अनुसार चित्र के छः अंग हैं—रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य-योजना, सादृश्य और वर्णिकाभंग।' रूपभेद है निरूपणीय वस्तु का सर्वांगीण पर्यवेक्षण। प्रणाम के द्वारा आकार-प्रकार का ज्ञान होता है। भाव में निरूपणीय वस्तु के द्वारा प्रकटित रस-सामग्री होती है। लावण्य-योजना के द्वारा चित्र में कलात्मक चारुता की अभिव्यक्ति की जाती है। सादृश्य समानता है और वर्णिकाभङ्ग रंग भरने की कला है।

मत्स्यपुराण में भी चित्र की विशुद्धि-सम्बन्धी नियमों का विस्तार-पूर्वक आकलन किया गया है। इसमें देवताओं और मानवों की आकृतियों के चित्र-प्रमाण के नियम बतलाये गये हैं और चित्रण-सम्बन्धी सूक्ष्मता की विशेषताओं का निदर्शन किया गया है। इसके अनुसार देवताओं और राजाओं के सिर के बाल घुंघराले होने चाहिये। नारी-चित्रों में लावण्य-संयोजन के लिए उनकी आकृतियों को नवयौवन-सम्पन्न शरीर की भावभंगिमाओं के द्वारा सुघटित करने का नियम बनाया गया है। परवर्ती युग में चित्र के दो भेद-आर्द्र और शुष्क चित्र कृत्रिम या आकृत्रिम रंगों से भूतल पर, जल पर या आकाश में बनाये जाते थे।

मत्स्यपुराण में चित्रित किये गये चित्र और अजन्ता के चित्रों में बहुत कुछ साम्य दिखाई देता है। अतएव उन चित्रों का दिग्दर्शन आवश्यक है। अजन्ता के चित्रों में मानव-कल्पना के द्वारा यथासम्भव ग्राह्य सभी रमणीय वस्तुओं का निदर्शन हो सका है, चाहे ऐसी वस्तुयें धर्म की परिधि से दूर ही क्यों न पड़ती हों। इन चित्रों में इस प्रकार सार्वजनीनता और सार्वदेशिकता प्रत्यक्ष ही है।

अजन्ता के चित्रों की घटना-स्थली विविध प्रकार की है। नगर के राजप्रासाद से लेकर गांवों की कुटिया, अरण्यों की गहन गरिमा से लेकर मरुभूमि की शून्यता, सागर और महानद, सूर्य, चन्द्र, पर्वत, उपवन, वन-लता, आम्रमंजरी आदि सभी घटना-स्थली के प्रांगण में सन्निविष्ट हैं।

अजन्ता के चित्रों के द्वारा महामानव गौतम बुद्ध के जीवन-चरित्र का मानों एक महाकाव्य ही निरूपित किया गया है। जिस प्रकार गुप्तयुगीन महाकाव्यों में चरितनायक के जीवन-चरित का सूत्र लेकर विश्व की चारुतम विभूतियों को उससे उपनिबद्ध करके मानवता को रसोद्बोध के साथ ही सत्पथ का प्रदर्शन किया गया है, उसी प्रकार उन चित्रों में चरित-नायक गौतम बुद्ध के जीवन-चरित के साथ अनुप्राण्डिगक विधि से मानवता का इतिहास अनुबद्ध है।

अजन्ता के कलाकार तत्कालीन मानव-जीवन और भारतीय प्रकृति के सफल अध्येता रहे हैं। उन्होंने

जीवन-दर्शन के बल पर चित्रों को कला के उच्च तत्त्वों से अनुप्राणित करके भनव-जीवन के सन्निकट ला दिया है। तूलिका की सन्तुलित गति से मनोरम रमणी के अंग-विन्यासों का भावपूर्ण निदर्शन और बाहुओं की लोच अथवा भौंहों की विशिष्ट रेखाओं के द्वारा निगूढ रसों और भावों की अभिव्यक्ति करने में कलाकारों की अद्भुत सफलता मिली है। आंगिक मुद्राओं के द्वारा जो भाव-प्रवणता नाट्यशास्त्र में निरूपित की गई है, उसका प्रत्यक्षीकरण इन चित्रों के माध्यम से सम्भव हुआ है। पुरुष और नारी के चित्रण में पादभाग को बहुत कम महत्त्व दिया गया है। स्त्रियों के कटिप्रदेश और स्तन को विशेष समुन्नत दिखाया गया है। नारियों के अगणित भावपूर्ण आङ्गिक विन्यासों का चित्रण किया गया है। उनके शरीर को कहीं-कहीं वस्त्ररहित अथवा नाममात्र के लिए वस्त्र से आच्छादित दिखाकर आंगिक सौन्दर्य की प्राकृतिक चारुता और सौष्टव की कल्पना कराने का प्रयास किया गया है। कहीं-कहीं वस्त्रों की सजावट का चित्रण मनोरम शैली में किया गया है।

प्रायः सभी गुफाओं में चित्रण सजीव हैं। प्राणियों की सक्रिय और सचेष्ट मुद्रायें व्यक्त की गई हैं। वर्णों और उपवर्णों के हल्के-गहरे प्रयोग के द्वारा समष्टिगत वातावरण की अभिव्यक्ति की गई है और साथ ही व्यक्तिगत मनोभावों का निदर्शन है। प्रायः सभी रसों का चित्रण हुआ है तथा विभाव, अनुभाव और संचारीभावों को चित्रों में सन्निविष्ट किया गया है। कई दृश्य अनेक गुफाओं में समान रूप से चित्रित किये गये हैं। इससे उनकी लोकप्रियता सिद्ध होती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अजन्ता के कलाकारों को दिव्य गुण प्राप्त थे। गुफाओं के घोर अन्धकार में छतों के अन्तस्तल पर चित्रण करने में जिस मनोयोग और योग की आवश्यकता पड़ी होगी, उसकी कल्पना कर लेना सहज नहीं है। अन्यत्र कला के चमत्कार भी दिखाये गये हैं। जैसे छब्बीसवीं गुफा में सुख के एक चित्र को इस प्रकार बनाया गया है कि वह पूरा का पूरा दाहिने और बायें से एक समान दिखाई देता है। एक चित्र में चार हिरणों के कघड़ों के लिए एक शिर

पूर्णरूप से सुश्लिष्ट है। केश-विन्यास के चित्रण में कलाकारों ने अद्भुत धैर्य और सूक्ष्म निदर्शन का परिचय दिया है। उस युग में सैकड़ों प्रकार से केश सँवारे जाते थे।

इस भौतिक जीवन में नित नये सृजन होते रहते हैं। जो जितने ही अद्यतन होते हैं उनका उतना ही महत्व बढ़ता जाता है। वास्तुशास्त्र की परम्परा तो प्राचीन है परन्तु जब नये ढंग के माकान बनने लगे तब उन सूत्रों के व्यतिरिक्त सूत्रों की आवश्यकता होने लगी। इसी सन्दर्भ को लेकर भोजदेव ने इस सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त नये-नये सूत्रों का सूत्रपात किया, जो समाज के लिए सर्वथा उपयोगी एवं लाभदायी सिद्ध हुआ वास्तुकला के लिए विश्वकर्मा की आवश्यकता होती है क्योंकि वह ही इस गूढ़-कार्य में दक्ष होता है। परन्तु इस ग्रन्था के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि कोई भी दक्ष कारीगर समुचित गृहनिर्माण में सफल हो सकता है। यह शस्त्र-विध भी है और आवश्यकता के अनुसार भी दिशाओं आदि का ध्यान रखते हुए इस विधि को अपनाकर सफलता अर्जित की जा सकती है। समाज में इसका बहुत ही महत्व है और आशा है कि आगे और भी महत्व बढ़ता जाएगा।

नाट्यशास्त्र ने भी नाटकीय रंग मंचन में पात्र अभिनेय काल, द्रव्य सामग्री आदि अन्यान्य चीजों का समावेश कर वास्तुशास्त्र को परिवर्धित कर विकसित होने के लिये एक व्यापक क्षेत्र प्रदान किया। जिसमें चाहे पूर्व के विद्वान् हो या परवर्ती विद्वान् हों, सभी लोगों का कथन रहा है कि भूमि का आकार, आकृति एवं शल्यक्रिया, हास्तिक गर्त में जल द्वारा, भूमि शोधन दीप द्वारा, देव निवास और निर्माण में पारिमितिक क्षेत्रमिदिक समन्वयमिदिक भाव एवं भावना मिदिक तथा उद्देश्यमिदिक के आधार पर घर की बाहरी बनावट और मार्मिक साज-सज्जा यांत्रिक शैली पर निर्माण करना चाहिए जो सभी को मान्य है।

मत्स्यपुराण की मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुशास्त्र से समबन्धित कार्यों में विशेष महत्ता है। मूर्तिकला की उपयोगिता को सार्वजनिक है। मूर्तियों के धार्मिक और सात्मक उपयोगों का सामंजस्य

सिन्धु-सीयता के युग से विशेष प्रभावोत्पादक हुआ है। सिन्धु-सभ्यता के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ मन्दिरों में देवताओं के लिए उपहार-रूप में देते थे। मिट्टी की मूर्तियाँ समाधि में रखी जाती थीं। कुछ मूर्तियों से शिशु खेलते थे। सीटियों की भाँति उनका उपयोग होता था। उस समय के खिलौनों, योगी की मूर्ति और नर्तकियों की मूर्ति का धर्म से विशेष सम्बन्ध प्रतीत होता है। मुद्राओं में अंकित दृश्यों से यह भी अनुमान लगाया गया है कि उस युग में मूर्ति-पूजा का प्रचलन था।

वेदकालीन मूर्तियों के सर्वप्रथम उल्लेख यज्ञ-सम्बन्धी मिलते हैं। अग्नि-वेदिका के निर्माण में सवर्ण पत्र की बनी हुई प्रजापति की पुरुषाकार मूर्ति रखी जाती थी। प्रवासी के मर जाने पर पलाश के पत्तों से उसकी मानवाकृति बनाकर अग्निहोत्र-सम्बन्धी धार्मिक प्रक्रिया सम्पन्न की जाती थी। अश्वमेध में साँड़, भेडेत्र या बकरे के सिर की मूर्ति बनाकर अग्निचयन की वेदिका में लगाया जाता था। कुछ याज्ञिक प्रक्रियाओं में यव से मेष की मूर्ति बनाई जाती थी।

वैदिक युग में मूर्तियों का एक विशिष्ट उपयोग अभिचारकृत्यों में था। अथर्ववेद के अनुसार इस प्रकार अभिचारों का विशेष प्रचलन था। प्रेम-पथ में सफलता प्राप्त करने के लिए नायक और नायिका एक दूसरे की मूर्ति बनाकर अभिचार-मन्त्रों से उसे प्रभावित करते थे। कृत्या की पुरुषाकार मूर्ति धातक प्रयोगों के लिए बनाई जाती थी।

मूर्तियों का शास्त्रीय दृष्टि से नामकरण किया गया। काठ और पत्थर की मूर्तियाँ, जो तक्षण के द्वारा बनाई जाती थीं, क्षयज की जाती थीं, क्योंकि इनमें मूल सामग्री के कुछ अंश का क्षय होता था। मिट्टी की मूर्ति बनाने में उपादान की ऊपर से जोड़ते हैं, अतः मृण्मय मूर्तियों को उपचेय कहा जाता था। ठप्पे मार कर जो प्रतिबिम्ब उतारा जाता था, उसे संक्रान्त कहते थे, क्योंकि उसमें उपादान के ऊपर प्रतिबिम्ब की संक्रान्ति होती थी। वस्त्र और सुवर्ण-पत्र पर जो मूर्त रूप दिया जाता था, उसे पत्रच्छेद्य कहा जाता था। यदि सुई के द्वारा यह प्रक्रिया की जाती थी तो वुष्मिक कहा जाता था। कैंची से काट कर अलग-अलग

किये हुए अवयवों को जोड़ कर जो मूर्त-रूप बनाया जाता था, उसे अच्छिन्न मूर्ति कहा जाता था।

अथवा सप्तरात्रं तु कार्यं स्यादधिवासनम् ।

एवं सतोरणं कृत्वा अधिवासनमुत्तमम् ॥

तस्याप्युत्तरतः कुर्यात् स्नानमण्डपमुत्तमम् ।

तदर्धेन त्रिभागेन चतुर्भागेन वा पुनः ॥

आनीय लिङ्गमर्चा वा शिल्पिनः पूजयेद् बुधः ।

वस्त्राभरणरत्नैश्च येऽपि तत्परिचारकाः ॥

क्षमध्वमिति तान् ब्रूयाद् यजमानोऽप्यतः परम् ।

देवं प्रस्तरणे कृत्वा नेत्रज्योतिः प्रकल्पयेत् ॥

‘विष्णो! आप शिव, परमात्मा, हिरण्यरेता, विश्वरूप और ऐश्वर्यशाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है।’ यह मन्त्र सभी देवताओं की प्रतिमा में नेत्रज्योतिसंस्कार में उपयोगी माना गया है। इस प्रकार देवेश को आमन्त्रित कर सुवर्ण की शलाका द्वारा उन्हें चिह्नित करे। तदुपरान्त विद्वान् पुरुष अपनी समृद्धि तथा अमंगल का विनाश करने के लिये मांगलिक वाद्य, गीत और ब्राह्मणों की वेदध्वनियों का समारोह करे। लिंग के तीन भाग करना चाहिये। उसमें विभाजक लक्षण होता है। आठ जौका अन्तर रखते हुए तीन रेखा चिह्नित करनी चाहिये, वे न तोमोटी हों, न सूक्ष्म हों, न टेढ़ी हों और न उनमें छिद्र हो। ज्येष्ठ लिंग में जौके प्रमाण की निम्न रेखा अंकित करनी चाहिये। उसके ऊपर उससेसूक्ष्म रेखा बनाये और मध्यम लिंग में स्थापित करें। फिर बुद्धिमान् पुरुष आठ भाग करके तीन भागों को छोड़ दे और दोनों पाश्वर्कों में समान अन्तर रखते हुए सात लम्बी रेखाएं चिह्नित करें। विद्वान् पुरुष चार भागों तक रेखाएं चिह्नित करें, पांचवें भाग के ऊपर रेखा घुमानी चाहिये और तदनन्तर मिला देनी चाहिये। यहीं पृष्ठभाग में रेखाओं का संगम होगा। इन दो रेखाओं के संगमस्थल पर पृष्ठदेश में दो भाग हो जायंगे—

अष्टभक्तं ततः कृत्वात्यक्त्वाभागत्रयं बुधः ।

लम्बयेत् सप्त रेखास्तु पार्श्वयोरुभयोः समाः ॥

तावत् प्रलम्बयेद् विद्वान् यावद्भागचतुष्टयम् ।

भ्राम्यतेपञ्चभागोर्ध्वं कारयेत् संगमं ततः ॥

रेखयोः संगमेतद्वत् पृष्ठे भागद्वयं भवेत् ।

एवमेतत्समाख्यातं समासाल्लक्षणं मया ॥

मत्स्यपुराण इन सभी का प्रतिपादन विधिवत् करता है। हमारे आर्य ऋषियों ने समाज को ऐसा ज्ञान देकर ऋणी बना दिया। इसीलिये मनुष्य के ऊपर जो तीन ऋण होते हैं उनमें एक ऋषि ऋण भी होता है। इनका सम्यक् ध्यान ही शुभ फलदायी होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अथर्ववेद, वेददीय भाष्य, चौखम्बा संस्कृत भवन 1982
2. ऋग्वेद संहिता, एफ. मैक्समूल, चौखम्बा संस्कृत भवन 1-2, संवत् 2005
3. ऋग्वेद में युगल देवता (एक अध्ययन), डॉ. कुमकुम पाठक, नाग पब्लिशर्स 11 ए (यू.ए.) जवाहर नगर दिल्ली
4. ऋग्वेद संहिता (मूल तथा मन्त्रानुक्रमण्या सहित), नाग पब्लिशर्स 11 ए (यू.ए.) जवाहर नगर दिल्ली
5. ऋग्वेदसंहिता, श्याम भाष्य, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली
6. यजुर्वेद संहिता, मूल तथा मन्त्रानुक्रमण्या सहित, नाग पब्लिशर्स 11 ए (यू.ए.) जवाहर नगर दिल्ली
7. वृहद् देवता, रामकुमार, चौखम्बा संस्कृत संस्था वाराणसी
8. शुक्ल यजुर्वेद, एफ. मैक्समूल, चौखम्बा संस्कृत भवन 1-2, 1950
9. शतपथ ब्राह्मण, चिन्नास्वामी शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत भवन प्रथम खण्ड एवं सं. 1983
10. सामवेद, वेददीय भास्य, चौखम्बा संस्कृत भवन 1982
11. महर्षि वेदव्यास, श्रीमद्भागवत पुराण, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी
12. महर्षि वेदव्यास, श्रीमद्भविष्य पुराण, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी
13. महर्षि वेदव्यास, मत्स्य पुराण, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी





मतदान व्यवहार में ई.वी.एम. की उपयोगिता

□ डॉ. उपमा सिंह*

□ राजेश शर्मा**

शोध सारांश

1980 में एमबी हनीफा ने पहली भारतीय ईवीएम बनाई थी। 1982 में ई.व्ही.एम. का पहलीबार इस्तेमाल केरल के पररु विधानसभा चुनाव में किया गया। 1998-99 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनावी पैटर्न बदला और ईव्हीएम से वोटिंग हुई थी। 1989 में चुनाव आयोग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ करार करके चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 50 करोड़ लोगों ने वोट किया था यह विश्व रिकार्ड है।

मुख्य-शब्द :- मतदान व्यवहार ई.व्ही.एम., लोकसभा, विधानसभा, चुनाव प्रक्रिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आदि।

प्रस्तावना :-

1980 में एमबी हनीफा ने पहली भारतीय ईवीएम बनाई थी। 1982 में ई.व्ही.एम. का पहलीबार इस्तेमाल केरल के पररु विधानसभा चुनाव में किया गया। इस तकनीक की शुरुआत वर्ष 1998-99 में अधिकृत तौर से की गई, ई.व्ही.एम. की तकनीकी क्रम निम्नुसार है-

'दुनिया की सबसे बेहतर तकनीक'

ये स्टैंड-अलोन मशीन हैं। अमेरिका, नीदरलैंड्स, आयरलैंड व जर्मनी के पास कम्प्यूटर से कनेक्टेड डायरेक्ट रिकॉर्ड होने वाली ईवीएम थीं। भारतीय ईवीएम की चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल है। यानी इस पर दूसरा

सॉफ्टवेयर चढ़ाया ही नहीं जा सकता। मतदाता द्वारा वोट डालते बैलट यूनिट निष्क्रिय हो जाती है। फिर तभी सक्रिय होती है, जब कंट्रोल यूनिट पर बैठा अधिकारी अगले वोट के लिए बटन दबाए।

मशीन बनने से लेकर वोट काउंटिंग तक के 3 पड़ाव, हमने इन पड़ावों पर की पड़ताल

पहला पड़ाव ईसीआईएल: जहां ईवीएम बनती है, लेकिन जाएगी कहां, इन्हें भी नहीं पता-

डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन आने वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) देश के उन दो संस्थानों में से एक है, जहां ईवीएम का निर्माण होता है। यहां के एक रिटायर्ड

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), शास. कन्या महाविद्यालयरीवा (म.प्र.)

** शोधार्थी-एम.ए. एम.फिल. (राजनीति विज्ञान)

वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि ईवीएम में टैम्परिंग असंभव है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधिकारियों से रिटायरमेंट के बाद भी संस्थान के अंदर की जानकारियां बाहर न देने का बॉन्ड भरवाया जाता है। इसलिए इस अधिकारी ने नाम न छापे जाने की शर्त पर बात की बताया कि— देश में बन रही ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन हैं।

ये कम्प्यूटर से कंट्रोल नहीं होतीं। न ही इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ती हैं। न इसमें कोई सेंसर, न वाई-फाई या ब्लू टूथ होता है। ईवीएम की दोनों ही यूनिट (बैलट तथा कंट्रोल यूनिट) सिर्फ बिजली के तार से जुड़ी होती हैं। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि कोई इसे हाथ में लिए बिना हैक कर ले या इसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कर दे। रही बात मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किसी गड़बड़ी की तो ये भी तर्कसंगत नहीं है। इसलिए कि ज्यादातर मशीनें तो चुनाव के काफी पहले ही बनकर तैयार रहती हैं। इतना ही नहीं चुनाव के महीनों पहले से इन्हें अलग-अलग राज्यों में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में निर्माण के वक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को पता हो ही नहीं सकता कि कौन-सी ईवीएम कहां, किस राज्य में जाएगी और वहां कौन-सा प्रत्याशी लड़ रहा होगा?

दूसरा पड़ाव इलेक्शन कमीशन: जो देश में चुनाव कराता है, अब बेहतर ईवीएम ला रहा है —

इलेक्शन कमीशन के अनुसार 2006 में ईवीएम के जिन मॉडल्स (एम-1) को लेकर सवाल थे, वे अब इस्तेमाल नहीं हो रहीं। 2006 में ईवीएम के नए मॉडल (एम-2) का प्रोडक्शन शुरू किया गया। इसकी खासियत यह है कि बैलट यूनिट का बटन दबाने से लेकर कंट्रोल यूनिट तक पहुंचने के बीच इसमें मैसेज इंक्रिप्टेड यानी कोड वर्ड्स में होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बताया कि 'इस बार आयोग एम-3 ईवीएम भी लेकर आ रहा है। चुनाव के समय अगर कोई इसमें छेड़छाड़ की कोशिश करेगा तो यह अपने

आप ही फैक्ट्री मोड में चली जाएगी। ऐसा होते ही इसमें मौजूद डाटा सेव हो जाएगा।

बताया जाता है कि कोई इसे खोलने का प्रयास भी करे तो ये काम नहीं करती। जब-जब इसे ऑन किया जाता है, तब-तब इसका सेल्फ डायग्नोस फीचर पूरी ईवीएम की जांच करता है। ऐसे में हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर में बदलाव पकड़ा जा सकता है। 2018 के अंत तक ऐसी 9 लाख मशीनें चुनाव के लिए उपलब्ध हो सकती हैं। वैसे अब वीवीपैट के आने से ये सुरक्षा और भी पुख्ता होने जा रही है।

तीसरा पड़ाव स्ट्रॉन्ग रूम व बूथ: यहां सभी के सामने, कैमरों की निगरानी में होता है काम—

दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश तथा कर्नाटक में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक रहे वरिष्ठ आईएएम राजीव शर्मा चुनाव में बूथ स्तर तक की व्यावहारिक हकीकत बताते हैं। कहते हैं कि—'तकनीकी रूप से तो ईवीएम की टैम्परिंग असंभव है, साथ ही इसके उपयोग के जो प्रोटोकॉल हैं, वो इस दोहरी सुरक्षा देते हैं।' उनके अनुसार जब भी चुनाव के लिए ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम से निकाली जाती है। इसके बाद सभी मान्यता प्राप्त दलों को सूचना दे दी जाती है कि कि-किस तारीख को मशीनें तैयार की जाएंगी और बांटी जाएंगी।

तब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम को जांचा जाता है। फिर बैलट पेपर फिक्स किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। ताकि मशीन से छेड़छाड़ की गुंजाइश न रहे। फिर मशीनों को सील बंद कर स्ट्रॉन्ग रूम में डबल लॉक सिक्योरिटी में रख दिया जाता है। बाद में ये कमरा चुनाव आयोग के प्रेक्षकों की मौजूदगी में ही खुलता है। निर्वाचन अधिकारी-कर्मचारियों को मशीनें बांटी जाती हैं। ये सीलबंद मशीनों को फिर चैक करते हैं। इतना ही नहीं, मतदान से पहले एक मॉक-ड्रिल भी होती है। मतदान के बाद मशीनों पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर लेकर स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है। फिर ये गिनती के

समय ही बाहर लाई जाती हैं। जब ये राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि व चुनाव अधिकारी आइडेंटिकल नंबर से पता लगाते हैं कि मशीनें बदली तो नहीं।

ऐसे काम करती है वीवीपैट

वीवीपैट (वोटर वैरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल) से मतदाता सुनिश्चित कर सकता है कि उसका वोट किस पार्टी व उम्मीदवार को गया। जब वह ईवीएम का बटन दबाता है तो वोट दर्ज होने के साथ वीवीपैट एक पर्ची प्रिंट करती है। पर्ची पर उल्लेख होता उल्लेख होता है कि वोट किसे गया पर्ची कांच के एक केस में होती है। 7 सेकंड तक दिखाई देने के बाद यह वीवीपैट को ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

तीन बड़ी आशंकाएं, लेकिन ईवीएम में टैम्परिंग हो ही नहीं सकती : सवाल में ईवीएम –

लोकसभा चुनाव-2019 को लेकर चुनाव आयोग के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के बाद से ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो यह तक दावा कर दिया है कि उसके साथ-साथ देश की 70 फीसदी पार्टियां पुरानी पद्धति यानी मतपत्र से ही चुनाव कराए जाने के पक्ष में हैं। जाहिर है, कई पार्टियों के इस स्टैंड के पीछे राजनीति है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम को लेकर शंकाएं रही हैं। खास तौर पर टैम्परिंग यानी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बदल दिए जाने से जुड़ी। नेताओं की इन्हीं शंकाओं को लेकर भास्कर ने ईवीएम बनाने वाले, देशभर में चुनाव का जिम्मा संभालने वाले और जमीनी स्तर पर चुनाव करवाने वाले जिम्मेदारों को टटोला तो साफ हो गया कि ईवीएम में टैम्परिंग हो ही नहीं सकती।

किताब 'डेमोक्रेसी एट रिस्क!' में लिखा है— एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईमानदारी से चुनाव के लिए कुछ खास परिस्थितियां जरूरी हैं? एक आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि ईवीएम में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओरिजनल है या नहीं, वह इस बात की जांच नहीं करता। इधर, सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़

की शंका में ही कांग्रेस ने सवाल किया है कि— ईवीएम रिपेयर कहां होती है?

सॉफ्टवेयर वाली चिप बदल दी जाए तो :

डेमोक्रेसी एक रिस्क!' में यह दावा किया गया था कि ईवीएम की सॉफ्टवेयर वाली चिप को किसी टैम्पर्ड चिप से बदल दिया जाए तब भी वह काम करती रहेगी।

मदर बोर्ड ही बदल जाए तो :

पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने मई 2017 में दिल्ली विधानसभा में एक डेमो देकर बताया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन है। भारद्वाज ने बताया था कि किसी सीक्रेट कोड की मदद से नतीजों को बदला जा सकता है। इसके लिए सिर्फ मदरबोर्ड बदलकर सीक्रेट कोड डालना होता है। इसमें 90 मिनट लगते हैं।

11 से 16 नंबर के बटन काम के नहीं

ईवीएम की एक बैलेटिंग यूनिट में उम्मीदवारों को लेकर साफ नियम है। यदि किसी विधानसभा में 10 प्रत्याशी हैं तो 11 से 16 नंबर वाले बटन के काम के नहीं रहेंगे। इन्हें इलेक्ट्रानिक्स रूप से बंद कर दिया जाएगा। केवल 10 प्रत्याशी पर स्विच सेट होगा। ऐसे में 11 से 16 तक का कोई भी बटन दबाने पर वोट दर्ज नहीं होगा।

16 से ज्यादा प्रत्याशी होने पर दूसरी बैलेटिंग यूनिट पहली वाली से जोड़ी जाती है

- ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट डाले जा सकते हैं। वैसे एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने वालों की संख्या 1500 से ज्यादा नहीं रहती है।

- ईवीएम की एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान किया गया है। अगर उम्मीदवार 16 से ज्यादा होते हैं तो दूसरी बैलेटिंग यूनिट को जोड़ा जाता है। अधिकतम चार बैलेटिंग यूनिट जोड़ सकते हैं। यानी कुल 64 उम्मीदवार के लिए ईवीएम काम करेगी।

जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 61 (क) में चुनाव आयोग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में बैलेट पेपर और ईवीएम से चुनाव करा सकता है।

ईवीएम का रोचक गणित; संभव है बशर्ते किसी सीट पर 64 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरें :-

कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां लंबे समय से अगले लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह मत पत्र से कराने की मांग कर रही हैं। कई बार चुनाव आयोग भी इस पर स्पष्टीकरण दे चुका है कि जब ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं हैं फिर भी विपक्षी दल मत पत्र से वोट कराने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में नवंबर-दिसंबर में होने जा रहे मतदान के मत पत्र से मतदान की संभावना को नकार दे, पर आयोग की चुनावी प्रक्रिया से मतदान की अनुमति देता है। ये परिस्थिति में मत पत्र से मतदान की अनुमति देता है। ये परिस्थिति तभी बनती है जब किसी सीट पर उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक हो। यानी किसी सीट पर यदि 65 प्रत्याशी होते हैं तो आयोग नियमानुसार वहां मत पत्र से तदान कराएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्याशियों की अधिक संख्या के आधार पर सिर्फ चार ईवीएम ही एक-दूसरे से कनेक्ट कर उपयोग की जा सकती हैं। हालांकि म.प्र. निर्वाचन आयोग के सीईओ कांताराव का कहना है कि 64 से ज्यादा प्रत्याशी होने पर नई तरह की ईवीएम मंगवाकर वोटिंग कराएंगे।

ई.वी.एम. मशीन के प्रति सुझाव:-

इन देशों में ईवीएम हमारी तरह सुरक्षित नहीं थी, इसलिए बंद हो गई

अमेरिका :- यहां कैलिफोर्निया व अन्य राज्यों ने बिना पेपर ट्रेल वाली ईवीएम को बैन कर दिया।

जर्मनी :- कुछ शंकाओं के कारण यहां कोर्ट ने ई-वोटिंग को असंवैधानिक करार दे दिया था।

इटली :- यहां ई-वोटिंग के नतीजे आसानी से बदल दिए जाने की आशंका थी, इसीलिए बैन लगा।

नीदरलैंड्स :- आरलैंड, वेनेजुएला, मैसिडोनिया व यूक्रेन में भी इस पर रोक लगी है।

कौन-से दल ईवीएम के खिलाफ :- कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, द्रमुक, जेडीएस, टीडीपी, सीपीआई, सीपीआई-एम, आरजेडी तथा शिवसेना खिलाफ हैं। पिछले साल बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुई पहुंचे। बाद में तमाम पार्टियों ने इनके सुर में सुर मिलाए। तब चुनाव आयोग न सभी पार्टियों को ईवीएम हैक करने की खुली चुनौती दी थी। जून 2017 में इस चुनौती में केवल सीपीएम और एनसीपी के प्रतिनिधि ही पहुंचे। मगर उन्होंने भी हैकिंग का प्रयास नहीं किया।

अब ये वीवीपैट पर सहमत!

कांग्रेस ने जुलाई में वार्किंग कमेटी की पहली बैठक में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का दबाव बनाने का संकल्प लिया था। प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि अगर समय के कारण 2019 में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकता तो वीवीपैट लागू हो। मगर इसकी कम से कम 30 प्रतिशत पर्चियों का मिलान ईवीएम के नतीजों से होना जरूरी है।

आम आदमी पार्टी की ओर से ईवीएम का मुद्दा उठाने वाले सौरभ भारद्वाज का मानना है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट जरूरी है। कम से कम वीवीपैट की 20 फीसदी पर्ची का ईवीएम के नतीजों के साथ मिलान होना चाहिए।

बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव जो 2010 में ईवीएम को खतरा बताते हुए किताब "डेमोक्रेसी एट रिस्क", लिख चुके हैं, वे भी वीवीपैट से आशंकाएं खत्म होने की बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने सुधार की मांग की थी और वह सुधार वीवीपैट के रूप में आ चुका है।

ईवीएम इसलिए भी जरूरी 2.70 लाख पेड़ बचेंगे : 1996 में चुनाव बैलट पेपर से हुए थे, तब 8 हजार टन कागज इस्तेमाल करना पड़ा था। उस समय देश में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या 59.25 करोड़ थी आज यह संख्या 83.4 करोड़ से ज्यादा है। इस लिहाज से अब चुनाव बैलट पेपर से हों तो 11260 टन कागज लगेगा। रिसर्च बताती है कि एक टन कागज के लिए 24 पेड़ काटने पड़ जाते हैं ऐसे में 11260 टन कागज के लिए 2 लाख 70 हजार पेड़ों की बलि देनी होगी।

समय की बचत : वरिष्ठ आईएएस राजीव शर्मा बताते हैं कि बैलट पेपर के दौर में एक लोकसभा क्षेत्र के मतपत्रों की गिनती लगातार 40 से 45 घंटे तक

चलती थी। अगर बैलट पेपर पर झील सही जगह नहीं लगी है तो उन्हें निकालकर सहायक निर्वाचन अधिकारी को देना होता था, जो इस पर फैसला करता था।

संदर्भ :-

1. दैनिक जागरण रीवा में प्रकाशित खबर दिनांक
2. दैनिक भास्कर रीवा में प्रकाशित खबर दिनांक
3. दैनिक पत्रिका रीवा में प्रकाशित खबर दिनांक
4. विभिन्न टी.वी. चैनलों में प्रसारित न्यूज 2018, 2019।
5. ज.वी.एल. नरसिम्हा राव : "डेमोक्रेसी एट रिस्क", वर्ष 2010





भिलालाओं में परिणय संस्कार से पूर्व वैवाहिक लोक उत्सव : पलासला

□ डॉ. पुष्पेन्द्र वास्कले*

शोध सारांश

आदिम जाति की लोक कला व संस्कृति वास्तविक अर्थों में आज भी उपयोगी और व्यावहारिक है। जिससे सामाजिक संरचना और सामाजिक चक्र को बढ़ावा मिलता है। आदिम जाति के लोक कला उत्सवों और संस्कृति में आज भी वो संस्कार मौजूद हैं जिनमें कई वैश्विक और सामाजिक समस्या का निदान संभव है। वर्तमान आधुनिक समाज के विभिन्न वर्गों के युवक-युवतियों में परिणय संस्कार एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। जबकि ऐसी ही चुनौती का निदान भीलों के भौंगरिया और इंदल लोक उत्सव में निहित है। जो सदियों से विशेष समय और अवसरों पर सामाजिक रूप से आयोजित किये जाते हैं। जहाँ माता-पिता व लड़का-लड़की के अलावा पूरे कुल की सहभागिता होती है। मगर विडम्बना यह है कि आदिवासी संस्कृति को बिना आंकलन व मूल्यांकन किये सिरे से नकार दिया जाता है। वो महज इसलिए की वह आदिवासियों की प्रथा और परम्परा हैं। आदिवासियों की कला एवं संस्कृति में कई पहलू ऐसे हैं जो आज भी अध्ययन और मूल्यांकन के अभाव में वास्तविक अर्थों में सामने नहीं आ सके हैं। भील जनजाति के परिणय संस्कार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह भी है कि इनमें दहेज स्वीकार्य नहीं है। मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड़ बड़वानी जिले के भीलों की उपजाति भिलालाओं का एक वैवाहिक लोक उत्सव पलासला है, जिसका वास्तविक और व्यावहारिक पहलू आज भी सामने नहीं आ सका है। निमाड़ में विवाह योग्य कन्याओं को विवाहोत्सव के बाद दूसरे परिवार में रचने और बसने का गूढ़ रहस्य इस उत्सव के माध्यम से बताया जाता है। यह तथ्य तो कभी सामने नहीं आया बल्कि यह सब जानते हैं कि आदिवासियों में बाल विवाह प्रमुखता से प्रचलित है। यह सत्य है लेकिन इसके पीछे भिलालाओं के संस्कार मुख्य कारक है जो इसकी इजाजत देता है।

शब्द कुंजी- आदिम कला संस्कृति, भिलाला उपजाति, पाँच दिनी लोक उत्सव पलासला।

* सहायक संचालक, जनसंपर्क खरगोन

प्रस्तावना

“पलासला” पश्चिम निमाड़ बड़वानी जिले की भिलाला जाति का एक लोक उत्सव है। यहाँ इस उत्सव को पलासला खेलना के नाम से जाना जाता है। यह लोक उत्सव ज्येष्ठ अमावस्या के पाँचवे दिन प्रत्येक गाँव में मनाया जाता है। भिलाला जाति के इस लोक उत्सव के माध्यम से भिलाला समुदाय की योग्य कन्याओं को सुखमय वैवाहिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और विवाह पद्धति के बारे में अवगत कराया जाता है। इस लोक उत्सव में वो सब गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो वास्तविक विवाह में होती हैं। इस लोक उत्सव में उन स्त्रियों की उपस्थिति व भागीदारी आवश्यक रूप से होती है। जिनका विवाह शीघ्र ही एक या दो वर्ष पूर्व ही हुआ है। साथ ही इस लोक उत्सव का आयोजन गाँव की उन कन्याओं द्वारा होता है। जिनका विवाह निकट भविष्य में होना है। यहाँ गाँव के बालक और नवयुवक भी शामिल होते हैं। नवयुवको द्वारा मंडप इत्यादि सामग्री एकत्रित की जाती है। भिलालाओं का यह लोक उत्सव उच्च दृष्टिकोण वाला उत्सव जान पड़ता है। भिलालाओं में लड़कियों का विवाह 16–17 वर्ष में ही कर दिया जाता है। वहीं लड़को के विवाह की आयु 20–21 वर्ष ही होती है और विवाह कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में लड़की को ससुराल में अपनाये जाने वाले सभी बारिकियों परंपराओं और ससुराल में रहन–सहन व कैसे रचना बसना आदि के बारे में उन्हीं की विवाहित सहेलियों के द्वारा लोक उत्सव पता चलता है।

मध्यप्रदेश के दक्षिण पश्चिम में बड़वानी स्थित हैं। इस जिले को पश्चिम निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ज्येष्ठ अमावस्या को जब सूर्यदेव अपने विकराल रूप में सिर के ठीक ऊपर स्थित होता है। तब शाम के समय यहाँ के भिलाला

समाज की कन्याएँ तन–मन से पूरे उल्लास से ‘पलासला’ लोक उत्सव मनाती हैं। बड़वानी जिले के भवती गाँव के 70 वर्षीय बुजुर्ग श्री रायसिंह बड़ोले अपने बचपन की यादें ताजा करते हुए बताते हैं कि वे तब 10 से 12 वर्ष के रहे होंगे। यह लोक उत्सव ढोढ्य्या से प्रारम्भ होता है। उस समय ‘पलासला’ को लेकर एक पखवाड़े पूर्व से ही उन जैसे कई लड़के पलासला में मंडप संजाने के लिए लकड़िया लाने की योजना बनाई जाती थी। वे जब अपने दोस्तों के साथ पशुओं को चरागाह कि ओर ले जाया करते थे। उसी क्षेत्र में मंडप के लिए लकड़िया पसंद कर ली जाती थी। फिर एक सप्ताह पूर्व लकड़िया कांट कर मंडप के योग्य बनाई जाती थी।

पुरे गाँव की लड़किया अपनी स्वेच्छा से दो दलों बंट जाती थी। कुछ लड़किया वर पक्ष में और कुछ लड़किया वधू पक्ष में होकर पलासला का आयोजन करती हैं। इन दो दलों में गाँव की कन्याओं के अलावा वो लड़किया भी आवश्यक रूप से शामिल होती हैं, जिनका विवाह अभी हाल ही के वर्षों या दिनों में हुआ हो विशेष रूप से एक से दो वर्ष पूर्व विवाहित लड़किया शामिल होती हैं। विवाहित लड़किया विशेष रूप से पलासला के लिए ही अपने ससुराल से मायके आती हैं। गौधुली बेला का वो समय बड़ा ही रोमांचित कर देता था। जब वर और वधू पक्ष की लड़कियाँ गाँव के शुद्ध जलस्रोत नदी से कलश में जल भर कर लाती हैं और गाँव कि गलियों से लोकगीत गाते हुए गुजरती हैं। उस समय गाँव में मौजूद सभी नागरिक अपने–अपने घरों की दहलीज तक आकर सुनने और देखने लगते थे। तब पुरा गाँव गीत–संगीत में झूम उठता है।

दोनों दलों में शामिल कन्याएँ लोकगीतों में विवाह के दौरान और विवाह के बाद सारी गतिविधि

ियों को शामिल करती है। जो किसी घर की बहू और उसके ससुराल में करना पड़ता है, उन सब बातों को लोकगीतों के माध्यम से बयां करती है। इसमें एक दल प्रश्न करता है तो दूसरा जवाब देता है। लोकगीतों के माध्यम से लड़कियाँ छेड़-छाड़ करती है। यह लोक मस्ती बड़ी ही सुहानी प्रतीत होती है, जब लड़किया सज संवरकर गलियों से निकलती हुई मुख्य आयोजन वाले स्थान पर पहुँचती है। यहाँ दोनों ही वर और वधू पक्ष कलश में लाए जल से वर और वधू के प्रतीक पलाश और बैर के पौधे को जल अर्पित करते हुए आँगन सजाती है। इस समय भी लोकगीत गाती रहती है।

पलासला के दौरान विवाहित स्त्रियों और विवाह योग्य कन्याओं का आपस में मिलन होता है। यहाँ विवाहित कन्याएँ अपनी अविवाहित सखी सहेलियों को बातों-बातों में लोकगीत के सहारे रिश्ते-नातें, मान-सम्मान, घुंघट, खेत-खलिहान, कुल की परंपरा, पति के प्रति प्रेम और सास-ससुर के प्रति सम्मान आदि के बारे में बताती है। रायसिंह ने पलासला के दौरान अविवाहित कन्या और नव विवाहित कन्या के बीच के लोकगीत के संवाद का जिक्र किया है अविवाहित कन्याएँ नव विवाहित स्त्री से पूछती है.. .. मायके में तो तुम बहुत ही आलसी और कामचोर थी। हर काम किसी ओर से कराना पसंद करती थी। अब ससुराल में इतने बड़े परिवार को कैसे खुश रखती हो ? जवाब में विवाहित कहती है पतिदेव की इच्छा से सभी काम कर देती हूँ मैं ससुराल को ही अपना मायका मान लिया है। इसी युक्ति से मेरे परिवार में सब खुश रहते हैं।

सिनगुन गाँव की समोती बाई बताती है कि पलासला नव विवाहित और विवाह योग्य कन्याओं के एक सम्मेलन की तरह होता है। यहाँ लड़कियाँ एक-दूसरे से कई तरह से बातों-बातों में सवाल

करती है। पलासला के दौरान ही कई लड़कियाँ विवाहिता से आचार-विचार, चाल-ढाल, सम्मान करने के तौर तरीके, छोटे-बड़ों से व्यवहार आदि को समझती है। समोती स्वयं ने अपनी होने वाली जेठानी द्रोपती से पलासला के दौरान ही ससुराल के हर सदस्य की जरूरत, काम करने का तरीका और ससुराल में स्त्रियों की उपयोगिता के बारे में जाना। दरअसल द्रोपती और समोती एक ही गाँव की रहने वाली है?

कैसे और कब मनाया जाता है पलासला ?

वास्तविक रूप से पलासला की शुरुआत पश्चिम निमाड़ के बच्चों द्वारा मनाये जाने वाले एक अनोखे लोक उत्सव "ढोढय्या" से होती है। जो इंद्रदेव को प्रसन्न करने को लेकर प्रेरित है। ढोढय्या करीब 8 से 20 वर्ष की आयु के बच्चे और युवा शामिल होकर उत्सव मनाते हैं। ज्येष्ठ माह की अमोस (अमावस्या) गाँव के बच्चे और युवा इस दिन विभिन्न समुहों में बंटकर घर-घर जाकर ढोढय्या मांगते हैं। बच्चों और बालिकाओं का अलग-अलग समुह होता है। इन प्रत्येक समुहों में एक-एक बालक बालिका को ढोंढी बनाया जाता है। जिसके सर पर खाखरे (पलाश) के पत्ते रखे जाते हैं। फिर ये बालक बालिका जो 10 से 15 के समुह में होते हैं। प्रत्येक घर जाकर जो आटा व दाल मांगते हैं और लोकगीत गाते हैं। श्रद्धा से आटा या दाल जैसी कोई वस्तु देने वाले घर के सदस्य दल के ढोंढा या ढोंढी के सर पर लोटे में भरे जल से वर्षा करते हैं। ढोंढा या ढोंढी का सर पलाश के पत्तों से ढंका होता है। जल की वर्षा करने वाला सदस्य उस ढोंढा-ढोंढी से वर्षा कैसी होगी कब तक होगी किस दिशा से होगी और फसल के लिए कैसी होगी ? इस तरह के प्रश्न भी पुछते हैं।

पुरे दिन भर बच्चों और युवको की टोली गाँव में घुमकर लोकगीत गाते हुए गुजरती है। दिन ढलते समय ये बच्चे किसी के नदी किनारे या अपने खेतों में या पानी वाले स्थानों पर जाते हैं और वहाँ

दाल बाटी या दाल पानिये बनाकर पिकनिक मनाते हैं। खाना खाने से पूर्व जो बालक ढोंढा व जो बालिका ढोंढी बनती है उसे पानी में डुबकर पानिये या बाटी का एक निवाला खाना पड़ता है। इस समय पानी में डुबे ढोंढा या ढोंढी पर जला हुआ कोयला या कण्डा (उपला) फेंका जाता है। यहाँ ज्वारे बोने के लिए कलश में जल भरकर लाती है और गाँव के पटेल के घर या मंदिर में टोंगियों में विभिन्न प्रकार के पॉच अन्न बोये जाते हैं।

निमाड़ में भिलाला जाति में ज्येष्ठ अमोस (अमावस्या) से पाँच दिन पलासला का प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक उत्सव प्रारंभ होता है। दरअसल पलासला भिलाला जाति का विवाह सम्बन्धी व वर्षा के आह्वान का लोकउत्सव है। इसमें विवाहित स्त्रियों अपने मायके में आकर पलासला मनाने सम्बन्धी तैयारियों करती है। इसमें पहले दिन विवाहित महिलाएँ व गाँव की बालिकाओं के साथ कलश लेकर गाँव के भरपूर जलस्रोत पर जल लेने जाती है। इसके बाद अपने-अपने घर या पटेल के घर ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारे के रूप में तिल्ली, ज्वार, गेहूँ आदि बोए जाते हैं। बुवाई के बाद चार दिनों तक प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल में गाँव के पवित्र जल स्रोत से लड़कियों लोक गीत गाते हुए पानी भरने जाती है और उन ज्वारों में पानी देती है। सभी स्त्रियाँ एकत्रित होकर उस स्थान पर गीत और नृत्य करती है जहाँ पर मुख्य आयोजन होना होता है।

मुख्य आयोजन वाले स्थान पर बैर व पलाश का छोटा सा पौधा होता है। बैर के पौधे को वधु पक्ष और पलाश के पौधे को वर पक्ष मानकर दो गुटों में बँटकर गाँव की बालिकाएँ गीत गाते हुए नृत्य करती है। विवाहिता स्त्रियाँ और गाँव की बालिकाएँ सुबह व शाम के समय जल स्रोत से जल भरकर मुख्य आयोजन वाले स्थल पर बैर और पलाश के पौधे के आस-पास वाले स्थान पर केनवास तैयार

कर लिपाई करती है। इन दोनों ही पौधों के मध्य करीब-करीब 40 से 50 फीट की दूरी आवश्यक रूप से होती है, इन दोनों ही पौधों को घर मानकर लिपाई या केनवास तैयार किया जाता है। इस तैयार केनवास के बीचोंबीच बैर व पलाश का पौधा होता है। केनवास के भीतर ही हल्दी से स्वास्तिक को मकान के रूप में बनाया जाता है। इसी तरह केनवास में ही माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों के सांकेतिक चित्र भी बनाए जाते हैं।

पाँच दिनों के इस पर्व में पहले दिन गणेश पुजन, दूसरे दिन खलमाटी, तीसरे दिन मण्डप, चौथे दिन मामेरा और पाचवें अंतिम दिन बारात का आयोजन होता है। बारात में गाँव के लोग भी शामिल होते हैं। बारात के स्वागत के लिए गाँव के हर घर से विशेष भोज तैयार कर लाया जाता है। यह विशेष भोज ढोकला होता है, गेहूँ के आटे को महुआ के रस से मसलकर छोटी-छोटी गिलोरी बनाई जाती है। फिर इसे दुध में पकाया जाता है। इन पाँचों दिन उसी तरह आयोजन होता है। जिस तरह विवाह की प्रकृिया में होती है। मुख्य आयोजन वाले स्थान पर बारात लाई जाती है। यहाँ दुल्हा दुल्हन के फेरे लग्न भी लगाए जाते हैं। अंतिम दिन दो बालिकाओं का चुनाव करके एक को दुल्हा व एक को दुल्हन बनाया जाता है। इन दो बालिकाओं में उनको दुल्हा दुल्हन बनाया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो।

निष्कर्ष— विवाह भारतीय संस्कृति की एक अनूठी अनुष्ठानिक परम्परा है। विवाह मानव को सुस्कृत और सभ्य बनाने का अलौकिक अनुष्ठान है। इसी अनुष्ठानिक प्रकृिया को पश्चिम निमाड़ में पाँच दिवसीय लोक उत्सव के रूप में मनाने की परम्परा सदियों से चली आ रही है। इस लोक उत्सव का मूल उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को वैवाहिक प्रकृिया के

रीति—रिवाजों से अवगत कराना तथा अपने उज्ज्वल वैवाहिक जीवन के भविष्य को सर्वारने के लिए उसकी गहराई में जाकर व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित होकर मनाया जाता है। पाँच दिनों के इस लोकउत्सव में विवाहित स्त्रियों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है जो नव युवतियों को उन व्यावहारिक पहलुओं के बारे में अवगत कराती हैं। जिसकी उन्हें विवाह के बाद आवश्यकता महसूस होती है। जिस तरह समोती ने द्रोपती से ससुराल के बारे में जाना। उसी तरह अनेक विवाह योग्य कन्याएँ विवाह के व्यावहारिक पहलुओं के बारे में पाँच दिवसीय लोकउत्सव में जानती है। इस लोक उत्सव में गाँव के संगीत प्रेमी ढोल ताशे बजाकर आनन्द विभोर करते हैं। हालांकि आज वर्तमान में शिक्षा और सूचना के नवीन साधन समाज में प्रचलित हुए हैं। इनकी उपयोगिता के कारण इस लोक उत्सव में पूर्व जैसा माहोल नहीं होता लेकिन भिलालाओं की यह प्राचीन परम्परा समाज के उज्ज्वल दृष्टिकोण और व्यवहार को इंगित करती है। हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई और विश्व के सभी धर्म अपने-अपने रीति—रिवाजों और परम्पराओं के मद्देनजर विवाह आयोजित करते हैं। विवाह मानव जाति के लिए एक वैधानिक परम्परा प्रकृत्या के उद्देश्य से सभी धर्मों में प्रतिमान स्थापित किए गए हैं। जैसे अपने ही समाज में विवाह करना, निचली जाति या समाज में नहीं, बारात ले जाना, गौना करना आदि।

विवाह मानव या मनुष्य को सभ्य और सुसंस्कृत करने की महत्वपूर्ण सामाजिक क्रिया है, वहीं यह भी स्वीकार्य सत्य है कि कानून भी समाज को विवाह करने का अधिकार नियमों के तहत प्रदान करता है। पश्चिम निमाड़ के भिलाला जाति में सुखमय और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बसने के उद्देश्य से यह लोक उत्सव मनाया जाता है।

संदर्भ सूची—

1. वसंत निरगुड़े निमाड़ी संस्कृति और साहित्य म.प्र. आदिवासी लोक कला परिषद, बाणगंगा, भोपाल।
2. उपाध्याय रामनारायण लोक साहित्य समग्र हिंदी प्रचारक पब्लिकेशन, 21/30 पिशाचमोचन, वाराणासी, उ.प्र.।
3. वर्मा डॉ. एमएल 1995, भीलों की सामाजिक व्यवस्था, निकुंज प्रकाशन एवं पुस्तक भंडार, साईनाथ कालोनी, बड़वानी, म.प्र.।
4. वसंत, निरगुड़े 2010 म.प्र. के मेले और तीज त्यौहार, जनसंपर्क संचालनालय, बाणगंगा मार्ग, भोपाल।

शोध पत्र

1. डॉ. निकुंज 2010, समाजशास्त्रीय चिंतन की लहरें, आदिवासी विकास यर्थाथ की सीमाएं।
2. डॉ. निकुंज 2010, समाजशास्त्रीय चिंतन की लहरें, भील जनजाति में अपराध।
3. डॉ. निकुंज 2010, समाजशास्त्रीय चिंतन की लहरें, भील संस्कारों में सामाजिक स्वरूप।





संस्कृत की प्रतिष्ठा में सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास का अभिनव प्रयास

- ब्रजेन्द्र कुमार मालवीय*
- डॉ. सूर्य नारायण गौतम**

शोध सारांश

गोस्वामी तुलसीदासजी का चिन्तन अद्भुत था। वे कर्मयोगी, भक्तियोगी तथा ज्ञानयोगी भी थे। उन्होंने अपने ज्ञानयोग के माध्यम से यह जान लिया था कि अब घोर कलिकाल का प्रभाव समाज में व्याप्त हो जायेगा। मनुष्य तो कल्याण का मार्ग तब भी चाहेगा अतः ऐसे में सुगम मार्ग की नितान्त आवश्यकता थी। उन्होंने यह भी देखा कि भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का अभ्युदय हो चुका है अतः इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा जो प्राचीन काल में संस्कृत थी उसके स्थान पर प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, उर्दू अरबी तथा और भी अनेक विदेशी भाषाओं का प्रयोग होने लगा है अतः ऐसे में मनुष्य जाति की पुरातन भाषा का जिसमें सम्पूर्ण ईश्वरीय ज्ञान समाया हुआ है तथा जिसके द्वारा मानव अपना सर्वविध कल्याण करने में सक्षम हो सकता है उसे किस प्रकार लोकभाषा के माध्यम से पुनः प्रतिष्ठापित करना चाहिए आदि तथ्यों का चिन्तन कर रामचरितमानस की रचना की है। जो विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ है। वर्तमान के परिवेश में हिन्दी का स्वरूप अत्यन्त विकृत हो चुका है। नित नये प्रयोग के नाम पर उसे मूलतः समाप्त करने की दिशा में हमारा प्रयास जारी है। ऐसे में रामचरितमानस के द्वारा संस्कृतनिष्ठ हिन्दी बोलने और समझने का प्रयास करना चाहिए। मानस में अनेक स्थलों में ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनमें एक शब्द लोकभाषा का है तथा शेष समस्त शब्द संस्कृत के किन्तु लोग उन्हें भी अवधी मानकर सरलता से पाठ करने लगे हैं। प्रत्येक काण्ड का प्रारम्भ संस्कृत के श्लोकों से करने का उद्देश्य यही है कि यह मूल है तथा आगे का विस्तार इसी भाषा का विकृत रूप है।

* शोधार्थी— श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, चुडेला, झुन्झुनू (राज)

** संस्कृत विभाग— श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, चुडेला, झुन्झुनू (राज)

रामचरितमानसपरिचय—

संसार में शायद ही ऐसा कोई भगवन्नाम—यश कीर्तन करने वाला भाग्यशाली हो जो महर्षि वाल्मीकि के सदृश उपलब्ध हो। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि के विषय में यह कहा गया है कि—

“राम राम इस मधुर अक्षर की कूक करने वाले कविता रूपी शाखा में बैठे हुए वाल्मीकि रूपी मुनि को नमन करता हूँ।” सन्त तुलसी ने रामायण के विषय में कहा है —‘रामायण सत कोटि आपारा’।

पहले तो सन्त तुलसी ने सतकोटि कहकररामायण अर्थात् रामचरित को सीमित किया और अन्त में कह दिया अपारा जिसका तात्पर्य है कि उसका कोई पारावार ही नहीं है। संसार में रामायण अनगिनत है तथापि जो उपलब्ध हैं और जिनके नाम उपलब्ध हैं उनकी चर्चा करना ही प्रासंगिक होगा। आज संसार की समस्त उपलब्ध रामायणों में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ही समस्त रामायणों का आधार है, ऐसा सभी विज्ञानों का मत है। रामायण को भारतीय संस्कृत का आकाशदीप कहा जाता है, वह तो उज्ज्वल गौरव—शिखर है तथा भारतीय गार्हस्थ्य व्याख्या की यदि मनुस्मृति कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व में संस्कृतियों का जन्मना और तिरोहित होना कोई नई बात नहीं क्योंकि इतिहास साक्षी है कि संसार के रंगमंच पर अनेक संस्कृतियां प्रादुर्भूत हुईं और कुछ समय तक अपना चाक्यचिक्य प्रदर्शित कर काल के विकराल गाल में सदा—सर्वदा के लिए समाकर तिरोहित गयीं, किन्तु भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि आज भी अक्षुण्ण है, इसका मुख्य कारण जहाँ—“उदारचितानां वसुधैव कुटुम्बकम्”की भावना से युक्त अत्युज्ज्वल वैदिक सिद्धांत हैं, वहाँ भारतीय संस्कृति की महनीयता को प्रभावशाली एवं हृदयग्राही रूप में उपस्थापित करने वाले प्रातः वन्दनीय महर्षि वाल्मीकि सदृश महाकवियों द्वारा विरचित रामायणादि महाकाव्य भी हैं।

सन्त तुलसी की दृष्टि में नारी और पुरुष के मध्य किसी प्रकार का भेद नहीं था। वे शूद्रों को भी उसी

प्रकार आदर करते हैं। इसीलिए उन्होंने निषादराज को श्रीराम का भक्त तथा मित्र बनाया है। शबरी को अनन्य भक्ता के रूप में प्रतिपादित किया है तथा संस्कृत के महान ग्रन्थों में जिस ज्ञान की चर्चा की गई है उसी ज्ञान का उपदेश शबरी को संस्कृतनिष्ठ सरलतम भाषा में कराया है। उन्होंने प्रकृति एवं पुरुष की बन्दना करते हुए कहा है—

सीयराम मय सब जगजानी।

करहुं प्रनाम जोरि जुग पानी।।

सन्तकवि यह बताना चाहते थे कि, जिसे हम आज क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में जानते और मानते हैं वे सभी भाषायें मूलतः संस्कृत भाषा से निःसृत हैं। उनका मूल संस्कृत ही है। अतः उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग कर संस्कृत की रक्षा करने का प्रयत्न किया है। श्री जगदीश प्रसाद वशिष्ठके शब्दों में—

“तुलसी के सन्दर्भ में — सीय राम मय सब जग जानी। यह वैदिक चिन्तन कितना प्रासंगिक है प्रत्येक युग के लिए। रामचरितमानस को यों ही छबहु शास्त्र सब ग्रन्थन को रस नहीं कह दिया गया है। तुलसी को वेदों का ज्ञान था। उनका चिन्तन वैदिक चिन्तन है। पुनर्जन्म, षोडश संस्कार आदि वेद के सर्वमान्य सिद्धान्त हैं जिनका तुलसी ने अनेकवार उल्लेख किया है। निरुक्त के एक निर्वचन के अनुसार—‘एकैवात्मा बहुधा स्तूयते’। वह आत्मा ही तुलसी के शब्दों में राम और सीता के रूप में है। यही कारण है कि उन्होंने प्रत्येक जीव के भीतर उस आत्मा को देखा और उसे नमन किया है।

एकात्मता का ऐसा मनोरम उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। जब तक मनुष्य आत्म केन्द्रित रहता है तब तक उसे केवल वह दिखाई देता है किन्तु जैसे ही वह अपने का त्याग कर हम को देखने लगता है तब उसे प्रत्येक शरीर में अपनी ही परछाई दिखाई देने लगती है। उस यह समझ में आने नगता है कि जो मैं हूँ वही तो ये सभी हैं और जो ये सब हैं वही मैं हूँ।”

सन्तकवि तुलसीदास ने एक नवीन परम्परा कायम की है। जो उनके परवर्ती कवियों से भिन्न है। यह

उनकी विशिष्ट विशिष्टताओं में से एक है। आर्यावर्त की पुरातन शास्त्रीय भाषा संस्कृत में जितने भी काव्य या नाटक लिखे गये हैं उनमें पुरुष पात्रों द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है किन्तु नारी पात्रों व शूद्रों के लिए पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है। दास व दासी को संस्कृत बोलते हुए नहीं दिखाया गया है। शायद यही कारण रहा होगा कि संस्कृत केवल उच्च शिक्षित जनों की भाषा थी और कालान्तर में उच्च वर्ग के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन हुआ। अन्य भाषा भाषी जनों का साम्राज्य होने से उनके मध्य संस्कृत का प्रयोग न होने के कारण और जन सामान्य की भाषा न होने के कारण भी इसका अस्तित्व डगमगा गया।

यद्यपि भारतीय ज्ञान परम्परा के समस्त श्रोत संस्कृत भाषा में ही निबद्ध थे अतः समाज में इसकी उपयोगिता बनी रही किन्तु जिनके द्वारा शासन और प्रशासन किया गया उनकी भाषा नहीं रह सकी। परिणामतः यह केवल ग्रन्थों में ही समिट कर रह गई। गोस्वामी जी ने अपने काव्य में इस परम्परा का मानों खण्डन ही कर दिया हो। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि एक क्षेत्र में रहने वाले नागरिक चाहे वे किसी जाति या वर्ग के हों उनकी भाषा एक ही होती है। उनके वैदिक आधार पर उनकी स्थिति राजा होना या रंक होना अलग बात है किन्तु भाषा का उस सामर्थ्य से कोई प्रयोजन नहीं।

अतः काव्य में भी सबके लिए एक ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः उन्होंने रामचरितमानस में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राम दशरथ व उनकी रानियाँ करती हैं उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग केकयी की दासी मन्थरा भी करती है। यहाँ तक कि लंका की निसाचरियाँ भी उन्हीं शब्दों व उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रस्तुत अध्याय में नारीगत पात्रों के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत क्रियावाची शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है यह निम्नानुसार वर्णित है—

1. बालकाण्ड में नारी पात्र—

कैकेयी, मन्थरा, कौशल्या, सुमित्रा, ताटका, अनुसुइया, मन्दोदरी, तारा, स्वयंप्रभा, त्रिजटा एवं अप्सरा आदि अन्य नारियों का उल्लेख किया गया है। जो निम्नानुसार है—

सीता—सीता मिथिलाधिपति जनक की ज्येष्ठ कन्या हैं। उन्होंने नारद के वचनों को याद किया तो उनकी राम के प्रति प्रीति और भी अधिक बढ़ गई। नारद मुनि एकबार मिथिला पधारे थे। उन्होंने समस्त राजकुमारियों की हस्त रेखाओं का फलादेश किया था। तभी उन्होंने बताया था कि इनका विवाह राम के साथ होगा। उसी बात स्मरण कर सीता प्रसन्न हो रहीं हैं तथा निम्न शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है जो संस्कृत क्रियावाची हैं—

गई—बंदि—बोली—प्रस्तुत शब्द बालकाण्ड के दोहा संख्या दो सौ चौतीस की चौपाई चार में प्रयुक्त हैं। इसमें सीता भवानी के मन्दिर में जाती हैं उनकी बंदना करती हैं और हाँथ जोड़कर उनसे कुछ मन की बात बोलती हैं। यथा—गई = जाना, भवानी भवन बहोरी। बंदि = वन्दना कराना, चरन बोली=वद् धातु से बोली शब्द बना कर जोरी।।1

होहु— करहु—हरहु—मनहीं मन मनाव अकुलानी। होहु = भू धातु से होने के अर्थ में प्रयुक्त, प्रसन्न महेश भवानी।।2करहुँ = क्रि धातु से करहुँ शब्द बना, सफल आपनि सेवकाई। करि हितु हरहु = ह धातु, चाप गरुआई।।3

सेवत तथा सुलभ—सेवत = सेव् धातु से सेवत अर्थात् भजते हुए, तोहि सुलभ फल चारी।।4

गहे—अस कह चरन गहे = गहू धातु से पकड़ने के अर्थ में प्रयुक्त यह शब्द बैदेही के द्वारा प्रयुक्त किया गया है।5

भई—सीता के द्वारा विनम्र प्रार्थना किये जाने पर भवानी उमा सीता के प्रेम के वशीभूत हो गईं। यहाँ पर प्रयुक्त यह भई शब्द संस्कृत की क्रियावाची भू धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है होना—बिनय प्रेमबस भई = भू धातु, भवानी= उमा।6

धरेऊ तथा भरेऊ—सीता ने माता भवानी के द्वारा दिये गये माल्य को प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसे माता की आज्ञा मानकर सादर धारण कर लिया। सादर सिधैं प्रसादु सिर धरेऊ= धारण किया। बोली गौरि हरषु हिधैं भरेऊ= भर गया पूर्ण हुआ।।7

कहु—कथ् धातु से निष्पन्न शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है कहना तथा प्रयोग आगे किया गया है। यह प्रसंग पुष्पवाटिका निरीक्षण के अवसर का है। जिस समय पुष्पवाटिका में अनुज लक्ष्मण के साथ राम पुष्पवाटिका में भ्रमण कर रहे थे उसी समय सीता की अन्तरंग सखी जाती है और राम तथा लक्ष्मण की शोभा को देखकर सीता और अन्य सखियों के सम्मुख प्रसन्नता में मग्न है। उसे प्रसन्न देखकर सखियां कहती हैं—कहु = कहिये, यह शब्द विधिलिंग लकार के अर्थ में प्रयुक्त है। कारनु निज हरष कर पूछहिं सब मृदु बैन।8

एक अन्य प्रसंग में एक सखी सीता को राम के प्रति आकृष्ट देखकर सीता को उपदेश देती है कि हे सखी तुम गौरी का ध्यान करो। उनकी आराधना करो। तो तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। जैसे—

बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू = करो।9

करेहू—यह शब्द संस्कृत की कृ धातु से निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ करना है।

गावत—सीता को साथ में लेकर उनकी सखियाँ मनोहर मधुर गीत गाती हैं। गावत = गाना, गीत = गान का विषय, मनोहर बानी= मधुर शब्दों में।।10

सन्दर्भ :-

1. रामचरितमानस, बालकाण्ड 234/4
2. रामचरितमानस, बालकाण्डदोहा 256 चौपाई 5
3. रामचरितमानस, बालकाण्डदोहा 256 चौपाई 6
4. रामचरितमानस, बालकाण्ड 235/1
5. रामचरितमानस, बालकाण्ड 235/4
6. रामचरितमानस, बालकाण्ड 235/5
7. रामचरितमानस, बालकाण्ड 235/6
8. रामचरितमानस, बालकाण्ड 228
9. रामचरितमानस, बालकाण्डदोहा 233 चौपाई 2
10. रामचरितमानस, बालकाण्डदोहा 247 चौपाई 1





भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का महत्व

□ डॉ. श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव (प्राचार्य)*

शोध सारांश

भारत के सांस्कृतिक धरातल पर पर्यावरण का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है पर्यावरण के संरक्षण में प्राचीन भारतीय परंपराओं का विशेष योगदान है। पर्यावरण अर्थात् जो हमारे चारों ओर है या यह कहा जा सकता है कि हम पर्यावरण से घिरे हुए हैं। मानव का अस्तित्व ही जल, जंगल और जमीन पर टिका हुआ है। अगर हमने इनका अत्यधिक दोहन कर इन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो प्रकृति हमारा अस्तित्व समाप्त कर देगी। मानवीय विरासत के रूप में हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं प्राप्त होती हैं। भारतीय संस्कृति तो विज्ञान के साथ ही चलती है क्योंकि संस्कृति तथा विज्ञान का आपस में अविच्छेद संबंध है अर्थात् यह एक दूसरे के पूरक हैं।

भारतीय संस्कृति पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका रखती है हमारी संस्कृति ने मानव तथा प्रकृति के बीच अटूट रिश्ता कायम किया है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक तथा संतुलित है। भारतीय संस्कृति व परंपराओं में तो पेड़-पौधों, नदियों, पशु-पक्षियों, जंगली जानवरों, वन, मिट्टी यहां तक कि पत्थर और पहाड़ों को भी पूजने व संरक्षित करने की बात कही गई है। बुद्धिजीवियों व ऋषि-मुनियों का यह चिंता ही हमें पर्यावरण को संरक्षित व प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सार्थक कदम उठाने की प्रेरणा देती है। पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है क्योंकि "संरक्षण करना अपने आपको जीवन देना है।"

हम चारों ओर से पर्यावरण द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा कवच से घिरे हैं, तो हमें इस कवच को संरक्षित करना होगा ना कि उसे छिन्न भिन्न करना होगा,

अपितु उसे मजबूती प्रदान करनी चाहिए। किंतु भौतिक विकास और एक दूसरे से आगे निकल जाने की राक्षसी सोच ने निरंतर नये निर्माण कार्य व गगन चुंबी इमारतों, नदियों के किनारों पर अतिक्रमण और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने कहीं ना कहीं प्रकृति मानव के बीच संतुलन की स्थिति पैदा कर दी है। भारत के पास तो आज भी उसकी संस्कृति के दम पर बहुत कुछ है, पर पश्चिम के देशों ने प्रकृति को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जंगलों को नष्ट कर कंक्रीट को बिछाने व इमारतों को खड़ा करते वक्त उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इसके क्या गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रकृति को अत्यधिक नुकसान से बचाने हेतु उनके पास अपनी कोई मजबूत परंपराएं भी नहीं है।

प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक एंगान्स ने कहा था कि "प्राकृति पर अपनी मानवीय विजय के कारण हमें

* शासकीय महाविद्यालय, विजयराघवगढ़, कटनी (म.प्र.)।

आत्म प्रशंसा में विभोर नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रकृति हर ऐसी विजय का हमसे प्रतिरोध लेती है।" भारत में पेड़-पौधे, नदी पर्वत, अग्नि-वायु सहित प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। पेड़ की तुलना संतान से तो नदियों व धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। प्रकृति से जुड़े मानवीय संबंधों से ही हमें इन्हें संरक्षित करने की प्रेरणा मिलती है। प्राचीन समय से ही भारत के वैज्ञानिक, ऋषि मुनियों को प्रकृति को संरक्षित करने व मानव स्वभाव की गहरी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानव संबंधों को विकसित कर मनुष्य को प्रकृति से प्रेम कर उसे गंभीर क्षति पहुंचाने से रोकने का प्रयत्न किया था। प्रत्येक हिंदू परंपरा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। हिंदू संस्कृति में वृक्ष को देवता मानकर पूजा करने का विधान है। घर में तुलसी का पौधा लगाने का हिंदू संस्कृति में परंपरा है, क्योंकि यह औषधि की खान है साथ ही हमारे घर को कीटाणु से मुक्त करता है। पीपल के पौधे को तो देवता स्वरूप मान कर उसके पूजन व संरक्षण पर बल दिया जाता है, क्योंकि यह हमारे जीवन वायु ऑक्सीजन को देने का भंडार है। वट पूर्णिमा और आवला नवमी जैसे त्यौहार भी इन पेड़ों को संरक्षित करने की प्रेरणा देते हैं।

कालिदास ने पर्यावरण संरक्षण के विचार को मेघदूत तथा अभिज्ञान शकुंतलम में दर्शाया है। रामायण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों में भी वन, नदी, जीव-जंतु, पशु-पक्षी आदि का वर्णन विभिन्न संदर्भों में मिलता है, जिन्हें अलग-अलग स्वरूपों में पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, हवन-पूजन का विधान भी हमें प्रकृति से जोड़कर रखता है। अलग अलग रंग के पुष्प अलग-अलग देवी-देवताओं को प्रिय है जो उन्हें अर्पित किए जाते हैं। इसी तरह हवन और पूजन के लिए विभिन्न वृक्षों की लकड़ी जैसे- आम, पीपल, चंदन, देवदार, बेल, नींबू जैसी वस्तुएं और गेहूँ, जौ, तिल, चंदन, लाल पुष्प, केसर, खस, कमल, बांस, मिट्टी, फल, तुलसी, हल्दी, पीत-पुष्प,

शहद, घी, बेलपत्र दूब, कुश आदि प्रकृति से प्राप्त होने के कारण इन्हें संरक्षित किया जाता है।

प्राकृतिक चिकित्सा व औषधि के रूप में भी शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी आदि के साथ ही फलों और जड़ी बूटियों की रक्षा करने की बात कही गई है। साथ ही इन्हें घरों में या उसके निकट ही लगाने से पर्यावरण को स्वच्छ व संरक्षित करने का बल मिलता है। रामायण जैसे ग्रंथ में भी वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा संजीवनी बूटी से ही हुई थी, जो पर्वत से प्राप्त हुई थी। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने भी वनों में रहकर कंदमूल फल खाकर ही अपना समय व्यतीत किया था। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णित आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम व सन्यास आश्रम भी हमें प्रकृति व वनों से जोड़ कर रखते हैं। हम कह सकते हैं कि इन्हीं वनों में हमारी सांस्कृतिक विरासत का उद्भव और संवर्धन हुआ है। हिंदू संस्कृति में वृक्ष को देवता मानकर पूजा करने का विधान है। वृक्षों की पूजा करने के विधान के कारण ही हिंदू स्वभाव से ही वनों का संरक्षक हो जाता है।

मत्स्य पुराण में वर्णनानुसार दस के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि सौ पुत्रों से उतना सुख नहीं मिलता जितना एक वृक्ष लगाने से होता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पेड़ों में स्वयं पीपल का वृक्ष हूँ। तुलसी का पौधा स्वयं विष्णु प्रिया के रूप में पूजनीय है। संतान प्राप्ति के लिए बरगद की पूजा की जाती है। इसी तरह चंदन की लकड़ी माथे से लेकर जीवन की अंतिम यात्रा अर्थात् चिता में भी काम आती है और अपनी शीतलता और खुशबू के लिए अतुलनीय है। भगवान शंकर की पूजा अर्चना में बेलपत्र व धतूरे के फूल व फल की आवश्यकता होती है। केवल वायु ही नहीं बल्कि जल संरक्षण का भी हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्णन मिलता है। एक और जहां गंगा, जमुना, अदृश्य

सरस्वती त्रिवेणी में स्नान को पवित्र माना जाता है। वहीं गंगा को मोक्ष दायिनी के नाम से भी जाना जाता है। क्षिप्रा, नर्मदा, कावेरी, सोन व इसी तरह कई नदियों को पवित्र मानते हुए उनके स्वच्छ व शीतलता को बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया जाता है। गंगा के तट पर तो विशाल कुम्भ मेले का आयोजन इसके पवित्रता व महत्ता को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में केवल नदियों ही नहीं बल्कि पहाड़ों के पूजन का भी वर्णन मिलता है, जैसे कि गोवर्धन पूजन जिसके माध्यम से पर्वतों की महत्ता ज्ञात होती है।

भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त है मोहरों पर अंकित चित्रों से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी के निवासी भी वृक्षों की पूजा किया करते थे। भारत की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी अपनी संस्कृति को पूज्य तथा विश्वसनीय मानते हुए उसे अक्षुण्य बनाये रखने पर बल देता है। हमारे देश में अनेक तीर्थ स्थानों पर स्नान व त्योहारों को मनाने की परंपरा आज भी विद्यमान है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें निष्ठा पूर्वक नैतिक अनुशासन की शिक्षा जन समुदाय को देनी चाहिए जिससे पर्यावरण के प्रति प्रेम तथा उत्साह का संवर्धन जन-जन में किया जा सके। पर्यावरण के प्रति जन चेतना के माध्यम से ही उनके संरक्षण के लिए नई दिशा तथा प्रदूषण से उत्पन्न चुनौतियों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा बचपन से ही आरंभ की जाए साथ ही लोगों के मन में विश्वास कायम किया जाए तभी एक अबोध बालक अपने आसपास की नैसर्गिक सुंदरता के प्रति आकर्षित व प्रसन्नता महसूस कर उसके संरक्षण की बातें सोचेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम यह प्रयास करें कि ज्यादा से

ज्यादा लोग प्रकृति से जुड़ उसकी सुंदरता, पवित्रता को बनाए रखने का कार्य करें। आज भी हमारी पुरातन पर्यावरण संरक्षण की प्रथाओं को सामाजिक स्तर पर प्रधानता देते हुए, इन परंपराओं का अनुगमन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कर पर्यावरण को संतुलित व संरक्षित करने का प्रयत्न करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर हम आज भी अपने पर्यावरण सुधार के प्रति नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं ही अपने अस्तित्व के समाप्ति के लिए जिम्मेदार होंगे। पर्यावरण सुधार हेतु हमें पर्यावरण संरक्षण के उपायों की जानकारी हर स्तर हर उम्र के व्यक्तियों को देकर पर्यावरण के प्रति चेतना पैदा करनी होगी। प्रकृति के प्रति प्रेम व आदर की भावना, सादगी पूर्ण जीवन पद्धति और वानिकी के प्रति नई चेतना जागृत करनी होगी। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि मनुष्य के मूलभूत अधिकारों में जीवन के लिए एक स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण को भी शामिल किया जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची—

1. भारतीय संस्कृति, शिवदत्त ज्ञानी, राजकमल प्रकाशन।
2. पर्यावरण और सुरक्षा, गीतिका गोयल, सावित्री प्रकाशन।
3. भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त इतिहास, हरिदत्त वेदालंकार, एम. एन. पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर।
4. पर्यावरण अध्ययन, दयाशंकर त्रिपाठी, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स।
5. मानव अधिकार और पर्यावरण सन्तुलन, प्रो० हरिमोहन, वाणी प्रकाशन।





राजस्थान प्रदेश में लोक कला के विभिन्न स्वरूप

□ डॉ. एस. कृष्ण यादव*

शोध सारांश

भारत के समस्त प्रदेशों एवं क्षेत्रों में लोक कला के मनभावन विविध रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन राजस्थान का जन-समाज लोक कला से जिस प्रकार जुड़ा है। वह अपने में बहुत ही निराला है। सदियों से रूपहले राजस्थान में साहित्य, कला व संस्कृति की जो अविरल रसधारा प्रवाहित होती रही है। उसी के कारण यह गौरव प्रदेश आज भी अपनी लोकधर्मी परम्परा का अप्रतिम उदाहरण बना हुआ है।

विभिन्न कला स्वरूपों में लोक कला के विभिन्न रूप अनायास ही हमें आकर्षित करते हैं। खिलौने, कठपुतली, काष्ठकला, वस्त्रकला, मांडणा, कावड़, फड़, भित्ति-चित्र, गीत संगीत, नृत्य, नाट्य, सांझी कला एवं जनजातियों में प्रचलित इन लोक कलाओं में उन छुपे हुए कलाकारों के भावों से हमें रूबरू होने का मौका मिलता है। प्रस्तुत शोध आलेख में इन्हीं तथ्यों को उपस्थापित करने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी – लोककलाएँ, परम्पराएँ।

कलाएँ मनुष्य जीवन की सहचरी रही हैं। अपने अस्तित्व और अस्मिता को पहचान देने के लिए मनुष्य ने जिस सहज और जीवंत माध्यम की तलाश की, वही कला है। हर्ष हो या विषाद के क्षण अभिव्यक्ति की विविध भंगिमाओं में व्यक्ति अपने निजी और अन्तरंग भाव संचार की ही प्रतीति करता है। देश और काल से ऊपर उठकर लोक जगत का यह रचनात्मक कार्यकलाप विकसित होता रहा है।

लोक कला परम्परा की विशेषता यही है कि वह लोक संस्कृति का अभिन्न अंग होकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। रूढ़िगत संस्कारों एवं प्रथाओं की भांति उसमें परिवर्तन की संभावनाएँ

सीमित रहती हैं। लोक परम्पराओं में भागीदारी सामुदायिक रहती है। कलाकार और दर्शक के दो वर्ग नहीं रहते।

खिलौने-

मृण, मिट्टी अथवा माटी की शिल्पकला का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना कि स्वयं मानव का। मृण शिल्पों के प्राप्त नमूनों के द्वारा मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति का सर्वाधिक तथ्यपरक और स्पष्ट अध्ययन किया जाता रहा है। समय व काल की परतों में दबी सभ्यता व संस्कृतियों के प्रमाण के रूप में मिट्टी की प्रतिमाएँ एवं पात्र व खिलौने हमारे समक्ष अपने गौरवशाली इतिहास का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

* समन्वयक (अकादमिक) एवं विभागाध्यक्ष, ललित कला संकाय, श्री जे. जे. टी. विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, चुड़ेला (झुंझुनू), राजस्थान-333001 | krishanyadav1972@gmail.com, फोन 9784230968, 8432463110

जयपुर एवं उसके निकटवर्ती कस्बों-गांवों में कच्ची मिट्टी या काली पीली मिट्टी के बने खिलौनों की परम्परा प्रचलित रही है जिसमें स्थानीय कुम्हार परिवारों की स्त्रियां व बच्चे संलग्न रहे हैं। गीली मिट्टी के लौंदे को पतली परत के रूप में फैलाकर सांचों के द्वारा ये खिलौने तैयार किए जाते थे, दो अलग-अलग भागों से तैयार पशु, पक्षी, फल, फूल आदि की आकृतियों को बीच से जोड़ दिया जाता है फिर उसे पूर्ण किया जाता है और रंग भरा जाता है।

मौलेला गाँव राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। मौलेला टेराकोटा मिट्टी से बनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मालवा तक पूजन के लिए ले जाई जाती है। यहाँ पर मूर्ति बनाने का काम कुम्हार जाति के लोग करते हैं, जिन्हें प्रजापति भी कहा जाता है, ये लोग यहाँ के पारम्परिक मृण्मूर्ति कलाकार हैं।

मौलेला के कुम्हार धार्मिक मूर्तियों में गणेश, शिव-पार्वती, भेरुंजी, हनुमान, लक्ष्मी अम्बिका माता, शिवज का नंदी, धर्मराज एवं अनेक लोक देवताओं की मिट्टी की फड़ भी बनाते हैं।

जयपुर, बस्सी, दौसा, चाकसू, सांगानेर, बगरू आदि क्षेत्रों में लगने वाले मेलों में कच्ची मिट्टी के ये खिलौने विशेष आकर्षण के केंद्र बन जाते थे और रंग बिरंगे पशु पक्षी, फल फूल, नाटे मोटे सेठ सेठानी देखकर बरबस ही बच्चों व बड़ों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी।

कठपुतली कला—

राजस्थान में कठपुतली का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, परन्तु इस बात का लिखित प्रमाण नहीं है। कठपुतली शब्द में 'काठ' का अर्थ है लकड़ी एवं 'पुतली' का अर्थ गुड़िया होता है। अतः कठपुतली का अर्थ 'लकड़ी की गुड़िया'।

ऐसा माना जाता है कि प्रथम कठपुतली खेल राजा विक्रमादित्य की 'सिंहासन बत्तीसी' की कथा

पर आधारित था, जिसमें बत्तीसी कठपुतलियों के माध्यम से राजा विक्रमादित्य के कार्यों व जीवन के बारे में बताया गया था। कठपुतली के खेल मंत्रमुग्ध कर देने वाले होते हैं। कठपुतली खेल हर क्षेत्र की भाशा के अनुरूप होता है। कठपुतली खेल में संवाद, गीत, क्रियाकलाप सभी सरलता से ओत प्रोत होते हैं।

राजस्थान संस्कृति को अलंकृति करती कठपुतली कला ऐसी उत्कृष्ट विद्या है जो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है। आवश्यकता है हमारी ऐसी अमूल्य कला व कलाकारों को बिचौलियों से बचाने की, जो इनका शोषण कर रहे हैं। सरकार को लोक कलाओं व कलाकारों को समुचित संरक्षण देना चाहिए, ताकि इनके हाथों का हुनर जिन्दा रह सके, वे अपने परम्परागत कार्य छोड़ने को बाध्य न हों। कलाकारों को रोजगार व प्रोत्साहन मिले।

काष्ठकला—

लोक कला से जुड़ी पूर्व प्रचलित पारम्परिक काष्ठ शिल्प-क्षेत्र की नक्काशी व डिजाइनों में जहाँ राजस्थान में झिलों की नगरी उदयपुर तथा देवों की नगरी नाथद्वारा में लकड़ी की नक्काशी एवं इसी शृंखला में मरुप्रदेश स्थित बाड़मेर के कलाकारों द्वारा लकड़ी पर उत्कृष्ट नक्काशी का काम मुख्य आकर्षण का केन्द्र है। नक्काशी के लिए प्रयुक्त फूल-पत्तियों, लता-बेलों के समूह या एकल रूप, कमल, ताम्बूल, पशु-पक्षियों की आकृतियां जैसे- हाथी, घोड़े, ऊँट, सिंह, हिरण, मोर, हंस, तोता अथवा स्वास्तिक, बिन्दु शृंखला, ज्यामितीय रूप में आड़ी-तिरछी रेखाएं आदि परम्परागत अलंकरणों का अनूठा प्रयोग उदयपुर में रंगों द्वारा मीनाकारी एवं बाड़मेरी हस्त शिल्प कलाकारों द्वारा काष्ठ पर किया जाता है। प्राचीन काल में लकड़ी पर नक्काशी के विभिन्न स्वरूपों में मुख्यतः दरवाजे, खिड़की, खाट, पाट, चौखट, हुक्का, तौरण, बर्तन, बाजोट, पालना, बैलगाड़ी, खिलौने, अलमारी, चौकी व षतरंज की मौहरें आदि के साथ ही आधुनिक काल के

सोफा सेट, सेंट्रल व साइड टेबल, डाइनिंग व ड्रेसिंग सेट, डबल व सिंगल बेड, टी वी ट्राली या रेक तथा दरवाजे खिड़कियां आदि नवीन स्वरूप पर नक्काशी आज भी उत्कृष्ट पहचान बना रहे हैं।

वस्त्रकला—

राजस्थान अपनी बहुरंगी वस्त्रों के लिए प्राचीन काल से विख्यात रहा है। यहाँ के वस्त्र वैभव का उल्लेख अनेक मध्यकालीन ग्रंथों में हुआ है और विश्व के कई संग्रहालयों में यहाँ के रंगे छपे वस्त्र सुरक्षित हैं। यहाँ की पीली मरुभूमि और पीले प्रकाश में समरसता के प्रतिरोध में रंगबिरंगी वेषभूषा यहाँ की विशेषता रही है। साथ ही बूटे व रंगों द्वारा जातियों की पहचान की जाती थी। अर्थात् पहनावे से जातियों का पता चल जाता था।

कुछ लोक कढ़ाई तो पुराने काल की छाप देखने का मिलती है। ट्रेडिशनल एम्ब्रोइडरिज ऑफ इण्डिया में उल्लेख है कि कुछ मुख्य कढ़ाइयों का सम्मेलन करके लोक कढ़ाई की प्रदर्शनी में टी एन मुखर्जी द्वारा जयपुर तथा बीकानेर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भेजा गया था जिसमें क्रॉस कढ़ाई को जिसे जार्ज वॉट ने बनाया उसे राजस्थानी जाट महिलाओं द्वारा प्रयोग में दिलवाया गया। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान की कढ़ाई भी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ती है।

जयपुर के पास बगरु में वस्त्र छपाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केन्द्र है, यह अपनी वस्त्र छपाई कला के लिए विश्व विख्यात है और यहाँ के वानस्पतिक रंगों से काष्ठ-ठप्पे से छपे वस्त्रों की मांग देश विदेश में निरन्तर बनी हुई है। बगरु की छपाई प्राचीन काल से ही काफी लोकप्रिय रही है।

मांडणा—

भारतीय लोक कला में सौंदर्यबोध की दृष्टि से राजस्थान के मांडणों का विशिष्ट स्थान है। राजस्थानी मांडणे स्वयं में कई विशेषताओं को समेटे हुए आज भी जन-रूचि को आकर्षित करते हुए लोगों को आल्हाद प्रदान करते हैं। रेखाओं को एक-दूसरे में

गूँथ कर 'मांडणा' मन की सौंदर्य-लिप्सा को शान्त करने का अपूर्व साधन है।

हाडौति अंचल-कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां जिले में मांडणा कला एक परम्परा के रूप में विकसित हुई है। यहाँ पर कच्चे मकानों की लिपाई-पुताई करने के पश्चात् आंगन, चौक, आल्यों, देहलों, परिण्डों, गोखड़ों तथा भीतों पर मांडणे मांडे जाते हैं।

जयपुर के आस-पास के गांवों से लेकर चाकसू, निवाई, वनस्थली, टोंक और उसके पास के गांवों जैसे- पल्लई, झिलाय, पुसड़िया, मुंडिया, मोटुका, हरिपुरा तथा सवाईमाधोपुर के गांवों में मंडे हुए मांडणों की भरमार दिखाई देती है जिनसे न केवल सृजनात्मकता ही झलकती है अपितु कार्य कौशल, लयात्मकता, गति आदि का भी सामंजस्य है। यूं तो प्रत्येक उत्सव एवं त्यौहारों पर मांडणे बनाए जाते हैं किन्तु मुख्य रूप से दीपावली पर इन गांवों की रौनक देखते ही बनती है।

कावड़—

कावड़ छोटी सी मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति है जिसका कलात्मक रूप बड़ा लुभावना होता है। इसमें कई द्वार (कपाट) होते हैं। सारे कपाट खुल जाने पर अन्त में मंदिर में बने गर्भ गृह में राम, लक्ष्मण एवं सीता की मूर्तियां बनी होती हैं। इन कपाटों पर चटक रंग से की गई चित्रकारी मन को हर लेती है। लाल पृष्ठभूमि पर काले, पीले, हरे एवं सफेद रंग का संयोजन कर आकर्षक आकृतियों का निर्माण किया जाता है। इन्हें बाँचने वाले कावड़िया भाट कहलाते हैं। जो मयूर पंख से पट पर संदर्भ इंगित कर लयात्मक वाचन करते हैं। इन कपाटों पर दसावतारों का चित्रण लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रचलन में रहा है।

प्रारम्भ में कावड़ एक पाट की बनी होती थी। प्रथम पाट के दरवाजे के दोनों किवाड़ों तथा नीचे की ओर गौशाला की पेटी और उसके भीतर गुप्त

बाड़ी में प्राप्त लिखित इबारतों से देव पूजन विधान तथा गौशाला पेटी में दिए दान से गाय को घास डाले जाने का उल्लेख मिलता है। कावड़ के सभी कपाट एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक खंड में स्थित हर पाट पर सुंदर चित्रकारी सहित नाना भाँति के धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं से संबद्ध देवी देवताओं के मुख्य प्रसंग चित्रित होते हैं।

लोक कला मंडल, उदयपुर में संग्रहित कावड़ पर कंस वध करते बंशीधारी कृष्ण, छत्रधारी श्वेत घोड़े के रूप में कल्कि, राक्षक को अपने अंक में रखकर मारते हुए, सिंह के मुख वाले नृसिंह, दसशीश वाले रावण से युद्ध करते नीले शरीर में राम व उनके साथ गौरवर्णी लक्ष्मण इत्यादि का चित्रण स्पष्ट देखा जा सकता है। जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में भी बड़ी कावड़ दर्शनीय है।

फड़—

कपड़े के पट पर अंकित कथा—चित्र को भोपा—भोपिन बाँचते (पढ़ते) हैं। सर्दियों में गाँव की हथार्ई के पास दो बाँस गाड़कर एक पर्दा—सा लगा दिया जाता है। जिस पर लोक देवताओं और उनकी लीलाओं के छोटे—छोटे चित्र बने रहते हैं। तब बाँस के एक सिरे में तार से दीपक लटका कर 'भोपण' उल्टे पाँव प्रकाश व्यवस्था करती चलती है और भोपा 'जंतर' की सहायता से लोक देवता की गाथा, गेय शैली में बाँचता चला जाता है। लोक देवताओं का यह पावन चरित्र ही "फड़—वाचन" कहलाता है।

भीलवाड़ा की फड़ चित्रकला आज विश्व विख्यात है। इस कला को देखने विश्व भर के कला प्रेमी भीलवाड़ा आने लगे हैं। फड़ चित्रकला के इस हुनर ने छोटे से मेवाड़ प्रान्त को विश्व के कला मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाया है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा ठिकाने में, मेवाड़ी परम्परा के आधार पर जो मेवाड़ की उपशैली विकसित हुई उसमें लोक जीवन का विशेष प्रभाव था। उसका अंतिम उजास आज तक फड़ चित्रण के रूप में चला आ रहा है।

वर्तमान में फड़ चित्रों को विश्व भर के कला संग्रहालयों में संग्रहित किया जाने लगा है।

भित्ति चित्र—

शेखावाटी जयपुर राज्य की एक बड़ी और महत्वपूर्ण निजामत थी। यहाँ के सामंत जयपुर राज्य और मुगल दरबार से अच्छे संबंधों के कारण वैभवशाली जीवन यापन करते थे। सुदृढ़ गढ़, आकर्षक महल, देवालय और छतरियों का निर्माण उन्होंने करवाया। साथ ही इन्हें सुंदर चित्रों और अलंकृत आलेखनों से भी सजवाया। देखा—देखी, छोटे—छोटे सरदारों, ठाकुरों, वणिक वर्ग ने भी विशाल हवेलियों और देवालयों का निर्माण करवाया। ये विशालकाय हवेलियां चित्रों से सजाई गईं, जिनके पीछे शानोशौकत का प्रदर्शन, मांगलिक भावना और स्वस्थ मनोरंजन का उद्देश्य था। जिस पर स्थानीय लोक कला की पूर्ण छाप है। इनका विश्वास था कि क्या वह भी कोई घर है जहाँ देवी—देवताओं और वीरों का वास न हो? यही नहीं, वरन् विवाह में, उत्सवों और धार्मिक समारोहों के अवसरों पर भित्तियों पर चित्रों का निर्माण आवश्यक समझा जाता था।

इस क्षेत्र में ढोला मारू, निहालदे सुल्तान, जलाल, नागजी नागवती, सोरठ, बगड़ावत, पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी आदि लोक कथाएं आज तक प्रचलित हैं। इन लोक विषयों से शेखावाटी के चित्रकार अछूते नहीं रहे हैं। स्थानीय समाज के अध्ययन एवं सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि होती है कि साधारण समाज में भी चित्रण के प्रति आस्था रही है। वस्तुतः कला की अभिजात्य धारणाओं के उद्भव में लोक तत्वों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है।

सवाईमाधोपुर की मीणा जनजाति में घरों की आन्तरिक और बाहरी भित्तियों पर सफेद रंग के आरेखन की प्रथा है। यहाँ मृतक की याद में "पगलिये" पैरों के चिह्न, हाथ के चिह्न आदि पत्थर व लकड़ी पर उकेरे जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी मिट्टी के बने साधनों का अधिक उपयोग करते हैं।

इनमें अनाज संग्रह करने के लिए मिट्टी की बनी 'कोठियां' और भोजन सामग्री रखने के लिए 'सोहरियां' बनाई जाती है तथा इन पर उभारे गए आकारों पर दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रतीकात्मक आकार और ज्यामितीय अलंकरण में मोर, चाँद-सूरज, युगल, पशु-पक्षी आदि होते हैं।

गीत संगीत—

लोक संगीत तो हर प्रदेश का सरस ही होता है, पर कहा जा सकता है कि राजस्थान का लोक संगीत बहुत समृद्ध रहा है। रंगीले राजस्थान के लोक संगीत में विविधता एवं व्यापकता है। सामाजिक जीवन से जुड़ी हर परिस्थिति, सुख-दुःख, खेती-बाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों इत्यादि का वर्णन लोक गीतों में सहज, सरल हुआ है। उदाहरणार्थ — राजस्थान में दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। पानी की किल्लत रहती थी, नल नहीं थे। यहाँ के लोक गीतों में यह भाव स्पष्ट मुखरित होता सुनाई पड़ता है।

यथा—

सागर पाणीं लेबा जाऊंसा,
निजर लग जाय.....

तथा

आठ कुआ नौ बावड़ी,
ओ पणिहारी जिय लो.....

इसी प्रकार

बादळी बरसे क्यूँ न ए,
बीजळी चमके क्यूँ न ए.....

म्हारा भँवरसा के रंग महल में चम्पो सूखे ए....

सर्वविदित है कि राजस्थान तीज, त्योहार, मेलों व उत्सवों का प्रदेश है। यहाँ जितनी बोलियां हैं उतना ही गीत-संगीत। अगर लोक गीतों के विषय में चर्चा की जाए तो राजस्थान की लोक संस्कृति के अन्तर्गत आने वाले लोकाचार, परम्परा और रीति रिवाजों से जुड़े इन लोक गीतों का प्रचुर भंडार है। विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले विविध गीतों में राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति की छटा देखने को मिलती है।

नृत्य—

लोक गीतों की भांति राजस्थान के लोक नृत्यों की भी अपनी विशिष्ट शैली है। वस्तुतः लोक नृत्य आन्तरिक उल्लास का सौंदर्य समन्वित प्रकाशन है। इन लोक नृत्यों पर देश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व सामाजिक परिवेश का प्रभाव देखा जा सकता है। राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करने पर यहाँ के प्राकृतिक वातावरण, पहाड़ों, नदियों, झीलों व मरुस्थलों के प्रभाव को जन मानस के कार्य व भाव-अनुभाव में देखा जा सकता है।

राजस्थान में कई लोक नृत्य प्रचलित हैं। यथा— घूमर, गवरी, वालर, लूर, मांदल, चरी, डांडिया, कच्छी घोड़ी, लांगुरिया, डांग, चंग, गींदड़, अग्नि, बम, भवाई, तेराताली, घुडला, झूमर, इंडाणी, चिरमी, गौरबंद, पणिहारी, गैर व कालबेलिया।

नाट्य

राजस्थानी लोक नाट्यों का उद्भव कैसे हुआ? क्या परम्परा रही? आनुष्ठानिक स्वरूप से यह कैसे लोकानुरंजन का सशक्त माध्यम बना इस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि मध्यकाल में रास, चर्चरी, फाग, खेलने या रमने की प्रथा राजस्थान में थी। संभवतः ख्याल, खेल, रम्मत आदि इन्हीं का रूपान्तर है। 18वीं सदी के पूर्वार्द्ध में राजस्थानी लोक नाट्यों के प्रदर्शन की अविराम परम्परा हमें मिलती है।

राजस्थान का भौगोलिक वातावरण वैविध्यपूर्ण है। कहीं मैदान, कहीं पठार तो कहीं रेगिस्तान। यही विविधता यहाँ के लोक नाट्यों में दिखाई पड़ती है। भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश निश्चित रूप से अभिव्यक्ति के माध्यम, संप्रेषण की विधा और लोक रंगमंच के स्वरूप को प्रभावित करता है। राजस्थानी लोक नाट्यों में इसीलिए अनेक रूपता है और इसी कारण तीन प्रमुख प्रकार देखने को मिलते हैं। 1. ख्याल, 2. स्वांग तथा 3. लीलाएं। ख्यालों के भी रंग शैलियों के आधार पर कई प्रकार हमारे

सामने पड़ते हैं, जैसे— कुचामणी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, मेवाड ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुर्रा—कलंगी के ख्याल, तमाशा शैली इत्यादि।

साँझी कला

साँझी कला अपने मूल रूप में गोबर पर विविध रंगों व फूलों का सांस्कृतिक साँचा है। गोबर द्वारा विविध आकृतियाँ उभारी जाती हैं और उन्हें फूलों (चाँदनी, मोगरा, वोगन विलिया, गुलाब, कुबेर, गुलपत्री, चमेली, चम्पा, केली) द्वारा शृंगारित मनमोहक बनाया जाता है। डॉ. महेन्द्र भानावत ने भी इस पर विशद अध्ययन कर लिखा है कि कन्याओं का तो यह संझया, संझया ही है। यह उनकी लोक देवी है, आराध्या है, पूजा है, पाहुनी है, बहिन है, सखि—सहेली है, गोहण है, माँ है। लड़कियों ने अपनी भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं आस्था—विश्वासों के अनुरूप इसे विविध रूप नामों में देखा, चिन्तारा और सिणगारा है।

राजस्थान राज्य का जैसलमेर जिला लोक कलाओं की दृष्टि से कुबेर के भंडार के समान है। विषय वस्तु की दृष्टि से जैसलमेर की लोक—कलाओं के विभिन्न रूपों में भित्ति चित्रण, शिल्प कला, लोक पर्वों से संबंधित कला, वस्त्र परिधान व अलंकरण तथा अंग सज्जा आदि का विशेष स्थान है। इसके अतिरिक्त लोक चित्रों में प्रतीकात्मक रूपों का प्रयोग पुरातन समय से होता आया है।

इस प्रकार राजस्थान प्रदेश में लोक कला के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होते हैं। जैसलमेर में कसीदा व ऊँट कालीन में छपे कला रूप, बस्सी की कठपूतलियाँ, मौलेला के मिट्टी के खिलौने तथा सांगानेरी लकड़ी के ठप्पे कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जिनसे वहाँ के जन सामान्य की कला—प्रियता का सहज अनुमान किया जा सकता है।

लोक कला के प्रति दृष्टिकोण —

प्रो. चिन्मय मेहता के अनुसार “कला शिक्षा में एक ठोस विषय के रूप में लोक परम्पराओं के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्ष का विधिवत् अध्ययन निर्धारित होना चाहिए, ऐसा मेरा अभिमत आरम्भ से रहा है।”

प्रो. माया रानी टाक के अनुसार “बेशक परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कला को जीवित रखने के लिए समय के साथ चलना जरूरी है। अतः परिवर्तन जरूर होने चाहिए, पर उसकी आत्मा नहीं खत्म होनी चाहिए।”

प्रो. वीरबाला भावसार के अनुसार “आज की आधुनिक या समकालीन कला की प्रेरणास्रोत बनी, लोक कला मानव जीवन का उल्लास है। इसमें गूढ़ रहस्यों की अभिव्यक्ति और सारगर्भित मुखरता भी है।”

संदर्भ—

1. धनराज दपतरी एवं राजेन्द्र साहीवाल : राजस्थानी संस्कृति, संदर्भ और स्वरूप, जयपुर।
2. जयसिंह नीरज एवं भगवती लाल शर्मा : राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा, जयपुर।
3. जसलीन धमीजा : भारत की लोक कला और हस्त शिल्प कला, नई दिल्ली।
4. कमलेश माथुर : हस्त शिल्प कला के विविध आयाम, जयपुर।
5. जमिला ब्रज भूषण : इण्डियन एम्ब्रोइडरिज।
6. प्रियंका वर्मा : राजस्थान की काष्ठ—ठप्पा छपाई कला का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक अध्ययन।
7. गंगा कौरानी : राजस्थानी मंडन कला की पारिभाषिक शब्दावली, जूंगरपुर।
8. डॉ. रेखा भटनागर : आकृति, जयपुर।
9. डॉ. नगेन्द्र : भारतीय सौंदर्यशास्त्र की भूमिका, नई दिल्ली।





छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के विकास में बिलासपुर से प्रकाशित समाचार-पत्र का योगदान ('हरिभूमि' हिन्दी दैनिक के विशेष संदर्भ में)

- नितेश पाटकर*
- डॉ. गुरु सरन लाल**

शोध सारांश

देश के अन्य अंचलों की तरह से छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता प्रवृत्तियां एवं परिस्थितियां वैसी ही थी, जैसी शेष भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत में भी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का उद्भव का सम्पूर्ण श्रेय माधवराव सप्रे जैसे प्रखर एवं तेजस्वी व्यक्तित्व के द्वारा हुआ इस कारण छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के प्रारंभिक तेवर उग्र एवं राष्ट्रीय भावना में केंद्रित थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जब महात्मा गांधी जी का प्रादुर्भाव बढ़ा, तब भारतीय हिंदी पत्रकारिता में आजादी के आंदोलन के प्रति गंभीर रूप से चेतना जागृत हुई और हिंदी में एक ही लक्ष्य अपने सामने रखा वह लक्ष्य था कि आजादी के आंदोलन को संभव समर्थन देना है और आजादी के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

आज के समय में बात करें छत्तीसगढ़ पत्रकारिता में दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि के प्रभाव की तो प्रख्यात रूप से यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ पत्रकारिता को नया आयाम देने में हरिभूमि ने भी एक दैनिक समाचार पत्रिका के रूप में अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। छत्तीसगढ़ के समाचार प्रेमी व पाठक वर्गों के बीच हरिभूमि का अहम स्थान है। हरिभूमि मीडिया ग्रुप दैनिक समाचारपत्र के अलावा विभिन्न प्रकार के साप्ताहिक सप्लीमेंट भी उपलब्ध कराता है।

-
- * छात्र, एम.ए. (जेएमसी) चतुर्थ सेमेस्टर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.), मोबाइल: 7987721261
 - ** असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.), मोबाइल : 9425542795

प्रस्तावना:

छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का शंखनाद छत्तीसगढ़ मित्र से हुआ। इस समय न यातायात के ठीक साधन थे ना ही शहरों में अच्छी शिक्षा। ऐसे संघर्ष समय में बिलासपुर जिले के पेंड्रा रोड से श्री माधवराव सप्रे जी ने सन् 1900 में पत्रकारिता की शुरुआत की। इस तरह यह माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के उद्भव की अलख बिलासपुर से ही जगी थी। सन् 1914 में यहां से श्री कुलदीप सहाय ने हस्तलिखित 'बालक' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। कुछ समय बाद यह पत्र विद्योदय के नाम से प्रकाशित होने लगा। सन् 1919 में बिलासपुर जिले के मुंगेली से छत्तीसगढ़ ईसाई समाज द्वारा भानुदय नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया, इसके 4 अंक ही प्रकाशित हो पाए। इसके पश्चात सन् 1923 में बिलासपुर से विकास नामक पत्रिका श्री कुलदीप सहाय के संपादन में शुरू हुई। यह छत्तीसगढ़ी भाषा पर समर्पित पत्रिका थी। सन् 1936 में ही बिलासपुर से यदुनंदन श्रीवास्तव ने प्रकाश की शुरुआत की। सन् 1937 में यह पत्रिका बंद हुई। सन् 1936 में ही बिलासपुर से स्वतंत्र समर्थक विचारधारा को समर्पित पत्र हैहयवंश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ।

सन् 1940 में 'मुकुट' राजकुमार कॉलेज की पत्रिका शुरू हुई। सन् 1941 बिलासपुर से श्री रामकृष्ण पांडे द्वारा 'पराक्रम' प्रारंभ किया गया। यह साप्ताहिक से सन् 1962 तक प्रकाशित हुई। पराक्रम के कलेवर के कारण भी श्री पांडे की विशिष्ट पहचान गई। सन् 1953 में बिलासपुर से साप्ताहिक पत्रिका तूफान का प्रकाशन एस. आर काले एवं श्री नारायण शुक्ल के संपादन में शुरू हुआ। इसी वर्ष बिलासपुर से नव समाज एवं मुक्ति नामक पत्र राज नारायण मिश्रा के संपादन में शुरू हुआ। बिलासपुर में लोकमित्र भी इसी वर्ष वृंदावन बिहारी मिश्रा के संपादन में शुरू हुआ। थोड़े अंतराल के बाद श्रीकांत वर्मा के संपादन में बिलासपुर क्षेत्र की साहित्यिक पत्रिका 'नई दिशा' शुरू हुई।

यह भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। सन् 1984 में नवभारत कुमार साहू और बबन प्रसाद के संपादकत्व में चला। सन् 1990 में बिलासपुर से छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश एवं मुक्तिदूत का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। मासिक पत्रिका एवं सहयोग दर्शन साप्ताहिक पत्रिका के संपादन में शक्ति टाइम्स की शुरुआत हुई बिलासपुर से साप्ताहिक नया तूफान तथा सृजन नामक त्रैमासिक पत्रिका परितोष चक्रवर्ती के संपादन में शुरू हुआ।

प्रतिष्ठित समाचार पत्रों की बात करें तो बिलासपुर में प्रिंट समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत, नईदुनिया, पत्रिका, देशबंधु, हाइवे चैनल, लोकस्वर, 'द ईवनिंग टाइम्स' इत्यादि एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्थानीय चैनलों में सिटी भाटिया, ग्रैंड गुम्बर, सिटी न्यूज व प्रादेशिक बंसल न्यूज, न्यूज नेशन, स्वराज्य एक्सप्रेस, आईएनएच, न्यूज नेशनल एवं डिजिटल न्यूज पोर्टल्स में बहूसस, आजकल. पदवि, न्यू पावर गेम, लल्लूराम आदि हिंदी पत्रकारिता कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि बिलासपुर में एक बेहतर माध्यम में हिंदी पत्रकारिता सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, मसलन अपवादों को छोड़कर जो हर जगह सदैव अपनी भूमिका में होते हैं।

'हरिभूमि' : एक परिचय

हरिभूमि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र है। हरिभूमि भारत में हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में प्रकाशित होता है। हरिभूमि मीडिया ग्रुप के फाउंडर कैफ्टेन अभिमन्यु सिंधु तथा ग्रुप एडिटर डॉ.कुलबीर छिकारा हैं। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, जो वर्तमान में हरियाणा में रोहतक, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर एवं रायगढ़ से, मध्यप्रदेश में जबलपुर से और दिल्ली से प्रकाशित होता है। हरिभूमि ग्रुप की शुरुआत 5 सितंबर 1996 को साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के रूप में हुई थी।

मार्च 2001 में हरिभूमि ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया और बिलासपुर एडिशन की शुरुआत हुई। जून 2002 में बिलासपुर और रायपुर में ग्रुप के ऑफिस शुरू

किए गए। रायपुर एडिशन ने उड़ीसा के भी काफी क्षेत्र की खबरें प्रकाशित करनी शुरू की। अक्टूबर 2008 में मध्यप्रदेश से हरिभूमि जबलपुर की शुरुआत की गई। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ में रायगढ़ एडिशन की भी शुरुआत की गई। इनमें महिलाओं के लिए 'सहेली', बच्चों के लिए 'बालभूमि', युवाओं के लिए 'मंजिल', रविवार स्पेशल 'रविवार भारती', मनोरंजन के लिए 'रंगारंग' तथा सांस्कृतिक मैगज़ीन 'चौपाल' प्रकाशित करता है। यह जिन वर्गों के लिए प्रकाशित किया जाता है, उन सभी वर्गों के बीच इन पत्रिकाओं की बेहद लोकप्रियता है।

शोध का उद्देश्य:

○ बिलासपुर से प्रकाशित समाचार पत्र एवं उनकी विशेषता (हरिभूमि के विशेष संदर्भ में)

○ समाचार पत्र का विकास एवं वर्तमान दशा

शोध का महत्व:

इस शोध का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अपने प्रारंभ से ही हरिभूमि ने ग्रामीण क्षेत्रों की खबरों को प्रमुखता से उठाया है। यही कारण है कि ग्रामीण पाठकों से दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि का विशेष जुड़ाव दिखता है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ ही सन् 2002 में हरिभूमि का शुभारंभ बिलासपुर से हुआ, इस उद्देश्य के साथ कि समाचार पत्र की प्राथमिकता प्रमुखता से क्षेत्रीय या ग्रामीण समस्याओं को मजबूती के साथ उठाने में होगी' इस तरह यह कहा जा सकता है कि हरिभूमि ही वह अखबार था जिसने बाकी अखबारों से अलग हटकर ग्रामीण क्षेत्र के पाठकों के बीच अपना एक विशेष स्थान बनाया।

शोध का क्षेत्र:

शोध का विषय छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में बिलासपुर से प्रकाशित समाचार पत्र का योगदान (हरिभूमि के विशेष संदर्भ में) है, इसलिए यह शोध बिलासपुर के क्षेत्र में केंद्रित है। बिलासपुर से प्रकाशित

केवल एक समाचार-पत्र 'हरिभूमि' का अध्ययन किया गया है।

शोध प्रविधि:

○ अध्ययन के लिए सर्वेक्षण एवं अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।


○ ऑकड़ों का प्रस्तुतिकरण सारणी के माध्यम से किया गया।

ऑकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण:

प्रश्न 1: हरिभूमि किस तरह का समाचार पत्र है

तालिका : 01

क्र.	विकल्प	प्रतिशत
1	साप्ताहिक	00
2	मासिक	05
3	दैनिक	90
4	अर्धमासिक	05




○ प्रश्न हरिभूमि किस तरह का समाचार पत्र है ? का उत्तर देने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, जो (1) साप्ताहिक, (2) मासिक, (3) दैनिक, (4) अर्धमासिक हैं। इन विकल्पों में से विकल्प (3) दैनिक, का चुनाव 90% लोगों ने किया है। इनमें पहले, दूसरे एवं चौथे विकल्प को 0%, 5%, 5% मत प्राप्त हुए हैं। अर्थात् ज्यादातर लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है। 90% प्रतिशत लोगों को सही जवाब पता है, जबकि 10% प्रतिशत ने गलत जवाब दिया।

प्रश्न 2: हरिभूमि बिलासपुर एडिशन के वर्तमान संपादक कौन हैं?

तालिका : 02

क्रमांक	विकल्प	प्रतिशत
1	कमल ठाकुर	04
2	प्रवीण शुक्ला	82
3	सतीश जायसवाल	04
4	केशव चंद शुक्ला	10

■ 4% ■ 82% ■ 4% ■ 10%




○ प्रश्न "हरिभूमि बिलासपुर एडिशन के वर्तमान संपादक कौन हैं?" का उत्तर देने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, जो (1) कमल ठाकुर, (2) प्रवीण शुक्ला, (3) सतीश जायसवाल, (4) केशव चंद शुक्ला हैं। इन विकल्पों में से विकल्प (2) प्रवीण शुक्ला, का चुनाव 82% लोगों ने किया है। यह जवाब सही है। इनमें पहले, तीसरे एवं चौथे विकल्प को 4%, 4%, 10% मत प्राप्त हुए हैं। जो सिद्ध करता है कि अधिकांश लोगों के पास सही जानकारी है।

प्रश्न 3: पत्रिका हरिभूमि में छत्तीसगढ़ी भाषा को समर्पित पृष्ठ का क्या नाम है?

तालिका 03

क्रमांक	विकल्प	प्रतिशत
1	श्रसरंग	04
2	संगवारी	28
3	चौपाल	52
4	मधुरिमा	16

■ 4% ■ 28% ■ 52% ■ 16%




○ प्रश्न "पत्रिका हरिभूमि में छत्तीसगढ़ी भाषा को समर्पित पृष्ठ का क्या नाम है" में चार विकल्प दिए गए हैं, जो (1) रसरंग, (2) संगवारी, (3) चौपाल, (4) मधुरिमा हैं। इन विकल्पों में से सही विकल्प (3) चौपाल, सही उत्तर का चुनाव 52% लोगों ने किया है। इनमें पहले, दूसरे एवं चौथे विकल्प को 4%, 28%, 16% मत प्राप्त हुए हैं। इस सवाल पर 52% लोगों ने सही जवाब चुने हैं। अपितु बाकी के 48% प्रतिशत लोगों ने गलत जवाब का चुनाव किया है। यह आधार बताता है कि ज्यादातर लोगों को सही जवाब पता है।

प्रश्न 4. छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र 'छत्तीसगढ़ मित्र' के संपादक कौन थे?

तालिका 04

क्रमांक	विकल्प	प्रतिशत
1	लोचन प्रसाद पांडेय	14
2	श्रीकांत वर्मा	14
3	माधवराव सप्रे	72
4	कुलदीप सहाय	00

■ 14% ■ 14% ■ 72% ■ 0%



○ प्रश्न "छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र 'छत्तीसगढ़ मित्र' के संपादक कौन थे" का उत्तर देने


के लिए भी चार विकल्प दिए गए हैं, जो (1) लोचन प्रसाद पांडेय, (2) श्रीकांत वर्मा, (3) माधवराव सप्रे, (4) कुलदीप सहाय हैं। इन विकल्पों में से विकल्प (3) माधवराव सप्रे, का चुनाव 72% लोगों ने किया है। इनमें पहले, दूसरे एवं चौथे विकल्प को 14%, 14%, 0% मत प्राप्त हुए हैं। इस सवाल का सही जवाब विकल्प (ब) है, ज्यादातर लोगों का जवाब बिल्कुल सही है।

प्रश्न 5: छत्तीसगढ़ की पहली हस्तलिखित पत्रिका 'बाल' के प्रकाशक माने जाते हैं?

तालिका 05

क्रमांक	विकल्प	प्रतिशत
1	कुलदीप सहाय	40
2	कन्हैया लाल वर्मा	20
3	रवि शंकर शुक्ल	28
4	केशव प्रसाद वर्मा	12

■ 40% ■ 20% ■ 28% ■ 12%




○ प्रश्न "छत्तीसगढ़ की पहली हस्तलिखित पत्रिका 'बाल' के प्रकाशक माने जाते हैं?" का उत्तर देने के लिए भी चार विकल्प दिए गए हैं, जो (1) कुलदीप सहाय, (2) कन्हैया लाल वर्मा, (3) रवि शंकर शुक्ल, (4) केशव प्रसाद वर्मा हैं। इन विकल्पों में से विकल्प (1) कुलदीप सहाय, का चुनाव 40% लोगों ने किया है। इनमें दूसरे, तीसरे एवं चौथे विकल्प को 20%, 28%, 12% मत प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर (1) है, जो ज्यादातर लोगों को पता है।

प्रश्न 6: हरिभूमि किस वर्ग में ज्यादा लोकप्रिय है?

तालिका 06

क्रमांक	विकल्प	प्रतिशत
1	महिलाओं के बीच	00
2	बुजुगो± के बीच	32.5
3	युवाओं के बीच	42
4	कामकाजी लोगों के बीच	24

■ 0% ■ 32.50% ■ 42% ■ 24%




○ प्रश्न क्रमांक.06 "हरिभूमि किस वर्ग में ज्यादा लोकप्रिय है" का उत्तर देने के लिए भी चार विकल्प दिए गए हैं, जो (1) महिलाओं के बीच, (2) बुजुर्गों के बीच, (3) युवाओं के बीच, (4) कामकाजी लोगों के बीच हैं। इन विकल्पों में सबसे अपने-अपने मानने एवं अभिव्यक्ति से उत्तर दिए हैं। इन विकल्पों में सबसे ज्यादा चुनाव विकल्प (ब) युवाओं के बीच, का चुनाव 42% लोगों ने किया है। इनमें पहले, दूसरे एवं चौथे विकल्प को 0%, 32.5%, 24% मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि हरिभूमि दैनिक अखबार को युवा ज्यादा पढ़ते हैं।

प्रश्न 7: इनमें से कौन हरिभूमि की बाल पत्रिका है?

तालिका 07

क्रमांक	विकल्प	प्रतिशत
1	बाल भास्कर	14
2	बालभूमि	82
3	आओ बच्चों	04
4	चंक्	00

■ 14% ■ 82% ■ 4% ■ 0%




○ प्रश्न “इनमें से कौन हरिभूमि की बाल पत्रिका है” का उत्तर देने के लिए भी चार विकल्प दिए गए, जो (1) बाल भास्कर, (2) बालभूमि, (3) आओ बच्चों, (4) चंपक, हैं। इन विकल्पों में से विकल्प (1) बालभूमि, का चुनाव 82% लोगों ने किया है। इनमें पहले, तीसरे एवं चौथे विकल्प को 14%, 04%, 0% मत प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर बालभूमि है, जो दैनिक हरिभूमि की सप्लीमेंट रंगीन पत्रिका है, यह हर गुरुवार को अखबार के साथ आती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है।

प्रश्न 8: हरिभूमि पत्रिका की खबरों से आप कितने फीसदी प्रभावित होते हैं?

तालिका 08

क्रमांक	विकल्प	प्रतिशत
1	25:	16
2	50:	40
3	75:	32.5
4	100:	10

■ 1st Qtr ■ 2nd Qtr ■ 3rd Qtr ■ 4th Qtr




○ चुकी, हरिभूमि एकमात्र हिंदी दैनिक पत्रिका है छत्तीसगढ़ में जिसने अपने शुरुआत से ही ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से छापा है। हरिभूमि के खबर का प्रभाव आमजनों के बीच कैसा है यह जानने के लिए हमने प्रश्न “हरिभूमि पत्रिका की खबरों से आप कितने फीसदी प्रभावित होते हैं” पूछा, इसका उत्तर देने के लिए चार विकल्प दिए गए, जो (1) 25%, (2) 50%, (3) 75%, (4) 100% हैं। इन विकल्पों में सबसे अपनी अभिव्यक्ति से उत्तर दिए हैं। इन विकल्पों में सबसे ज्यादा चुनाव विकल्प (1) 50%, का चुनाव 40% लोगों ने किया है। इनमें पहले, तीसरे एवं चौथे विकल्प को 16%, 32.5%, 10% मत प्राप्त हुए हैं। इसमें स्पष्ट हुआ कि 50% लोग हरिभूमि की खबरों से प्रभावित होते हैं।

प्रश्न 9: क्या हरिभूमि पत्रिका शहर से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाता है?

तालिका 09

क्रमांक	विकल्प	प्रतिशत
1	हां	52
2	नहीं	48

■ 52% ■ 48%




अवलोकन के लिए एक और प्रश्न “क्या हरिभूमि पत्रिका शहर से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाता है?” पूछा गया, इसका उत्तर देने के लिए (1) हां, या (2) नहीं, दो विकल्प दिए गए हैं। दोनों विकल्पों में सबसे ज्यादा विकल्प (1) को 52% प्रतिशत लोगों द्वारा चुना गया है। जबकि दूसरे विकल्प (2) को

48% लोगों ने चुना है। इस तरह अंतर स्पष्ट होता है ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हरिभूमि उन्नत-क शहर से सम्बंधित प्रत्येक जानकारी पहुंचाता है।

प्रश्न 10: हरिभूमि पत्रिका के संदर्भ में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

तालिका क्रमांक : 10

क्रमांक	विकल्प	प्रतिशत
1	सुझाव दिया	64
2	नहीं दिया	36



○ प्रश्न "हरिभूमि पत्रिका के संदर्भ में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?" पर 100 में से 64 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विश्लेषण से पता चला कि इनमें से ज्यादातर सुझाव एक समान है। जिनमें अखबार के पेपर की गुणवत्ता को बेहतर करना, प्रिंटिंग क्वालिटी को और निखारना, विज्ञापनों की मात्रा को कम करना, जैसे सुझाव आये हैं। इनमें से कुछ सुझावों में अखबार को और बेहतर बनाने के सुझाव तक दिए गए हैं। इसके साथ ही ज्यादातर लोगों ने "हरिभूमि पत्रिका" को एक उत्कृष्ट पत्रिका बताया है।

निष्कर्ष:

प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बिलासपुर से प्रकाशित समाचार-पत्र

सामाजिक सरोकारों में, सामाजिक मुद्दों/समस्याओं को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भी पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हरिभूमि पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, इसका कारण यह है कि हरिभूमि समाचार-पत्र ग्रामीण व क्षेत्रीय समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित करता है।

इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपने सन् 2002 में शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक हरिभूमि ने हर वर्ग के पाठकों के बीच अपना अलग स्थान बनाया है। आधुनिकता के दौर में यह अखबार भी सभी चुनौतियों का सामना कर निरंतर पाठकों तक सही सूचनाओं को प्रमुखता से पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यदि हम कुछ सुझावों पर गौर करें तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि समाचार पत्र हरिभूमि अपनी असीम संभावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि वह अपने पाठकों के बीच अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए निखरता जा रहा है।

सुझाव:

○ समाचार पत्र हरिभूमि की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, इसलिए उन्हें ग्रामीण अंचलों, दूर-दराज के क्षेत्रों की समस्या को और गहराई से जानने, कवर करने के लिए 'वनांचल संवाददाता' की नियुक्ति एवं कोई मजबूत कार्ययोजना भी बनाई जानी चाहिए।

○ कुछ पाठक यह मानते हैं कि अखबार द्वारा खबर जब कवर की जाती है, तो उनमें सामान्य जानकारी ही पाठकों तक पहुंचती है। पाठकों को खबर में रुचिकर एवं विश्लेषणात्मक जानकारी की अपेक्षा होती है।

संदर्भ ग्रंथ—सूची:

1. शुक्ल, रामचंद्र (संवत् 2054). हिंदी साहित्य का इतिहास. वाराणसी. नागरीप्रचारिणी सभा, काशी
2. वाजपेयी, अंबिका प्रसाद (संवत् 2010). समाचार पत्रों का इतिहास. बनारस.ज्ञानमंडल लिमिटेड
3. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद (2004). हिंदी पत्रकारिता का इतिहास. दिल्ली. प्रभात प्रकाशन
4. जोशी, प्रभाष (2004). सावधान, पुलिया संकीर्ण है. संपादक— राजकिशोर. समकालीन पत्रकारिता मूल्यांकन और मुद्दे. दिल्ली. वाणी प्रकाशन
5. तिवारी, रामचंद्र (1999). हिंदी का गद्य साहित्य. वाराणसी. विश्वविद्यालय प्रकाशन
6. दास, अरविंद (2013). हिंदी में समाचार: राज्य, समाज और भूमंडलीकरण. अंतिका प्रकाशन. दिल्ली
7. मेहता, आलोक (2008). भारत में पत्रकारिता. दिल्ली. नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
8. छत्तीसगढ़ पत्रकारिता के इतिहास की जानकारी लेने के संदर्भ में प्रमुख स्रोत :-शोध : स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ पत्रकारिता का इतिहास





ग्रामीण व्यवस्थाओं में अंडों का भंडारण एवं प्रसंस्करित अण्डा उत्पाद

□ डा. शीतला प्रसाद वर्मा*

शोध सारांश

अंडा सदियों से मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अब यह सर्वविदित है कि हमारे दैनिक आहार में तीन आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन, विटामिन और खनिज का अंडा बेहतरीन स्रोत है। यह भी सत्य है कि अंडे की कम कीमत की तुलना में शायद ही कोई अन्य खाद्य पदार्थ है जिससे सम्पूर्ण पोषण मिलता हो। यहां तक कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भी पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार के आवश्यक अंग के रूप में अंडों की सिफारिश की है। परन्तु यह उच्चस्तरीय खाद्य पदार्थ कभी-कभी, विशेषकर गर्मी के मौसम में सड़कर खराब हो जाता है। अगर थोड़ी सावधानी बरती जाये तो इन अंडों को खराब होने से बचाया जा सकता है।

अण्डे की खपत बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है नये-नये अंडा उत्पादों को विकसित करना एवं उन्हें लोगों में लोकप्रिय बनाना। आज लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार एवं रहन-सहन में बदलाव के साथ-साथ अंडा उत्पादों की मांग बढ़ी है। अब तक कुछ परम्परागत अंडा उत्पाद जैसे-उबले अंडे, अंडे का आमलेट, अंडे की भूजिया (स्क्रेम्बल्ड एग) इत्यादि काफी लोकप्रिय रहे हैं। अंडा उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए संस्थान के उत्पादनोत्तर तकनीकी प्रभाग में विगत कुछ वर्षों से नये-नये अंडा उत्पादों के प्रसंस्करण और भंडारण पर शोध कार्य चल रहा है। इस प्रभाग ने कुछ ऐसे अंडा उत्पाद विकसित किये हैं जो पौष्टिक एवं सस्ते हैं तथा ग्रामीण व्यवस्थाओं में भी इनका प्रसंस्करण कम लागत पर आसानी से किया जा सकता है।

मुख्य शब्द— अण्डा, भण्डारण, प्रसंस्करण, अण्डा उत्पाद

* सह प्राध्यापक (पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान), कूलभास्कर आश्रम पी0जी0 कालेज, प्रयागराज211001 |
Corresponding author : drspverma_kadc@rediffmail.com

प्रस्तावना

ताजा अंडा प्रायः जीवाणुरहित होता है और अपनी प्राकृतिक रचना के अनुरूप नुकसानदेह बाहरी जीवाणुओं से स्वतः अपनी रक्षा करने में काफी हद तक सक्षम होता है। फिर भी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो अनुकूल परिस्थिति मिलने पर अंडे के अन्दर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अंडे खराब होने लगते हैं। इसलिये कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि अंडा कम से कम जीवाणुओं के संपर्क में आये और यदि आ भी जाये तो इन्हें अंडों में प्रवेश करने का अनुकूल वातावरण न मिले। अतः फार्म स्तर से ही अंडों की सुरक्षा का कार्य शुरू होता है। जैसे—

1. रोज कम से कम तीन बार अंडे इकट्ठा करें।
2. अंडा इकट्ठा करने का बर्तन साफ एवं सूखा होना चाहिए। इसके लिये प्लास्टिक या रबर चढ़ी तार की जाली वाली टोकरी उपयुक्त होती है।
3. साफ और गंदे अंडों को अलग-अलग टोकरी में इकट्ठा करें।
4. टूटे एवं चटके अंडों को साबुत अंडों से अलग रखें।
5. इकट्ठा किये गये अंडों को ठंडे कमरे में रखें, जिसका तापमान 10 से 12 डिग्री से० हो।

फिर अंडों को जीवाणुओं से नष्ट होने से बचाने के लिये निम्न उपाय करें जिससे कि अंडों का भंडारण किया जा सके।

अंडों की सफाई—

गंदे अंडों की सफाई आवश्यक है वरना ये जल्दी खराब होने लगते हैं। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि सिर्फ गंदे अंडों की ही सफाई आवश्यक है, साफ अंडों की नहीं। सफाई के लिये किसी कीटनाशक घोल का प्रयोग करना चाहिये। इसके लिये सोडियम हाइपोक्लोराइट का 2 प्रतिशत घोल पानी में तैयार करें। पानी का तापमान 40 डिग्री से० के आस-पास होना जरूरी है। अगर घोल का तापमान इससे कम होगा तो अंडों पर नमी के कारण जीवाणुओं के अन्दर

जाने की संभावना बढ़ जाती है। इस घोल में गंदे अंडों को 3 मिनट तक रखें, फिर बाहर निकालकर हवा में जरूर सुखा लें। याद रहे, गंदे अंडों को कभी भी गीले कपड़े से रगड़ कर न पोछें। ऐसा करने से अंडों के छिलकों के बंद छिद्र भी खुल जाते हैं, जिससे जीवाणु अन्दर प्रवेश कर जाते हैं और फिर अंडे जल्दी खराब होने लगते हैं। अगर संभव हो तो फार्म से अंडे इकट्ठा करने के बाद तुरन्त ही गंदे अण्डों की सफाई कर लेनी चाहिए।

1. **अण्डों पर तेल का छिड़काव—** अण्डों के चौड़े सिरों पर किसी गंधहीन तेल का छिड़काव पम्प या फ्लीट पम्प द्वारा कर के इनकी निधानी (वह समय जिसमें अण्डा पूर्ण जीवाणु रहित एवं स्वच्छ रहता है, उस समय को निधानी आयु कहते हैं) आयु बढ़ाई जा सकती है। तेल के छिड़काव से अंडों के छिलकों के खुले छिद्र बंद हो जाते हैं और हानिकारक जीवाणु अन्दर प्रवेश नहीं कर पाते। इसके लिये रिफाइन्ड मूंगफली का तेल या कपास के बीजों का तेल उपयुक्त रहता है। साथ ही, इन तेलों में चर्बी की दुर्गन्ध को रोकने के लिए, जो भंडारण के कुछ दिनों बाद आने लगती है, बी०एच०टी० नामक रसायन मिलाना चाहिए। इसकी सवा ग्राम मात्रा 10 किलो ग्राम में पर्याप्त होती है। ऐसे अंडों को कमरे के तापमान पर 3 से 4 सप्ताह तक भंडारण कर सकते हैं। यह विधि हमारे देश में काफी उपयोगी सिद्ध हुई है।
2. **चूने के पानी का इस्तेमाल—** इसके लिये एक किलो चूने को 5 गैलन पानी में घोल लें तथा इसमें 1000 ग्राम नमक मिलाकर मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में ढककर ठंडी जगह पर रात भर रख दें। फिर चूने के निथरे पानी में अंडों को डालकर ठण्डी जगह पर ढक पर रख दें। तत्पश्चात् अण्डों को पानी से बाहर निकालकर हवा में सुखा लें। इस प्रकार भी अण्डों को काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पर इस विधि की कमी यह है कि अण्डें उबालने पर चटक जाते हैं।

3. **गर्म पानी का इस्तेमाल**— इस विधि में उबलते पानी में अण्डों को 5 से 10 सेकेण्ड तक रखकर निकाल लें और फिर सुखा लें। इस प्रकार भी अण्डों को काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अण्डों को उबलते पानी में डालने से इनके छिलके की झिल्ली के ठीक नीचे सफेदी की एक पतली परत जम जाती है, जो हानिकारक जीवाणुओं को अन्दर जाने से रोकती है। पर इस विधि की कमी यह है कि सफेदी का झाग पैदा करने का गुण नष्ट हो जाता है, जिससे ये केक इत्यादि बनाने के काम में नहीं आते। बाकी दूसरे इस्तेमाल के लिये ये अण्डे उपयुक्त होते हैं।
4. **ठण्डे तापमान पर अण्डों का भंडारण**— ठण्डे तापमान (30–32 डिग्री फा0) पर अण्डों का भंडारण 6–8 महीनों तक किया जा सकता है। सुरक्षित भंडारण का समय भंडारण के तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान उपयुक्त तापमान से कम होगा तो अण्डे जमने लगते हैं और फिर टूट जाते हैं। 38 से 40 डिग्री फा0 तापमान पर दो तीन माह तथा 50 से 55 डिग्री फा0 तापमान पर लगभग एक महीने तक अण्डों का भंडारण कर सकते हैं। ग्रामीण व्यवस्थाओं में भी, जिसके पास रेफ्रीजरेटर हो, इस विधि का इस्तेमाल कर अण्डों का भंडारण कर सकते हैं।

प्रसंस्कारित अण्डा उत्पाद

अंडे की पैटी— इसे बनाने के लिये 70 प्रतिशत अंडों की मात्रा को मिक्सी में फेंटकर इसमें 20 प्रतिशत उबलें एवं छिलका रहित मसले आलू तथा 10 प्रतिशत सोया या आटा पिसाकर पैटी मिक्स तैयार करें। इसके अतिरिक्त 2 प्रतिशत मसाले, 5 प्रतिशत प्याज और अदरक का पेस्ट, 4 प्रतिशत वास—रहित दुग्ध पाउडर एवं 1 प्रतिशत नमक ऊपर में डालें तथा अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को स्टील के सांचे (परिधि 9 से मी0, ऊँचाई 1.5 सेमी0) में डालकर, 4 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाये, फिर तेल में दो-दो मिनट तक हर तरफ से तल लें। यह एक पौष्टिक एवं सुपाच्य

अण्डा अण्डा उत्पाद है जिसमें 17 प्रतिशत प्रोटीन एवं 12 प्रतिशत वसा की मात्रा होती है। इसे रेफ्रीजरेशन तापमान (4.50 से0) पर 12 दिनों तक भंडारण कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल हुये प्रत्येक संघटकों की कीमत के आधार पर इसको तैयार करने में करीब 30/- रुपये प्रति किलों के खर्च आता है।

अंडा एवं मुर्ग-मांस की पैटी— इस उत्पाद में अंडा 70 प्रतिशत, मुर्ग-मांस (मीट मिक्सर में बारीक पिसा हुआ) 20 प्रतिशत और सोया के आटा की मात्रा 10 प्रतिशत होती है। अन्य संघटकों की मात्रा एवं बनाने की विधि अंडों की पैटी की तरह ही है, सिर्फ इसमें 10 मिनट के लिये प्रेशर कुकिंग करते हैं। इस उत्पाद में प्रोटीन 20 प्रतिशत और वसा 11 प्रतिशत पायी जाती है। रेफ्रीजरेशन तापमान पर इसका भी भंडारण 12 दिनों तक किया जा सकता है। इसे तैयार करने में करीब 60/- रुपये प्रति किलो का खर्च आता है।

अंडे का पैन केक—यह एक हल्का स्पंज की तरह का अंडा उत्पाद है, जिसे खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों में काफी लोकप्रिय किया जा सकता है। इसे तैयार करने के लिये अंडों 35 प्रतिशत को मिक्सी में कम स्पीड पर अच्छी मिलाये फिर से 21.5 प्रतिशत दूध, 6 प्रतिशत गेहूँ का आटा, 18 प्रतिशत मैदा, 17 प्रतिशत चीनी और 2 प्रतिशत बेकिंग पाउडर के साथ अच्छी तरह मिलाये और खुशबू के लिये 5–6 बूंदे बेनिला एसेन्स की डाल दें। इसे 600 से0 पर 4 से 5 मिनट तक पैन में पकाये। यह नाश्ते के लिये बहुत ही बेहतरीन अंडा उत्पाद है। रेफ्रीजरेशन तापमान पर इसकी निधानी आयु 10 दिनों तक है और इसे तैयार करने में करीब 25/- रुपये प्रति किलो का खर्च आता है।

अण्डों का अचार— बटेर के अण्डों का अचार बनाने की सिरका एवं सरसों तेल दोनों ही विधियाँ हैं। सिरका विधि में पहले अचार का घोल तैयार करने के लिये सफेद सिरका 50 प्रतिशत, नमक 8 प्रतिशत एवं टारट्राजिन, मसाला मिक्स, लहसुन और अदरक प्रत्येक

0.2 प्रतिशत मात्रा को 10 मिनट तक उबाले और छान लें। इस घोल को अच्छी तरह उबाल एवं छिलका निकाले हुए अंडों में 1.5:1 के अनुपात में किसी ग्लास जार में डालकर दो दिनों तक सिजनिंग (स्वादिष्ट करने हेतु) के लिये छोड़ दें फिर इस्तेमाल करें। इस अचार को बिना घोल के पौलिथिन बैग में कमरे के तापमान पर 4 महीनें तथा रेफ्रीजरेशन तापमान पर 12 महीनों तक रख सकते हैं।

सरसों तेल विधि में 100 बटेर के अंडों का अचार तैयार करने के लिये मसालों (लाल मिर्च 10 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, जीरा, सौंफ, हल्दी, अजवायन, लौंग और बड़ी इलायची प्रत्येक 5 ग्राम तथा लहसुन एवं अदरक प्रत्येक 30 ग्राम) को सरसों के तेल में भूनें, फिर इसमें उबले एवं छिलका निकले हुए अंडों को डालें, साथ ही 20 मि0ली0 एसीटिक अम्ल डाल कर मिला दें। इस अचार की कमरे के तापमान पर निधानी आयु 6 माह तक है।

अंडे का रोल— यह एक सुपाच्य एवं स्वादिष्ट अंडा उत्पाद है जो स्नैक फूड के लिए उपयुक्त है। रोल की फिलिंग के लिए 80 प्रतिशत अंडे की भुजिया एवं 20 प्रतिशत पिसा तथा मसालों के साथ भुना हुआ मुर्ग मांस का मिश्रण सर्वोत्तम है। फिलिंग के ऊपर परत चढ़ाने के लिए 32 प्रतिशत मैदा, 22 प्रतिशत गेहूँ का आटा, 6 प्रतिशत रिफाइन्ड तेल, 7 प्रतिशत वास रहित दुग्ध पाउडर, 23 प्रतिशत पानी, 1 प्रतिशत नमक, 1.5 प्रतिशत ईस्ट तथा 7.5 प्रतिशत दही के मिश्रण से गुंथा हुआ आटा सर्वोत्तम है। रोल तैयार करने के लिए उपरोक्त गुंधे हुए आटे के मिश्रण से 70 ग्राम मात्रा को 8 ग 4 इंच आकार के बेल लें। उस पर फिलिंग की 80 ग्राम मात्रा को फैलाकर लम्बाई में रोल कर लें या लपेट लें और रोल को 190 डिग्री सें0 तापमान पर इसकी निधानी आयु 6 दिनों तक हैं अण्डे के रोल का वजन करीब 150 ग्राम होता है जिसको तैयार करने में करीब रू0 8.25 का खर्च आता है।

अंडे का क्रप— यह डोसा की तरह एक पतला, समतल एवं गोलाकार अंडा उत्पाद है जिसके ऊपर

भुने हुए मांस के टुकड़े अथवा पके हुए सब्जियों के मिश्रण को रखकर मोड़ या लपेट सकते हैं। क्रप का घोल तैयार करने के लिए 60 प्रतिशत अंडा, 40 प्रतिशत चावल एवं उड़द दाल का पिसा हुआ मिश्रण (2.5:1), 5 प्रतिशत वसा रहित दुग्ध पाउडर तथा 0.5 प्रतिशत नमक को मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें। फिर 75 ग्राम उपरोक्त घोल की मात्रा को नान-स्टीक तबे पर गोलाई में फैलायें। फैलाने के बाद क्रप का आकार 25 से0मी0 तथा मोटाई करीब एक मिली मीटर के आस-पास होनी चाहिए। घोल को तबे पर फैलाते समय तबे का तापमान 60 डिग्री से0 रखें और फिर धीरे-धीरे तापमान को 90 डिग्री से0 तक बढ़ाये। करीब 4 या 5 मिनटों में क्रप पक कर तैयार हो जायेगा। क्रप में 15.6 प्रतिशत प्रोटीन तथा 9.6 प्रतिशत वसा होती है और इसे रेफ्रीजरेसन तापमान पर 20 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं।

इसके अलावा अन्य अंडा उत्पादों के प्रसंस्करण एवं भंडारण पर शोध कार्य प्रगति पर है। ये अंडा उत्पाद ग्रामीण व्यवस्थाओं में भी आसानी से तैयार किये जा सकते हैं तथा इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाकर प्रति व्यक्ति अण्डे की खपत बढ़ा सकते हैं। अंडे से बने ये उच्चस्तरीय खाद्य उत्पाद कुपोषण को दूर करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं, साथ ही इन्हें कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित कर रोजगार के नये अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।

संदर्भ—

1. समीर मजूमदार तथा दिनेश चन्द्र गर्ग (2007) आधुनिक कुक्कट पालन, केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उ0प्र0।
2. डा0 जगदीश प्रसाद (2010) कुक्कट उत्पादन कल्याणी पब्लिकेशन्स, लुधियाना।
3. देवनारायण पाण्डेय (2013) पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन, मेरठ।
4. डा0 शीतला प्रसाद वर्मा (2018) पोल्ट्री प्रोडक्सन एण्ड मैनेजमेन्ट, फर्स्ट प्रिन्ट पब्लिकेशन, टैगोर टाउन, प्रयागराज।





स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में शारीरिक शिक्षा

□ दिलीप सिंह*

शोध सारांश

खेल मानव जीवन में अत्यन्त आवश्यक है। यह बात अब नवीन युग में प्रायशः समझ में आ चुकी है किन्तु किस खेल को किस प्रकार और कब खेलना चाहिए यह तथ्य आज भी अबूझ पहली बना हुआ है। भारत में सदियों पूर्व से खेलों का महत्व रहा है। कतिपय परम्परागत खेल होते रहे हैं किन्तु समाज में राजतान्त्रिक व्यवस्था होने के कारण उनमें पारस्परिक युद्ध होते रहते थे जिससे खेल के प्रति अभिरुचि का होना स्वाभाविक था। अब जब प्रजातान्त्रिक व्यवस्था है तथा युद्ध के अलावा अन्य मानव विकास की बातें हो रही हैं तब खेल का महत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। प्रस्तुत शोध में खेल का मानव जीवन में किस प्रकार महत्व प्रदर्शित किया गया है यह अनुसन्धान का विषय है।

शब्द कुंजी – खेल, मानव जीवन, वैश्विक अवधारणा।

सन् 1947 में भारत स्वतन्त्र हुआ। नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक निपुणता की आवश्यकता महसूस हुई। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों द्वारा नवयुवकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक एवं नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया है। स्कूल तथा कालेजों में बौद्धिक विकास तथा परीक्षाओं पर अधिक बल दिया जाता है। बालिकाओं एवं महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं से अलग रखा जाता था। स्वतन्त्रता के बाद इसमें जागरुकता आई, फलस्वरूप शासकीय एवं निजी संस्थाएँ स्थापित हुईं। 1948 ई. में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद शिक्षा पद्धति में उचित स्थान देने के लिए केन्द्र सरकार ने शारीरिक एवं मनोरंजन की केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित की। सन् 1950 ई. के पश्चात्

विभिन्न एसोसिएशन अस्तित्व में आए, तभी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने लगा तथा विभिन्न राज्यों में खेलकूद संस्थाएँ स्थापित हुईं। पाश्चात्य देशों के नागरिकों के लिए वहाँ अनेक प्रतियोगिताएँ होती रहीं, किन्तु एशिआई नागरिकों के लिए खेलकूद अस्तित्व में लाने के लिए भारत में भारत का सफल प्रयास 1951 ई. में एशिआई खेल प्रतियोगिता 4 से 11 मार्च तक नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित की गई। चार वर्षों के अन्तराल पर यह प्रतियोगिता एशिया के विभिन्न देशों में आयोजित होती है। “सन् 1954 ई. में स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इण्डिया और इण्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में खेल संघों के अध्यक्ष उपस्थित हुए। इसमें एक प्रस्ताव पारित करके खेल

* शोधछात्र-शारीरिक शिक्षा

परमर्श समिति बनाने का आग्रह किया गया। नवम्बर 1954 ई. में अखिल भारतीय खेल समिति की स्थापना हुई। 1954 ई. में केन्द्रीय सलाहकार समिति ने शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रकाशित किया। सन् 1961 ई. में श्री के. एल. माली द्वारा पटियाला में नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था की स्थापना की गई, इसका कार्य कुशल प्रशिक्षण तैयार करना, खेल प्रतिभा की वृद्धि तथा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। सन् 1974 ई. में इसकी शाखा बेंगलूर में खोली जा चुकी है। सन् 1962 ई. में विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के लिए अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरुनानक देव विश्वविद्यालय ने 14वीं बार जीतकर रिकार्ड कायम किया है। डा. हृदयननाक कुशरू की अध्यक्षता में 1951 ई. में विभिन्न शिक्षा योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई गई। समिति ने 1963 ई. में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा को अति आवश्यक बताया गया। भारतीय खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा को सही दिशा देने के लिए श्री एम. के. कौर तथा एम.एन. कपूर को भारत सरकार ने 1960 ई. में रोम ओलम्पिक खेलों में प्रेक्षण बनाकर भेजा। इन दोनों लोगों ने अनेक देशों की खेल प्रणाली तथा खेल संगठनों का अध्ययन किया तथा 1961 ई. में भारत सरकार को रिपोर्ट पेश किया। इनका विशेष सुझाव सभी स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं में खेलकूद एवं व्यायाम को संगठित करने के साथ ही शारीरिक शिक्षा को अन्य विषयों की भाँति एक विषय माना गया था। इसी वर्ष से खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रारम्भ हुआ। इस पुरस्कार के अन्तर्गत 1 लाख 50 हजार की नगद राशि एक प्रशस्ति पत्र और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। 14 जुलाई 1964 ई. में डा. एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक शैक्षणिक कमेटी गठित की गई। सन् 1966 ई. में कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट दिया, जिसमें शारीरिक शिक्षा, क्षमता, निपुणता, मानसिक सतर्कता तथा चरित्र के विभिन्न गुणों को विकसित करने के लिए बल

दिया गया। 2 अक्टूबर 1969 ई. में गाँधी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय विश्वविद्यालयों में एन. एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) को लागू किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना में नियमित क्रियाएँ तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्वतन्त्रता के उपरान्त सन् 1982 ई. में दिल्ली में आयोजित एशिआई खेल के पश्चात् खेलों के महत्व को समझाया गया। फलस्वरूप 1982 ई. में एक स्वतन्त्र खेल विभाग का गठन हुआ। खिलाड़ियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय कोष की व्यवस्था की गई। सन् 1984 ई. में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई। जिसका उद्देश्य विभिन्न खेलकूद प्रतिष्ठानों का रखरखाव करना था। यह खेलों की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। 1 मई 1987 ई. में 'सोसाइटी फार नेशनल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट' को इस संस्था में विलय कर दिया गया। सन् 1985 ई. में गुरु के सम्मान को स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रशिक्षकों को 'द्रोणाचार्य' देना प्रारम्भ कर दिया। यह पुरस्कार उच्चकोटि का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। जिन्होंने तीन वर्ष में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया हो। इस पुरस्कार में 2 लाख 25 हजार रुपये की नगद राशि एक प्रशस्ति पत्र तथा द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। भारत के पूर्व प्रधान मन्त्री स्व. राजीव गांधी की स्मृति में 1991-1992 ई. से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देना आरंभ किया गया। यह खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक फलक प्रदान किया जाता है। 20 वीं सदी के अन्त में सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को एक विषय के रूप में लागू किया। कई राज्यों में प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को 21 वीं शताब्दी के खेलों में देश की हालत को गंभीरता से लेते हुए सरकार खेलों को संविधान की सम्बन्धी सूची में शामिल करने तथा खेल व शारीरिक शिक्षा को स्कूली स्तर तक अनिवार्य बनाने का विचार कर रही है। खेल नीति के अनुसार खेल को

अन्य विषयों की भाँति अनिवार्य करने का निश्चय किया गया है।

सामान्य शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा में समाहित है। भारत की शारीरिक शिक्षा के पितामह श्री हैरी बक के अनुसार—“शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है, जिसमें शारीरिक शिक्षा द्वारा सम्पूर्ण बच्चों को शिक्षित किया जाता है।” यह शारीरिक कार्यक्रम साधन है, उन्हें इस प्रकार चुनकर कराया जाता है कि इसका प्रभाव बच्चे के सम्पूर्ण जीवन पर पड़े जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक तथा नैतिक सभी अंग सम्मिलित हैं।

ए. आर. वैमल के अनुसार “शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह अवस्था है “जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास किया जाता है”²

जे. एस. विलियम के अनुसार— “शारीरिक शिक्षा उन क्रियाकलापों को कहते हैं, जिनका प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है।”³

जे. पी. थामस के अनुसार — “शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का बड़ा अंश है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य के चरित्र व चाल-चलन को सही कर देता है।”⁴

निकसन एवं कजन्स के अनुसार —“शारीरिक शिक्षा शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पहलू है, जिसका संबंध पेशीय क्रियाओं एवं उससे सम्बन्धित प्रतिक्रियाओं तथा व्यक्ति में प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन से है”⁵

शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ शरीर की शिक्षा है, परन्तु इसका अर्थ केवल शरीर तक ही नहीं है। शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक संस्कृति, कबायद, खेलकूद, जिम्नास्टिक आदि आते हैं।

खेलकूद का महत्व प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। छात्र जीवन में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। खेलकूद के अभाव में शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, फलतः उनमें

आत्मविश्वास की कमी तथा अनुशासन हीनता आ जाती है।

किशोरावस्था में बालक तथा बालिका में आंतरिक शक्ति होती है। खेलकूद द्वारा उनकी आंतरिक शक्ति को सरलता से रचनात्मक मार्ग में परिचालित किया जा सकता है। इस प्रकार उनकी आंतरिक शक्ति का सदुपयोग हो जाता है। यदि इनकी आंतरिक शक्ति को खेलकूद में न लगाया गया तो वह शक्ति बुरे कार्यों में लग सकती है। खेल में बच्चे अनुपयोगी और आपेक्षित ऊर्जा को उसके मानसिक विकारों का मूल है, मोचन करता है। खेल केवल अनुभव द्वारा प्रशिक्षण भर नहीं है, बल्कि यह हमारी बुद्धि तथा रुचि को तीव्र रखता है। यही कारण है कि शिक्षा में क्रीड़ा पद्धति को एक मूल स्थान दिया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रयास महाविद्यालय की शारीरिक शिक्षा व क्रीड़ा विषयक गतिविधियों के आंकलन के लिए किया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि शोध के माध्यम से ऐसी प्रामाणिक जानकारीयों उपलब्ध हो सकेंगी। जिससे महाविद्यालयीन क्रीड़ा गतिविधियों की वर्तमान कमियाँ उभर कर बाहर आयेंगी, जिससे उनका भविष्य में सुधार किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध विषय महाविद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास है। भारत सरकार द्वारा 1956 में प्रकाशित ‘नेशनल प्लान आफ फिजिकल एजुकेशन’ के अनुरूप प्रत्येक महाविद्यालय के पास खेल का स्तरीय मैदान सभी खेलों के उपकरण एक जिम्नास्टिक स्वीमिंग पुल का होना आवश्यक है। क्रीड़ा विभाग में 500 छात्रों के बीच एक क्रीड़ा अध्यापक की नियुक्ति आवश्यक है। इस राष्ट्रीय योजना के अनुसार शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का आधार इस प्रकार होना चाहिए—

1. शारीरिक शिक्षा का पीरिएड निर्धारित करना चाहिए।
2. शारीरिक क्रीड़ा नर्देशन का पीरिएड अलक से लगाया जाना चाहिए।

3. खेलकूद का कार्यक्रम जिसमें क्रीड़ा मतिविधिया शामिल होती हैं, अलग से तैयार करना चाहिए।

4. शारीरिक शिक्षा विषय में परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए।

5. महाविद्यालयों में अलग से क्रीड़ा विभाग की स्थापना होना चाहिए, जिसमें क्रीड़ा निर्देशक एवं अन्य विभाग जैसे सहायक क्रीड़ा निर्देशक ग्राउण्ड मैन, क्लर्क, भृत्य आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

6. महाविद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए।

यू. जी. सी. हैण्ड बुक के अनुसार "प्रत्येक महाविद्यालय में कम से कम एक ट्रैक, एक फुटबाल मैदान, एक बास्केटबाल, एक बालीबाल कोर्ट, एक कबड्डी का मैदान, एक खो-खो का मैदान, एक हैण्डबाल का मैदान होना आवश्यक किया गया है। साथ ही खेल एवं कौशल में मदद के लिए प्रशिक्षकों

की नियुक्ति एवं क्रीड़ा संचालन हेतु क्रीड़ा सहायकों की नियुक्ति आवश्यक की गई है।"7

संदर्भ :-

1. शारीरिक शिक्षा का इतिहास— डा. मोहम्मद वाहिद, पेज 184
2. शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त एवं इतिहास — डा. आर.सी. कंवर, पेज 12
3. शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त एवं इतिहास — डा. आर.सी. कंवर, पेज 13
4. शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त एवं इतिहास — डा. आर.सी. कंवर, पेज 14
5. शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त एवं इतिहास — डा. आर.सी. कंवर, पेज 14
6. नेशनल प्लान आफ फिजिकल एजुकेशन — भारत सरकार।
7. यू.जी.सी. हैण्ड बुक।





ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवारों के विघटन के प्रभाव एवं कारण

- डा. श्री राजेश त्रिपाठी*
□ जितेन्द्र कुमार कुशवाहा**

शोध सारांश

भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इसलिए भारत को गावों का देश भी कहा जाता है देश की वर्तमान 68प्रतिशत जन संख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही है। और अधिकतर ग्रामों में संयुक्त परिवार अधिक देखने को मिलते हैं, देश के नागरिकों को परिवार का महत्व बताकर संयुक्त परिवारों को बढ़ाने एवं मिलजुल कर रहना चाहिए जिससे गाँव विकास, जिला, प्रदेश एवं देश का विकास हो हमारी प्रचीन सभ्यता हमेशा से यही कहती आइ है कि हमस ब एक है एक ही ईश्वर की संतान है, इसी से साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिलती है।

प्रस्तावना—

समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत समय से विद्यमान रही है विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, जातियों में सम्पत्ति के अधिकार विवाह विच्छेद आदि की प्रथा दृष्टि से अनेक भेद पाए जाते हैं किन्तु फिर भी संयुक्त परिवार का आदर्श सर्वमान्य है, संयुक्त परिवार के कारण भारत देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के अलावा भारतीय परम्परागत एवं आदर्श है।

सदस्य—संयुक्त परिवार में माता—पिता भाई—बहिन के अलावा चाचा—चाची, ताउ की विवाहित सन्तान, उनके अतिरिक्त विवाहित पुत्र पौत्र आदि भी हो सकते हैं।

परिवार की महत्ता—परिवार समाज की महत्वपूर्ण

इकाई है समाज के कई बड़े परिवारों से मिलने पर एक बात सामने आती है कि इन परिवारों में व्यक्ति से ज्यादा अहमियत होती है वहाँ व्यक्तिगत पहचान नहीं होती है। समाज शास्त्रियों को कहना है कि बड़े संयुक्त परिवार को चलाने के लिए लोगों से ज्यादा परिवार को महत्वपूर्ण मानना पड़ता है। घर में सबसे बृद्ध पुरुष को मुखिया और बृद्ध महिला को मुखिया माना जाता है। वह परिवार के सभी निर्णय एवं समजस्य बनाये रखता है। संयुक्त परिवार एक आदर्श परिवार रहा है। इसका कारण भोगविलास एवं अनावश्यक आर्थिक व्यय है, एक दूसरे में सम्मान की

* एसोसियट प्रोफेसर,, प्रबंधक संकाय (समाजशास्त्र विभाग), महात्मा गाँधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

** शोध छात्र, प्रबंधक संकाय (समाजशास्त्र विभाग), महात्मा गाँधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.), मो. 9584039416

भावना न होने के कारण विघटन हो रहा है। इस विघटन को रोकना चाहिए और संयुक्त परिवार के महत्व को बनाना चाहिए।

संयुक्त परिवार का महत्व—मानव के विकास के लिए समाज की आवश्यकता हुयी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये समाज की प्रथम इकाई के रूप में परिवार का उदय हुआ है। क्योंकि बिना परिवार के समाज नहीं बन सकता है। समुचित विकास के लिये प्रत्येक को आर्थिक, शरीरिक एवं मानसिक सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए। अतः संयुक्त परिवार में ही रहकर समुचित विकास किया जाता है।

अध्ययन पद्धति—शोध अध्ययन के लिए ग्राम बालापुर माफी तहसील कर्वी जिला चित्रकूट उ.प्र. का चयन किया गया। इस क्षेत्र में विभिन्न जाति एवं सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के परिवार निवास करते हैं।

निदर्शन—शोध कार्य हेतु ग्राम बालापुर माफी जिला चित्रकूट उ.प्र. के विभिन्न जाति आर्थिक स्थिति के 50 संयुक्त परिवारों का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन द्वारा किया गया है।

उद्देश्य—

- 1— ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवारों की स्थिति का अध्ययन करना।
- 2— संयुक्त परिवारों के विघटन के प्रमुख कारणों का पता लगाना।
- 3— विघटन के कारण परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- 4— गाँव की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

उपकल्पना—

- 1— संयुक्त परिवारों के विघटन से सदस्यों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है।
- 2— संयुक्त परिवारों के विघटन का प्रमुख कारण सदस्यों के बीच आर्थिक असमानताओं का होना है।

उपकरण— प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिये उपकरण के रूप में अनुसूची का प्रयोग किया गया। इसी अनुसूची के मध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है।

आकड़ों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण—प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों को प्राप्त आकड़ों का मास्टर चार्ट तैयार कर वर्गीकृत कर सारणीय किया गया। तत्पश्चात् तथ्यों का विश्लेषण किया गया।

सारणी एवं विश्लेषण—

तालिका क्र. 1

जाति के आधार पर वर्गीकरण—

क्र.स.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य	13	26.00
2	पिछड़ी जाति	17	34.00
3	अनुसूचित जाति	20	40.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	00
योग		50	100

विश्लेषण—उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति के पाये गये हैं। जब कि 34 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति के हैं। शेष 26 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जाति के हैं।

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति में पाये गये हैं।

तालिका 2

शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण—

क्र.स.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षित	29	58.00
2	अशिक्षित	21	42.00
योग		50	100

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 58 प्रतिशत शिक्षित पाये गये तबकि 42 प्रतिशत पाये गये।

अतः स्पष्ट है कि ग्राम में सर्वाधिक उत्तरदाता शिक्षित पाये गये।

तालिका 3

परिवार का स्वरूप:-

क्र.स.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	एकांकी	00	00
2	संयुक्त	50	100
योग		50	100

अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम में 100 प्रतिशत ग्राम में उत्तरदाता संयुक्त परिवार में निवास करते हैं।

तालिका 4

संयुक्त परिवार में विघटन का कारण

क्र.स.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	आय की असमानता	10	20.00
2	परिवारिक विवाद	27	54.00
3	संपत्ति विवाद	13	26.00
योग		50	100

अध्ययन से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार में विघटन का कारण परिवारिक विवाद होना है जिसका 54 प्रतिशत है। 26 प्रतिशत उत्तरदाता का मत सम्मान्य विवाद के कारण है जब कि 20 प्रतिशत उत्तरदाता आय की असमानता को मानते हैं।

तालिका 5

विघटन के पश्चात् आर्थिक स्तर पर प्रभाव

क्र.स.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	सुदृढ़ हुई	38	76.00
2	कमजोर हुई	12	24.00
योग		50	100

उपरोक्त सारणी से विघटन के पश्चात् उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है जिसमें 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि विघटन के पश्चात् आर्थिक स्तर सुदृढ़ हुई है। तथा शेष 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि विघटन के पश्चात् आर्थिक स्तर पर विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

तालिका 6

क्र.स.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	22	44
2	नहीं	28	56
योग		50	100

क्या संयुक्त परिवारों का विघटन सामाजिक समस्या?

उपरोक्त तालिका से संयुक्त परिवारों का विघटन सामाजिक समस्या है। इस अभिमत को प्रदर्शित करती है जिससे 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं इस अभिमत के पक्ष में हैं जबकि 56 प्रतिशत उत्तरदाता इस अभिमत के पक्ष में नहीं हैं।

तालिका 7

संयुक्त परिवारों का विघटन आर्थिक समस्याओं या विषमताओं के कारण हुआ।

क्र.स.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	35	70
2	नहीं	15	30
योग		50	100

उपरोक्त तालिका में संयुक्त परिवारों का विघटन आर्थिक समस्याओं एवं विषमताओं के कारण की पुष्टि करती है। जिससे 70 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है कि आर्थिक समस्याओं या विषमताओं के कारण संयुक्त परिवारों का विघटन होता है जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाता इस अभिमत के पक्ष में नहीं हैं।

तालिका 8

क्या संयुक्त परिवार के लोग अपने को आर्थिक रूप से सुरक्षित एवं सहज मानते हैं?

क्र.स.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	32	64.00
2	नहीं	18	36.00
योग		50	100

उपरोक्त सारणी से संयुक्त परिवार के उत्तरदाता को आर्थिक रूप से सुरक्षित एवं सहज मानने की पुष्टि करती है जिससे 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि वह अपने आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित मानते हैं जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत को सुवीकार कर रहे हैं।

तालिका 8—उपरोक्त तालिका से सयुक्त परिवार में विघटन का मुख्य कारण गाँव में शिक्षा की अनुचित व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसमें 26 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत को स्वीकार करते हैं जबकि 74 प्रतिशत उत्तरदाता इसमत को अस्वीकार कर रहे हैं।

तालिका 9

विघटन होने पर बृद्धों एवं बच्चों पर प्रभाव:

क्र.स.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	05	10.00
2	बुरा	27	54.00
3	सामान्य	18	36
योग		50	100

उपरोक्त तालिका से विघटन के पश्चात उत्तरदाता को बृद्धों एवं बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है। 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि विघटन होने पर बृद्धों एवं बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदाता का अभिमत है कि सामान्य व्यवहार पड़ता है शेष 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि विघटन होने पर बृद्धों एवं बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

तालिका : 10

आजीविका के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है?

क्र.स.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	34	68
2	नहीं	16	32
योग		50	100

उपरोक्त तालिका आजीविका के कारण संयुक्त परिवार विघटित होने को प्रदर्शित करती है, जिससे 48 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत को स्वीकार करते हैं जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत को अस्वीकार कर रहे हैं।

निष्कर्ष—अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं—

1. अध्ययन क्षेत्र में पाया गया कि सर्वाधिक उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति में निवास करते हैं।

2. अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक 58 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित पाये गये।
3. सभी उत्तरदाता सयुक्त परिवार में निवास कर रहे थे अतः सभी सयुक्त परिवार में पाये गये।
4. सर्वाधिक 76 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है सयुक्त परिवार में विघटन होने आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।
5. सर्वाधिक 54 प्रतिशत उत्तरदाता सयुक्त परिवार के विघटन का कारण परिवारिक विवाद माना है।
6. सर्वाधिक 70 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है कि सयुक्त परिवारों का विघटन आर्थिक समस्याओं या विषमताओं के कारण हुआ है।
7. सर्वाधिक 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि अजीविका के कारण सयुक्त परिवार विघटित हो रहा है।

सुझाव—

1. परिवार के सभी सदस्यों को आपसी सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए जिससे विघटन की स्थिति उत्पन्न न हो।
2. विघटन के पहले ही माता-पिता बच्चों में अच्छे संस्कार देकर सभी बच्चों के प्रति समानता का व्यवहार करें।
3. सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा गाँव-गाँव में लोगों को सयुक्त परिवार में रहने हेतु जागरूक करना चाहिए। जिससे परिवारिक विघटन रुकें।
4. सयुक्त परिवार के बड़े बुजुर्गों द्वारा घर की स्त्रियों को बराबर का अधिकार देना चाहिए जैसे घर के निर्णय विवाह, सम्पत्ति, के बारे में चर्चा पर उनकी समान भागीदारी होनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

1. कुरुक्षेत्र पत्रिका दिसम्बर 2014
2. योजना पत्रिका जुलाई 2011
3. कुरुक्षेत्र पत्रिका फरवरी 2012
4. प्रो. एम.एल.गुप्ता डा.डी.डी.शर्मा साहित्य पब्लिकेशन पे. 58
5. समाजशास्त्र विशेषज्ञ हरिकृष्ण रावत रावत पब्लिकेशन्स





कूर्मपुराण का अध्यात्मिक-पक्ष का अनुशीलन

- अंजनि प्रसाद पाण्डेय*
- सतेन्द्र द्विवेदी**

शोध सारांश

अध्यात्म की निरुक्ति तथा क्षेत्र—“आत्मनि इति अध्यात्मम्” इस व्युत्पत्ति के अनुसार परमात्मा को सत्य को यथार्थ को अपने भीतर देखना अन्वेषण करना ही अध्यात्म है। आत्मा को जान कर उससे एक होना।

“अक्षरं परमब्रह्म स्वाभावोद्ध्यात्मुच्यते”¹

“परमब्रह्म अक्षर अर्थात् अविनाशी है। अपना स्वरूप जीवात्मत्व ही अध्यात्म है। अध्यात्म का स्वरूप निरूपण करते हुए स्वामि पाद धराचार्य जी का कथन है –

“स्वस्यैव ब्रह्मणा एवांशतया जीवरूपेण भावो भवनं स एवात्मानं
देहाधिकृत्य भोक्तृत्वेन वर्तमानोद्ध्यात्म शब्देनोच्यते”²

योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने तत्त्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा का आत्मा में दर्शन करना ही अध्यात्म का स्वरूप कहा है।

“अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शन”³

आक्सफोर्ड शब्दकोश में अध्यात्म एक विशेषण है के सम्बन्ध में प्रस्तुत आलेख का आलोडन—विलोडन किया गया है।

प्रस्तावना :-

अध्यात्मशास्त्र शोध संस्थान (एस,एस आर एफ) के अनुसार अध्यात्म शब्द उन सभी घटकों को परिभाषित करता है। जो हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिय मन अर्थात् संवेदनाएँ भावनाएँ तथा इच्छाएँ और बुद्धि अर्थात् निर्णय प्रक्रिया तथा तर्क क्षमता के परे है।

रूपं यत् तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निगुणं
निर्विकारम्।

सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षात्
विष्णुरध्यात्मदीपः।⁴

श्री मद्भागवत में परमब्रह्म परमात्मा को अध्यात्मदीप कहा है। भगवान से सम्बंधित पौराणिक आख्यान अध्यात्मवर्णनपरक होने के कारण आध्यात्मिक आख्यान है। इससे जीवमात्र का सम्यक् हित हो जाता है।

“यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीप-
मतितीर्षतां तमोद्धम्।

* सेवानिवृत्त आचार्य (संस्कृत), तिलक नगर, रीवा (म.प्र.)

** शोधार्थी (संस्कृत) शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

संसारिणां करुणयाघ्हपुराणगुह्यं तं
व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् ॥५

वक्ता और वाच्य के रूप में भगवान् को अध्यात्म दीप कहा गया है। वक्तारूप में ब्रह्मा नारद व्यास एवं सूत जी है। एवं वाच्य रूप में आप्तकाम पूर्णकाम परम निष्काम भी भगवान् है। जिनकी अध्यात्म दीप रूपी अध्यात्मिक कथाओं से जीवमात्र का सम्पूर्ण अंधकार दूर हो जाता है। श्रीमद्भगवत् गीता में भगवान् कहते हैं—

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोद्ध्यात्ममुच्यते ॥6

अपना स्वरूप जानना ही अध्यात्म है अर्थात् मैं भगवान् का ही अंश हूँ यह ज्ञान होना ही अध्यात्म है।

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोघ्न्यथा ॥7

अध्यात्म ज्ञान में जिस ज्ञान के द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु का ज्ञान सम्यक् प्रकार से हो जाए उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्मज्ञान नित्य स्थिति और तत्त्वज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना है।

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 8

वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह संसार भी उस परमात्मा से परिपूर्ण है। क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा से ही यह पूरा संसार प्रकट हुआ है। और अन्त में एक पूर्णपरमात्मा ही अवशेष रह जाता है।

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः ।

न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् ॥9

अर्थात् तत्र चक्षुः न गच्छति, वाक् न गच्छति, मनः नो, यथा एतद् न विद्मः विजानीमः अनुशिष्यात् । परब्रह्म में चक्षु इन्द्रिय नहीं जाती है अर्थात् चक्षु से परब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। चक्षु से रूप और रूपवान् वस्तु का ज्ञान होता है। परब्रह्मस्वरूप न तो रूप है और न ही रूप का आश्रय, अतः चक्षु इन्द्रिय से उसका ज्ञान नहीं हो सकता। किसी विषय का बोध कराने के लिए वाणी से शब्द का उच्चारण किया जाता है। वक्ता के द्वारा शब्दोच्चारण करने पर श्रोता को शब्द का प्रत्यक्ष होता है। इससे सहकारी कारण शक्ति ज्ञान होने पर पदार्थस्मरण द्वारा शाब्दबोध होता है। इस प्रकार वाक्ज्ञेय विषय के बोध कराने का साधन

बनती है। वाणी परब्रह्म में नहीं जाती है अर्थात् वाणी से उसका प्रतिपादन नहीं हो सकता है। मन परमब्रह्म में नहीं जाता अर्थात् मन से उसे नहीं जान सकते हैं। कूर्मपुराण में ब्रह्मस्वरूप के विषय में कहा गया है कि पर से परतर तत्त्व एक मात्र अखण्ड परम ब्रह्म ही है। वह नित्य आनन्द स्वरूप है स्वयं प्रकाशमान है, अविनाशी है और अंधकार से सर्वथा परे है। उस परमात्मा का जो नित्य रहने वाला ऐश्वर्य है, वही विभूति नाम से जाना जाता है —

परात्परतरं तत्त्वं परं ब्रह्मैकमव्ययम् ।

नित्यानन्दं स्वयंज्योतिरक्षरं तमसःपरम् ॥

ऐश्वर्यं तस्य यन्नित्यं विभूतिरिति गीयते ।

कार्यं जगदथाव्यक्तं कारणं शुद्धमक्षरम् ॥10

प्रकृतिसे परे अव्यक्त, चतुर्व्यूह, सनातन, अनन्त, अप्रमेय तथा समस्त जगत् के नियन्ता हैं। तत्त्वचिन्तक जिसे प्रधान और प्रकृति कहते हैं और जो सत्-असत्-रूप हैं, वही अव्यक्त नित्य कारण तथा संसार का बीजरूप, महाभूत, सनातन परब्रह्म हैं।

अनाद्यन्तमजं सूक्ष्मं त्रिगुणं प्रभावाप्ययम् ।

असाम्प्रतमविज्ञेयं ब्रह्माग्ने समावर्तत ॥11

अनादि, अनन्त, अजन्मा, सूक्ष्म, त्रिगुण, उत्पत्ति और प्रलयका स्थान, शाश्वत तथा अविज्ञेय ब्रह्म ही आदि में विद्यमान था, श्री मद्भागवत में ब्रह्म के संबंध में विष्णुलायन ने कहा है—

स्थित्युद्भवप्रलयहेतुरहेतुरस्य

यत् स्वप्नजागरसुषुप्ति सद् बहिश्च ॥12

संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र

नैतन्मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा ।

प्राणेन्द्रियाणि च यथानलमर्चिषः स्वः

शब्दोघपि बोधकनिषेधतयाघ्ट्ममूल—

मर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धिः ॥

इस जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का जो निमित्तकारण तथा उपादान कारण दोनो ही है बनने वाला भी और बनाने वाला भी परन्तु स्वयं कारण रहित है। तथा जो जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में साक्षी रूप से विद्यमान रहता है। और उनके अतिरिक्त समाधि में यथावत रहता है एवं जिसकी सत्ता से सत्तावान् होकर शरीर इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण अपने-अपने कर्तव्य निष्पादन में समर्थ होते हैं। उसी परमार्थ वस्तु को ब्रह्म कहा जाता है।

**वदन्तितत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते ।।13**

जिसके लिए वेदान्त में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। “तत्त्वविदः तत् तत्त्वं वदन्ति” तत्त्वेता उसे तत्त्व कहते हैं। “कितत्” वह क्या है ? ‘यद् अद्वयं ज्ञानम्’ ज्ञाता और ज्ञेय से रहित वह अद्वय ज्ञान है। निर्गुण,सगुण, निराकार और साकार सभी उस पर ब्रह्म के ही स्वरूप है। अतः जिस साधक का जिस स्वरूप में श्रद्धा प्रेम हो जिसकी उपासना वह बिना किसी कठिनाई के कर सकता हो उसके लिए वही ठीक है। ब्रह्म का आदि अन्त और मध्य नहीं हैं। ‘नहि तव आदि मध्य अवसाना’ कहने का भाव यह है। कि ब्रह्म के लिए जितना की पुराणों में बताया गया है। उतना ही नहीं उससे भी अधिक है वेदों ने भी ‘नेति-नेति’ कहा है। जैसे वैज्ञानिक लोग प्रकृति का अध्ययन करके नवीन नित-नूतन अविष्कार कर रहे हैं। क्या वे कह सकते हैं। कि हमने प्रकृति को पूर्णतया जान लिया है। अब कोई अविष्कार शेष नहीं है अर्थात् किसी भी असीम तत्व की सीमा कोई निर्धारित नहीं कर सकता।

सगुण—सगुण स्वरूप ब्रह्म की उपासना की विधि एक नहीं हैं सगुण ब्रह्म साधको के श्रद्धा-विश्वास,प्रेम और योग्यता के भेद से अनेक भेद बतलाए है। सगुण परमेश्वर निराकार भी हैं और साकार भी है। वह अनन्त दिव्य गुणों से भरपूर है। अनन्त दिव्य सामर्थ्य से सम्पन्न है। और उनका रूप सौन्दर्य भी परम दिव्य तथा अलौकिक हैं उसका वर्णन लेखनी द्वारा नहीं किया जा सकता।

जीवतीति जीवः— जीव ईश्वर के समान ही ब्रह्म का ही यथार्थरूप है। जीव ब्रह्म की मलिन सत्वप्रधान अविद्या से उपहित हुआ चैतन्यांश हैं समष्टि रूप अज्ञान सत्वगुण की प्रधानता से ईश्वर संज्ञा प्राप्त करता है। और व्यष्टि रूप अज्ञान मलिन सत्व प्रधान से जीव संज्ञा बोधक होता है। जीव का परमात्मा से अंशाशिभाव संबध कथित है। जीव अंश है। और परमात्मा अंशी-जीव चेतन है। सर्वव्यापी भगवान् का अंश है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है पर जीव को भगवान से अलग करने वाला केवल स्थूल शरीर ही नहीं हैं गीता तत्व विवेचनी टीका के अनुसार जब तक स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से जीव संबध नहीं छूटता

तब तक वह जन्म मृत्यु से नहीं छूटता जीव का एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में जाना सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर होता है। जीव और आत्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं है। जिसकी बद्ध अवस्था है, उसे जीव कहते हैं। और मुक्तावस्था में वह आत्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही चेतन ज्ञानस्वरूप है। तथा अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार तो दोनों स्वरूप से भी एक ही है। परन्तु ईश्वर अनन्त और अखण्ड है, ईश्वर अत्यन्त सूक्ष्म है। उसके खण्ड नहीं हो सकते—जैसे आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। आकाश का संबध तो देश विशेष से दिखायी देता है। इसलिए उसमें उपाधि के कारण अंशाशिभाव की कल्पना की जा सकती हैं या ईश्वर तो देशकाल से भी अतीत है। फिर भी समझने के लिए घटाकाश और महाकाश की भाँति जीव और ईश्वर का अंशाशिभाव माना जा सकता है। जीवात्मा ईश्वर की ही चेतन परा प्रकृति है। वस्तुतः समस्त कर्मों का कर्ता और उन शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख-दुख का भोक्ता न होने पर भी आत्मा मोहवश होकर मैं देह हूँ, यह मान कर स्वयं कर्ता भोक्ता बन जाता है। इसी कारण वह जीव कहलाता है। यदि आत्मा इस भ्रमरूप देहाध्यास को छोड़ दे तो ईश्वर स्वरूप उसका स्वभाव ही है। “देही देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः जीव और ईश्वर में भेद है। इसके प्रमाण भी हैं। इसलिए भेद भी सच्चा है और अभेद भी सच्चा है।

संदर्भ स्रोत :-

1. गीता 8/3
2. श्रीमद्भगवत् गीता अष्टिकोपेता-315
3. श्रीमद्भगवत् गीता 13/11
4. भागवत 10/3/24
5. भागवत 1/2/3
6. गीता - 8/3
7. गीता - 13/11
8. बृहदारण्यक-5/1/1
9. केनोपनिषद् 1/3
10. कूर्मपुराण 1/92-93
11. कूर्मपुराण 4/9
12. भागवत-11/3/35/37
13. भागवत-1/1/2/11.





वर्तमान परिदृश्य में महिला उत्पीड़न की पीड़ा एक समाज वैज्ञानिक विश्लेषण

- डॉ. राजेश कुमार त्रिपाठी*
□ विनय कुमार द्विवेदी**

शोध सारांश

वर्तमान में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गम्भीर बात यह है कि इन मामलों के साथ बलात्कार की घटनाओं में बेतहासा वृद्धि हो रही है। बलात्कार नारी अस्मिता के साथ किया जाने वाला सबसे घृणित अपराध है। बलात्कार की शिकार महिलाएँ इस त्रासदी को जिन्दगी भर भोगती हैं। भारत में यह त्रासदी कहीं अधिक पीड़ादायक होती है।

महिला उत्पीड़न आज समस्या का रूप धारण कर चुकी है। महिला उत्पीड़न एवं शोषण की समस्या आज चरम पर है। गाँव और शहर सभी जगहों में महिला उत्पीड़न आज सर्वत्र व्याप्त है। कन्या हत्या और नया शिशु हत्या आज भी पराकाष्ठा पर है। जन्म से ही महिलाओं को उनके हक और उचित अधिकार नहीं मिल पाता है। लड़कियों को मात्र कुछ ही महीनों तक माँ का दूध भी मिल पाता है। लड़कियों को लड़के की तुलना में कम प्यार, कम देखभाल, बीमार होने पर माता-पिता का ध्यान कम होता है। फलस्वरूप लड़कों की तुलना में लड़कियाँ कमजोर होती हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। भारत में आज भी महिलाएँ दूसरे दर्जे की नागरिक मानी जाती हैं।

महिलाओं का शोषण एवं उत्पीड़न का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक समाज की प्रधानता का होना है। सम्पत्ति

पर अधिकार पुरुष वर्ग का होता है, जिसमें पुरुष वर्ग काफी शक्ति सम्पन्न हो जाता है, परिणामस्वरूप महिलाओं का शोषण होता है। आज भी भारत में महिलाओं की शिक्षा पुरुषों की तुलना में काफी कम है, जिससे उनका उत्पीड़न एवं शोषण काफी अधिक होता है। पढ़ने-लिखने की क्षमता में वृद्धि होने से मानव की योग्यता में वृद्धि होती है। साक्षरता समाज का पहला कदम है, जिसमें ज्ञान और सूचना के क्षेत्र में दुनिया के सभी दरवाजे खुल सकते हैं। शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने से महिलाओं के पास आत्मनिर्भरता के अवसर में वृद्धि होती है। किसी भी तरह के दबाव का विरोध करने में सक्षम होती है तथा अपने हक के प्रति जागरूक हो जाती है।

पश्चिमी देशों में भी महिलाओं की श्रम में भागीदारी 50 प्रतिशत से कम है। जहाँ सोवियत रूस में लगभग 50

* एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रामीण विकास एवं व्यवसाय प्रबंधन संकाय, महात्मा गाँधी ग्राम विकास विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

** शोधार्थी, समाजशास्त्र, महात्मा गाँधी ग्राम विकास विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

प्रतिशत है, वहीं भारत में केवल 20-25 प्रतिशत है। 70 प्रतिशत घरेलू एवं कृषि में कार्यरत है, जो प्रायः शोषण के घेरे में होती है। पश्चिमी देशों में महिलाएँ पार्ट टाइम नौकरियाँ कर घर और बाहर दोनों के कार्यों का निष्पादन करती हैं। ऐसी महिलाओं का प्रतिशत लगभग 35 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक का है। घर वाले कुछ दर्ज अपराधों में आधे का सम्बन्ध काम की जगह यौन उत्पीड़न तथा छेड़छाड़ से होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सर्वेक्षण (संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के 1200 महिलाओं का अध्ययन किया गया था) रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं ने काम के स्थान पर लिंग भेदभाव या शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का अनुभव किया था। 85 प्रतिशत उच्चतम न्यायालय के आदेश के बारे में कभी नहीं सुनी थी। केवल 11 प्रतिशत को मालूम था कि यौन उत्पीड़न के मामलों में वे कानून का सहारा ले सकती हैं तथा यौन उत्पीड़न कानूनन अपराध है। सर्वेक्षण में शामिल महिलाओं में से 32 प्रतिशत ने कहा कि उनके साथ वेतन, छुट्टी, तरक्की, काम का बँटवारा और काम के घंटों में भेदभाव किया जाता है।

प्रशासनिक सेवा में कार्यरत महिलाओं के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि उन्हें पदाधिकारी होने के बावजूद महिला प्रशासनिक अधिकारी भी एक इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं। सर्वेक्षण में शामिल कुछ महिला अफसरों में से 20 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें उनकी नौकरी के दौरान महिला होने की वजह से किसी-न-किसी रूप में तंग किया जाता है। जिन महिला अफसरों ने अपने वरिष्ठ अफसरों द्वारा किये जाने वाले अनचाहे यौन प्रस्तावों का विरोध किया, उन्हें तरह-तरह से परेशान किया गया, उनकी रिपोर्ट खराब कर दी गयी, खराब जगहों पर तबादला कर दिया गया। उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई गयी। इस प्रकार महिला पदाधिकारी भी इस प्रकार की रिपोर्ट करने से प्रायः हिचकिचाती हैं। इस तरह परेशान करने वाले लोगों की पैठ काफी ऊँचे दर्जे तक राजनीतिज्ञों से होता है, साथ ही अफसरों की आपसी एकता होती है। परिणामस्वरूप महिला की शिकायत निष्पक्षता से नहीं

देखी जाती है। जरूर महिला की गलती होगी, यह कहकर मामला रफा-दफा कर दिया जाता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभ्य राष्ट्रों के बीच बहस का एक मुद्दा बन गया है। न्यूजीलैण्ड के समाचार-पत्र हेराल्ड के अनुसार, भारतीय महिलाओं को शादी का लालच देकर यहाँ (न्यूजीलैण्ड) लाया जाता है, फिर उसके साथ शोषण शुरू हो जाता है। शादी के समय यहाँ का स्थायी निवासी का स्तर मुहैया कराने का लालच दिया जाता है। इसके बाद इन महिलाओं के साथ गुलामों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। इसमें से प्रायः के साथ वेश्यावृत्ति करायी जाती है। इस प्रकार उनका यौन शोषण किया जाता है। न्यूजीलैण्ड की नागरिकता हासिल कर चुके भारतीय मूल के लोग भारत जाकर यहाँ से लड़कियों को शब्जबाग दिखाकर लाते हैं और उनका शोषण करते हैं। यहाँ यौन शोषण का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग सात अरब डालर का है। न्यूयार्क में एशियाई लड़कियों के बल पर चल रहे थाई वेश्यालय से हर साल लगभग 15 लाख डालर सलाना की कमाई की जाती है। लड़कियों की खरीद-फरोख्त के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की खासी हिस्सेदारी है।

सदियों से भारत में महिलाओं का शोषण होता आ रहा है और उन्हें न्याय से वंचित रखा जा रहा है और कमजोर मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि संविधान में प्रदत्त लिंग समानता और सामाजिक न्याय के बावजूद महिलाओं के साथ भेदभाव और उनका शोषण आज भी हो रहा है। आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज में स्त्रियों को बाजार की वस्तु बना दिया गया है। आज फिल्में बनती हैं तो उसमें भी जो दिखता है वही बिकता है, का फार्मूला ही फिट होता है। समाज अपने नैतिक मूल्यों, गरिमा, भद्रता और शिष्टता से कोसों दूर चला गया है। बाल-विवाह, सती-प्रथा, वेश्यावृत्ति, बहुओं को दहेज के लिए जलाकर मार देना और न जाने कितने अपराध सरकारी प्रयासों के बावजूद इस समाज की जड़ों में गहरे तक जम चुका है। आज के इस वैश्वीकृत समाज में स्त्रियों का अवैध व्यापार

वे बेरोक-टोक जारी है। हालांकि इस व्यापार को रोकने के लिए कानून बने हैं और उन कानूनों का यथासंभव अनुपालन भी होता है लेकिन देह व्यापार के धन्धों में लिप्त दलाल इसका भी तोड़ निकाल लेते हैं। जब किसी लड़की को देह व्यापार में ढकेला जाता है तो उसे देश के साथ विदेश में भी भेजा जाता है, जहाँ उसे बहुत मूल्य दिया जाता है। अनेक राज्यों में महिलाओं की खरीद-फरोख्त और उन्हें जबरन यौनकर्म के लिए बाध्य करना आम अपराध है। महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक व्यापार कानून 1956 में वैश्यावृत्ति को अपराध माना गया है, जिसके लिए ग्राहक को दण्डित नहीं किया जाता था। बाद में इस कानून में संशोधन करके इस अनैतिक व्यापार निवारण कानून 1986 का नाम दिया गया। भारत में यौन कर्म पर कानूनी व्यवस्था इसी अधिनियम आई.टी.पी.ए. में निहित है।

समूचे विश्व की भाँति भारत में भी यौन कर्म से अनेकों लोग जीवन-यापन करते हैं। अधिकांश यौनकर्मों इस व्यवसाय में अनिच्छा से आती हैं। निर्धनता, परित्याग, पतियों की हिंसा और अन्य पारिवारिक समस्याओं से विवश होकर ही महिला इस व्यवसाय से जुड़ती हैं।

हाल के वर्षों में एड्स की महामारी के कारण इस कारोबार ने फिर से समाजशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया (खींचा) है। भारत में यह बात कुछ अधिक ही अनुभव की जा रही है, क्योंकि यौन कर्मियों को इस लाइलाज बीमारी का खतरा बहुत अधिक होता है और वे इसे अपने ग्राहकों में फैला रही हैं। कंडोम और अन्य सुरक्षित उपायों के उपयोग को प्रोत्साहित करना ही इस बीमारी से फैलने से रोकने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय माना जाता है।

सरकार को आई.टी.पी.ए. के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे

अनैतिक यौन व्यवहार पर नजर रखें और इस समुदाय को अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रित बच्चों आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं के प्रबन्धन के लिए संगठित करें। इस व्यवसाय के पीड़ितों के संरक्षण के लिए विविध प्रशिक्षण और क्षमता विकास के साथ-साथ वैधानिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है।

महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए कानून एवं नीतियों को तेजी से लागू करना समय की आवश्यकता है। महिलाओं के बीच कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के बारे में अक्सर जानकारी का अभाव रहता है, जिसके कारण महिलाएँ इसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर ही इसमें सुधार व हासिस किया जा सकता है। महिलाओं को समाज में सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए आवश्यक है कि छेड़छाड़ एवं यौन दुर्व्यवहार जैसे अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

सन्दर्भ :

- नन्दा, बी.आर. (सम्पादित) इण्डियन वीमैन फ्राम पर्दा मोडर्निटी विकास, नई दिल्ली, 1970
- नीरा देसाई (सम्पादित) वीमैन इन इण्डिया, बम्बई, वीरा पब्लिशर्स, 1977
- मैरी, जॉन फेमिनिज्म, पावर्टी एण्ड ग्लोबलाइजेशन : एन इण्डियन न्यू इण्टर एशिया कल्चरल स्टडीज, 1999
- सेन, समिता टुआईस, केमिनिस्ट पालिटिक्स? नई दिल्ली, 2002
- अल्टेकर, ए.एस., दि पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दी सिविलाइजेशन : दिल्ली मोतीलाल बनारसीदास, 1962
- स्टेट्स ऑफ वीमैन द इण्डिया (आई.सी.एफ.) नई दिल्ली





आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण की भूमिका

- साहेदा सिद्दीकी*
- मोनिका श्रीवास्तव**

शोध सारांश

द वर्ल्ड बैंक के की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं का कुल श्रम कार्यबल आंकड़ों की एक नजर में 2011 में 24.6 प्रतिशत, 2012 में 24.1 प्रतिशत, 2013 में 24.2 प्रतिशत और 2014 में 24.2 प्रतिशत है। महिलाओं की भागीदारी को आर्थिक सर्वे में और बढ़ाया जाए तो ये भारती अर्थव्यवस्था में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। देश की विभिन्न कंसलटिंग फर्म एवं उद्योगों की रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर की वे कंपनियां जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में सौंपा गया है वे बेहतर कार्य कर रही हैं।

शब्दबीज :- आधुनिक, भारत, महिला, सशक्तिकरण, भूमिका आदि।

किसी भी देश, राज्य व क्षेत्र का विकास उसकी उपलब्ध मानवशक्ति की कार्य क्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता एवं शिक्षा आदि बातों पर निर्भर करता है। महिलाएं किसी भी देश की विशिष्ट मानव संसाधन होती हैं। वर्तमान में महिलाओं का राष्ट्रीय विकास में योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी स्तरों पर देश की प्रगति में भारतीय महिलाओं ने निर्विवाद रूप से सहयोग किया है, किन्तु राष्ट्रीय विकास की प्रमुख गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका विशेष है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्तरों पर देश की प्रगति में महिलाओं द्वारा निर्विवाद रूप से अपना सहयोग दिया जाता रहा है, किन्तु प्रमुख राष्ट्रीय विकास गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका पर्दे के

पीछे छिपी रही और इसलिए उसे समुचित रूप से मान्यता नहीं मिल पा रही है।

आर्थिक दृष्टिकोण से क्रियाशील जनसंख्या के अध्ययन में तीन मुख्य धारणा पायी जाती हैं: जीविकोपार्जन की धारणा, कार्य वाले कामगार की सोच व वर्तमान कार्य की अवधारणा। फलतः हमारे देश की महिलाएं, पुरुषों के समान ही आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रही हैं। यदि हम आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारत की व्यावसायिक संरचना को देखें तो हमें ज्ञात होता है कि सर्वाधिक महिलाएं कृषि, निर्माण कार्य, संगठित व असंगठित क्षेत्र आदि में लगी हुई हैं जबकि सेवा क्षेत्र में सबसे कम महिलाएं कार्यरत हैं।

* एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान, शास.टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

** शोधार्थी, समाज विज्ञान, शास.टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

लघु उद्यम विकास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का एक अवसर है और इस प्रकार वे अपनी आय और जीवन स्तर में सुधार ला सकती हैं। लघु उद्यम विकास एक उभरती हुई प्रक्रिया है, जो कम पूंजी कम जोखिम और शुरुआत में कम लाभ के साथ आरंभ होती है। लघु उद्यम विकास से महिलाओं की आर्थिक स्थिति का पोषण गरीबी उन्मूलन का एक सशक्त साधन है। महिलाओं के लघु उद्यम बड़े पैमाने पर आर्थिक अनिवार्यता से फलते-फूलते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण या कुशलता का उन्नयन आमतौर पर महिलाओं के व्यापार उद्यम के आरंभिक चरण की पूर्व आवश्यकता है।

यहाँ तक कि स्थापित व्यापार के स्वामियों को भी एक व्यापार विचार के व्यावहारिक कार्यान्वयन में शामिल अनिवार्य तकनीकी जानकारी नहीं होती है। जबकि ऋण योजनाओं और उद्यमशीलता प्रशिक्षण की उपलब्धता महिलाओं के लिए अब भी बहुत सीमित है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लघु उद्योग व स्वरोजगार स्थापना हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि सेवा व बाजार क्षेत्र में मुख्य रूप से ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। उसमें भी तीन तत्वों की मुख्य भूमिका होती है, जिसमें (क) धन, (ख) कौशल व (ग) उद्यमशीलता है। प्रायः स्थानीय आधार पर रोजगार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके अंतर्गत महिलाओं को लोगों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है और समय-समय पर उनके उत्थान के लिए उद्योग, सेवा, व्यापार, विपणन (मार्केटिंग), सरकारी योजनाओं से संबंधित अनेक जानकारीयें प्रदान की जाती हैं।

महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आर्थिक स्वतंत्रता है। परिवार में अधिक श्रम महिलाएं

ही करती हैं। प्रातःकाल से मध्यरात्रि तक घर, कृषि एवं पशुपालन के कार्य करती महिलाओं के श्रम का अधिकांश फल पूरे परिवार को मिलता है लेकिन महिलाओं को अमूल्य श्रम का आदर-सम्मान पूर्ण रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, जो चिंतनीय विषय है। अतः जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जाती, तब तक उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलना भी असंभव सा लगता है फलतः आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का अर्थ है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्व-सहायता समूह का गठन करना एवं समूहों को आर्थिक योजनाओं से जोड़ना, ताकि महिलाओं को आर्थिक योजनाओं से जोड़ना ताकि महिलाओं को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके! समूहों में एकत्रधन के माध्यम से उनके परिवार संचालन में आने वाली दैनिक समस्याओं को दूर किया जा सके।

समाज में किसी भी वर्ग को उस सीमा तक सम्मान मिलता है, जिस सीमा तक वह समाज की आर्थिक प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। भारतीय इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषिके उत्पादन क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के उत्पादन क्षेत्र में नारी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। बड़े पैमाने पर धार्मिक-सांस्कृतिक क्रियाकलापों, दर्शन, समाजशास्त्रियों व मानवशास्त्रियों ने नारी की महत्ता को प्रमाणित किया है।

अर्थव्यवस्था एवं महिलाएं –

औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण के आगमन के साथ घर और कार्यस्थल दोनों जगहों पर महिलाओं ने अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी संभाली है। महिलाओं

की कार्य सहभागिता दर 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ी है, लेकिन पुरुषों की तुलना में अभी-भी कम है।

आर्थिक उत्थान में महिलाएं –

लैंगिक संतुलन को अब व्यसाय के लिए अच्छा माना जाने लगा है। श्रम बाजार में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता वैश्विक समृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मकता का एक बड़ा इंजन है। अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रबंध तंत्रों एवं निदेशक मंडलों में लैंगिक संतुलन वित्तीय दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हुआ है। लैंगिक प्रबंधकों को पाय: मानव संसाधनों, जनसंपर्क संचार, वित्त तथा पशासन जैसे दायित्वों में अधिक देखा जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2015 के अनुसार आर्थिक सहभागिता एवं अवसरों की समानता में लैंगिक अंतराल 59 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े बताते हैं कि विश्वभर में 40 प्रतिशत रोजगारों में महिला कामगार कार्यरत हैं।

महिला सशक्तीकरण, महिला विकास एवं उत्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हैं। घर एवं परिवार को व्यवस्थित ढंग से प्रबंधित करते-करते महिलाएं जब किसी कारोबार को संभालती हैं तो कारोबार की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अनेक अध्ययनों से प्रमाणित हो चुका है कि महिलाओं में उच्च प्रबंधकीय प्रतिभा एवं क्षमता है। इंदिरा नूई, अरुंधति भट्टचार्य, वंदना लूथरा, नीता अंबानी, विनिता गुप्ता, दीपिका गोययनका, अंबिका धीरज, वनिता बाली, रेनुका रामनाथ, रेणू सूद, कर्नाड, वनिता नारायणन, पल्लवी सर्राफ, शुभालक्ष्मी पान्से, विनीता सिंहानिया, प्रिया नायर, अंजली बंसल, स्वरूपा सान्याल, चंदा कोचर, सविता महाजन, कल्पना मोरपारिया, शोभाना भरतिया, जिया मोदी, स्वाति पिरामल, मल्लिका श्रीनिवासन, एकाता कपूर, फाल्गुनी नायर, आशु सुयश, जरीना मेहता.....ऐसी सफल भारतीय महिलाएं हैं, जो प्रबंधकीय क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए जानी जाती हैं।

अर्थव्यवस्था में महिला की भूमिका –

आर्थिक गणना के मुताबिक के मुताबिक देश में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद कम है। कुल 5.85 करोड़ उद्यमों में से सिर्फ 13.76 फीसदी उद्यमों की बागडोर महिलाओं के पास है। देश की कुल 13 करोड़ महिलाओं गांवों से संबंध रखती हैं। ऐसे में नकें आर्थिक सुदृढीकरण के लिए सरकार रोजगार हुतु प्रयासरत है।

कार्य की अवधारणा व आंकड़े –

महिलाओं के कार्य संबंधी मुद्दे इतने जटिल हैं कि जनगणना में भी महिलाओं के कार्य में सहभागिता की वास्तविक दर नहीं आती। आंकड़े किसी भी तरह से इस अनुपात में वृद्धि दिखाते हैं, जैसे 1971 में 14.22 प्रतिशत, 1981 की जनगणना में 19.67 प्रतिशत, 1991 में 22.27 प्रतिशत, 2001 में 25.7 प्रतिशत और 2011 में 33.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यह सर्वविदित है कि महिलाएं ज्यादा समय कार्य (काम) करती हैं तथा अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। यह दुःखद है कि स्वतंत्रता के करीब सात दशक (1947-2017) पूरे होने पर भी बाल श्रम की व्यवस्था समाप्त नहीं हुई। जिन स्थितियों में लड़कियां काम करती हैं, वह बहुत दयनीय है। छोटे हाथ और कालीन बनाने, बुनाई, पटाखा बनाने, फार्म में बिना भुगतान एवं निम्न भुगतान पर फैक्ट्रियों और घरों में काम करने और कई बार वेश्यावृत्ति में जाने का इबाव डाला जाता है। हालांकि शिक्षा, वित्त और सेवा क्षेत्र क अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार की संख्या बढ़ रही है, परन्तु सामान्यताया इस क्षेत्र में प्रवेश शहरी मध्यम वर्ग की शिक्षित महिलाओं तक ही सीमित है।

महिला कार्य की महत्ता –

आज की महिलाएं दफ्तर, खेती (कृषि), काल-कारखानों में काम करती दिखती हैं, पर अधिकतर

समय उनके व्यस्त हाथों को सामाजिक परिवेश की वहज से लोग महत्व नहीं देते, उनके कार्यों और योगदान को समाज यह मानकर चलता है कि परिवार की बेहतरी और उसके बनाए खने का उनका योगदान, समाज व परिवार के लिए उनकी चिंता, जो पारिवारिक सदस्यों का पालन-पोषण और इन सबके लिए स्वयं को मिटा देने की प्रवृत्ति, प्राकृतिक और स्त्रियोचित गुणों का परिणाम है। महिलाओं का जीवन भी बदल रहा है! इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ ने महिलाओं के रोजगार के परिदृश्य में नई चुनौतियों को रखा है। एक तरफ शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाएं मुखर व दृश्य हैं। जबकि दूसरी तरफ महिलाएं, प्रतिदिन जीवित रहने के संघर्ष में व्यस्त हैं।

महिलाओं की श्रमबल में हिस्सेदारी –

केंद्रीय सांख्यिकीय मंत्रालय की छठी आर्थिक गणना के मुताबिक देश के श्रमबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 25.51 फीसदी है। तमिलानाडु, केरल व आंध्रप्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में महिला उद्यमियों की संख्या अच्छी है। यहां महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या अच्छी है। यहां महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या 10.33 फीसदी है। लांगिक समानता पर अपनी एक हालिया रिपोर्ट में मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि अगर भारत में लैंगिक समानता स्थापित हो जाती है तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। इसे 2025 तक भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7 अरब डालर जुड़नेकी संभावना है, लेकिन इसके लिए व्यापक स्तर पर बदलाव की जरूरत है। भारत में महिलाओं को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। क्योंकि घर का बजट संभालना उनके हाथ में होता है, लेकिन कई अध्ययनों में साबित हो चुका है कि कार्पोरेट सेक्टर में भी

महिलाएं पुरुषों से कमतर नहीं हैं। द पितरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनोमिक्स एवं अर्नेस्ट एंव यंग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर एक शोध में पाया गया कि जिन कंपनियों के नेतृत्व में 30 प्रतिशत भूमिका महिलाओं की होती है, वे कंपनी के कुल मुनाफा(नेट मार्जिन)में छह प्रतिशत का इजाफा कर सकती हैं। तकरीबन 91 देशों में स्थापित विभिन्न उद्योगों और सेक्टर की सार्वजनिक कंपनियों पर अध्ययन करके यह नतीजा पाया गया है। अमेरिकी फर्म्स पर किए शोध में ये बात सामने आई कि महिला-पुरुष मिश्रित बोर्ड का पुभाव पुरुष मिश्रित बोर्डसे बेहतर है। भारतीय महिलाओं को व्यापक अवसर अभी तक नहीं मिला है। अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो वे भी उत्तम कार्य कर सकती हैं और जिन्हें अवसर मिला है, उन्होंने अपने आपको प्रमाणित भी किया है।

राज्यों में महिला श्रमबल –

मैं किसी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2055 तक श्रम क्षेत्र में महिलाओं की 10 प्रतिशत भागीदारी बढ़ाने से 70 प्रतिशत तक का मुनाफा आ सकता है। इसके लिए 6 करोड़ 80 लाख मिलियन से ज्यादा महिलाओं को श्रमबल से जाड़ना होगा। इसके लिए आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त महिला असमानता की खाई को पाटने की जरूरत है। मैं किसी विश्लेषण के अनुसार भारत का तकरीबन हर राज्य लैंगिक असमानता से जूझ रहा है। पांच राज्य ऐसे हैं, वहीं सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाले पांच राज्यों में महिला श्रमबल 32 प्रतिशत पाया गया है। लैंगिक समानता की सबसे ज्यादा दार मिजोरम में पाई गई है, वहीं बिहार में लैंगिक समानता दर सबसे कम है। द वर्ल्ड बैंक के पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं का कुल श्रम बल कार्यबल प्रतिशत में 2011 में 24.6 प्रतिशत, 2012 में 24.1

प्रतिशत, 2013 में 24.2 प्रतिशत और 2014 में 24.2 प्रतिशत है। महिलाओं की भगीदारी को आर्थिक क्षेत्र में और बढ़ाया जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में 16 प्रतिशत की वृद्धि जैसा योगदार कर सकती हैं। विभिन्न कंसलटिंग फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वभर की वे कंपनियां जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में सौंपा गया है, वे बेहतर काम कर रही हैं।

फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स के मुताबिक भारत के मिजोरम, केरल, मेघालय, गोवा और सिक्किम में सबसे ज्यादा लिंग समानता पाई गई है। वहीं, बिहार, मध्यप्रदेश, असम, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लैंगिक असमानता पाई गई है। अनेक रिपोर्टों के अनुसार कई देश लिंग समानता में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ देश को फायदा मिलेगा, वरन् इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में 12 ट्रिलियन डालर जोड़ा जा सकता है, वहीं भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2055 तक 700 अरब डालर जोड़ा जा सकता है।

विभिन्न अध्ययनों के आंकड़े यह बताते हैं कि मातृत्व और करियर के मध्य संघर्ष करती भारतीय महिलाएं, बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ देती हैं। औद्योगिक श्रमशक्ति में हिस्सेदारी करने के मामले में महिलाओं को इस कारण से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

महिला और कृषि –

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और इस क्षेत्र की सफलता जाज भी पूरी अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में कृषि का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में कृषि खाने-पाने और दूसरी इस्तेमाल की मूलभूत वस्तुओं के साथ-साथ उद्योग जगत को जरूरत की सामग्री भी मुहैया कराती

है। साथ ही, देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी अहम भूमिका निभाती है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि 21वीं सदी में भी कृषि रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। देश की कुल आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक पुरुष और महिलाएं आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि घाटे का सौदा साबित हो रही है। इस कारण क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा है। कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन का मानना था कि महिलाओं पर धर की देखभाल, बच्चों के पालन-पोषण और आय अर्जन जैसी जिम्मेदारियों के कारण कई तरह के बोझ पड़ते हैं। जब वे पूरे दिन खेतों और वनों में काम करती हैं तो उन्हें उपयुक्त सहायता सेवाओं कजरूरत पड़ती है। जैसे— शिशुसदन और शिशु देखभाल केंद्र। एक ग्राम पंचायत महिला कोष की स्थापना की जानी चाहिए ताकि स्व-सहायता समूहों और अन्य महिलाओं समूहों को महिला की विशिष्ट जरूरतों की पूरा करने के लिए सामुदायिक क्रियाकलाप शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। पुरुषों के पलायन के कारण कृषि के लिए महिलाकरण पर महिला सुग्राह्य खेती और ऋण नीतियों के संदर्भ में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृषि से जुड़ी सभी सेवाओं, शोध, विकास और विस्तार कार्यक्रमों को इसी तर्ज पर शुरू किया जाना चाहिए।

महिला रोजगार का वर्तमान परिदृश्य –

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल श्रम-शक्ति 48 करोड़ से अधिक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 67वें चक्र के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रोजगारपरक महिलाएं मुख्य रूप से विनिर्माण, सामुदायिक सेवाओं शिक्षा एवं व्यापार में लगी हुई हैं। जबकि ग्रामीण महिला कामगारों के लिए कृषि की प्रमुख व्यवसाय है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- आर्थिक सर्वेक्षण (2011–12) योजना आयोग के उपाध्यक्ष के इस्तेमाल के आंकड़े और एमडीसी 2014 की कन्ट्री रिपोर्ट।
- उद्योग व्यापार पत्रिका, नवम्बर 2008, जुलाई 2010, सितम्बर 2010।
- उद्यामिता, दिसम्बर 2011, जनवरी 2012।
- कलाम ए.पी.जे. अब्दुल विद वाई.एस.राजन, 2002 इंडिया 2020 : ए विजन फॉर दि न्यू मिलेनियम, पेंग्विन बुक्स, दिल्ली।
- कृष्णाराज एम. व कांची ए, (2012), “भारतीय महिला किसान”, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
- जालान बिमल (ऐड.) द इंडियन इकोनॉमी प्रोब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, पेंग्विन बुक्स, दिल्ली–19931।
- देसाई, नीरा और मैत्रेयी कृष्णाराज (1987), “वुमेन एंड सोसयटीइन उंडिया”, अजंता पब्लिकेशन (ई.) दिल्ली।
- देसाई, नीरा (1987), “सोशल चेंज इन गुजारात”, बोरा एंड कम्पनी, पब्लिशर्स प्रा. लि. मुंबई।
- देसाई, नीरा व टक्कर उषा (2009) “भारतीय समाज में महिलाएं”, राष्ट्र पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
- सेतिया, सुभाष “बजट के आईने में महिला उत्थान” योजना, मार्च 2015 मासिक पत्रिका सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, जुलाई पृष्ठ 80–821।
- पाण्डेय, प्रेम नारयण (2000) “ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन”, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
- परवीन विसारिया (1999) : “लेबल एंड पैटर्न ऑफ फीमेल इम्प्लायमेंट” 1911–1994, इन टी, एस, पोपला एंड ए. एन. शर्मा।
- पी.एम. मैथ्यू, एम. एस. जैन, “वीमेन्स आर्गनाइजेशन्स एण्ड वीमेनज इन्टरेस्ट्स”, आशीष पब्लिशिंग हाउस, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–241
- तिवारी, अवधेश (2012) “ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं सामाजिक परिवर्तन”, प्रथम संस्करण, जवाहर नगर, दिल्ली।
- योजना, अक्टूबर 2017 (विकास को समर्पित मासिक पत्रिका) वर्ष 61, अंक 10

